

प्रकाशक :

चुलावचंद् हिराचंद् दोशी,
जैन संस्कृति संरक्षक संघ,
सोलापुर.

— सर्वाधिकार सुरक्षित —

मुद्रक :

स. रा. सरदेसाई, वी. ए., एलएल.वी.,
‘वेद-विद्या’ मुद्रणालय, ४२ बुधवार पेठ,
मुर्णे २.

JIVARĀJA JAINA GRANTHAMĀLĀ No. 18

GENERAL EDITORS

Dr. A N UPADHYE & Dr. H L JAIN

Bhāvasena's

PRAMĀPRAMEYA

(A treatise on Logical Topics)

Edited Authentically for the First Time with
Hindi Translation, Notes etc.

By

Dr V P JOHRAPURKAR, M A , Ph D.

Asst Professor of Sanskrit, Govt Degree College,
Mandla (M P.)

Published by

GULABCHAND HIRACHAND DOSHI

Jaina Samskṛti Samrakṣaka Samgha.

Sholapur

1966

All Rights Reserved

Price Rs. Five Only

First Edition : 750 Copies

Copies of this book can be had direct from Jaina Samskṛti
Samrakshaka Sangha, Santosha Bhavana,
Phaltan Galli, Sholapur (India)

Price Rs 5/- Per copy, exclusive of Postage

जीवराज जैन ग्रंथमालाका परिचय

सोलापूर निवासी ब्रह्मचारी जीवराज गौतमचदजी दोशी कई वर्षोंसे ससारसे उदासीन होकर धर्मकार्यमें अपनी वृत्ति लगा रहे थे। सन् १९४० में उनकी यह प्रबल इच्छा हो उठी कि अपनी न्यायोपार्चित संपत्तिका उपयोग विशेष रूपसे धर्म और समाजकी उन्नतिके कार्यमें करें। तदनुसार उन्होंने समस्त देशका परिभ्रमण कर जैन विद्वानोंसे साक्षात् और लिखित सम्मतिया इस बातकी संग्रह की कि कौनसे कार्यमें संपत्तिका उपयोग किया जाय। स्फुट मतसचय कर लेनेके पश्चात् सन् १९४१ के ग्रीष्म कालमें ब्रह्मचारीजीने तीर्थकेत्र गत्पथ (नाचिक) के शीतल वातावरणमें विद्वानोंकी समाज एकत्र की और ऊहापोहपूर्वक निर्णयके लिए उक्त विषय प्रस्तुत किया। विद्वत्सम्मेलनके फलस्वरूप ब्रह्मचारीजीने जैन संस्कृति तथा साहित्यके समस्त अंगोंके सरक्षण, उद्धार और प्रचारके हेतुसे 'जैन संस्कृति संरक्षक संघ' की स्थापना की और उसके लिए ३००००, तीस हजारके दानकी घोषणा कर दी। उनकी परिग्रहनिवृत्ति चढ़ती गई, और सन् १९४४ में उन्होंने लगभग २,००,०००, दो लाखकी अपनी संपूर्ण संपत्ति सबको ट्रूस्ट रूपसे अर्पण कर दी। इस तरह आपने अपने सर्वस्व का त्याग कर दि। १६-१-५७ को अत्यन्त सावधानी और समाधानसे समाप्ति मरण की आराधना की। इसी संघके अंतर्गत 'जीवराज जैन ग्रंथमाला'का संचालन हो रहा है। प्रस्तुत ग्रंथ इसी ग्रंथमालाका अठारहवाँ पुष्प है।

प्रमाप्रमेय



स्व ब्रह्मचारी जीवराज गौतमचन्द्रजी दोशी

न्स्यापक, जैन मस्तृति सरक्षक संघ, सोलापूर.

विषयसूची

General Editorial	1-11	११. परोक्ष प्रमाण के भेद	८
Introduction	iiii-iv	१२. स्मृति	८
अस्तावना	(२)-(६)	१३. प्रत्यभिज्ञान	९
१. प्रारम्भिक		१४. ऊहापोह	१०
२. ग्रन्थकार		१५. तर्क	११
३. प्रस्तुत ग्रन्थ का नाम		१६. अनुमान	१२
४. विश्वतत्त्वप्रकाश तथा प्रमाप्रमेय		१७. पक्ष	१२
५. प्रमाप्रमेय तथा कथाविचार		१८. साध्य	१४
६. सपादनसामग्री		१९. हेतु	१४
७. प्रमुख विषय		२०. दृष्टान्त	१५
८. कुछ प्रमुख विशेषताएं		२१. उपनय-निगमन	१६
९. उपसंहार		२२. हेतु पक्ष का धर्म होता है	१६
मूल ग्रन्थ तथा अनुवाद		२३. पक्षधर्म हेतु व्याप्तिमान होता है	१८
१. मंगलाचरण	१	२४. अपक्षधर्म हेतु नहीं होता	१९
२. प्रमाण का लक्षण	१	२५. हेतु के लक्षण का समारोप	२०
३. प्रत्यक्ष प्रमाण के भेद	२	२६. अन्वयव्यतिरेकी अनुमान	२१
४. इन्द्रिय प्रत्यक्ष	२	२७. केवलान्वयी अनुमान	२२
५. मानस प्रत्यक्ष	३	२८. केवलव्यतिरेकी अनुमान	२३
६. अवग्रह आदि ज्ञान	४	२९. अनुमान के तीन भेद	२५
७. योगिप्रत्यक्ष-अवधिज्ञान	४	३०. अनुमानाभास	२६
८. मनःपर्याय ज्ञान	६	३१. असिद्ध के भेद	२७
९. स्वसंबेदन प्रत्यक्ष	६	३२. सपक्ष के होते हुए विरुद्ध	
१०. प्रत्यक्षाभास	६	के भेद	३०

३३. सपक्ष के अभाव में विशद्	५४. असिद्धादिरमा	५४	
के भेद	३१	५५. अन्यतगसिद्धसमा	५५
३४. पक्षव्यापक अनैकान्तिक	५६.	प्रासिसमा-अप्रासिसमा	५६
के भेद	३३	५७. प्रसंगसमा	५७
३५. पक्षकदेशी अनैकान्तिक	५८.	प्रतिदृष्टान्तसमा	५८
के भेद	३५	५९. उत्तरत्तिसमा	५९
३६. अकिञ्चित्कर	३६	६०. सशयसमा	६०
३७. अनध्यवसित	३७	६१. प्रकरणसमा	६०
३८. कालात्ययापदिष्ठ	३९	६२. अहेतुसमा	६०
३९. प्रकरणसम	४०	६३. अर्थापत्तिसमा	६१
४०. अन्वयदृष्टान्ताभास	४२	६४. अविशेषसमा	६१
४१. व्यतिरेक दृष्टान्ताभास	४३	६५. उपदत्तिसमा	६२
४२. दृष्टान्ताभासों में व्याप्ति	६६.	उपलब्धिसमा-अनुप-	
की विकल्पा	४३.	लविषसमा	६२
४३. तर्क	४६.	६७. नित्यसमा व अनित्यसमा	६३
४४. तर्क के दोष	४७	६८. कार्यसमा	६४
४५. छल	४८	६९. जातियों की सत्या	६५
४६. वाक्छल	४८	७०. निग्रहस्थान	६५
४७. सामान्यछल	४९	७१. प्रतिज्ञाहानि	६६
४८. उपचारछल	५०	७२. प्रतिज्ञान्तर	६६
४९. जातिया	५१	७३. प्रतिज्ञाविरोध	६७
५०. साधर्म्यसमा-वैधर्म्यसमा	५१	७४. प्रतिज्ञासंन्यास	६७
५१. उत्कर्षसमा-अपकर्षसमा	५२	७५. हेत्वान्तर	६८
५२. वर्णसमा-वर्वर्णसमा	५३	७६. अर्थान्तर	६८
५३. विकल्पसमा	५४	७७. निरर्थक	६९

७८. अविज्ञातार्थक	६९	१०२. पत्र के विषय में जय
७९. अपार्थक	७०	और पराजय ९०
८०. अप्राप्तकाल	७०	१०३. वाद और जल्प ९१
८१. हीन	७१	१०४. चार कथाएं ९१
८२. अधिक	७१	१०५. तीन कथाएं ९३
८३. अन्य निग्रहस्थान	७१	१०६. वाद के लक्षण का स्पष्टन ९४
८४. निग्रहस्थानों का उपसंहार	७२	१०७. जल्प के लक्षण का स्पष्टन ९६
८५. छल आदि का प्रयोग	७३	१०८. वाद और जल्प में भेद नहीं ९७
८६. वाद	७५	१०९. क्या वाद का साधन
८७. व्याख्यावाद	७६	प्रमाण है ? ९९
८८. गोष्ठीवाद	७७	११०. क्या वाद का साधन
८९. विवादवाद	७९	तर्क है ? १००
९०. वाद के चार अंग	७९	१११. क्या वाद का सिद्धान्त
९१. सभापति	८०	अविरुद्ध होता है ? १०२
९२. सम्ब	८२	११२. वाद के पाच अवयव १०३
९३. पक्षपात की निन्दा	८३	११३. वाद और अनुमान
९४. वादी और प्रतिवादी	८४	में भेद १०४
९५. तात्त्विक वाद	८५	११४. पाच अवयवों का
९६. प्रातिभवाद	८६	दूसरा अर्थ १०५
९७. नियतार्थवाद	८६	११५. वाद में पक्ष और प्रतिपक्ष १०६
९८. परार्थनवाद	८७	११६. जल्प के लक्षण का स्पष्टन १०७
९९. पत्र का लक्षण	८८	११७. वितण्डा के लक्षण
१००. पत्र के अंग	८९	का स्पष्टन १०८
१०१. पत्र का स्वरूप		

११८. जल्द-वितण्डा तत्व के		१२५. द्रव्यप्रमाण	११९
रक्षक नहीं हैं	११०	१२६. सेत्रप्रमाण	१२०
११९. वाद ही तत्व का रक्षक है १११		१२७. कालप्रमाण	१२१
१२०. क्या जल्द-वितण्डा विजय		१२८. उपमानप्रमाण	१२१
के लिए होते हैं ?	११२	१२९. अन्य प्रमाणों का	
१२१. वाद विजय के लिए		अन्तर्भीकरण	१२३
होता है	११३		
१२२. वाद और जल्द में अभेद ११५		१३०. उपसद्वार	१२४
१२३. आगम	११७	तुलना और समीक्षा	१२५-१५६
१२४. आगमाभास	११८	लोकसूची	१५७-५८

GENERAL EDITORIAL

Bhāvasena-Traividya belongs to Mūlasamgha and Senagana. He is well-known as a successful disputant. He bears the title Traividya which indicates his proficiency in Vyākaraṇa, Nyāya and Siddhānta. He is to be assigned to the latter half of the thirteenth century A. D. Additional details about him and his works are already given in the Introduction to the *Viśvatattva-Prakāśa*, published, in this Series, as No. 16.

One more work, the *Pramāprameya*, of Bhāvasena is being presented in this volume along with Hindi translation etc. The title of the text is differently mentioned by the author himself. It is called *Pramāprameya* in the opening verse, but at the end of the work it is described to be the first Pariccheda, *Pramāna-nirūpana* by name, of the *Siddhāntasāra-Mokṣasāstra*. Obviously then it is a part of a bigger work which has not come to light so far. Its contents, however, make it a self-sufficient unit. In a way the topics dealt with here are complimentary to those in the *Viśvatattva-Prakāśa* which too, like this work, is an opening portion of a bigger treatise.

The *Pramāprameya* is a manual and presents in a simple style the details about Pramāna as understood in Jaina metaphysics and logic. The treatment is more of the Nyāya pattern and very well suited to introduce the students into the preliminaries of Jaina Nyāya. The author's discussion about *anumāna*, *ābhāsa*, *vāda* etc. is exhaustive. Bhāvasena has presented a useful manual the discussion in which is founded on the fundamentals of Jainism but absorbs a good deal of the Nyāya school.

Our sincere thanks are due to Dr. V. P. JOHRAPURKAR who placed this valuable edition of the *Pramāprameya* at our disposal for publication. Besides the Hindi translation of the text, he has added valuable Notes at the end which will help the reader to grasp allied material from other works. It is hoped that he would bring to light other unpublished works of Bhāvasena, of the MSS (now in Germany) of which we have been able to secure the microfilm copies.

It gives us pleasure to record our sincere gratitude to the members of the Trust Committee and Prabandhasamiti of the Sangha for their keen interest in the progress of the Jīvarāja Jaina Granthamālā. It is a pleasure to be guided by the President of the Trust Committee, Shriman GULABCHAND HIRACHANDAJI who shows enlightened liberalism in shaping the policy of the Granthamālā. Further, we offer our sincere thanks to Shriman WALCHAND DEVACHANDAJI and to Shriman MANIKCHANDA VIRACHANDAJI who are taking active interest in these publications. But for their co-operation and help it would have been difficult for the General Editors to pilot the various publications from a distance.

Kolhapur
Jabalpur
-7-1-1966

A. N UPADHYE
H L JAIN
General Editors.

INTRODUCTION

(Summary of Hindi Prastāvanā)

The *Pramāprameya* is the second philosophical treatise of Bhāvasena coming to light. We have given detailed information about the author in our introduction to his *Viśvatattvapratkāśa*. He was a prominent teacher of the Sena-gana and flourished in the latter half of the 13th century. He wrote two books on grammar and eight on logic and metaphysics.

This book is styled as the first chapter of *Siddhāntasāra-Mokṣasāstra*, containing discussion about Jaina theories of valid knowledge (*pramāṇa*). Probably the latter part of the book was devoted to the subjects of valid knowledge (*prameya*) but its existence is not known. We may note here that *Viśvatattvapratkāśa* is also styled by the author as the first chapter of a Moksasāstra. In a way, these two books are complimentary to each other.

We have prepared this edition from the Nāgarī transcript of a palm-leaf manuscript in Kannada characters obtained from the Jaina Matha of Humcha through the kind co-operation of Swami DEVENDRAKĪRTIJĪ. The transcript was prepared by Mr PADMANABHA SHARMA of Mysore. The MS is in a fairly good condition. The text is obscure in only one or two places.

As noted above, the book contains a discussion of the Jaina theories of valid knowledge. The author has tried to synthesise the traditional Jaina theories with the then-available Buddhist and Nyāya doctrines. He divides direct-knowledge (*pratyakṣa*) in four categories. sensation, mental,

consciousness, self-consciousness and the knowledge of the Yogins. His description of the nature of reason (*hetu*) mainly follows the Nyāya views. Various faults in a debate (*jāti* and *nigrahasthāna*) are also described according to the Nyāya tradition. The author criticises the three or four types of debate (*vāda*, *jalpa* and *vitaṇḍā*) described in the Nyāya Sūtra. He classifies the debate in three (*vyākhyā*, *gosthī* and *vivāda*) or four (*tāttvika*, *prātibha*, *niyatārtha* and *parārthana*) types. He devotes the concluding paragraphs to various methods of counting and measurements, and includes them in Karana-Pramāna.

Though smaller in size than the *Viśvakattvaprakāśa*, this book is more important, as it brings to light a new approach to the problems of Jaina epistemology. We hope that other works of Bhāvasena will also be published in near future.

प्रस्तावना

१. प्रारम्भिक—आचार्य भावसेन त्रैविद्यदेव का विश्वतत्त्वप्रकाश नामक ग्रन्थ कुछ ही समय पहले इसी ग्रन्थमाला में प्रकाशित हुआ है। उन का न्यायविषयक दूसरा ग्रन्थ ‘प्रमाप्रमेय’ अब हम प्रस्तुत कर रहे हैं।

२. ग्रन्थकार—इस ग्रन्थ के कर्ता आचार्य भावसेन का विस्तृत परिचय हमने विश्वतत्त्वप्रकाश की प्रस्तावना में दिया है। अतः यहा उस का सारांश ही देना काफी होगा। ग्रन्थकार मूलसब, सेनगण के आचार्य थे। त्रैविद्य यह उन की उपाधि थी अर्थात् वे व्याकरण, तर्क और आगम इन तीन विद्याओं में पारंगत थे। उन के समाधिमरण का स्मारक आनन्दप्रदेश के अनन्तपुर जिले में अमरापुरम् ग्राम के सभीप है। इस स्मारक का शिलालेख कन्ड भाषा में है तथा विश्वतत्त्वप्रकाश की प्रशस्ति के कुछ पद्म भी कन्ड में हैं। अतः ग्रन्थकार भी कन्डभाषी रहे होंगे ऐसा प्रतीत होता है। उन के नाम से ग्रन्थसूचियों में निम्नलिखित ग्रन्थों का पता चलता है—
१. विश्वतत्त्वप्रकाश, २. कातन्त्ररूपमाला, ३. प्रमाप्रमेय, ४. सिद्धान्तसार,
५. न्यायसूर्यावली, ६. भुक्तिमुक्तिविचार, ७. सतपदार्थीटीका, ८. शाकटायनव्याकरण टीका, ९. न्यायदीपिका तथा १०. कथाविचार। इन में से पहले दो प्रकाशित हो चुके हैं। तीसरा इस पुस्तक में प्रकाशित हो रहा है। चौथे, पाँचवें तथा छठवें ग्रन्थ के सूक्ष्मचित्र जर्मनी से प्राप्त हुए है किन्तु उन के अध्ययन का प्रबन्ध अभी नहीं हो सका है। शेष ग्रन्थों के बारे में अधिक विवरण नहीं मिल सका है। ग्रन्थकार का समय तेरहवीं सदी के उत्तरार्ध में अनुमानित है। उन्होंने वारहवीं सदी तक के ग्रन्थों का उपयोग किया है तथा तुरुष्कशास्त्र का उल्लेख किया है, अतः सन् १२५० यह उन के समय की पूर्वमर्यादा है। उन की कातन्त्ररूपमाला की एक प्रति सन् १३६७ की लिखी है, यही उन के समय की उत्तरमर्यादा है।

३. प्रस्तुत ग्रन्थ का नाम—ग्रन्थकर्ता ने इस ग्रन्थ के नामका दो प्रकार से उल्लेख किया है—प्रथम इलोक में प्रमाप्रमेय यह नाम

दिया है तथा अन्तिम पुस्तिका में इसे सिद्धान्तसार मोक्षशास्त्र का प्रमाण-निरूपण नामक पहला परिच्छेद बतलाया है। इन में स हम ने पहला नाम ही शीर्षक के लिए उपयुक्त समझा है क्यों कि एक तो उस का उल्लेख पहले हुआ है, दूसरे, वह ग्रन्थ के विषय के अनुसूच्य है तथा प्रन्यसूचियों में भी वही उल्लिखित है। ग्रन्थकर्ता द्वारा उल्लिखित दूसरे नाम के सिद्धान्तसार तथा मोक्षशास्त्र ये दोनों अंश दूसरे ग्रन्थों के लिए प्रयुक्त हैं तो आये हैं—जिनचन्द्रेन्हृत सिद्धान्तसार माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला में प्रकाशित हो चुका है तथा नरेन्द्रसेनहृत सिद्धान्तसारसब्रह इसी जीवराज ग्रन्थमाला में प्रकाशित हुआ है—अत इस नाम को हम ने गौण स्थान दिया है। उस नाम से ग्रन्थ के विषय का वोध भी नहीं होता।

४. विश्वतत्त्वप्रकाश तथा प्रमाप्रमेय—यहा एक बात ध्यान देने योग्य है कि प्रमाप्रमेय को ग्रन्थकार ने सिद्धान्तसार-मोक्षशास्त्र का प्रमाण-निरूपण नामक पहला परिच्छेद बताया है, इस से अनुमान होता है कि इस ग्रन्थ का अगला परिच्छेद प्रमेयों के बारे में होगा। इसी प्रकार विश्वतत्त्वप्रकाश-मोक्षशास्त्र के पहले परिच्छेद के अन्त में आचार्य ने उसे अशेष-परमतविचार यह नाम दिया है, इस से अनुमान होता है कि उस के दूसरे परिच्छेद में स्वरमत का समर्थन होगा। दुर्भाग्य से इन दोनों ग्रन्थों के ये उत्तरार्थ प्राप्त नहीं हैं। एकतरह से ये दोनों पूर्वार्थ एक-दूसरे के पूरक हैं क्यों कि इस प्रमाप्रमेय में प्रमाणों का विचार है तथा विश्वतत्त्वप्रकाश में प्रमेयों का विचार है।

५. प्रमाप्रमेय तथा कथाविचार—ग्रन्थकर्ता ने विश्वतत्त्वप्रकाश में तीन स्थानों पर कथाविचार नाम का उल्लेख करते हुए सूचित किया है कि उस में अनुमानसंबंधी विविव विषयोंकी चर्चा है। वे प्रायः सब विषय इस प्रमाप्रमेय में वर्णित हैं। तथा इत्त के परिच्छेद १०३ से १२२ तक विशेष रूप से कथा (वाद के प्रकारों) का ही विचार किया गया है। अतः सन्देह होता है कि आचार्य ने इसी अंश का विश्वतत्त्वप्रकाश में उल्लेख किया होगा। किन्तु यह भी समव है कि इस विषय पर उन्होंने

कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ भी विस्तार से लिखा हो क्यों कि शब्द के अनित्यत्व के विषय में प्राभाकर मीमांसकों के मत का खंडन इस प्रमाप्रमेय में नहीं पाया जाता जिसका उल्लेख विश्वतत्त्वप्रकाश पृ. ९३ पर है।

६. सम्पादनसामग्री——इस ग्रन्थ की एकमात्र ताडपत्रीय प्रति के दर्शन हमने हुमच के श्रीदेवेन्द्रकीर्ति स्वामीजी के मठ में किये थे। यह प्रति कन्नड लिपि में है। मैसूर के श्री पद्मनाभ शर्मा के सहयोग से इस का देवनागरी रूपान्तर हमें प्राप्त हुआ। मठ से प्रति प्राप्त करने में श्रीमान पडित सुजवलि शास्त्रीजी का सहयोग भी उल्लेखनीय रहा। इसी प्रति से यह संस्करण तैयार किया गया है। प्रति बहुत शुद्ध है। केवल एक स्थान पर (परिच्छेद २९ में) हम अर्थनिर्णय करने में असफल रहे हैं। जैसा कि ऊपर कहा है— यह ग्रन्थ एक वडे ग्रन्थ का पहला परिच्छेद है। अतः इस में किसी उप-विभाग या प्रकरण आदि का विभाजन नहीं है। अध्ययन तथा अनुवाद की सुविधा के लिए हमने इसे १३० परिच्छेदों में विभक्त किया है तथा नविषयानुसारी शीर्षक दिये हैं। अनुवाद प्राप्तः शब्दश. किया है तथा स्पष्टीकरण का भाग बैकेटों में रखा है।

७. प्रमुख विषय——इस ग्रन्थ में आचार्य ने प्रमाण अर्थात् यथार्थ ज्ञान के स्वरूप से संवित सभी विषयों का वर्णन किया है। प्रथम परिच्छेद में मंगलाचरण तथा विषयनिषेद्ध करने के बाद दूसरे परिच्छेद में प्रमाण का लक्षण सम्यक् ज्ञान अथवा पदार्थयाथात्म्यनिश्चय यह बतलाया है। परि० ३ से १० तक प्रत्यक्ष प्रमाण तथा उस के चार भेदों का—इन्द्रियप्रत्यक्ष, मानसप्रत्यक्ष, योगिप्रत्यक्ष एवं स्वसंबोद्धनप्रत्यक्ष का वर्णन है। परि० ११ से १९ तक परोक्ष प्रमाण तथा उसके प्रकारों का—स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क व ऊहापोह का वर्णन है। परोक्षं प्रमाण का सब से महत्त्वपूर्ण प्रकार अनुमान है, उस के छह अवयवों का—पक्ष, साध्य, हेतु, उद्धान्त, उपनय, तथा निगमन का वर्णन परि० १६ से २१ तक है। इन अवयवों में से हेतु के लक्षण की विशेष चर्चा परि० २२ से २९ तक है। परि० २६ से २८ तक अनुमान के तीन प्रकार बतलाये हैं—केवलान्वयी, केवलव्यतिरेकी तथा अन्वयव्यतिरेकी। परि० २९ में इस से भिन्न प्रकार भी बतलाये हैं—दृष्ट,

सामान्यतोष्ट तथा अदृष्ट । अनुमान के आभास के संबंध में असिद्ध, विरुद्ध, अनैकान्तिक, अनव्यवसित, कालात्मयापदिष्ट, अकिञ्चित्कर तथा प्रकरणसम इन सात हेत्वाभासों का वर्णन परि. ३० से ४२ तक है । परि. ४३-४४ में आत्माश्रय, डत्तरेतराश्रय आदि तर्क के प्रकार तथा उन के दोषों का वर्णन है । परि. ४५ से ४८ तक छल तथा उस के तीन प्रकारों का - बाकुछल, सामान्यछल और उपचारछल का वर्णन है । परि. ४९ से ६९ तक जाति अर्थात् झूठे दूषणों के चौबीस प्रकारों का वर्णन है । परि. ७० से ८९ तक निग्रहस्थान अर्थात् वाढ में पराजय होने के कारणों के वाईस प्रकारों का वर्णन है । परि. ८६ से ९८ तक वाढ के प्रकारों तथा अंगों का वर्णन है । व्याख्यावाढ, गोष्ठीवाढ तथा विचादवाढ ये वाढ के तीन प्रकार हैं । अथवा तात्त्विक, प्रातिम, नियतार्थ एवं परार्थन ये वाढ के चार प्रकार हैं । तथा सभापति, समासद, वाढी और प्रतिवादी ये वाढ के चार अंग हैं । परि. ९९ से १०२ तक पत्र तथा उस के अंगों का वर्णन है । परि. १०३ से १२२ तक वाढ और जल्प के न्याय-दर्शन में कहे गये लक्षणों का खण्डन करके वाढ और जल्प में अभेद स्थापित, किया है । परि. १२३-१२४ में आगम तथा उस के आभास का वर्णन है । परि. १२९ से १२८ तक करण प्रमाण अर्थात् नापतील की पद्धतियों का वर्णन है । परि. १२९ में अन्य दर्शनों में वर्णित प्रमाणों का उपर्युक्त व्यवस्था में समावेश करने की रीति बतलाई है तथा परि. १३० में अन्तिम पुष्पिका है ।

८. कुछ प्रमुख विशेषताएँ—आचार्य ने प्रमाण के विविध विषयों पर जो विचार व्यक्त किये हैं उन की अन्य जैन - जैनेतर आचार्यों के विचारों से तुलना करने का प्रयास हमने अन्तिम टिप्पणी में किया है । यहां इस तुलना से ज्ञात होनेवाली कुछ प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करते हैं ।

(अ) प्रमाण के लक्षण में अपूर्वर्थ या अनधिगतार्थ के ग्रहण जैसा, कोई शब्द नहीं है ।

(आ) प्रत्यक्ष प्रमाण के चार भेद किये हैं - इन्द्रियप्रत्यक्ष, मानसुप्रत्यक्ष, योगिप्रत्यक्ष, स्वसंवेदनप्रत्यक्ष ।

- (इ) परोक्ष प्रमाण के छह भेद किये हैं - स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, ऊहापोह, अनुमान, आगम ।
- (ई) अनुमान के छह अवयव माने हैं - पक्ष, साध्य, हेतु, वृष्टान्त, उपनय, निगमन ।
- (उ) हेतुका लक्षण अन्यथानुपपत्ति न मानकर व्याप्तिमान पक्षधर्म होना माना है ।
- (ऊ) अनुमान के दो प्रकारों से भेद किये हैं - केवलान्वयी, केवल-व्यतिरेकी तथा अन्वयव्यतिरेकी; दृष्टि, सामान्यतोदृष्टि, अदृष्टि ।
- (ऋ) हेत्वाभासो के सात प्रकार किये हैं - असिद्ध, विरुद्ध, अनैकान्तिक, अकिञ्चित्कर, अनध्यवसित, कालात्ययापदिष्ट तथा प्रकरणसम ।
- (ऋ) आत्माश्रय, इतरेतराश्रय आदि के लिए भी तर्क शब्द का प्रयोग किया है ।
- (ल) जातियोंकी संख्या बीस बतलाई है ।
- (ए) वाद के तीन (व्याख्या, गोष्ठी, विवाद) तथा चार (तात्त्विक, प्रातिभ, नियतार्थ, परार्थन) प्रकार बतलाये हैं ।
- (ऐ) वाद और जल्द में भेद होने का प्रबल खण्डन किया है ।
- (ओ) करणप्रमाण के अन्तर्गत द्रव्य, क्षेत्र तथा काल के नापने के प्रकार बतलाये हैं ।
- (औ) उपमानप्रमाण के अन्तर्गत आगमिक परंपरा के पल्य, रज्जु आदि की गणना भी बतलाई है ।

इन बातों के अवलोकन से स्पष्ट होगा कि जहा आचार्य ने प्राचीन जैन आगमिक परम्परा के भावप्रमाण, करणप्रमाण, प्रत्यक्ष-परोक्ष आदि भेदों को सुरक्षित रखा है, वहा प्रत्यक्ष के भेद, हेतु का लक्षण, हेत्वाभास आदि के वर्णन में वौद्ध तथा नैयायिक विद्वानों के विचारों से भी लाभ उठाया है । जैन-जैनेतर विचारों के समन्वय की इस दृष्टि से यह ग्रन्थ महत्वपूर्ण सिद्ध होगा ।

९. उपसंहार—आचार्य भावसेन का यह दूसरा न्यायविषयक ग्रन्थ प्रकाशित हो रहा है। उन के पहले ग्रन्थ विश्वतत्त्वप्रकाश की तुलना में यह ग्रन्थ काफी छोटा है तथा प्रत्येक विषय की साधक-वाधक चर्चा भी इस में उतने विस्तार से नहीं है। तथापि विचारों की स्वतन्त्रता को दृष्टि से इस का महत्त्व अधिक सिद्ध होगा। हमें आशा है कि आचार्य के शेष ग्रन्थों के प्रकाशन का प्रबन्ध भी निकट भविष्य में हो सकेगा। इस ग्रन्थ की प्रति की प्राप्ति के लिए हम श्रीदेवेन्द्रकीर्ति स्वामीजी, हुम्मच, श्री. पंडित मुजवलि शास्त्रीजी, मुढविद्री तथा श्री. पद्मनाभ शर्मा, मैसूर के बहुत आभारी हैं। इस के प्रकाशन की स्वीकृति के लिए आदरणीय डॉ. उपाध्येजी तथा डॉ. हीरालालजी के प्रति भी हम कृतज्ञता-व्यक्त करते हैं।

जावरा
दीपावली }
शक १८८६ }

विद्याधर जोहरापुरकर

श्री-भावसेन-त्रैविद्यदेव-विरचितं

प्रमाप्रमेयम्

[सिद्धान्तसार-मोक्षशास्त्रस्य प्रथमः परिच्छेदः]
॥ नमः सिद्धेभ्यः ॥

[१ मङ्गलाचरणम्]

श्रीवर्धमानं सुरराजपूज्यं साक्षात्कृताशेषपदार्थतत्त्वम् ।
सौख्याकरं मुक्तिपतिं प्रणम्य प्रमाप्रमेयं प्रकटं प्रवक्ष्ये ॥ १ ॥
वालव्युत्पत्त्यर्थं शास्त्रमिदं रचयते मया स्पष्टम् ।
उद्देशलक्षणादौ सोहृद्वर्यं विश्वविद्वद्भिः ॥ २ ॥

[२. प्रमाणलक्षणम्]

नथ कि प्रमाणम् । पदार्थयाथात्म्यनिश्चयः प्रमाणम् । तच्च भाव-
प्रमाणं करणप्रमाणमिति द्विविधम् । प्रमिति प्रमाणमिति भावव्युत्पत्त्या

[अनुवाद]

देवों के राजा-इन्द्रों द्वारा पूजित, सुख के आकर - श्रेष्ठ निधि, मुक्ति
के स्त्रामी, तथा समस्त पंदार्थों के स्वरूप को जिन्होंने साक्षात्-प्रत्यक्ष जाना
है उन श्रीवर्धमान-महावीर जिन को प्रणाम कर के मैं प्रमाप्रमेय-प्रमाण तथा
उन के विपर्यों-का स्पष्ट वर्णन करूँगा ॥

अज्ञानी लोगों को ज्ञान कराने के लिए मैं इस शास्त्र की स्पष्ट रूप से
रचना करता हूँ । इस के उद्देशों-सज्जाओं में तथा लक्षणों- व्याख्याओं आदि
में (कोई त्रुटि हो तो उसे) समस्त विद्वान् सहन करें (- क्षमा कर के
सुधारें) ॥

प्रमाण का लक्षण

प्रमाण क्या है ? पदार्थ के वास्तविक स्वरूपके निश्चय को (-यथार्थ
ज्ञान को) प्रमाण कहते हैं । उसके दो प्रकार हैं - भाव प्रमाण तथा करण

सम्यक् ज्ञानमेव प्रमाणम् । प्रकर्येण संशयविषयासानध्यवसायव्यवच्छेदेन मीयते निश्चयते वस्तुतत्त्वं येन तत् प्रमाणमिति करणव्युत्पत्त्या सम्यक्ज्ञानसाधनं प्रमाणम् । तत् प्रत्यक्षं परोक्षमिति द्विविधम् ॥

[३. प्रत्यक्षप्रमाणभेदाः]

तत्र पदार्थानां साक्षात् प्रतीत्यन्तराव्यवधानेन वेदनं प्रत्यक्षम् । तद्साधनं च । तत्र इन्द्रियप्रत्यक्षं मानसप्रत्यक्षं योगिप्रत्यक्षं स्वसंवेदनप्रत्यक्षमिति चतुर्धा ॥

[४. इन्द्रियप्रत्यक्षम्]

आत्मावधानेनाव्यव्रमनसा सहकृतात् निर्वृद्धेन्द्रियात् जातम् इन्द्रियप्रत्यक्षम् । इन्द्रियं च स्पर्शनरसनव्याप्तिं श्रोत्रेन्द्रियमिति पञ्चविधम् । तत् प्रत्येकं द्रव्यभावमेदात् द्विविधम् । निर्वृत्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम् । तत्र निर्वृत्तिः नानाक्षुभ्युकुन्दकुडमलमसूखवनालीसंस्थाना ।

प्रमाण । प्रमिति ही प्रमाण है इस भाव-व्युत्पत्ति के अनुसार सम्यक् ज्ञान ही प्रमाण है । उत्तम रीतिसे अर्थात् संशय, विषयास तथा अनिश्चय को दूर कर के जो वस्तुतत्त्वका का निश्चय करना है वह प्रमाण है इस करण-व्युत्पत्ति के अनुसार सम्यक् ज्ञान का सावन प्रमाण कहलाता है । प्रमाण के दो प्रकार हैं—प्रत्यक्ष तथा परोक्ष ।

प्रत्यक्ष प्रमाण के भेद

साक्षात् अर्थात् दूसरे ज्ञान के विना जो पदार्थों का जानना है वह प्रत्यक्ष प्रमाण है । उस जानने के साधन को भी प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं । उस के चार प्रकार हैं—इन्द्रिय प्रत्यक्ष, मानस प्रत्यक्ष, योगिप्रत्यक्ष तथा स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ।

इन्द्रिय प्रत्यक्ष

आत्मा का अवधान होने पर तथा मन व्यग्र न हो उस समय—इन दोनों के सहकार्य से निर्दोष इन्द्रिय से प्रात् होनेवाला ज्ञान इन्द्रिय-प्रत्यक्ष है । इन्द्रिय पाच प्रकार के हैं—स्पर्शन, रसन, व्याप्ति, चक्षु तथा श्रोत्र । इन में प्रत्येक के दो प्रकार हैं—द्रव्य-इन्द्रिय तथा भाव-इन्द्रिय । द्रव्येन्द्रिय के दो भाग हैं—निर्वृत्ति तथा उपकरण । इन में निर्वृत्ति (इन्द्रिय का अन्तर्भुत) (स्पर्शनेन्द्रिय के लिए) कई प्रकारको, (रसनेन्द्रिय के लिए) खुरपी के

उपकरणं सर्वाङ्गित्वग्जिह्वानासागोलकपक्षमपुटकर्णशङ्कुलीविवरप्रभृति । मनसो हृदये अष्टदलपद्माकारं द्रव्येन्द्रियम् । लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियम् । तत्र ज्ञानावरणक्षयोपशमः लघ्विः । आत्मनो ग्रहणव्यापार उपयोगः । स्पर्शं रसगन्धरूपशब्दात्मस्मृत्यादयो विषयाः ॥

[५. मानसप्रत्यक्षम्]

आत्मावधानेन सहकृतात् मानसात् जातं मानसप्रत्यक्षम् । स्पर्श-रसनवाणश्रोत्रेन्द्रियं प्राप्तार्थं ज्ञानजनकम् । चक्षुरप्राप्तार्थं । मानसं स्वात्मनि

आकार की, (घाणेन्द्रिय के लिए) कुन्द की कली जैसी, (चक्षु इन्द्रिय के लिए) ममूर के दाने जैसी तथा (कर्ण इन्द्रिय के लिए) जौ की नाली जैसी होती है । (स्पर्शनेन्द्रिय के लिए) उपकरणं सपूर्णं शरीर की त्वचा है, (रसनेन्द्रिय के लिए) जीभ, (ब्राणेन्द्रिय के लिए) नाक का गोल भाग, (चक्षु इन्द्रिय के लिए) पलके, तथा (कर्ण इन्द्रिय के लिए) कान का शङ्कुलीविवर उपकरण होता है । हृदय के स्थान में आठ पखुडियों के कमल के आकार का मन है, वह मन के लिए द्रव्येन्द्रिय (द्रव्य मन) समझना चाहिए । भावेन्द्रिय के दो भाग हैं — लघ्वितथा उपयोग । ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम को लघ्वित कहते हैं । आत्मा द्वारा (पदार्थ के) ग्रहण (जानने) के लिए प्रयत्न करना यह उपयोग कहलाता है । स्पर्श, रस, गन्ध, रूप, शब्द तथा अपना स्वरूप एवं स्मृति आदि (इन इन्द्रियों के तथा मन के) विषय हैं ।

मानस प्रत्यक्ष

आत्मा के अवधान के सहकार्य से मन द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वह मानस प्रत्यक्ष है । स्पर्शन, रसन, व्याण तथा श्रोत्र ये इन्द्रिय प्राप्त अर्थ का (- जिस से सपर्क हो उसी पदार्थ का) ज्ञान कराते हैं । चक्षु अप्राप्त अर्थ (जिस से सपर्क न हो उस पदार्थ) का ज्ञान कराता है । आत्मा तथा उसकी बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष एवं प्रयत्न के प्राप्त होने पर मन उन के विषय में प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न करता है । स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, ऊरापोह,

तदीयवुद्धिसुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्ने च प्राप्ते प्रत्यक्षं ज्ञानं जनयति । स्मृति-
प्रत्यभिज्ञानोहतर्कानुमानागमादिपरोक्षज्ञानम् अप्राप्ते जनयति ॥

[६. अवग्रहादयः]

अन्नभ्यस्ते विषये सर्वेन्द्रियेभ्यः अवग्रहेहावायधारणाज्ञानान्ति-
जायन्ते । तत्र इन्द्रियार्थसंबन्धादुत्पन्नमाद्यज्ञानम् अवग्रहः । अयमेकः
पदार्थ इति । अवग्रहगृहीतार्थं विशेषप्रतिपत्तिः ईहा । पुरुषेणानेन भवि-
तव्यमिति । ईहितार्थं निर्णयः अवायः । पुरुष एवायमिति । कालान्तरा-
विस्मरणहेतुसंस्कारजनकं धारणाज्ञानम् । स एवायं वृक्षः इति । अभ्यस्त-
विषये त्वादावेव अवायधारणे जायेते । न त्ववग्रहेहे ॥

[७. योगिप्रत्यक्षम्—अवधिज्ञानम्]

ध्यानविशेषपादावरणक्षयात् विशुद्धात्मान्तःकरणसंयोगात् जातः
सकलपदार्थस्पष्टावभासः योगिप्रत्यक्षम् । ज्ञानावरणस्य विशिष्टक्षयोपश-
तर्कं अनुमान तथा आगम इत्यादि परोक्ष ज्ञान अप्राप्त अर्थ के विषय में मनः
उत्पन्न करता है ।

अवग्रह आदि ज्ञान

जब विषय परिचित नहीं हो तब सब इन्द्रियों से उस के बारे में
अवग्रह, ईहा, अवाय तथा धारणा ये ज्ञान होते हैं । यह एक पदार्थ है इस
तरह इन्द्रिय और पदार्थ के सम्बन्ध से उत्पन्न होनेवाला प्रायमिक ज्ञान
अवग्रह कहलाता है । अवग्रह से जाने हुए पदार्थ के विषय में विशेष विचार
को ईहा कहते हैं, जैसे — यह पुरुष होना चाहिए । ईहा से जाने हुए पदार्थ
के बारे में निश्चय होना यह अवाय ज्ञान है, जैसे—यह पुरुष ही है । समय
बीतने पर भी उस पदार्थ को न भूलने के कारणभूत संस्कार को उत्पन्न
कर वह धारणाज्ञान है, जैसे—यह वही वृक्ष है । परिचित विषय के बारे में
पहले ही अवाय तथा धारणा ज्ञान होते हैं, अवग्रह तथा ईहा ज्ञान नहीं होते ।
योगिप्रत्यक्ष — अवधिज्ञान—

विजिष्ट ध्यान से (ज्ञानके) आवरण का क्षय होने पर विशुद्ध आत्मा-
का अन्तःकरण से संयोग होने पर जो सभी पदार्थों का स्पष्ट ज्ञान

माज्ञातम् अवधिमनःपर्यायज्ञानमीषद्योगिप्रत्यक्षम् । पुद्गलान् संसारि-
जीवान् अवधीकृत्य जानातीत्यवधिज्ञानम् , देशपरमसर्वावधिसेदात्
विविधम् । तत्र देशावधि भवप्रत्ययो गुणप्रत्ययश्च । भवप्रत्ययो देशावधे-
र्मध्यमः । स च तीर्थकरकुमारदेवनारकाणां सर्वाङ्गोत्थः । गुणप्रत्ययः
मनुष्यतिरथां नाभेरुपरितनस्त्रस्तिकनन्द्यावर्तादिशुभचिह्नोत्थः । तट-
विभङ्गो नाभेरथस्तनदुरुराद्यगुभचिह्नोत्थः । देशावधेर्जवन्यः सामान्य-
मनुष्यतिरथाम् । उत्कृष्टः संयतानामेव । क्रजुमतिमनःपर्यायश्च । गुण-
प्रत्ययावधौ अनुगाम्यननुगाम्यवस्थितानवस्थितवर्धमानहीयमानसेदाश्च ।
परमावधिसर्वावधी चरमशरीरविरतानामेव । विपुलमतिमनःपर्यायश्च ॥

होता है उसे योगिप्रत्यक्ष कहते हैं । ज्ञान के आवरण के विशिष्ट
अयोपशम से उत्पन्न हुए अवधिज्ञान तथा मनःपर्यायज्ञान ईपद्योगि-
प्रत्यक्ष हैं । पुद्गल तथा संसारी जीवों को विशिष्ट अवधि (मर्यादा)
नक जानता है उसे अवधिज्ञान कहते हैं । उस के तीन प्रकार हैं - देशावधि,
परमावधि तथा सर्वावधि । देशावधि दो प्रकार का होता है - भवप्रत्यय तथा गुण-
प्रत्यय । भवप्रत्यय (विशिष्ट जन्म के कारण प्रात होनेवाला) अवधिज्ञान देशा-
वधि का मध्यम प्रकार है, वह तीर्थकरों को बाल अवस्था में तथा देवों और
नारकी जीवों को (जन्मतः) प्रात होता है तथा संशुर्ण शरीर में उद्भूत होता
है । गुणप्रत्यय (तपस्या आदि विशिष्ट गुणों से प्रात होनेवाला) अवधिज्ञान
मनुष्य तथा तिर्थीयों (पशु-पक्षियों) को प्रात हो सकता है तथा नाभि के ऊपर
के स्वस्तिक, नन्द्यावर्त आदि शुभ चिन्हों से उद्भूत होता है । इस ज्ञान का
श्विमंग (मिथ्यात्व से युक्त गुणप्रत्यय अवधिज्ञान) नाभि के नीचे के दर्दुर
(मेंढक) जैसे अशुभ चिन्हों से उद्भूत होता है । देशावधि का जवन्य प्रकार
सामान्य मनुष्य तथा तिर्थीयों को प्रात हो सकता है । देशावधि का उत्कृष्ट
प्रकार निर्क संयतों (महाव्रतधारी मुनियों) को ही प्रात हो सकता है । क्रजु-
मति मनःपर्यायज्ञान भी सयतों को ही होता है । गुणप्रत्यय अवधिज्ञान के
छह भेद होते हैं - अनुगामी (एक स्थान से दूसरे स्थान में साये वह),
अननुगामी (दूसरे स्थान में साये न जानेवाला), अवस्थित, जिस की जानने
की शक्ति स्थिर हो), अनवस्थित (जिस की जानने को शक्ति कम-अधिक
होती हो), वर्तमान (वदनेवाला) तथा हीयमान (कम होनेवाला) । परमा-

[८. मनःपर्यायज्ञानम्]

परमनसि स्थितमर्थं मनसा पर्येति जानातीति मनःपर्यायज्ञानम् । क्रज्जुविपुलमती इति छैधम् । क्रज्जुमनोवाक्कायस्थितवर्तमानपुरुषचिन्तितमर्थं जानद् क्रज्जुमति । क्रज्जुवक्मनोवाक्कायस्थित-अनीतानागतवर्तमान-पुरुषचिन्तितमर्थं जानद् विपुलमति ॥

[९. स्वसंवेदनप्रत्यक्षम्]

सकलज्ञानानां स्वस्वस्तपसंवेदनं स्वसंवेदनप्रत्यक्षम् ॥

[१०. प्रत्यक्षाभासः]

मनःपर्यययोगिस्वसंवेदनप्रत्यक्षादन्यत्र प्रत्यक्षाभासोऽपि । स च संशयविपर्यासभेदात् छेधा । अनध्यवसायस्य अभावत्वेन प्रत्यक्षाभासत्वावधि तथा सर्वावधि एवं विपुलमति मन पर्यायज्ञान केवल चरमशरीरी मुनियों को (जो उसी जन्म के अन्त में मुक्त होंगे उन्हीं को) प्राप्त होता है ।

मनःपर्यायं ज्ञानं

दूसरे के मन में स्थित अर्थ-विचार आदि को मन से प्राप्त करे अर्थात् जाने वह मनःपर्याय ज्ञान है । इस के दो प्रकार हैं- क्रज्जुमति तथा विपुलमति । सरल मन, वाणी तथा शरीर से युक्त वर्तमान समय के पुरुषों के विचारे हुए अर्थ को जाने वह क्रज्जुमति मन पर्याय ज्ञान है । भूतकाल, भविष्यकाल तथा वर्तमानकाल के सरल तथा वक्र दोनों प्रकार के मन, वाणी तथा शरीर से युक्त पुरुषों के विचारे हुए अर्थ को जाने वह विपुलमति मनःपर्यायज्ञान है ।

स्वसंवेदन प्रत्यक्ष

सभी ज्ञान अपने अपने स्वरूप को जानते हैं इसी ज्ञान को स्वसंवेदन-प्रत्यक्ष कहते हैं ।

प्रत्यक्षाभास

मनःपर्याय, योगिप्रत्यक्ष तथा स्वसंवेदन प्रत्यक्ष को छोड़ कर अन्यत्र (दूसरे) प्रत्यक्ष ज्ञानों के अभास भी होते हैं । उस के दो प्रकार हैं- सद्य तथा विपर्यास । अनध्यवसाय (निश्चय का अभाव) प्रत्यक्षाभास नहीं है क्यों कि (ज्ञान का) अभाव यह उस का स्वरूप है (गलत ज्ञान को)

भावः । तत्र साधारणाकारदर्शनात् विशेषादर्शनात् उभयविशेषस्मरणात् संशयः । अयं स्थाणुर्वा पुरुषो वेति । वादिविप्रतिपत्तेः शब्दो नित्यः अनित्यो वेति । क्वचिदनुपलब्धेश्च अत्र पिशाचोऽस्ति न वेति । साधारणाकारदर्शनात् विशेषादर्शनात् विपरीतविशेषस्मरणात् विपर्ययः । स्थाणौ पुरुषज्ञानम्, रजौ सर्पबुद्धिः, द्युक्तिकाशकले रजतप्रतिपत्तिः, मरीचिकायां जलावबोधः । अर्थानामप्रतिपत्तिः अनध्यवसायः । स च ज्ञानस्य प्रागभावः संस्काररहितप्रध्वंसाभावश्च, न तु गच्छत्तरुणस्पर्शादिज्ञानम्, तस्यावग्रहादिज्ञानत्वेन प्रमाणत्वात् । इति प्रत्यक्षप्रपञ्चः ॥

आभास कहते हैं, अनध्यवसाय में निश्चय का अभाव हाँनं से उसे सही या गलत नहीं कह सकते, अतः वह आभास नहीं है । ठो पदार्थों में सामान्य आकार के देखने से, उन के विशेष (अन्तर) के न देखने से तथा उन विशेषों के स्मरण से उत्पन्न होनेवाला ज्ञान संशय कहलाता है । जैसे— यह टूँठ है या पुरुष है । वादियों के मतभेद से शब्द नित्य है या अनित्य है (ऐसा संशय भी होता है) । कहीं कहीं कुछ ज्ञान न होने से भी संशय होता है, जैसे— यहाँ पिशाच है या नहीं । साधारण आकार के देखने से, विशेष के न देखने से तथा विरुद्ध विशेष के स्मरण से जो ज्ञान होता है उसे विपर्यय कहते हैं, जैसे टूँठ को पुरुष समझना, रस्ती को सॉप मानना, सीप के टुकडे में चांदी का ज्ञान तथा मृगजल में जल का ज्ञान । पदार्थों के ज्ञान के न होने को अनध्यवसाय कहते हैं, वह ज्ञान का प्रागभाव है (ज्ञान होने के पहले उसका जो अभाव है वह प्रागभाव कहलाता है) अथवा संस्काररहित प्रध्वसाभाव है (ज्ञान नष्ट होने के बाद जो उस का अभाव है वह प्रध्वसाभाव कहलाता है, ऐसा प्रध्वसाभाव जिस में पहले हुए ज्ञान का कोई संस्कार न बचे— अनध्यवसाय कहलाता है) । मार्ग में जाते हुए वासकूस आदि के स्पर्श के ज्ञान को अनध्यवसाय नहीं कहना चाहिए क्यों कि वह ज्ञान अवग्रह—ज्ञान होने से प्रमाण है (अतः उसे प्रत्यक्षाभास नहीं कह सकते) । इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण का वर्णन पूरा हुआ ।

[११. परोक्षभेदाः]

परोक्षं च आत्मावधानप्रत्यक्षादिकारणकं स्मृतिप्रत्यभिज्ञानोहापोह-
तर्कानुमानागमभेदम् ॥

[१२. स्मृतिः]

संस्कारोद्वोधजनिता तदिति प्रतीतिः स्मृतिः। स देवदत्तः इत्यादि ।
स्मृति प्रमाणं दत्तनिक्षेपादिपु प्रवृत्तिप्राप्तिग्रहणान्यथानुपपत्ते । अथ
स्मृत्योद्वोधितप्राक्ततानुभवात् देवदत्तादिपु प्रवृत्याद्युपपत्ते अर्थापत्ते-
रन्यथोपपत्तिरिति चेत् न । प्राक्ततानुभवस्य विनष्टस्य उद्वोधना-
संभवात् । तथा हि-प्राक्ततानुभवो नोद्वृद्धयते इदानीमविद्यमानत्वात्
चिरविनष्टत्वात् रामादिवत् । प्रवृत्यादिहेत्वनुपपत्तेश्च । तथा हि-प्राक्त-
तानुभवो दत्तादिपु इदानींतनप्रवृत्यादिहेतुर्न भवति प्रवृत्यादिकालेऽ-

परोक्ष प्रमाण के भेद

परोक्ष प्रमाण वह है जिस में आत्मा के अवधान के साथ प्रत्यक्ष आदि
कोई प्रमाण कारण होता हो । इसके छह प्रकार हैं - स्मृति, प्रत्यभिज्ञान,
अहापोह, तर्क, अनुमान और आगम ।

स्मृति

(पहले हुए ज्ञान के) संस्कार के उद्वोधन से उत्पन्न होनेवाले
'वह' इस प्रकार के ज्ञान को स्मृति कहते हैं, जैसे-वह देवदत्त । स्मृति
प्रमाण है क्यों कि इस के बिना दिये हुए अथवा धरोहर रखे हुए (धन आदि)
के विषय में प्रवृत्त होना, प्राप्ति अथवा स्वीकार की उपपत्ति नहीं लगती
(स्मृति के प्रमाण होने पर ही ये व्यवहार हो सकते हैं) । स्मृति के द्वारा
जागृत हुए पुराने अनुभव से ही देवदत्त आदि के विषय में प्रवृत्ति होती है
इस उपपत्ति से-अर्थापत्ति से दूसरे प्रकारसे (उक्त व्यवहार की) उपपत्ति
लगती है (अतः स्मृति को प्रमाण मानना जरूरी नहीं) यह कहना ठीक
नहीं क्यों कि पुराना अनुभव जागृत होना संभव नहीं क्यों कि वह नष्ट हो
चुका होता है । जैसे कि (अनुमान-प्रयोग होगा-) पुरातन अनुभव जागृत
नहीं हो सकता क्यों कि वे इस समय विद्यमान नहीं हैं तथा राम आदि के
समान बहुत पहले ही नष्ट हो चुका है । प्रवृत्ति आदि के कारण होने की

विद्यमानत्वात् चिरविनष्टत्वात् रामादिवदिति । तथा स्मृति प्रमाणं सम्यग्ज्ञानत्वात् ज्ञातार्थाव्यभिचारित्वात् वाघकेन विहीनत्वात् निर्दुष्ट-अत्यक्षवत् । अतस्मिस्तदिति प्रत्ययः स्मरणाभासः । यजदत्ते स देवदत्त इति प्रतीतिः इत्यादि ॥

[१३. प्रत्यभिज्ञानम्]

दर्शनस्मरणकारणकं संकलतं प्रत्यभिज्ञानम् । तदेवेदं तत्सदृशं तद्विलक्षणं तत्पतियोगि तदुक्तमेवेत्यादि । यथा स एवायं देवदत्तः, गोसदृशो गवयः, गोविलक्षणो महिपः इदमस्माद् दूरम्, वृक्षोऽय-गिमित्यादि । वोतं प्रत्यभिज्ञानं प्रमाणम् अविसंवादित्वात् गृहीतार्थाव्यभि-
मी इस तरह उपत्ति नहीं लगती । जैसे कि - पुरातन अनुभव दिये हुए (धन) आदि के विषय में इस समय की प्रवृत्ति आदि का कारण नहीं हो सकता क्यों कि वह इस प्रवृत्ति के समय में विद्यमान ही नहीं है, वह राम आदि के समान बहुत पहलेही नष्ट हो चुका है । स्मृति इसलिए भी प्रमाण है कि वह यथार्थ ज्ञान है, ज्ञात अर्थ (जाने हुए पदार्थ) से उस का विरोध नहीं होता, उन में वावरु नहीं है, इन सब वातों में स्मृति निर्दोष प्रत्यक्ष के ही समान है । जो वह नहीं है उस के विषय में 'वह' इप प्रकार का ज्ञान होना स्मरण का आभास है, जैसे यज्ञदत्त के पित्र में 'वह देवदत्त' इस प्रकार का स्मृति-ज्ञान स्मृति का आभास है ।

प्रत्यभिज्ञान

(किसी वस्तु के) देखने तथा (पहले देखी हुई किसी वस्तु का) स्मरण करने से जो सकलिन ज्ञान होता है उसे प्रत्यभिज्ञान कहते हैं जैसे - यह वही है, यह उस जैसा है, यह उस से भिन्न है, यह उस के उलटा है, यह पहले ही कहा हुआ है इत्यादि । उदाहरणार्थ - यह वही देवदत्त है, गवय-गाय जैसा है, भैंसा गाय से भिन्न है, यह यहासे दूर है, यह वृक्ष है इत्यादि । यह प्रत्यभिज्ञान प्रमाण है क्यों कि वह अविसंवादी है (पदार्थों के स्फूर्ति से उस का विरोध नहीं होता) जाने हुए पदार्थ से वह विरुद्ध नहीं होता, वह वावित नहीं होता, उस में वावक नहीं है, इन सब वातों में यह दोप्रहित प्रत्यक्ष ज्ञान के समान ही है । सब वस्तुएँ क्षणिक हैं

चारित्यात् अद्याध्यत्यात् वाधकेन हीनत्यात् निर्दुष्टप्रत्यक्षवत् । अथ सर्वे क्षणिकं सत्यात् प्रदीपवत् इत्यनुमानं वाधकमस्तीति चेत् । तस्यान् ध्यवस्थितत्वेन हैत्याभासत्यात् । ननु लूनपुनर्जातनखकेशादौ प्रत्यभिनामस्य भ्रान्तिदर्शनात् अप्रामाण्यमिति चेत् तर्हि रज्जुसर्पादौ प्रत्यक्षस्य भ्रान्तिदर्शनात् सर्वस्य प्रत्यक्षस्य अप्रामाण्यं स्याद्विति अतिप्रसन्न्यते । सद्गते तदेवेदं तरिमध्येव तन्सद्गम् इत्यादि प्रत्ययः प्रत्यभिनाभास ॥

[१४. ऊहापोहः]

अनेनेदं भवतीति विना न भवतीत्यादि याथात्यग्नानम् ऊहापोहः ।

क्यों कि वे सत् हैं जैसे दीपक इस अनुमान से (प्रत्यभिज्ञान के प्रमाण होने में) वाधा उपस्थित होती है (सब पदार्थ एक ही क्षण अस्तित्व में रहते हैं अतः यह वही है आदि ज्ञान-जो कि अनेक क्षणों में पदार्थ के अस्तित्व पर आधारित हैं—अप्रमाण हैं ऐसा मानना चाहिए) यह कथन ठीक नहीं । यह हेतु (जो सत् हैं वे क्षणिक हैं यह कहना) अनव्यवस्थित (अनिश्चित) होने से हैत्याभास है । एक बार काटने पर नख तथा केश पुन उगते हैं उन में (ये वही नख केश हैं इस प्रकार का) प्रत्यभिज्ञान भ्रमपूर्ण होता है ऐसा देखा जाता है अतः उसे अप्रमाण मानना चाहिए ऐसा यदि कहे तो रस्सी को सांप समझने में प्रत्यक्ष भी भ्रमपूर्ण होता है अतः सभी प्रत्यक्ष को अप्रमाण मानने का अतिप्रसंग आयेगा (तापर्य—जिस तरह रस्सी में सांप का ज्ञान भ्रान्त होने पर भी सभी प्रत्यक्ष ज्ञान भ्रान्त नहीं होते उसी तरह फिर से उगे हुए नखों में प्रत्यभिज्ञान भ्रान्त होने पर भी सभी प्रत्यभिज्ञान भ्रान्त नहीं होते) । जो उस जैसा है उस के विप्रय में यह वही है ऐसा समझना, उसी के विप्रय में यह उस जैसा है ऐसा समझना आदि प्रयोगिज्ञान के आभास होते हैं ।

ऊहापोह

इस से यह होता है, इस के विना यह नहीं होता इस तरह के वास्तविक ज्ञान को ऊहापोह कहते हैं । जैसे—इच्छा पूरी होने से सब को सन्तोष-

इच्छाप्रतिपालनेन सर्वेषां प्रीति इच्छाविद्यातेन सर्वेषां छेष इत्यादि ।
तदविपरीतः तदाभास ॥

[१५. तर्कः]

साध्यसाधनयो व्याप्तिज्ञानं तर्कः । साधनसामान्यस्य साध्य-
सामान्येन अन्वयभिचारः संबन्धो व्याप्तिः । सा चान्वयव्यतिरेकभेदात्
द्रेष्या । सपक्षे भूयः साधनसद्भावदर्शने साध्यसद्भावदर्शनेन निश्चिता
अन्वयव्याप्तिः । यो यो धूमवान् स सर्वोऽयग्निमान् यथा महानसादि-
रिति । चिपक्षे भूय साध्याभावदर्शने साधनाभावदर्शनेन निश्चिता
व्यतिरेकव्याप्तिः । यो योऽयग्निमान् न भवति स सर्वोऽपि धूमवान् न
भवति यथा हृदादिरिति । अव्याप्तौ व्याप्तिज्ञानं तर्काभासः यद् यत् प्रमेयं
तत् तन्नित्यमित्यादि ॥

होता है, इच्छा मेरुकावट आने से सब नाराज होते हैं इत्यादि । इस के
विपरीत (अवास्तविक) ज्ञान को इस का आभास समझना चाहिए ।

तर्क

साध्य और साधन की व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं । साधन के
सामान्य स्वरूप का साध्य के सामान्य स्वरूप से कभी न वदलनेवाला जो
संबंध होता है उसे व्याप्ति कहते हैं । उस के दो प्रकार हैं – अन्वय तथा
व्यतिरेक । समान पक्ष मेरुवार साधन का अस्तित्व देखने के समय साध्य
का भी अस्तित्व देखने से जिस का निश्चय हुआ हो वह अन्वयव्याप्ति होती
है । जैसे – जो जो धुए से युक्त होता है वह सब अग्नि युक्त होता है जैसे –
रसोईवर (यहा रसोईवर आडि यमानपक्षों में धुंआ इस साधन के होनेपर
अग्नि इस साध्य का भी अस्तित्व वारवार देखा गया है अतः जहाँ धुआ होना
है वहा अग्निभी होता है यह अन्वयव्याप्ति निश्चित हुई) । विरुद्ध पक्ष मेरु
वारवार साध्य का अभाव देखने पर साधन का भी अभाव देखने से जिस
का निश्चय हो वह व्यतिरेकव्याप्ति होती है । जैसे – जो अग्नि से युक्त
नहीं होता वह सब धुए से युक्त भी नहीं होता जैसे सरोवर आदि । जहाँ
व्याप्ति न हो वहा व्याप्ति समझना तर्क का आभास है, जैसे – जो जो प्रमेय
है वह वह नित्य होता है (यहा जो प्रमेय होता है वह नित्य होता है यह-

[१६. अनुमानम्]

सम्यक्साधनात् साध्यविज्ञानम् अनुमानम् । स्वार्थपरार्थमेदात् द्विविधम् । परोपदेशमन्तरेण साधनदर्शनात् साध्यविज्ञानं स्वार्थानुमानम् । स्वार्थानुमानपरामर्शिष्ठुरुपवचनात् यातं परार्थानुमानम् । तद्वचनमपि तद्हेतुत्वात् परार्थानुमानमेव । तद्य अनित्यः शब्दः कृतक्त्वात्, यो यः कृतकः स सर्वोऽप्यनित्यः यथा घटः, यद्यद्नित्यं न भवति तद् तत् कृतकं न भवति यथा व्योम, कृतकश्चायं शब्दः, तस्माद्नित्यः इति । पञ्चसाध्यहेतुदृष्टान्तोपनयनिगमनान्यवयवा पद् प्रसिद्धा ॥

[१७. पक्षः]

सिपाध्ययितिवर्माधारे धर्मी पक्षः । शब्दः इति । पक्षस्य प्रसिद्धन्वं व्याप्ति नहीं हो सकती क्यों कि वहुतसे प्रमेय अनित्य भी होते हैं, अनः इसे यदि व्याप्ति माना जाता है तो उस ज्ञान को तर्कामास कहा जायेगा ।

अनुमान

योग्य साधन से साध्य का ज्ञान होना यह अनुमान प्रमाण है । इस के दो प्रकार हैं — स्वार्थानुमान तथा परार्थानुमान । दूसरे के उपदेश के विना साधन को देखने से जो साध्य का ज्ञान होता है वह स्वार्थानुमान है । स्वार्थानुमान के जाननेवाले पुरुष के कहने से जो ज्ञान होता है वह परार्थानुमान है । उस का कारण होने से ऐसे अनुमान के कथन को भी परार्थानुमानही कहते हैं (वाक्य शब्दों से बना होता है अनः वह जड़ होता है इस लिए प्रमाण नहीं हो सकता किन्तु यहाँ का वाक्य परार्थानुमान का ज्ञान कराने का कारण है अत उसे व्यवहार से अनुमानप्रमाण कहते हैं) । उस का उठाइण — शब्द अनित्य है क्यों कि वह कृतक है, जो जो कृतक होता है वह सभी अनित्य होता है जैसे घट, जो जो अनित्य नहीं होता वह कृतक नहीं होता जैसे आकाश, और यह शब्द कृतक है इस लिए यह अनित्य है । अनुमान के छह अवयव प्राप्ति हैं — पक्ष, साध्य, हेतु, दृष्टान्त, उपनय तथा निगमन ।

पक्ष

जिसे सिद्ध करने की इच्छा है उस वर्म (गुण) के आधार धर्मी (वर्मी)

प्रमाणात् विकल्पात् उभयाच्च । प्रमाणं प्रागुक्तलक्षणम् । पर्वतोऽस्मिमान् घूमवत्त्वात् महानसवत् इत्यादौ प्रमाणप्रेसिद्धः पक्षः । विकल्पस्तु प्रमाणा-प्रमाणसाधारणज्ञानम् जलमरीचिकासाधारणप्रदेशे जलज्ञानवत् । वेदस्याध्ययनं सर्वं गुर्वध्ययनपूर्वकम् वेदाध्ययनवाच्यत्वाद्युनाध्ययनं यथा, अस्ति सर्वज्ञः असंभवद्वाधकप्रमाणत्वात् करतलवत् इत्यादौ विकल्पसिद्धः पक्षः । अनित्यः शब्दः कृतकत्वात् घटवत् इत्यादौ उभय-प्रसिद्धः पक्ष ॥

से युक्त पदार्थ) को पक्ष कहते हैं, जैसे (उपर्युक्त अनुमान में अनित्यत्व इस धर्म का आधार है) शब्द । पक्ष तीन प्रकार से प्रसिद्ध होता है — प्रमाण से, विकल्प से तथा दोनों से । ‘पर्वत अग्नियुक्त है क्यों कि वह घूमयुक्त है, जैसे रसोईवर’ इस जैसे अनुमान में पक्ष प्रमाण से प्रसिद्ध है (पर्वत इस पक्ष का प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञान हो चुका है) । प्रमाण और अप्रमाण दोनों में जो हो सकता है ऐसे ज्ञान को विकल्प कहते हैं, जैसे जहा मृगजल हमेशा दीखता हो ऐसे प्रदेश में होनेवाला जल का ज्ञान (जहा हमेशा मृगजल दीखने की सभावना हो ऐसे प्रदेश में जल दीखने पर विकल्प होगा कि यह वास्तविक जल है या मृगजल है) । सभी वेदाध्ययन गुर्वध्ययनपूर्वक है (शिष्य वेद पढ़ता है यह तभी सभव है जब गुरु ने वेद पढ़ा हो अतः शिष्य के अध्ययन से पूर्व नियम से गुरु का अव्ययन हुआ है) क्यों कि वह वेदाध्ययन है जैसे आजकल का वेदाध्ययन, इस अनुमान में पक्ष विकल्पसिद्ध है (सभी वेदाध्ययन यह पक्ष है इस का अनुमान करनेवाले को जो ज्ञान हुआ है वह विकल्पसिद्ध है — सभी वेदाध्ययन को उसने प्रमाण से नहीं जाना है) । उसी प्रकार सर्वज्ञ है क्यों कि उस के अस्तित्व में वाधक प्रमाण संभव नहीं हैं, जैसे अपना हाथ (अपने हाथ के अस्तित्व में कोई वावा नहीं उसी तरह सर्वज्ञ के अस्तित्व में कोई वाधा नहीं है) इस अनुमान में भी विकल्पसिद्ध पक्ष है (सर्वज्ञ यह पक्ष है वह प्रतिवादी के लिए अज्ञात और वादी के लिए ज्ञात है अतः विकल्पसिद्ध है) । शब्द अनित्य है क्यों कि वह कृतक है जैसे घट— ऐसे अनुमानों में पक्ष उभयप्रसिद्ध है (कुछ वादियों के लिए इस पक्ष का — शब्द का — ज्ञान प्रमाणसिद्ध है तो कुछ के लिए विकल्पसिद्ध है) ।

[१८. साध्यम्]

स्वसिद्धं परासिद्धं साध्यम् । अनित्य इति ॥

[१९. हेतुः]

व्याप्तिमान् पक्षधर्मो हेतु । कृतकत्वात् इति । तस्य हेतोः पक्षधर्मत्वं सपक्षे सत्त्वं विपक्षेऽसत्त्वम् असिद्धसाधकव्यम् अवाधितविपयत्वम् असत्प्रतिपक्षत्वमिति पद्म गुणा । तत्र साध्यवर्धमीर्थारो धर्मी पक्ष , पक्षे सर्वत्र हेतोः प्रवर्तनम् पक्षधर्मत्वम् । साध्यसमानधर्मी धर्मी सपक्षः सपक्षे सर्वत्र एकदेशे वा हेतोः प्रवर्तनं सपक्षे सत्त्वम् । साध्यविपरीत-धर्मी धर्मी विपक्षः, विपक्षे सर्वत्र हेतोरप्रवर्तनं विपक्षेऽसत्त्वम् । प्रति-वादिनः संदिग्धविपर्यस्ताप्रतिपक्षम् असिद्धम्, तत्साधनं हेतोरसिद्ध-साधनत्वम् । अवाधितसाध्ये पक्षे हेतोः प्रवर्तनम् अवाधितविपयत्वम् ।

साध्य

जो अपने लिए सिद्ध हो और दूसरे के लिए असिद्ध हो (उसे सिद्ध कर बतलाना हो) वह साध्य है, जैसे (उपर्युक्त अनुमान में शब्द का) अनित्य होना ।

हेतु

व्याप्ति से युक्त पक्ष के धर्म को हेतु कहते हैं । जैसे - (उपर्युक्त अनुमान में) क्यों कि (शब्द) कृतक है । हेतु के छह गुण होते हैं - पक्ष का धर्म होना, सपक्ष में अस्तित्व, विपक्ष में अभाव, ऐसी वात को सिद्ध करना जो अब तक सिद्ध नहीं हुई हो, ऐसी वात को सिद्ध करना जो वाधित न हो तथा जिस में प्रतिपक्ष संभव न हो । सिद्ध करने योग्य धर्म के आधार को पक्ष कहते हैं, पक्ष में हेतु का सर्वत्र अस्तित्व होना यह पक्षधर्मत्व नाम का पहला गुण है । साध्य के समान धर्म जिस वर्मी (गुणयुक्त पदार्थ) में होते हैं उसे सपक्ष कहते हैं, सपक्ष में सर्वत्र या एक हिस्से में हेतु के होने को सपक्ष में सत्त्व कहते हैं (यह दूसरा गुण है) । साध्य के विरुद्ध वर्म जिस वर्मी में होते हैं उसे विपक्ष कहते हैं, विपक्ष में सर्वत्र हेतु का अभाव होना यह विपक्ष में असत्त्व नामका तीसरा गुण है । प्रतिवादी के लिए जो सदेह्युक्त, विपर्यास-युक्त या अज्ञान होता है उसे असिद्ध कहते हैं, ऐसे साध्य को सिद्ध

यद्यपि विपरीते हेतोः अत्रिस्त्रपत्वम् असत्प्रतिपक्षत्वं, तत्र विपक्षे असत्त्वात् नार्थान्तरम् । हेतोः विपक्षे असत्त्वनिश्चये साध्यविपरीते अत्रिस्त्रपत्वं निश्चितमिति । तथापि श्रोतृणां व्युत्पत्त्यर्थं पृथग् निरूपणम् ॥

[२०. दृष्टान्तः]

द्वृष्टौ अन्तौ साध्यसाधनधर्मौ तदभावौ वा वादिप्रतिवादिभ्याम् अविगानेन यस्मिन् धर्मिणि स दृष्टान्तः । स च अन्वयो व्यतिरेकश्चेति द्वेधा । साधनसद्भावे साध्यसद्भावो यत्र प्रदर्श्यते सोऽन्वयदृष्टान्तः । यो य. कृतक. स सर्वोऽप्यनित्यः यथा घटः इति । साध्याभावे साधनाभावो यत्र वीक्ष्यते स व्यतिरेकदृष्टान्तः । यद् यदनित्यं न भवति तत् तत् कृतकं न भवति यथा व्योमेति ॥

करना वह असिद्धसावनत्व नामका चौथा गुण है । जिस पक्ष में सौर्यो वावित न हो उस में हेतु का होना अवावितविषयत्व नाम का पाचवा गुण है । यद्यपि साध्य के विरुद्ध पक्ष में हेतु के तीन रूप (पक्षवर्मत्व, सपक्ष-सत्त्व तथा विपक्षे असत्त्व) न होना यही असत्प्रतिपक्षत्व नामका छठा गुण है तथा यह विपक्ष में अभाव इस तीसरे गुण से भिन्न नहीं है, विपक्ष में हेतु का अभाव निश्चित होनेसे ही साध्य के विरुद्ध पक्ष में हेतु के तीन रूप न होना निश्चित हो जाता है, तथापि श्रोताओं को स्पष्ट रूप से समझानेके लिए इसे अलग गुण के रूप में बतलाया है ।

दृष्टान्त

वादी और प्रतिवादी दोनों की मान्यता से जिस धर्मि में दो अन्त अर्थात् साध्यधर्म और साधनधर्म देखे जाते हैं अथवा साध्यधर्म और साधनधर्म का अभाव देखा जाता है उस धर्मि को दृष्टान्त कहते हैं । उस के दो प्रकार है – अन्वय दृष्टान्त तथा व्यतिरेक दृष्टान्त । जिस में साधन के होनेपर साध्य का होना बतलाया जाय उसे अन्वय दृष्टान्त कहते हैं । जैसे-जो जो कृतक होता है वह सभी अनित्य होता है जैसे घट (यहा घट इस दृष्टान्त में कृतकत्व यह साधनधर्म है तथा अनित्यत्व यह साध्य धर्म है इन के अन्वय के कारण यह अन्वय दृष्टान्त है) । साध्य के न होने पर साधन का न होना जिस में देखा जाय वह व्यतिरेक दृष्टान्त है । जैसे-जो जो अनित्य नहीं होता

[२१. उपनयनिगमने]

पक्षधर्मत्वप्रदर्शनार्थं हेतोरुपस्कारः उपनयः। कृतकश्चाय शब्दः इति। उक्तोपसंहारार्थं प्रतिज्ञायाः पुनर्वचनं निगमनम्। तस्मादनित्यः इति ॥

[२२. हेतोः पक्षधर्मत्वम्]

ननु पक्षधर्मो हेतुरित्ययुक्तम् उदेष्यति शकटं कृत्तिकोदयात् इत्यादेः अपक्षधर्मस्यापि सत्यग्हेतुत्वात् इति चेत् न। अपक्षधर्मस्यासिद्धत्वात्। तथा हि, अनित्यः शब्दः चाक्षुपत्वात् इत्यविद्यमानसत्ताकस्य स्वयमेव निरूपणात्। वीता हेतव उसिद्धाः अपक्षधर्मत्वात् शब्दे चाक्षुपत्ववदिति प्रयोगाच्च। चाक्षुपत्वस्य अन्यत्र सत्त्वेऽपि पक्षे असत्त्वादेवासिद्धत्वम्

वह कृतक नहीं होता जैसे आकाश (यहा आकाश इस वृष्टान्त मे अनित्यत्व यह साध्यधर्म तथा कृतकत्व यह साधनधर्म दोनों नहीं हैं)।

उपनय और निगमन

हेतु पक्ष का धर्म है यह वतलाने के लिए हेतु को उपस्कृत करना यह उपनय है। जैसे (उपर्युक्त अनुमान में)-ओर यह शब्द कृतक है (शब्द पक्ष है, उस में कृतकत्व हेतु का उपस्कार किया गया, यही उपनय है)। कहे गये अनुमान के उपसहार के लिए प्रतिज्ञा को पुनः कहना यह निगमन है। जैसे (उपर्युक्त अनुमान में)-इस लिए शब्द अनित्य है।

हेतु पक्ष का धर्म होता है

यदां प्रश्न होता है कि हेतु को पक्ष का धर्म कहना ठीक नहीं क्यों कि (कुछ समय बाद) रोहिणी नक्षत्र का उदय होगा क्यों कि (इस समय) कृत्तिका नक्षत्र का उदय हुआ है इत्यादि अनुमानों में जो हेतु पक्ष का धर्म नहीं है वह भी योग्य हेतु होता है (उपर्युक्त अनुमान मे कृत्तिका का उदय यह हेतु रोहिणी इस पक्ष का गुण नहीं है फिर भी उस से रोहिणी के उदय का यथार्थ अनुमान होता है)। यह शंका ठीक नहीं क्यों कि जो हेतु पक्ष का धर्म नहीं होता वह असिद्ध होता है। जैसे -शब्द अनित्य है क्यों कि वह

नान्यथा, अतिप्रसंगात् । तस्य साध्यविनाभावभावात् असिद्धत्वे विरुद्धानैकान्तिकांकिचित्करणामपि असिद्धत्वमेवेति एक एव हेत्वाभासः स्यात् । तथा च चत्वारो हेत्वाभासा असिद्धविरुद्धानैकान्तिकांकिचित्कराः इत्यसंगतं स्यात् । तस्मात् हेतोः पक्षधर्मत्वे सत्येव विविक्षितपक्षे प्रकृतसाध्यप्रसाधकत्वम् नाविनाभावमात्रात् । अन्यथा पर्वतोऽग्निमान् महानस्य धूमवत्वात् इत्यादेरपि साध्ये प्रसाधकत्वं स्यात् तस्यापि साध्यविनाभावसद्भावात्, न चैवं, ततः पक्षधर्म एव समयं हेतुरित्यङ्गीकर्तव्यः ॥

चाक्षुप (आखों से देखा जानेवाला) है यह हेतु अविद्यमान सत्ताक है (इस हेतु का अस्तित्व ही नहीं है क्यों कि शब्द आखों से नहीं देखा जाता) यह चाक्षुकार ने स्वर्यं कहा है (इसी प्रकार जो हेतु पक्ष का धर्म नहीं होता वह असिद्ध होता है) । ऐसा अनुमान-प्रयोग भी कर सकते हैं - ये हेतु (जो पक्ष के वर्म नहीं हैं) असिद्ध हैं क्यों कि वे पक्ष के धर्म नहीं हैं जैसे शब्द का चाक्षुप होना । आखों से देखा जाना दूसरे पदार्थों में तो पाया जाता है किन्तु पक्ष (शब्द) में नहीं है इसी लिए उसे असिद्ध कहते हैं और किसी कारण से नहीं, अन्यथा अतिप्रसंग होगा । इस हेतु का साध्य से अविनाभाव (उस के होने पर ही यह होता है इस तरह का नियत संवध) नहीं है अतः वह असिद्ध है ऐसा कहें तो विरुद्ध, अनैकान्तिक, अकिञ्चित्कर ये सब हेत्वाभास भी असिद्धही होंगे (क्यों कि इन का भी साध्य से अविनाभाव नहीं होता) अतः हेत्वाभास एकही होगा और हेत्वाभास चार हैं - असिद्ध, विरुद्ध, अनैकान्तिक और अकिञ्चित्कर - यह शकाकार का कथन सुसंगत नहीं होगा । इस लिए हेतु पक्ष का धर्म हो तभी वह किसी पक्ष में इष्ट साध्य को सिद्ध कर सकता है केवल, अविनाभाव से नहीं । अन्यथा पर्वत अग्नि से युक्त है क्यों कि रसोई घर में बुआ है इत्यादि हेतु भी साध्य को सिद्ध कर सकेगे (तात्पर्य - धुंआ और अग्नि इन का अविनाभाव संवध होने पर भी धुए से अग्नि का अनुमान तभी होगा जब वह पर्वत इस पक्ष में विद्यमान हो) क्यों कि उन का भी साध्य से अविनाभाव है, किन्तु ऐसा नहीं होता, अतः पक्ष का धर्म ही योग्य हेतु होता है ऐसा मानना चाहिए ।

[२३. पक्षधर्मस्य हेतोः व्याप्तिमत्त्वम्]

ननु स कथमङ्गीक्रियते । देशान्तरं गतं पुत्रः स इयामो मैत्रतनय-
त्वात् इतरतत्त्वनयं चत् इत्यादेः पक्षधर्मस्यापि असम्यग् हेतुत्वात् इति चेत्त ।
तस्य भूयोदर्शनात् व्याप्तित्रहणकालं एव पक्षिपितृजन्यानासेकवर्णव्यभिं
चारेण व्याप्तिवैकल्यादेव असम्यग् हेतुत्वात् । तस्मात् व्याप्तिमान् अपद्ध-
र्धमः व्याप्तिरहितं पक्षधर्मः वा न सम्यग् हेतुः । किन्तु व्याप्तिमान् पक्ष-

पक्ष का धर्म हेतु व्याप्तियुक्त भी होना चाहिए

यहाँ प्रश्न होता है कि पक्ष के धर्म को ही हेतु मानना कैसे उचित है? मैत्र का एक पुत्र जो विदेश में गया है, सावला है क्यों कि वह मैत्र का पुत्र है जैसे मैत्र के दूसरे पुत्र - इस प्रकार के अनुमान में हेतु पक्ष का धर्म होने पर भी योग्य हेतु नहीं है (मैत्र का पुत्र होना यह हेतु विदेश में गये हुए मैत्र के पुत्र में - पक्ष में विद्यमान है फिर भी उस से उस का सावला होना सिद्ध नहीं होता - वह मैत्र का पुत्र गोरा भी हो सकता है, अतः हेतु पक्ष का धर्म होने पर योग्य ही होगा ऐसा नहीं कह सकते) । किन्तु यह शंका ठीक नहीं है । यहाँ बार बार देखने से व्याप्ति का ग्रहण करने के समय में ही एक पिता के कई पुत्र एक ही रग के नहीं होते यह देखने से (जो मैत्र का पुत्र है वह सावला होता है यह) व्याप्ति गलत सिद्ध होती है अतः उसी कारण से हेतु भी गलत होता है (हेतु के गलत होने का कारण पक्ष का धर्म होना यह नहीं है - व्याप्ति गलत होना यह हेतु गलत होने का कारण है) । अतः जो व्याप्ति से युक्त है किन्तु पक्ष का धर्म नहीं है वह योग्य हेतु नहीं होता, तथा जो व्याप्ति से रहित है और पक्ष का धर्म है वह भी योग्य हेतु नहीं होता । जो व्याप्ति से युक्त होते हुए पक्ष का धर्म है वही योग्य हेतु होता है । फिर कृत्तिका के उदय से रोहिणी के उदय का अनुमान किस तरह होता है (क्यों कि कृत्तिका-उदय यह हेतु रोहिणी इस पक्ष का धर्म नहीं है) इस प्रश्न का उत्तर यह है कि यहाँ कुशल व्यक्ति अनुमान का प्रयोग इस प्रकार करते हैं - यह कृत्तिका नक्षत्र का उदय एक घटिका के बाद रोहिणी नक्षत्र के उदय से युक्त होता है क्यों कि यह कृत्तिका का उदय है जैसे पहले देखे हुए कृत्तिका के उदय (इस अनुमान-प्रयोग में कृत्तिका

धर्म यव सम्यग्हेतुः । तर्हि शकटोदयकृतिकोदयानां गम्यगमकभावः
कथमिति चेत् वीतः कृत्तिकोदयः मुहूर्तान्ते शकटोदयवान् कृत्तिकोदय-
त्वात् प्राकृपरिवृष्ट्वृत्तिकोदयवत् इत्यादि कुशलप्रयोगादिति वृम् ॥

[२४ हेतोः अपक्षधर्मस्त्वनिपेक्षः]

ननु नदीपूरोऽप्यधोरेण वृत्तः सहुपरिस्थिताम् ।

नियम्यो नमयत्येव वृत्तां वृष्टिं नियामिकाम् ॥ ३ ॥

पित्रोश्च ब्राह्मणत्वेन पुत्रब्राह्मणतानुमा ।

सर्वलोकप्रसिद्धा न पक्षधर्ममपेक्षते ॥ ४ ॥

उपरि वृष्टो देवः धधोरेण नदीपूरस्यान्यथानुपपत्तेः, पुत्रः ब्राह्मणः माता-
पित्रोः ब्राह्मणस्यान्यथानुपपत्तेः, इत्यादेवपक्षधर्मस्यापि गमकत्वमस्ति
इति चेत्त । अपक्षधर्मस्य कल्पस्य गमकत्वानुपपत्तेः । कुत इति चेत् पक्षे

का उदय यह पक्ष हुआ, इस में कृत्तिका का उदय होना यह हेतु विद्यमान
है अतः उस से वटिका के बाद रोहिणी के उदय से युक्त होना यह साध्य
सिद्ध होता है ।

जो पक्ष का धर्म नहीं वह हेतु नहीं होता

यहां प्रश्न होता है कि नदी में बाढ़ नीचे के प्रदेश में होती है किन्तु
उस नियम्य (साधन) से ऊपर के प्रदेश में हुई नियामिका (साध्य) भारी
वर्षा का अनुमान होता ही है (यद्यपि यहां बाढ़ यह हेतु ऊपर का प्रदेश
इस पक्ष में नहीं होता) । इसी प्रकार मातापिता के ब्राह्मण होने से पुत्र के
ब्राह्मण होने का अनुमान होता है यह सब लोगों में प्रसिद्ध है, यहा भी
(मातापिता का ब्राह्मण होना यह हेतु पुत्र इस पक्ष में नहीं है अत ।) हेतु
में पक्षधर्म होना जखरी नहीं है । ऊपर के प्रदेश में वर्षा हुई है, अन्यथा
नीचे के प्रदेश में नदी में बाढ़ आई है इस की उपपत्ति नहीं लगती; पुत्र
ब्राह्मण है क्यों कि उस के माता-पिता ब्राह्मण होने से वह अन्यथा नहीं हो
सकता इत्यादि अनुमानों में जो हेतु पक्ष का धर्म नहीं है वह भी साध्य का
वोध करता है । किन्तु शकाकार का यह कथन ठीक नहीं है । जो पक्ष का
धर्म नहीं है वह हेतु कल्पित होगा अतः वह साध्य का वोध कराये यह संभव
नहीं है । ऐसा क्यों है इस प्रश्न का उत्तर है कि पक्ष में हेतु का अभाव है

तदभावस्यैव कल्पकाभावत्वात् असिद्धत्वादिति यावत् । अथ पक्षा-
दन्यत्र विद्यमानत्वात् गमकत्वमिति चेत् तर्हि सर्वं सर्वस्य गमकं
स्यादित्यतिप्रसन्न्यते ॥

[२५. हेतुलक्षणोपसंहारः]

अथ निश्चितव्यातिकं सर्वं स्वव्यापकस्य सर्वस्य गमकमिति चेत् न
चैतद्वास्ति । कल्पकस्यास्य क्वापि व्याप्तिनिश्चयाभावात् । न तावत्
सप्तके तद्विश्वयः तस्य सप्तकाभावात् । अथ पक्षे एवास्य व्याप्तिनिश्चय
इति चेत् । अपश्यधर्मस्यास्य पक्षे अभावात् तत्र तद्विश्चयानुपपत्ते । पक्षे
तस्य सद्भावेऽपि तत्र कल्पस्य निश्चये तेन कल्पकस्य व्याप्तिनिश्चया-
योगात् तत्र तद्विश्चये अर्थापत्तेः आनर्थक्यम् व्याप्तिनिश्चयात् पूर्वमेव पक्षे
कल्पलय निश्चितत्वात् । अनिश्चितव्यातिकस्यापश्यधर्मस्यापि गमकत्वे

इसी कारण वह साध्य का बोधक नहीं हो सकता — वह असिद्ध होता है ।
पक्ष से अन्यत्र हेतु रहेगा और साध्य का बोव करायेगा यह कहना भी संभव
नहीं क्यों कि ऐसा कहने से सभी हेतु सभी साध्यों के बोधक हो जायेंगे;
(धुंआ रसोईवर में होगा और अग्नि का बोध पर्वतपर होगा) यह अतिप्रसंग है ।

हेतु के लक्षण का समारोप

जिस की व्याप्ति निश्चित है वह सब अपने व्यापक सब (पदार्थों)
का बोध कराता है यह कहें तो वह वात भी यहां (जो पक्ष का धर्म नहीं है
उस हेतु में) नहीं पाई जाती । कारण यह है कि इस कलिप्त हेतु की
व्याप्ति का निश्चय ही कहीं नहीं हो सकता । उस की व्याप्ति का निश्चय सप्तक
में नहीं हो सकता क्यों कि उस के कोई सप्तक ही नहीं है (जिस का पक्ष
में अस्तित्व हो उसी के बारे में सप्तक और विपक्ष की कल्पना संभव है,
जिस का पक्ष ही न हो उस का सप्तक कैसे हो सकता है) । पक्ष में ही इस
(हेतु) की व्याप्ति का निश्चय होता है यह कथन भी योग्य नहीं । यह हेतु
पक्ष का धर्म ही नहीं है अतः पक्ष में उस का अभाव है इसलिए पक्ष में इस
की व्याप्ति का निश्चय संभव नहीं हो सकता । (यहां एक वाक्य का अर्थ
हमें जात नहीं हो सका) । जिस की व्याप्ति निश्चित नहीं तथा जो पक्ष का

काकस्य काण्ड्यांत् ध्वलः प्रासादः इत्यादेरपि गमकत्वं स्यात् । अथ विपक्षेऽसत्त्वात् व्याप्तिनिश्चय इति चेत् केवलव्यतिरेकानुमान तत्, नार्थापत्तिः । तस्याप्यपक्षधर्मत्वे अगमकत्वमेव । पक्षे सपक्षेऽप्यविद्यमानो हेतुः स्वसाध्यं क्व प्रसाधयेत्, न क्वापि । तर्हि नदीपूरवृष्ट्यादीनां गम्यगमकभावः कथमिति चेत् वीतः नदीपूरः वृष्टिपूर्वकः विशिष्टपूरत्वात् संप्रतिपन्नपूरवत्, वीत् पुमान् ब्राह्मण एव ब्राह्मणमातापितृजन्यत्वात् संप्रतिपन्नब्राह्मणवत् इत्यादिकुशलप्रयोगादिति वूमः । तस्मात् व्याप्तिमान् पक्षधर्म एव सम्यग् हेतुर्भवति ॥

[२६. अन्वयव्यतिरेकी अनुमानम्]

स हेतुः अन्वयव्यतिरेकी केवलान्वयी केवलव्यतिरेकी इति त्रिधा ।

धर्म नहीं वह हेतु भी यदि साध्य का वोध करा सके तो 'महल सफेद है क्यों कि कौआ काला है' ऐसे हेतु भी साध्य के वोधक सिद्ध होंगे विपक्ष में अभाव होने से इस हेतु की व्याप्ति का निश्चय होता है यह कथन भी उचित नहीं क्यों कि ऐसी स्थिति में उसे केवलव्यतिरेकी अनुमान ही कहेंगे, व्याप्तिसमर्थक अर्थापत्ति नहीं । ऐसा हेतु भी (जिस का विपक्ष में अभाव है) यदि पक्ष का धर्म नहीं है तो वह साध्य का वोध नहीं करा सकता । जो हेतु पक्ष में और सपक्ष में भी न हो वह साध्य को कहाँ सिद्ध करेगा—अर्थात् कहीं भी सिद्ध नहीं कर सकेगा । फिर नदी की वाढ से वृष्टि का वोध किस तरह होता है इस प्रक्ष का उत्तर यह है कि यहाँ कुशल व्यक्ति इस प्रकार अनुमान का प्रयोग करते हैं — यह नदी की वाढ वृष्टिपूर्वक होती है क्यों कि यह विशिष्ट बांध है जैसे पहले देखी हुई वाढ (यहा नदी की वाढ इस पक्ष में वृष्टिपूर्वक होना यह साध्य है तथा विशिष्ट वाढ होना यह हेतु यहाँ पक्ष का ही धर्म है) । इसी प्रकार यह पुरुष ब्राह्मण है क्योंकि यह ब्राह्मण माता—पिता से उत्पन्न हुआ है जैसे पहले देखे हुए ब्राह्मण (यहा यह पुरुष इस पक्ष में ब्राह्मण माता—पिता से उत्पन्न होना यह हेतु विद्यमान है अतः उस से ब्राह्मण होना यह साध्य सिद्ध होता है) । इसलिए व्याप्ति से युक्त पक्ष का धर्म ही योग्य हेतु होता है ।

अन्वयव्यतिरेकी अनुमान

हेतु के तीन प्रकार हैं — अन्वयव्यतिरेकी, केवलान्वयी तथा केवल-

सपक्षविपक्षसहित् अन्वयव्यतिरेकी । पर्वतोऽग्निमान् धूमवत्वात्, यो यो धूमवान् स सर्वोऽप्यग्निमान् यथा महानसः, यो वोऽग्निमान् न भवति स सर्वोऽपि धूमवान् न भवति यथा हृदः, धूमवांश्चायं पर्वतः तस्मात् अग्निमान् भवति इत्यादि ॥

[२७. केवलान्वयि अनुमानम्]

विपक्षरहितः सपक्षरहितः केवलान्वयी । वीतः सदसद्वर्गः कस्य-चिदेकज्ञानालभ्यनमनेकत्वात्, यद् यदनेकं तत् कस्यचिदेकज्ञानालभ्यनं, यथा पञ्चाङ्गगुलम्, अनेकश्चायं सदसद्वर्गः तस्मात् कस्यचिदेकज्ञानालभ्यनमित्यादि । ननु केवलान्वयि न प्रमाणं विपक्षाद् व्यावृत्तिरहितत्वात् अतैकान्तिकवत् इति मीमांसकः प्रायौक्षीत् । तत्र विपक्षग्रहणव्यावृत्तिस्मरणयोरभावे विपक्षाद् व्यावृत्तिरहितत्वस्य ज्ञातुमशक्ते । अज्ञातासिद्धो

व्यतिरेकी । सपक्ष और विपक्ष दोनों से सहित हेतु अन्वयव्यतिरेकी होता है । जैसे — यह पर्वत अग्नियुक्त है क्यों कि यह धुंए से युक्त है, जो धुंए से युक्त होता है वह सब अग्नि से युक्त होता है, जैसे रसोईघर, जो अग्नि से युक्त नहीं होता वह धुंए से युक्त भी नहीं होता, जैसे सरोवर, और यह पर्वत धुंए से युक्त है, अतः यह अग्नि से युक्त है । (यहाँ धुंए से युक्त होना यह हेतु अन्वयव्यतिरेकी है क्यों कि इस में रसोईघर आदि सपक्ष हैं और सरोवर आदि विपक्ष हैं) ।

केवलान्वयी अनुमान

जो हेतु सपक्ष से सहित किन्तु विपक्ष से रहित होता है उसे केवलान्वयी कहते हैं । उदा.— विचार का विपय सत् तथा असत् (भावरूप तथा अभावरूप) पदार्थों का समूह किसी एक के ज्ञान का विषय होता है क्यों कि वह अनेक है, जो अनेक होता है वह किसी एक के ज्ञान का विपय होता है, जैसे पांच अंगुलियाँ, ये सत् तथा असत् पदार्थ भी अनेक हैं, इसलिए वे किसी एक के ज्ञान के विपय होते हैं । (यहाँ अनेक होना यह हेतु सदसद्वर्ग इस पक्ष में है, पञ्चाङ्ग इस सपक्ष में है, किन्तु इस का कोई विपक्ष नहीं है क्यों कि ससार के जिनने भी पदार्थ हैं उन सबका सदसद्वर्ग इस पक्ष में अन्तर्भाव हो जाता है, अतः यह हेतु केवलान्वयी है) । यहाँ

हेतुः स्यात् । विपक्षग्रहणसंभवे केवलान्वयित्वाभावात् कस्याप्रामाण्यं ग्रसाद्येत्, न कस्यापि । अपि च व्यावृत्तिर्नाम अभावः, रहितत्वमपि प्रतिपेध एव । तथा च प्राभाकरपक्षे अभावप्रतियोगिप्रतिपेधाभावात् स्वरूपासिद्धो हेत्वाभास । विपक्षाद्वयावृत्तिरहितत्वं नाम विपक्षस्वरूपमेव । तदन्ते केवलान्वयित्वा नास्तीति स्वरूपासिद्धो हेतुः स्यात् । तस्मात् केवलान्वयि प्रमाणं व्याप्तिमत्पक्षर्थमत्वात् धूमानुमानवदिति स्थितम् ॥

[२८. केवलव्यतिरेकी अनुमानम्]

सपक्षरहित विपक्षसहित केवलव्यतिरेकी । आत्मा चेतनः बात-

शंकाकार मीमांसक का प्रश्न है कि केवलान्वयी हेतु प्रमाण नहीं होता क्यों कि उस में विपक्ष में अभाव यह गुण नहीं है, अनैकान्तिक हेत्वाभास में भी विपक्ष में अभाव यह गुण नहीं होता इसीलिए वह हेत्वाभास होता है अतः उस केवलान्वयी हेतु को भी प्रमाण नहीं मान सकते । किन्तु इस आक्षेप में विपक्ष में अभाव न होना यह जो हेतु है यह अज्ञातासिद्ध है (इस का अस्तित्व सिद्ध नहीं हुआ है) क्यों कि इस केवलान्वयी हेतु में अमुक विपक्ष है उस तरह का ग्रहण तथा उस में इस हेतु का अभाव है इस प्रकार का स्मरण नहीं हो सकता इसलिए विपक्ष में अभाव न होने का ज्ञान ही नहीं हो सकता । यदि विपक्ष के अस्तित्व का ग्रहण हो सके तो यह हेतु केवलान्वयी ही नहीं रहेगा अतः अप्रमाण किसे सिद्ध करेंगे ? प्राभाकर मीमांसकों के पक्ष में भी विपक्ष में अभाव न होना यह आक्षेप स्वरूपासिद्ध है (उस का स्वरूप सिद्ध नहीं है) क्यों कि उन के मतानुसार व्यावृत्ति का अर्थ अभाव है तथा रहित होने का अर्थ भी अभाव ही है । प्राभाकर मीमांसकों के मतानुसार विपक्ष में व्यावृत्ति के अभाव का अर्थ है विपक्ष का स्वरूप । और इस केवलान्वयी हेतु में विपक्ष ही नहीं है इसलिए विपक्ष में अभाव नहीं है यह कहना स्वरूपासिद्ध हो जाता है । इसलिए बुरे से अग्नि के अनुमान के समान ही केवलान्वयी हेतु भी प्रमाणभूत होता है क्यों कि वह व्याप्ति से युक्त तथा पक्ष का वर्म है यह निष्कर्ष स्थिर हुआ ।

केवलव्यतिरेकी अनुमान

जिस हेतु में विपक्ष होता है किन्तु सपक्ष नहीं होता उसे केवलव्यति-

त्वात्, यो य चेतनो न भवति ग्र सर्वोऽपि द्वाना न भवनि, यथा पदः, याता चायमात्मा, तस्माजेतनो भवनि इत्यादि । तनु केवलव्यतिरेकि न प्रमाणं सपक्षस्त्वरहितत्वात् चिरङ्गचतु इत्यपि मीमांसकः प्रायुक्तः । अत्र सपक्षग्रहणसत्त्वस्मरणयोरभावे सपक्षस्त्वरहितत्वन्य द्वानुभवात् त्वात् अद्वातासिद्धो हेतुः स्यात् । सपक्षग्रहणसंभवे केवलव्यतिरेकि-त्वाभावात् कस्याप्रामाण्यं प्रमाण्येत न कन्यापि । प्राभाकरपक्षे नपक्षे सत्त्वरहितत्वं नाम सपक्षस्त्वरप्रमाणमेव । तटश्च केवलव्यतिरेकिणि नास्तीति स्वस्यासिद्धत्वं हेतोः स्यात् । ततः केवलव्यतिरेकि प्रमाणं व्यासिमपक्षधर्मत्वात् धूमानुमानघविति स्थितम् ।

रेकी कहते हैं । उठा — आत्मा चेतन हे क्यों कि वह जाता है, जो चेतन नहीं होता वह जाता नहीं होता जैसे बच्चा, आमा द्वाना है, अतः वह चेतन है । (इस अनुमान में आत्मा इस पक्ष में चेतन होना जाभव है तथा जाता होना हेतु है, इस में पट इत्यादि विपक्ष तो संभव है किन्तु उपक्ष नभव, नहीं है क्यों कि जिन्हें भी जाता हैं वे सब आत्मा होने से एक में ही समाविष्ट हो जाने हैं अतः यह हेतु केवलव्यतिरेकी है) । यदा भी मीमांसक शकाकार प्रश्न करते हैं कि केवलव्यतिरेकी अनुमान प्रमाण नहीं होना क्यों कि इस में सपक्ष में हेतु का अस्तित्व होना यह गुण नहीं है । विद्वद्वैत्याभास में भी साक्ष में अस्तित्व न होना यहाँ दोष होना है और उसी से वह अप्रमाण होना है । मीमांसकों के इस आक्षेप में सपक्ष में अस्तित्व न होना यह हेतु अजातासिद्ध है । उसका होना सिद्ध नहीं है) क्यों कि सपक्ष का अस्तित्व ग्रहण करना तथा उम में हेतु के अस्तित्व को स्मरण करना यहाँ संभव नहीं है (यदा सपक्ष ही नहीं है अतः सपक्ष में हेतु है या नहीं है यह कहना सभव नहीं है) यदि उपक्ष का ज्ञान सभव हो तो वह हेतु केवलव्यतिरेकी नहीं रहेगा, किर अप्रमाण किसे सिद्ध करेगे । प्राभाकर मीमांसकों के पक्ष में भी सपक्ष में अस्तित्व के अभाव का अर्थ सपक्ष का स्त्रख्य ही है । वह सपक्ष इस केवलव्यतिरेकी हतु में ही नहीं अतः सपक्ष में अस्तित्व नहीं यह कहना स्त्रख्यासिद्ध हो जाता है । इसलिए केवलव्यतिरेकी हेतु भी प्रमाणभूत होता है क्यों कि धुने से अग्नि के अनुमान के समान ही यहाँ भी व्याप्ति से

[२५. अनुमानभेदत्रयम्]

तत् सर्वं त्रिविधं दृष्टानुमानं सामान्यतोदृष्टानुमानम् अदृष्टानुमानं चेति । अस्मदादिप्रत्यक्षगृहीतव्याप्तिकम् अस्मदादिप्रत्यक्षग्रहणयोग्यार्थानुमापकं दृष्टानुमानम् । पर्वतोऽग्निमान् धूमवत्त्वात् महानसबत् इत्यादि । अस्मदादिप्रत्यक्षेण सामान्यतो गृहीतव्याप्तिकम् अतीन्द्रियार्थानुमापकं सामान्यतोदृष्टानुमानम् । रूपादिपरिच्छित्तिः करणजन्या क्रियात्वात्, या या क्रिया सा सा करणजन्या यथा घटक्रिया, क्रिया चेयं त्पादि-परिच्छित्तिः, तस्मात् करणजन्या इत्यादि । आगमैनैव तिश्चितव्याप्तिकम् ~~~~~ ~

युक्त होना तथा पक्ष का धर्म होना ये दोनों गुण हेतु मे है यह मत स्थिर हुआ ।

अनुमान के तीन भेद

उपर्युक्त सभी अनुमानों के तीन प्रकार होते हैं—दृष्ट अनुमान, सामान्य-तोदृष्ट अनुमान तथा अदृष्ट अनुमान । जिस अनुमान की (आधारभूत) व्याप्ति का ज्ञान हम जैसे लोगों के प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा हुआ हो तथा हम जैसे लोगों के प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा जानने योग्य पदार्थ का ही जिस से वोध होता हो वह दृष्ट अनुमान कहलाता है जैसे— पर्वत अग्नियुक्त है क्यों कि यह धुए से दृक्त है जैसे रसोईधर (धुए से युक्त होता हो तब अग्नि से युक्त होता ही है) (यहां तुंआ और अग्नि इन की व्याप्ति प्रत्यक्ष से जानी गई है तथा अनुमान से जाना गया पदार्थ अग्नि भी प्रत्यक्ष से जाना जा सकता है अतः यह दृष्ट अनुमान है) । जिस की व्याप्ति का सामान्य रूप से हम जैसे लोगों के प्रत्यक्ष द्वारा ज्ञान होता है किन्तु जिस से ज्ञात होनेवाला पदार्थ अतीन्द्रिय (इन्द्रियप्रत्यक्ष से न जाना जाये) होता है उस अनुमान को सामान्यतोदृष्ट कहते हैं । जैसे—रूप आदि का ज्ञान साधनसे होता है क्यों कि वह क्रिया है, जो जो क्रिया होती है वह वह साधन से निष्पत्ति होती है जैसे घट की क्रिया वह रूप आदि का ज्ञान भी क्रिया है अत यह भी साधन से निष्पत्ति होती है (यहा क्रिया और साधन से निष्पत्ति होना इन की व्याप्ति सामान्यत हमारे प्रत्यक्ष से ज्ञात होती है किन्तु इस अनुमान मे वोधित होनेवाला पदार्थ—रूप आदि का ज्ञान साधन से निष्पत्ति होता है—इन्द्रियप्रत्यक्ष से नहीं)

अतीन्द्रियार्थानुमापकम् अदृष्टानुमानम् । मुक्तात्मा सकलक्षेशरहितः सकलकर्मरहितवात्, यो यः सकलक्षेशरहितो न भवति स सर्वं सकलकर्मरहितो न भवति यथा संसारी, सकलकर्मरहितश्चायं मुक्तात्मा, तस्मात् सकलक्षेशरहितः इत्यादि ॥

[३०. अनुमानाभासः]

व्याप्तिपक्षधर्मतारहितहेतोः साध्यसाधनम् अनुमानाभासः । तत्र पक्षधर्मरहितो हेतुरसिद्धः । व्याप्तिरहिता हेतवः विश्वानैकान्तिकान-ध्यवसितकालात्ययापदिष्टप्रकरणसमा । सिद्धे प्रत्यक्षादिवादिते च साध्ये प्रयुक्तो हेतुर्किञ्चित्करः । अकिञ्चित्करस्य व्याप्तिपक्षधर्मतारहि-

जाना जा सकता अतः यह सामान्यतोष्ट अनुमान है) । जिस की व्याप्ति का निश्चय केवल आग्रह से ही होता हो तथा जिस से ज्ञात होनेवाला पदार्थ भी अतीन्द्रिय हो उस अनुमान को अदृष्ट कहते हैं । जैसे—मुक्त आत्मा सभी दुःखों से रहित होता है क्यों कि वह सभी कर्मों से रहित होता है, जो सभी कर्मों से रहित नहीं होता वह सभी दुःखों से रहित नहीं होता वैसे संसारी जीव, मुक्त आत्मा सभी कर्मों से रहित होता है, अतः वह सभी दुःखों से रहित होता है (यहां मुक्त आत्मा का सभी दुःखों से रहित होना यह विषय अतीन्द्रिय है तथा जो कर्मरहित होता है वह दुःखरहित होता है । यह व्याप्ति भी प्रत्यक्ष से नहीं जानी जाती, इस का निश्चय केवल आग्रह से होता है अतः यह अदृष्ट अनुमान है) ।

अनुमान के आभास

जो व्याप्ति से रहित है तथा पक्ष का धर्म नहीं है ऐसे हेतु से साच्च को सिद्ध करना यह अनुमान का आभास है । जो हेतु पक्ष का धर्म नहीं होता उसे असिद्ध कहते हैं । विश्व, अनैकान्तिक, अनध्यवसित, कालात्ययापदिष्ट तथा प्रकरणमम ये हेतु व्याप्ति से रहित होते हैं । जो साध्य पहले ही सिद्ध हो उस के विषय में तथा जो प्रत्यक्ष आदि से वावित हो उस के विषय में प्रयुक्त हेतु अकिञ्चित्कर कहलाता है । अकिञ्चित्कर हेतु व्याप्ति से रहित नहीं होता तथा पक्षधर्मरहित भी नहीं होता फिर उसे (हेतु का) आभास कैसे कहा जाय ऐसा प्रश्न हो सकता है, उत्तर यह है कि उस का

स्थासावस्तरहिं तस्थामासत्वं कौतस्कुतमिति चेत् प्रतिवादसिद्धाप्रमादवच्चात्। साध्यविकलादिव्यान्ताभासाश्च व्याप्तिरहिताः। तद् यथा। अनिश्चितपक्षबृत्तिः हेतुरसिद्धः। पक्षविपक्षयोरेव वर्तमानो हेतुः विरुद्धः। पक्षत्रयबृत्तिर्हेतुः अनैकान्तिकः। प्रतिवादिप्रसिद्धसाध्ये प्रयुक्तो हेतुरकिञ्चित्करः। अनिश्चितव्याप्तिकः पक्ष एव वर्तमानो हेतुः अनध्यवसितः। वाधितसाध्ये पक्षे प्रयुक्तो हेतुः कालात्ययापदिष्टु। स्वपरपक्षसिद्धावपित्रिरूपो हेतुः प्रकरणसमः॥

[३१. असिद्धमेदाः]

तत्रासिद्धमेदाः। पक्षेऽविद्यमानो हेतु स्वरूपासिद्ध , अनित्य शब्दः-
चाक्षुपत्वात् प्रदीपवत्। भिन्नाधिकरणे प्रयुक्तो हेतुः व्यधिकरणासिद्धः,

प्रमादपूर्ण (दोषपूर्ण) न होना प्रतिपक्षी के लिए असिद्ध है (प्रतिपक्षी उस हेतु मेरे दोष वतला सकता है अत. उसे हेतु का आभास कहा है)। साध्यविकल आदि व्यष्टान्ताभास भी व्याप्ति से रहित होते हैं (इन का आगे वर्णन करेंगे)। (हेत्वाभासों के लक्षण) इस प्रकार हैं — जिस हेतु का पक्ष में अस्तित्व निश्चित नहीं हो वह असिद्ध होता है। जो हेतु पक्ष में तथा विपक्ष में ही हो (सपक्ष में न हो) वह विरुद्ध होता है। जो हेतु तीनों पक्षों में (पक्ष-सपक्ष तथा विपक्ष में) हो वह अनैकान्तिक होता है। प्रतिवादी के लिए जो साध्य पहले ही सिद्ध होता है उस के विषय में प्रयुक्त हेतु अकिञ्चित्कर होता है। जो हेतु पक्ष में ही हो किन्तु जिस की व्याप्ति अनिश्चित हो वह अनध्यवसित होता है। जिस पक्ष में साध्य का अस्तित्व वाधित है उस के विषय में प्रयुक्त हेतु कालात्ययापदिष्ट होता है। जिस हेतु के तीनों रूप (पक्ष में अस्तित्व, सपक्ष में अस्तित्व, विपक्ष में अभाव) अपने पक्ष के तथा प्रतिपक्ष के — दोनों के सिद्ध करने में प्रयुक्त होते हैं वह प्रकरणसम होता है (इन सब हेत्वाभासों के उपमेद तथा उदाहरण अव्र ऋमशः बतायेंगे)।

असिद्ध हेत्वाभास के प्रकार

असिद्ध हेत्वाभास के भेद इस प्रकार हैं—जो हेतु पक्ष में विद्यमान न हो वह स्वरूपासिद्ध होता है, जैसे—शब्द अनित्य है क्यों कि वह चाक्षुप है (चाक्षुष होना यह हेतु शब्द इस पक्ष में विद्यमान नहीं है अत. वह स्वरूपासिद्ध है)।

पर्वतोऽशिमान् महानसम्य धूमघन्त्वात् गटवत्। पर्वतोदेशो वर्तमानो हेतुः भागासिद्धः, अनित्य शब्दः प्रयत्नजन्यत्वात् पटवत्। पर्वतोऽशिमान् विशेष्यो हेतुः विशेष्यासिद्धः, अनित्यः शब्दः सामान्यवर्त्ते नति चाक्षुपत्वात्। पर्वतोऽशिमानविशेषणो हेतु विशेषणासिद्धः, अनित्यः शब्दः चाक्षुपत्वे सति सामान्यवच्चात्। पर्वते अशातो हेतुः अशातसिद्धः, रागाद्विरहितः कपिलः उत्पन्नतत्त्वगानत्वात्। संदिग्धासिद्धायमेव। पर्वते संदिग्धविशेष्यो हेतु संदिग्धविशेषासिद्धः, कपिलो गगाद्विमान् पुनरत्वे सति अनुत्पन्नतत्त्वगानत्वात्। पर्वते संदिग्धविशेषणो हेतुः नंदिग्धविशेष-

(पक्ष से) भिन्न स्थान में प्रवृक्त हेतु व्यधिकरणासिद्ध होता है, जैसे-पर्वत अभि से युक्त हैं क्यों कि रसोईघर धुंए से युक्त है जैसे मठ (यहाँ धुंए ने युक्त होना यह हेतु पर्वत इस पक्ष में न बतला कर उस से भिन्न स्थान रसोईघर में बतलाया है अतः यह व्यधिकरणासिद्ध है)। पक्ष के एक हिस्ते में जो विद्यमान है (अर्थत्र न हो) उस हेतु को भागासिद्ध कहते हैं, जैसे-इट अनित्य है क्यों कि वह प्रयत्न से उत्पन्न होता है जैसे बत्त (यहाँ प्रयत्न से उत्पन्न होना यह हेतु शब्द इस पक्ष के एक हिस्ते में विद्यमान है, सर्वत्र नहीं, क्यों कि अक्षरान्मक शब्द तो प्रयत्न से उत्पन्न होता ह और मेघगर्जनादि शब्द विना प्रयत्न के भी उत्पन्न होता है अतः यह हेतु भागासिद्ध है)। जिस का विशेष्य पक्ष में विद्यमान न हो वह हेतु विशेष्यासिद्ध होता है, जैसे-शब्द अनित्य है क्यों कि वह सामान्ययुक्त होते हुए चाक्षुप होता है (यहाँ सामान्ययुक्त होने हुए चाक्षुप होना इस हेतु का विशेष्य अर्थात् चाक्षुप होना शब्द इस पक्ष में नहीं पाया जाता अतः यह हेतु विशेष्यासिद्ध है)। जिस हेतु का विशेषण पक्षमें विद्यमान न हो वह विशेषणासिद्ध होता है जैसे-शब्द अनित्य है क्यों कि वह चाक्षुप होते हुए सामान्ययुक्त है (यहा चाक्षुप होते हुए सामान्ययुक्त होना इस हेतु का विशेषण अर्थात् चाक्षुप होना शब्द इस पक्ष में नहीं पाया जाता अतः वह हेतु विशेषणासिद्ध है)। पक्ष में जिस हेतु के अस्तित्व का ज्ञान न होता हो, वह अज्ञाता सिद्ध होता है, जैसे-कपिल राग आदि से रहित हैं क्यों कि उन्हें तत्त्वज्ञान उत्पन्न हुआ है (यहाँ कपिल इस पक्ष में तत्त्वज्ञान उत्पन्न होना इस हेतु का अस्तित्व जाना नहीं गया)

पणासिद्ध, कपिलो रागादिमान् अनुत्पन्नतत्त्वज्ञानत्वे सति पुरुषत्वात् । निरर्थविशेषवान् हेतुः व्यर्थविशेष्यासिद्धः, अनित्यः शब्दः कृतकत्वे सति सामान्यवत्त्वात् । निष्प्रयोजनविशेषणवान् हेतुः व्यर्थविशेषणासिद्धः, अनित्यः शब्दः सामान्यवत्त्वे सति कृतकत्वात् । प्रमाणेनासिद्धे पक्षे प्रयुक्तो हेतुः आश्रयासिद्धः, अस्ति प्रधानं विश्वपरिणामित्वात् । एतत् नाद्रियते जैनैः, पक्षस्य विकल्पसिद्धत्वप्रतिपादनात् ॥

है अतः यह अज्ञातासिद्ध हेतु है)। इसी को सदिग्वासिद्ध भी कहते हैं। जिस का अस्तित्व विशेष्य में है या नहीं इस में सन्देह हो वह हेतु संदिग्धविशेष्यासिद्ध होता है। जैसे-कपिल राग आदि से युक्त है क्यों कि पुरुष होते हुए उसे तत्त्वज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ है (यहा तत्त्वज्ञान उत्पन्न न होना यह विशेष्य-कपिल इस पक्ष में है या नहीं यह संदिग्ध है अत यह सदिग्धविशेष्यासिद्ध हेतु हुआ)। जिस के विशेषण का अस्तित्व में पक्ष में सदिग्ध हो वह हेतु संदिग्धविशेषणासिद्ध होता है। जैसे-कपिल राग आदि से युक्त है क्यों कि तत्त्वज्ञान उत्पन्न न होते हुए वह पुरुष है (यहा तत्त्वज्ञान उत्पन्न न होना यह विशेषण कपिल इस पक्ष में संदिग्ध है अत यह हेतु सदिग्धविशेषणासिद्ध हुआ)। जिस नेतु में विशेष्य निरर्थक हो वह व्यर्थविशेष्यासिद्ध होता है। जैसे-शब्द अनित्य हैं क्यों कि वह कृतक होते हुए सामान्य से युक्त हैं (यहा सामान्य से युक्त होना यह विशेष्य निरुपयोगी है अत यह हेतु व्यर्थ विशेष्यासिद्ध हुआ)। जैसे हेतु का विशेषण निरुपयोगी हो वह व्यर्थ विशेषणासिद्ध होता है। जैसे-शब्द अनित्य है क्यों कि वह सामान्ययुक्त होते हुए कृतक है (यहा सामान्य-युक्त होते हुए यह विशेषण निरुपयोगी है अत यह हेतु व्यर्थ विशेषणासिद्ध हुआ)। जो पक्ष प्रमाण से सिद्ध न हुआ हो उस के विषय में प्रयुक्त हेतु आश्रयासिद्ध होता है। जैसे-प्रधान (प्रकृति) का अस्तित्व है क्यों कि यह 'विश्व उसी का परिणाम है (विकसित स्वरूप है) (यहाँ प्रकृति इस पक्ष का अस्तित्व प्रमाणसिद्ध नहीं है अत इस के बारे में सभी हेतु आश्रयासिद्ध होंगे) जैनों द्वारा इस को (आश्रयासिद्ध हेत्वाभास को) मान्यता नहीं दी जाती क्यों कि वे पक्ष को विकल्पसिद्ध भी मानते हैं (जिस का अस्तित्व है या नहीं इस के विषय में सन्देह हो वह पक्ष विकल्पसिद्ध होता है-उस के विषय में भी अनुमान हो सकता है ऐसा जैनों का मत है)।

[३२. सपक्षसद्भावे विरुद्धभेदाः]

साध्यविपरीते निश्चितव्यासिको हेतु विरुद्धः। तद्भेदाः सति सपक्षे चत्वारो विसङ्घाः। पश्चविपक्षव्यापको यथा—नित्य शब्दः कार्यत्वात्। पश्चस्त्वपे शब्दे कार्यत्वमस्ति, विपक्षस्त्वपे अनित्ये ग्रटपटादौ च सर्वत्रास्ति कार्यत्वम्। विपक्षैकदेशवृत्तिः पश्चव्यापको यथा—नित्य शब्दः सामान्यत्वे सति अस्मदादिवाहेन्द्रियग्राह्यत्वाद्। विपक्षस्त्वपे ग्रटादौ वाहेन्द्रियग्राह्यत्वमस्ति, विपक्षस्त्वपे सुखादौ तत्त्वास्त्वेव, पक्षीकृतेषु शब्देषु

सपक्ष के रहते हुए विरुद्ध हेत्वाभास के प्रकार

जिस की व्यापि साम्य के विरुद्ध पक्ष में निश्चित हो उस हेतु को विरुद्ध कहते हैं। सपक्ष के रहते हुए उस विरुद्ध हेत्वाभास के चार प्रकार होते हैं। पक्ष तथा विपक्ष में व्यापक विरुद्ध हेत्वाभास का उदाहरण— शब्द नित्य है क्यों कि वह कार्य है। यहां शब्द इस पक्ष में कार्य होना (यह हेतु) है, विपक्ष अर्थात् ग्रट पट इत्यादि अनित्य पदार्थों में भी सर्वत्र कार्य होना (यह हेतु) विद्यमान है (अत यह हेतु पक्षविपक्षव्यापि विरुद्ध हेत्वाभास है) पक्ष में व्यापक तथा विपक्ष के एक भाग में रहनेवाले - विरुद्ध हेत्वाभास का उदाहरण—शब्द नित्य है क्यों कि सामान्य से उक्त होने हुए वह हम जैसे लोगों को वाह्य इन्द्रियों से ज्ञात होता है। यहा ग्रट इत्यादि विपक्ष में (अनित्य पदार्थों में) वाह्य इन्द्रियों से ज्ञात होना (यह हेतु) है, सुख इत्यादि विपक्ष में (अनित्य पदार्थों में) वह नहीं है (वे वाह्य इन्द्रियों से ज्ञात नहीं होने) तथा शब्द—इस पक्ष में सर्वत्र वाह्य इन्द्रियों से ज्ञात होना (यह हेतु) विद्यमान है (अत यह विपक्षैकदेशवृत्ति पक्षव्यापक विरुद्ध हेत्वाभास है)। पक्ष तथा विपक्ष दोनों के एक भाग में रहनेवाले विरुद्ध हेत्वाभास का उदाहरण— शब्द नित्य है क्यों कि वह प्रयत्न से उत्पन्न होता है। यहा पक्ष में जो शब्द ताळ, होठ आदि की हलचल से उत्पन्न होते हैं उन में तो प्रयत्नजनित होना यह हेतु है किन्तु नदी की आवाज, मैर्गर्जना आदि शब्दों में वह हेतु नहीं है (वे शब्द प्रयत्नजनित नहीं हैं), ग्रट इत्यादि विपक्ष में वह (प्रयत्नजनित होना) विद्यमान है किन्तु प्रागभाव जैसे विपक्ष में वह नहीं है (प्रागभाव प्रयत्नजनित नहीं होता, किसी वस्तु के उत्पन्न होने से पहले उस का जो

सर्वत्र वाह्येन्द्रियग्राह्यत्वमस्ति । पक्षविपक्षैकदेशवृत्तिर्थानित्य शब्द प्रयत्नजन्यत्वात् । पक्षीकृते तात्वोष्टपुरव्यापारजनिते शब्दे प्रयत्नजन्यत्वमस्ति, नदीयोपभेदगर्जनादौ तद्बास्ति, विपक्षस्ते घटादौ तद् विद्यते, प्रागभावे तद्बास्ति । पक्षैकदेशवृत्तिः विपक्षव्यापको यथा—नित्या पृथिवी कृतकत्वात् । पक्षस्ते पृथिव्यादौ कृतकत्वस्ति, पृथ्वीगततत्स्वरूपपरमाणुपुर तदपि नास्ति, विपक्षस्ते अनित्ये घटपटादौ सर्वत्र कृतकत्वं व्याप्तमस्ति ॥

[३३. सपक्षाभावे विरुद्धभेदाः]

असति सपक्षे चत्वारो विरुद्धा । पक्षविपक्षव्यापको यथा—आकाशविशेषगुण शब्दः प्रभेयत्वात् । पक्षीकृते शब्दे सर्वत्र प्रभेयत्वमस्ति । शब्दं विहायान्यपदार्थां आकाशविशेषगुणा न भवन्ति अत एव

अभाव होना है उसे प्रागभाव कहते हैं वह स्वाभाविक होता है प्रयत्ननिर्मित नहीं) (इस प्रकार यह हेतु पक्षविपक्षैकदेशव्यापी विरुद्ध हेत्वाभास है) । पक्ष के एक भाग में रहनेवाला और विपक्ष में व्यापक विरुद्ध हेत्वाभास इस प्रकार होता है—पृथिवी नित्य है क्यों कि वह कृतक है । यहा पृथिवी इस पक्ष में कृतक होना (यह हेतु) है, किन्तु पृथ्वी में समाविष्ट उस के स्वरूप के परमाणुओं में वह (कृतक होना) नहीं है (न्यायमत के अनुसार पृथ्वी आदि के परमाणु नित्य है, वे किसी के द्वारा बनाये नहीं जाते, उन परमाणुओं से ईश्वर पृथ्वी आदि का निर्माण करता है, अतः पृथ्वी—कृतक है किन्तु पृथ्वी—परमाणु कृतक नहीं हैं), वट पट इत्यादि विपक्ष में (अनित्य पदार्थों में) सर्वत्र कृतक होना (यह हेतु) व्याप्त है (अत यह पक्षैकदेशवृत्तिविपक्षव्यापक विरुद्ध हेत्वाभास है) ।

सपक्ष के अभाव में विरुद्ध हेत्वाभास के चार प्रकार—

सपक्ष न हो तो विरुद्ध हेत्वाभास के चार प्रकार होते हैं । पक्ष और विपक्ष में व्यापक विरुद्ध का उदाहरण—शब्द आकाश का विशेष गुण है क्यों कि वह प्रभेय है । यहा प्रभेय होना यह हेतु शब्द इस पक्ष में सर्वत्र व्याप्त है, शब्द को छोड अन्य पदार्थ आकाश के विशेष गुण नहीं होते अतः वे सब विपक्ष हैं, उस वट पट आदि विपक्ष में सर्वत्र प्रभेय होना यह हेतु है

ते विपक्षाः । विपक्षरूपेषु तेषु घटपटादिषु सर्वत्र प्रमेयत्वमस्ति । पश्च-
विपक्षैकदेशवृत्तिर्यथा-आकाशविशेषगुणः शब्दः प्रयत्नानन्तरीयकन्वात् ।
पश्चतां प्रपत्ते तात्पोषु उद्यापारवर्णिते शब्दे प्रयत्नानन्तरीयकत्वमस्ति;
पर्जन्यगर्जनादिशब्दे नास्ति । विपक्षरूपेषु घटपटादिषु सोऽयं हेतुरस्ति ।
प्रागभावादौ स न संभाव्यते । पश्चव्यापको विपक्षैकदेशवृत्तिर्यथा—
आकाशविशेषगुणः शब्द अस्मदादिवाहेन्द्रियग्राहत्वात् । पश्चीमतेषु
शब्देषु हेतुः सर्वत्रास्ति, विपक्षरूपे घटपटादायपि हेतुरयं समस्ति,
सुखादौ हेतुरयं न विद्यते । विपक्षव्यापकः पश्चैकदेशवृत्तिः यथा—
आकाशविशेषगुणः शब्दः अपदात्मकन्वात् । विपक्षरूपेषु घटपटादिषु

(अतः यह पक्षविपक्षव्यापी विरुद्ध हेत्वाभास है) । पक्ष और विपक्ष के कुछ
भाग में व्यापक विरुद्ध का उदाहरण— शब्द आकाश का विशेष गुण है क्यों
कि वह प्रयत्न से उत्पन्न होता है । यहाँ पक्ष में नमाविट शब्दों में जो नालू,
हॉठ आदि की क्रिया से उत्पन्न होते हैं उन शब्दों में प्रयत्न से उत्पन्न होना
यह हेतु है, किन्तु मेवगर्जना आदि शब्दों में यह हेतु नहीं है (वे शब्द प्रयत्न-
जन्य नहीं होते); तथा घट, पट आदि विपक्षों में यह हेतु है किन्तु प्रागभाव
आदि में नहीं है प्रागभाव आदि प्रयत्नजन्य नहीं होते) (अतः यह पक्ष और
विपक्ष दोनों के एक भाग में रहनेवाला विरुद्ध हेत्वाभास है) । पक्ष में व्यापक
और विपक्ष के एक भाग में रहनेवाले विरुद्ध का उदाहरण— शब्द आकाश
का विशेष गुण है क्यों कि वह वाह्य इन्द्रियों से ज्ञात होता है । यहाँ
शब्द इस पक्ष में वाह्य इन्द्रियों से ज्ञात होना यह हेतु सर्वत्र
च्यास है, घट पट आदि विपक्ष में भी यह हेतु है किन्तु सुखदृश्य आदि
विपक्ष में यह हेतु नहीं है (वे वाह्य इन्द्रियों से ज्ञात नहीं होते) (अतः यह
पक्षव्यापी विपक्षैकदेशवृत्ति विरुद्ध हेत्वाभास है) । विपक्ष में व्यापक तथा पक्ष
के एक भाग में रहनेवाले विरुद्ध का उदाहरण— शब्द आकाश का विशेष
गुण है क्यों कि वह पदरूप नहीं है । यहा घट पट आदि विपक्ष में सर्वत्र
पदरूप न होना यह हेतु च्यास है, पक्ष में समाविष्ट नदी का ध्वनि, मेवगर्जना
आदि शब्दों में भी यह हेतु है (वे शब्द पदरूप नहीं होते) किन्तु तालु,
हॉठ आदि की क्रिया से उत्पन्न शब्दों में यह हेतु नहीं है (वे शब्द पदरूप

बपदात्मकत्व सर्वत्र व्याप्तमस्ति, पक्षरूपे नदीवोपजलधरनितदादौ च अपदात्मकत्वं विद्यते, तात्वोपुटव्यापारज्ञनिते शब्दे नास्ति। ननु पश्चेकदेशवर्तिना भागासिद्धत्वेन असिद्धभेदत्वात् तेषा किमर्थमत्र प्रयोग इति चेत् केवांचित् हेत्लासुभयदोपसद्भावप्रदर्शनार्थम् ॥

[३४ अनैकान्तिकमेदाः पक्षव्यापकाः]

विषयक्षेत्रपि वृत्तिमान् हेतुरनेकान्तिकः । तदमेदाः । पक्षत्रयव्यापको यथा—अनित्यः शब्दं प्रसेयत्वात् । पक्षरूपे शब्दे सर्वत्र प्रसेयत्वमस्ति, सपष्ठे घटपटादौ चास्ति, तथा नित्यरूपे विषये आकाशादौ च प्रसेयत्वं सर्वत्र व्याप्तम् । पक्षव्यापकः सपक्षविषयकदेशवृत्तिं यथा—अनित्य शब्दः अस्मदादिवाहे इन्द्रियत्राहत्वात् । पक्षरूपे शब्दे अस्मदादिप्रत्यक्षत्वं सर्वत्र व्याप्तमस्ति, अनित्यरूपे सपष्ठे घटपटादौ अस्ति, अनित्यरूपे होते हैं) (अत यह विषयक्षयापी पक्षैकदेशवृत्ति विसद्ध हेत्वाभास है) । यहा प्रश्न होता है कि जो हेतु पक्ष के एक भाग में ही होता है (अन्य भागों में नहीं होता) वह भागासिद्ध होता है, वह असिद्ध हेत्वाभास का प्रकार है, फिर यहा उस का प्रयोग क्यों किया है । उत्तर यह है कि कुछ हेतुओं में दोनों दोष (असिद्ध होना और विसद्ध होना) होते हैं यह वतलाने के लिए (ऐसे उदाहरण दिये हे) ।

पक्ष से व्यापक अनैकान्तिक हेत्वाभास :

जो हेतु विषय में भी विद्यमान होता है उसे अनैकान्तिक हेत्वाभास कहते हैं । उस के प्रकारों के उदाहरण इस प्रकार हैं । तीनों पक्षों में (पक्ष, सपक्ष तथा विषय में) व्याप्त होनेवाले अनैकान्तिक का उदाहरण-शब्द अनित्य है क्यों कि वह प्रसेय है । यहा शब्द इस पक्ष में सर्वत्र प्रसेय होना यह हेतु विद्यमान है, वट पट इत्यादि सपक्ष में भी यह विद्यमान है तथा आकाश इत्यादि जो नित्य हैं उन विषय के पदार्थों में भी प्रसेय होना सर्वत्र व्याप्त है । पक्ष में व्यापक तथा सपक्ष और विषय के एक भाग में रहनेवाले अनैकान्तिक का उदाहरण—शब्द अनित्य है क्यों कि वह हम जैसे लोगों के बाह्य इन्द्रियों द्वारा ज्ञात होता है । यहा शब्द इस पक्ष में हम जैसे लोगों को प्रत्यक्ष ज्ञात प्र.प्र.३

सपक्षे सुखादौ नास्ति, निन्यविपक्षरूपायां पृथिव्याम् अस्मद्वादिप्रत्यक्ष-
त्वमस्ति, तद्ग्रातपरमाणुपु नास्ति । पक्षमपद्धत्यापको विपक्षैकदेशावृत्ति-
र्यथा—गौरयं विपाणित्वात् । अयमिति पुरोवतिनि पक्षे विपाणित्वं
व्याप्तमस्ति, तथा सपक्षरूपेषु अन्यगोपु च विपाणित्वमस्ति, गवां
विपक्षरूपे महिपादौ च विपाणित्वं विद्यते, तेषां विपक्षरूपे खरनुरगादौ
विपाणित्वं न प्रकाशते । पक्षविपक्षव्यापकः सपक्षैकदेशावृत्तिः यथा—
नायं गौ. विपाणित्वात् । अयमिति पुरोभागिपक्षे विपाणित्वं व्याप्तमभूत् ।
गौर्न भवति महिपीत्यस्य विपक्षो गौर्भवतीति तत्रापि विपाणित्वं विद्यते ।
गौर्न भवतोत्यस्य सपक्षो महिष्यादिः तेषु च विपाणित्वं विद्यते, खरनुर-
गादौ नास्ति ॥

होना यह हेतु सर्वत्र व्याप्त है, सपक्ष में बट पट इत्यादि अनित्य पदार्थों में
वह है किन्तु सपक्ष के ही सुख इत्यादि अनित्य वस्तुओं में यह हेतु नहीं है
विपक्ष में नित्य पृथ्वी में हम जैसों को प्रत्यक्ष द्वारा ब्रात होना यह हेतु है,
किन्तु उसी पृथ्वी के परमाणुओं में यह हेतु नहीं है । पक्ष और सपक्ष में
व्यापक तथा विपक्ष के एक भाग में रहनेवाले अनैकान्तिक का उदाहरण—
यह बैल है क्यों कि इसे सींग है । यह इस शब्द द्वारा वर्णित जो सामने
प्रस्थित है उस प्राणी में अर्थात् पक्ष में सींग होना यह हेतु है, जो सपक्ष हैं
उन दूसरे बैलों में भी यह सींग होना विद्यमान है, बैलों के छिए विपक्ष ऐसे
मैंसे आदि में भी सींग होना यह हेतु है किन्तु उसी विपक्ष के गवे, घोडे
आदि प्राणियों में यह हेतु नहीं है । पक्ष और विपक्ष में व्यापक तथा सपक्ष
के एक भाग में रहनेवाले अनैकान्तिक का उदाहरण—यह बैल नहीं है क्यों
कि इसे सींग हैं । यहां यह इस शब्द द्वारा वर्णित आगे खडे हुए प्राणी
अर्थात् पक्ष में सींग होना यह हेतु व्याप्त है, जो बैल नहीं है उस मैंस का
विपक्ष बैल यही होगा, उस विपक्ष में भी सींग होना यह हेतु है, मैंस आदि
सपक्ष—जो बैल नहीं हैं उस में भी यह हेतु (सींग होना) विद्यमान है, किन्तु
सपक्ष में ही समाविष्ट (जो बैल नहीं हैं ऐसे) गवे, घोडे आदि में यह हेतु
नहीं है ।

[३५ अनैकान्तिकभेदाः पक्षैकदेशवर्तिनः]

पक्षत्रयैकदेशवृत्तिः यथा—अनित्या पृथिवी अस्मदादिवाहोन्द्रिय-
अत्यक्षत्वात् । पृथिव्यां पक्षस्तुपायाम् अस्मदादिप्रत्यक्षत्वमस्ति, तदगत-
परमाणुपु नास्ति । सपक्षरूपेऽनित्ये घटपटादौ अस्मदादिप्रत्यक्षत्वमस्ति
न सुखादौ । नित्यस्तुपे विपक्षे प्रध्वंसाभावे अस्मदादिप्रत्यक्षत्वं विद्यते,
कालात्माकाशादिपु नास्ति । पक्षसपष्ठैकदेशवृत्तिः विपक्षव्यापको यथा-
द्रव्याणि दिक्कालमनांसि अमूर्तत्वात् । पक्षरूपे दिक्काले अमूर्तत्वमस्ति,
मनसि नास्ति । सपक्षे आत्माकाशेषु विद्यते, द्रव्यरूपेषु घटादिपु अमूर्तत्वं
नास्ति । अद्रव्यस्तुपे प्रागभावप्रध्वंसाभावेतरेतराभावात्यन्ताभावे अभाव-
चतुष्पुये अमूर्तत्वं सर्वत्र व्यापम् । पक्षविपक्षैकदेशवृत्तिः सपक्षव्यापको
यथा—न द्रव्याणि दिक्कालमनांसि अमूर्तत्वात् । पक्षरूपे दिक्काले

यक्ष के एक भाग में रहनेवाले अनैकान्तिक हेत्वाभास

तीनों पक्षों के (पक्ष सपक्ष तथा विपक्ष के) एक भाग में रहनेवाले
अनैकान्तिक का उदाहरण—पृथ्वी अनित्य है क्यों कि वह हम जैसे लोगों के
बाह्य इन्द्रियों द्वारा प्रत्यक्ष जानी जाती है । यहा पृथ्वी इस पक्ष में हम जैसे
लोगों को प्रत्यक्ष जात होना यह हेतु है किन्तु इसी पक्ष में अन्तर्भूत पृथ्वी के
परमाणुओं में यह हेतु नहीं है । सपक्ष में जो अनित्य घटपट आदि है उन
में हमारे जैसे लोगों द्वारा प्रत्यक्ष जात होना यह हेतु है किन्तु सपक्ष के ही
सुख आदि में यह हेतु नहीं है । विपक्ष में जो प्रध्वंसाभाव आदि नित्य है
उन में यह हेतु अर्थात् हम जैसे लोगों द्वारा प्रत्यक्ष जात होना विद्यमान है
किन्तु काल, आत्मा, आकाश आदि नित्य पदार्थों में यह हेतु नहीं है । पक्ष
और सपक्ष के एकभाग में तथा विपक्ष में सर्वत्र रहनेवाले अनैकान्तिक का
उदाहरण—दिशा, काल और मन द्रव्य हैं क्यों कि वे अमूर्त हैं । यहा पक्ष में
शामिल दिशा और काल में अमूर्त होना यह हेतु है किन्तु मन में यह हेतु
नहीं है । आत्मा, आकाश आदि सपक्ष में यह हेतु (अमूर्त होना) है किन्तु
घट आदि जो द्रव्य हैं (अत एव सपक्ष हैं) उन में यह हेतु नहीं है ।
(विपक्ष में अर्थात्) जो द्रव्य नहीं हैं उन चार अभावों में—प्रागभाव,
प्रध्वंसाभाव, इतरेतराभाव एव अत्यन्ताभाव में—यह हेतु अर्थात् अमूर्त होना
सर्वत्र व्यापत है । पक्ष और विपक्ष के एक भाग में तथा सपक्ष में सर्वत्र

असूर्तत्वमस्ति, मनसि नास्ति । विषद्वे द्रव्यरूपे आन्माकाञ्जोऽसूर्तत्वमस्ति, वृषभदादौ नास्ति । सप्तद्वे अद्रव्यरूपेषु असावचतुर्षुयेषु असूर्तत्वं सर्वत्र व्याप्तम् । सप्तद्वे विषद्वे द्रव्यरूपेषु पश्चकदेशवृत्तिः यथा—न द्रव्याणि द्रिक्कालात्मागामनांसि आकाशविशेषगुणरहितत्वं सर्वत्र व्याप्तम् । सप्तद्वे द्रव्यरूपेषु असावचतुर्षुयेषु आकाशविशेषगुणरहितत्वं सर्वत्र व्याप्तम् । विषद्वे द्रव्यरूपेषु वृषभदाविषु च शब्दगुणरहितत्वं सर्वत्र व्याप्तम् । पश्चीमृतेषु सर्वेषु द्रिक्कालात्ममत्तु आकाशविशेषगुणरहितत्वमस्ति, जाग्रांते तद्वास्ति ॥

[३६. अक्षिचित्करः]

सिद्धे साध्यं हेतुर्व विचित्र करोतीति अक्षिचित्कर । तैजस-प्रदीप उप्णस्पर्शवत्त्वात् पावकदृढ़ ।

रहनेवाले अनैकान्तिक का उदाहरण — दिग्गा, काल और मन द्रव्य नहीं हैं क्यों कि वे असूर्त हैं । यहा पक्ष में शामिल दिग्गा और काल में असूर्त होना यह हेतु है किन्तु मन में नहीं है । जो द्रव्य है उन में अर्थात् विषद्वे में —वृषभ आदि में यह हेतु नहीं है, आत्मा, आकाश आदि में यह असूर्त होना विद्यमान है । जो द्रव्य नहीं है ऐसे चार प्रकार के अभावों में अर्थात् सप्तक में असूर्त होना यह हेतु सर्वत्र व्याप्त है । सप्तक और विषद्वे में नर्वत्र तथा पक्ष के एक भाग में रहनेवाले अनैकान्तिक का उदाहरण — दिग्गा, काल, आत्मा, आकाश, मन ये द्रव्य नहीं हैं क्यों कि ये आकाश के विशेष गुण से रहत हैं । यहा जो द्रव्य नहीं है ऐसे चार अभावों में अर्थात् सप्तक में हेतु अर्थात् आकाश के विशेष गुण से रहित होना सर्वत्र व्याप्त है । विषद्वे में जो द्रव्य हैं उन बृट पट आदि में भी यह हेतु अर्थात् शब्द गुण से रहित होना सर्वत्र व्याप्त है । पक्ष में शामिल दिग्गा, आत्मा, काल मन इन में यह हेतु है किन्तु आकाश में यह हेतु नहीं है ।

अक्षिचित्करः हेत्वाभास

जना साध्य पहले ही सिद्ध हो वहा हेतु कुछ भी नहीं करता अतः उस अक्षिचित्कर कहते हैं । जैसे — दीपक तेज से बना है क्यों कि वह अभि के नमान उप्णस्पर्श से युक्त है (वहा दीपक का तैजसु होना पहले ही सिद्ध है अतः उस के लिए उप्णस्पर्शयुक्त होना आदि हेतु चर्ये हैं — उन्हें अक्षिचित्कर झोना चाहिए) ।

[३७ अनध्यवसितः]

अनध्यवसितमेदास्तु - अविद्यमान सपक्षविपक्ष पदार्थार्थको वथा-
सर्वे क्षणिकं सत्त्वात्। क्षणिकाक्षणिकयोः सपक्षविपक्षयोः सर्वमित्यत्रैव
अन्तर्भावात् सत्त्वादित्यस्य हेतोः न तयोः प्रवृत्तिः। सर्वेषु आकाशवट-
पटादिषु पदार्थेषु सत्त्वादितीदं हेतुत्वं सर्वत्र व्यातमस्ति। अविद्यमानस-
पक्षविपक्षः पक्षैकदेशवृत्तिः वथा - सर्वमनित्यं कार्यत्वात्। अत्रापि
सपक्षविपक्षयोः अनित्यनित्ययोः सर्वमित्यत्रैव असेददर्शनात् न कार्यत्वस्य
पृथक् प्रवृत्तिः। अत एव पक्षे कचित् वटपटादौ कार्यत्वमस्ति आत्मादिषु
नास्ति। विद्यमानसपक्षविपक्षः पक्षव्यापको वथा - अनित्यः शब्दः
आकाशविग्रेषगुणत्वात्। सपक्षविपक्षस्येषु वटपटात्मकालेषु प्राग-
भावोऽनित्य सपक्षे प्राचं साभाव विपक्षे सर्वत्र आकाशविग्रेषगुणाभावः
स्वीकृते शब्दे सर्वत्र आकाशविग्रेषणगुणत्वं व्यातं समस्ति। विद्यमानस-

अनध्यवसित हेत्वाभास

इस के प्रकार निम्नलिखित हैं। पक्ष में व्यात किन्तु सपक्ष तथा
विपक्ष ने रहित अनध्यवसित का उदाहरण - सब पदार्थ क्षणिक हैं क्यों
कि उन का अस्तित्व है। यहाँ जो क्षणिक हैं वे पदार्थ सपक्ष होंगे तथा जो
क्षणिक नहीं है वे विपक्ष होंगे किन्तु इन दोनों का सब पदार्थ इस पक्ष में
ही अन्तर्भाव हो जाता है अत अस्तित्व होना यह हेतु सपक्ष या विपक्ष में
प्रवृत्त नहीं हो सकता। आकाश, वट, पट आदि जिनने पदार्थ हैं उन सब
में अस्तित्व होना यह हेतु सर्वत्र व्यात है। जिस में सपक्ष और विपक्ष नहीं हैं
तथा जो पक्ष के एक भाग में है ऐसे अनध्यवसित का उदाहरण - सब
पदार्थ अनित्य हैं क्यों कि वे कार्य हैं। यहाँ भी अनित्य पदार्थ सपक्ष होंगे
तथा नित्य पदार्थ विपक्ष होंगे किन्तु इन दोनों का सब पदार्थ इस पक्ष में
ही अन्तर्भाव होने से कार्य होना यह हेतु अलग से सपक्ष या विपक्ष में
प्रवृत्त नहीं हो सकता। यहाँ पक्ष में कहीं कहीं वट, पट आदि में कार्य
होना यह हेतु है, आत्मा आदि पदार्थों में यह हेतु नहीं है। पक्ष में व्यापक
तथा सपक्ष और विपक्ष से युक्त अनध्यवसित का उदाहरण - शब्द अनित्य
है क्यों कि वह आकाश का विशेष गुण है। यहा वट, पट आदि सपक्ष हैं,

पक्षविपक्षः पक्षैकदेशवृत्ति. यथा - सर्वे द्रव्यमनित्यं क्रियावत्त्वात्। सपक्षविपक्षरूपयोः प्रागभावप्रध्वंसाभावयो सतोरपि तत्र क्रियावत्त्वादिति हेतोरप्रवृत्ति । पक्षरूपेषु घटपटादिपु क्रियावत्त्वमस्ति, आकाशादिपु नास्ति । अविद्यमानविपक्ष विद्यमानस पक्षः पक्षव्यापको यथा - सर्वे कार्यं नित्यम् उत्पत्तिधर्मकत्वात् । सर्वमित्यस्य विपक्षाभाव । सपक्षस्य प्रध्वंसाभावस्य विद्यमानत्वेऽपि हेतोरुत्पत्तिधर्मकत्वस्याप्रवृत्तिः । सर्वमिति पक्षीकृते घटपटादौ उत्पत्तिधर्मकत्वं व्याप्तमन्ति । अविद्यमानविपक्षः विद्यमानसपक्षः पक्षैकदेशवृत्तिर्था - सर्वे कार्यं नित्यं सावयवत्त्वात् । पूर्ववत् सर्वमित्यस्य विपक्षाभावः । सपक्षे प्रध्वंसाभावे सत्यपि सावयवत्त्वाभावः

आत्मा, काल आदि विपक्ष हैं, इन दोनों में आकाश का विशेष गुण होना यह हेतु नहीं है । इसी प्रकार सपक्ष में शामिल प्रागभाव अनित्य होता है उस में तथा विपक्ष में शामिल प्रध्वंसाभाव नित्य होता है उस में भी यह हेतु नहीं है । (पक्ष के स्वयं में) स्वीकृत शब्द में सर्वत्र आकाश का विशेष गुण होना यह हेतु व्याप्त है । सपक्ष और विपक्ष के होते हुए पक्ष के एक भाग में रहनेवाले अनश्ववसित का उदाहरण - सब द्रव्य अनित्य हैं क्यों कि वे क्रिया से युक्त हैं । यहाँ प्रागभाव यह स्पष्ट है (क्यों कि वह अनित्य है) तथा प्रध्वंसाभाव यह विपक्ष है (क्यों कि वह नित्य है) किन्तु इन दोनों में क्रियायुक्त होना यह हेतु नहीं पाया जाता । यहाँ पक्ष में शामिल घट, पट आदि में क्रियायुक्त होना यह हेतु है परन्तु आकाश आदि में (वे द्रव्य हैं तथापि) यह हेतु नहीं पाया जाता । जिस में विपक्ष न हो, सपक्ष हो तथा जो पक्ष में व्यापक हो ऐसे अनश्ववसित का उदाहरण - सब कार्यं नित्य हैं क्यों कि उत्पत्ति यह उन का धर्म है । यहाँ सब कार्य यह पक्ष है अतः इस में विपक्ष नहीं हो सकता । यहाँ प्रध्वंसाभाव यह स्पष्ट है (क्यों कि वह नित्य है) तथापि इस में उत्पत्ति हाना यह हेतु नहीं पाया जाता । पक्ष में शामिल सब कार्यों में - घट, पट आदि में उत्पत्ति होना यह हेतु व्याप्त है । जिस में विपक्ष न हो, सपक्ष हो तथा जो पक्ष के एक भाग में विद्यमान हो ऐसे अनश्ववसित का उदाहरण - सब कार्यं नित्य हैं क्यों कि वे अवयवसहित हैं, यहाँ पूर्वोंका उदाहरण के समान ही सब कार्य यह पक्ष

कार्यरूपे घटादौ सावयवत्वं विद्यते, कार्यरूपे प्रध्वंसाभावे नित्यत्वे विद्यमानेऽपि सावयवत्वं नास्ति ॥

[३८. कालात्ययापदिष्टः]

कालात्ययापदिष्टस्तु कथ्यते । पक्षे साध्यस्य वाधा प्रत्यक्षानुमानागमलोकस्ववचनैः । तत्र प्रत्यक्षवाधा - अग्निः अनुष्णः द्रव्यत्वात् जलवत् । अनुमानवाधा - अनित्यः परमाणुः मूर्तत्वात् घटवत् इत्युपजीवकानुमानं नित्यः परमाणुः अविभागित्वात् आत्मवत् इत्युपजीव्यानुमानेन वाध्यते । यत्रानुमानयोः उपजीव्योपजीवकभावे सति विरोधः तत्रोपजीव्यानुमानेन

होने से विपक्ष का अस्तित्वही नहीं हो सकता । सपक्ष प्रध्वंसाभाव है किन्तु उस में अवयवसहित होना यह हेतु नहीं है । पक्ष में शामिल कार्यों में घट, पट आदि में अवयवसहित होना यह हेतु है किन्तु प्रध्वंसाभाव इस कार्य में नित्य होने पर भी अवयवसहित होना यह हेतु नहीं पाया जाता ।

कालात्ययापदिष्ट हेत्वाभास

अब कालात्ययापदिष्ट हेत्वाभास का वर्णन करते हैं । (जिस का साध्य वाधित हो उस हेतु को कालात्ययापदिष्ट हेत्वाभास कहते हैं यह ऊपर वता चुके हैं) । पक्ष में साध्य के वाधित होने के पाच प्रकार हैं - प्रत्यक्ष से अनुमान से, आगम से, लोकरीति से तथा अपने ही कथन से । प्रत्यक्ष से वाधित साध्य का उदाहरण है - अग्नि उष्ण नहीं है क्यों कि वह द्रव्य है जैसे जल (यहाँ अग्नि का उष्ण न होना यह साध्य प्रत्यक्ष से वाधित है) । अनुमान से वाधित साध्य का उदाहरण - परमाणु अनित्य है क्यों कि वह मूर्त है जैसे घट । यहाँ परमाणु के अनित्य होने का अनुमान उपजीवक है ! परमाणु नित्य है क्यों कि वह अविभागी है जैसे आत्मा - इस उपजीव्य अनुमान से उपर्युक्त उपजीवक अनुमान वाधित होता है । जहाँ दो अनुमानों में एक उपजीवक तथा दूसरा उपजीव्य हो तथा उन में विरोध हो वहाँ उपजीव्य अनुमान के द्वारा उपजीवक अनुमान वाधित होता है । जहाँ (अनुमानों में उपजीव्य-उपजीवक संवंध न होते हुए) केवल विरोध हो वहाँ उसे प्रकरणसमा जाति समझना चाहिए । विरोधी अनुमान से आक्षेप उपस्थित करना यह प्रकरणसमा जाति है (किन्तु यह जाति अर्थात् झूठा दूषण

उपजीवकानुमालं वाध्यते । यत्र केवलं विद्येयः तत्र प्रत्यनुमालिन् प्रत्यवर्थान् प्रकरणसमा जातिरेख न तु वाध्या । यत्र केवलयुष्मीदोपजीवकभाव तत्रोपजीवगानुमालं लाभक्षेत्र न तु वाध्यकम् । जागमवाद्या-प्रत्याकुलप्रदो धर्म पुरुषाधितत्वात् अधर्मवत् । लोकवाद्या-नरविद्या शुचिः नरशरीरजन्वात् स्वतन्त्रीखदिति । श्वववनवाद्या-माता मे वन्ध्या पुरुषलंबोगेऽपि धर्मस्त्वात् प्रसिद्धवन्ध्यावदिति ॥

[३९ प्रकरणममः]

प्रकरणसमो यथा - अनित्य शब्दः पञ्चसप्तश्चोरन्पत्रस्त्वात् सप्तश्चवदित्युक्ते नित्य शब्दः पञ्च उपत्रश्चोरन्पत्रस्त्वात् सप्तश्चवदिति । एतद् अनैकान्तिकान्वार्यान्तरम् । विषेऽपि त्रुत्तिमस्यान् उपयत्र वर्णमि-

है) यह वास्तविक वाचा नहीं है । जहां दो अनुमानों में (विरोध न होने हुए) एक उपजीव तथा दूसरा उपजीवक हो वहां उपजीव अनुमान (उपजीवक अनुमान का) साधक ही होता हैं, साधक नहीं होता । आगम से वाधित साध्य का उदाहरण - वर्म मृत्यु के बाद दुःख ढाना है क्यों कि वह पुरुष पर अधिन है, जैसे अधर्म (यहां मृत्यु के बाद धर्म दुःख देता है यह साध्य आगम से वाधित है) । लोकरीति से वावित साध्य का उदाहरण - पुरुष का मल पवित्र है क्यों कि वह पुरुष के गरीर से निकलता है जैसे माता का दूध (यहा मल का पवित्र होना यह साध्य लोकरीति से वाधित है) । अपने ही वाक्य से वावित साध्य का उदाहरण - मेरी माता वन्ध्या है क्यों कि पुरुष के सर्वेष के बाद भी उसे गर्भ नहीं रहता, जैसे अन्य वन्ध्याएं (यहां मेरी माता इस कथन से ही वन्ध्या होना यह साध्य वाधित है) ।

अकरणसम हेत्वाभासम्

इस का उदाहरण-निम्नालिखित है - शब्द अनित्य है क्यों कि वह पक्ष या सपक्ष में से एक है । यहा यह भी कह जा सकता है कि ग्रन्थ नित्य है क्यों कि वह पक्ष या सपक्ष में ने एक है (तापर्य, यह हेतु पञ्च के साध्य के लिए और उस के विस्त्र साध्य के लिए - दोनों प्रकरणों के लिए समान है) । यह हेत्वाभास अनैकान्तिक से भिन्न नहीं है क्यों कि यह

चारित्वाद्य । किं च. पक्षधर्मत्वं सपक्षे सत्त्वं विपक्षात् व्यावृत्तिं त्रैस्प्यम् । तत्र हेतोः विपक्षात् व्यावृत्तिः निश्चिता चेत् विपक्षे त्रैस्त्वाभावो निश्चित एव । तदव्यावृत्तिनिश्चये स्वपक्षे त्रैस्त्वाभावो निश्चितः स्वादिति न कस्यापि हेतो उभयत्र त्रैस्त्वाभावो नाशदीति । अय पक्षसपक्षयोरन्यतरत्वादिति पक्षत्वादिति अस्य हेतोः उभयत्र त्रैस्त्वाभावो नाशदीति इति चेत् । तदसंभवात् । तथाहि । - पक्षसपक्षयोरन्यतरत्वादिति पक्षत्वादित्यमिप्रायः सपक्षत्वादिति वा । आत्रे पक्षत्वादित्यस्य हेतोः सपक्षे अभावात् सपक्षे सत्त्वाभावेन त्रैस्त्वाभावः । द्वितीये सपक्षत्वादित्यस्य हेतोः पक्षे अलत्येन पक्षधर्मत्वाभावात् त्रैस्त्वाभाव । तथापि श्रोतृगां द्युःपरर्थं पृथक् निस्तप्णं प्रकरणसमस्य ॥

विपक्ष में भी विद्यमान होता है तथा (सपक्ष और विपक्ष) दोनों में अनियमित रूप से पाया जाता है (— व्यभिचारी है) । पक्ष का धर्म होना, सपक्ष में होना तथा विपक्ष में न होना ये हेतु के तीन रूप (आवश्यक गुण) हैं । यदि विपक्ष में हेतु नहीं है यह निश्चित हो तो उस हेतु के विपक्ष में ये तीन रूप नहीं होंगे यह निश्चित है । तथा यदि विपक्ष में हेतु का अभाव नहीं है (विपक्ष में भी हेतु पाया जाता है) यह निश्चित हो तो स्वपक्ष में इन तीन रूपों का अभाव निश्चित होता है । अत. किसी भी हेतु के तीनों रूप (पक्ष और विपक्ष) दोनों में घटित नहीं होते । उपर्युक्त उदाहरण में पक्ष ओर सपक्ष में से एक होना इस हेतु का तात्पर्य-पक्ष होना यह हो तो दोनों पक्षों में हेतु के तीनों रूप संभव हैं यह कथन भी उचित नहीं क्यों कि यह असम्भव है । पक्ष और सपक्ष में से एक होना इस पक्ष का तात्पर्य पक्ष होना यह होगा अथवा सपक्ष होना यह होगा । पहले पक्ष में पक्ष होना यह हेतु सपक्ष में नहीं हो सकता अत. उस के तीन रूपों में सपक्ष में होना इस एक रूप की कमी होगी । इसी प्रकार सपक्ष होना यह हेतु मानें तो वह पक्ष में न होने से पक्षधर्म होना इस रूप का अभाव होगा और इस प्रकार भी तीन रूप नहीं हो जायेंगे । (इस प्रकार प्रकरणसम का अनैकान्तिक से भिन्न अस्तित्व नहीं है) तथापि श्रोताओं के ज्ञान के लिए यहाँ प्रकरणसम हेत्वाभास का अलग से वर्णन किया है ।

[४०. अन्वयदृष्टान्ताभासाः]

दृष्टान्ताभासा अन्वये साध्यन्नाधनोभयविकला आश्रयहीनाप्रदर्शित-
व्याप्तिविपरीतव्याप्तयथ । व्यतिरेके साध्यन्नाधनोभयाव्यावृत्ता आश्रय-
हीनाप्रदर्शितव्याप्तिविपरीतव्याप्तयथ । उदाहरणम् - नित्यः शब्दः
अमूर्तत्वात् यद् यदमूर्तं तत् तद्वित्यं यथेन्द्रियसुखम् इत्युक्ते साध्य-
विकलः । यथा परमाणुरित्युक्ते साधनविकलः । यथा पट इत्युक्ते उभय-
विकलः । यथा खपुष्पमित्युक्ते आश्रयहीनः । आकाशविद्वित्युक्ते अप्रदर्शित-
व्याप्तिः । वित्यं तदमूर्तं यथा व्योम इत्युक्ते विपरीतव्याप्तिकः ॥

अन्वयदृष्टान्ताभास

अन्वय-दृष्टान्त के आभास छह प्रकार के हैं - साध्यविकल, साधन-
विकल, उभयविकल, आश्रयहीन अप्रदर्शितव्याप्ति तथा विपरीतव्याप्ति ।
व्यतिरेक-दृष्टान्त के आभास भी छह प्रकार के हैं - साध्याव्यावृत्त, साधना-
व्यावृत्त, उभयाव्यावृत्त, आश्रयहीन, अप्रदर्शितव्याप्ति, तथा विपरीतव्याप्ति ।
अन्वयदृष्टान्ताभासों के उदाहरण इस प्रकार हैं - शब्द नित्य है क्यों कि
वह अमूर्त है, जो अमूर्त होता है वह नित्य होता है । जैसे इन्द्रियों से प्राप्त
सुख है इस अनुमान में दृष्टान्त साध्यविकल है (नित्य होना यह साध्य
ईन्द्रियसुख इस दृष्टान्त में नहीं है) इसी अनुमान में परमाणु का उदाहरण
साधनविकल होगा (अमूर्त होना यह साधन परमाणु इस दृष्टान्त में नहीं
है) । घट का दृष्टान्त उभयविकल होगा (इस में नित्य होना यह साध्य
और अमूर्त होना यह साधन दोनों नहीं है) । आकाशपुष्प का दृष्टान्त
आश्रयहीन होगा (आकाशपुष्प का अस्तित्व ही नहीं है अतः उस में साध्य
या साधन नहीं हो सकते) । जो अमूर्त है वह नित्य होता है इस व्याप्ति
को न बतलाते हुए केवल) जैसे आकाश है यह कहा तो अप्रदर्शितव्याप्ति
दृष्टान्ताभास होगा । जो नित्य है वह अमूर्त होता है जैसे आकाश है ऐसा-
कहा हो तो वह विपरीतव्याप्ति दृष्टान्ताभास होगा 'यहा जो अमूर्त होता है
वह नित्य होता है ऐसी व्याप्ति बतलानी चाहिए क्यों कि नित्यत्व साध्य है,
जो नित्य होता है वह अमूर्त होता है यह इस के उलटी व्याप्ति है अतः यह-
विपरीतव्याप्ति दृष्टान्ताभास है) ।

[४१. व्यतिरेकदृष्टान्ताभासाः]

व्यतिरेके यत् न नित्यं तत् नामूर्ते यथा परमाणुरित्युके साध्याव्यावृत्तः। यथोन्द्रियसुखम् इत्युके साधनाव्यावृत्तः। यथा व्योमेत्युके उभयाव्यावृत्तः। यथा खण्डपमित्युके आश्रयहीनः। पटवत् इत्युके अप्रदर्शितव्याप्तिः। यज्ञामूर्ते दत् न नित्यं यथा घट इत्युके विपरीतव्याप्तिकः॥

[४२. दृष्टान्ताभासानां व्यासित्वैकलयम्]

तत्रान्वये साध्यविकला व्यतिरेके साधनाव्यावृत्ताश्च व्याप्तिरहितानान्ये। तेषां साध्यरहिते धर्मिणि साधनप्रदर्शकत्वाभावात्। तथा हि।

व्यतिरेक दृष्टान्ताभास

व्यतिरेक दृष्टान्ताभासों के उदाहरण इस प्रकार हैं—जो नित्य नहीं होता—वह अमूर्त नहीं होता जैसे परमाणु इस अनुमान में दृष्टान्त साध्याव्यावृत्त है (नित्य होना इस माध्य से परमाणु यह दृष्टान्त व्यावृत्त नहीं है क्यों कि परमाणु नित्य होता है)। इसी अनुमान में इन्द्रियसुख का उदाहरण साधनाव्यावृत्त होगा (अमूर्त होना इस साधन से इन्द्रियसुख व्यावृत्त नहीं है, सुख अमूर्तहीं होता है)। आकाश का दृष्टान्त उभाव्यावृत्त होगा (नित्य होना यह साध्य तथा अमूर्त है ना यह साधन दोनों से आकाश यह दृष्टान्त व्यावृत्त नहीं है, वह नित्य भी है और अमूर्त भी)। आकाशपुण्य का दृष्टान्त आश्रयहीन होगा (इस का अस्ति व ही न होने से साध्य या साधन का संबंध ही नहीं हो सकता)। वस्त्र का दृष्टान्त अप्रदर्शितव्याप्तिक होगा (इस में जो नित्य नहीं वह अमूर्त नहीं इस व्याप्ति को न बतला कर केवल ‘जैसे वस्त्र’ इतना कहा गया है—व्याप्ति प्रदर्शित नहीं की गई है)। जो अमूर्त नहीं होता वह नित्य नहीं होता जैसे घट—यह दृष्टान्त विपरीतव्याप्तिक होगा (जो व्याप्ति का वाक्य होना चाहिए उसके ठीक उलटा वाक्य यहां प्रयुक्त किया है)।

दृष्टान्ताभासों में व्याप्ति की विकलता

उपर्युक्त दृष्टान्ताभासों में अन्वय में साध्यविकल दृष्टान्ताभास तथा व्यतिरेक में साधनाव्यावृत्त दृष्टान्ताभास ये दो ही व्याप्ति से रहित होते हैं—

साधनविकलसाध्यावृत्तयोः सपक्षत्वात् तत्र कविदपवृत्तस्यापि धूमा-
देव्यातिर्कल्याभावात् । सपक्षे सर्वत्राग्रवृत्तस्य विहृदत्वेन अनध्यवृत्ति-
तत्वेनैव वा व्यातिर्वैकल्यनिश्चयो लान्यथा । उभयविकले साध्यव्यावृत्तम्
साधनव्यावृत्तिदर्शनात् व्यातिरिक्तयो न तद्वैकल्यम् । उभयाव्यावृत्ते
साध्यव्यानसाधनप्रतिपक्षेः तत्रापि तथा । आश्रयहेति आश्रयाभावात्
आश्रयिणो साध्यसाधनयोरप्यभावात् व्यातिरिक्तयो न तद्वैकल्यम् ।
अपरौ वचनदोपाविति सर्वेऽपि प्रत्यपीडन् ततो न व्यातिर्वैकल्याव-
चोधहेतु ॥

अन्य दृष्टान्ताभास व्याति से रहित नहीं होते । अन्य दृष्टान्ताभासों में धर्मी
साध्य से रहित होता है अतः उस में साधन वत्ताने की समावता नहीं
होती । इसी को स्पष्ट करते हैं । (अन्य में) साधनविकल तथा (व्यतिरेक
में) साध्यव्यावृत्त ये दृष्टान्ताभास सपक्ष होते हैं, और सपक्ष में कहीं कहीं
धूम आदि (हेतु) न भी हों तो भी उतने से व्याति का अभाव सिद्ध नहीं
होता । व्याति के अभाव का निश्चय तत्र होता है जब हेतु सपक्ष में कहीं
भी न हो अथवा विकृत हो (विपक्ष में ही हो) अथवा अनव्यवसित हो
(सपक्ष और विपक्ष दोनों में हो) । जो दृष्टान्त उभयविकल है (साधन-
विकल भी है और साध्यविकल भी है) उस में तो व्याति का निश्चय ही
होगा — व्याति का अभाव ज्ञात नहीं होगा — क्यों कि वह साध्य के न
होने पर साधन का न होना ही देखा जाना है । इसी प्रकार उभयाव्यावृत्त
(नाधनाव्यावृत्त होने हुए साध्याव्यावृत्त), दृष्टान्ताभास में भी व्याति का
निश्चय ही होगा क्यों कि वह ज्ञान साधन है वहा नाधन है इस प्रकार
व्याति ही ज्ञात होगी । आश्रयहीन दृष्टान्ताभास में आश्रय के ही न होने से
उस में आश्रित साध्य और साधन दोनों का अभाव ज्ञात होगा, इस तरह
भी व्याति का निश्चय ही होगा, व्याति के अभाव का ज्ञान नहीं होगा ।
अप्रदर्शितव्यातिरिक्त तथा विपरीत व्यातिक ये दो दृष्टान्ताभास तो वाक्य के दोप
हैं यह सभी मानते हैं अतः वे व्याति के अभाव का निश्चय नहीं करते यह भी
स्पष्ट है (इन दो दृष्टान्ताभासों में व्याति गलत नहीं होती, केवल उस को
प्रस्तुत न करना या उछटा प्रस्तुत करना यह दोप होता है) ।

[४३. तर्कः]

व्याप्तिवलेन परस्यानिष्टापादनं तर्कः । स च आत्माश्रय इतरेतरा-
श्रयश्चक्त्राश्रय अनवस्था अतिप्रसङ्ग इति पञ्चप्रकारः । स्वस्य रवयमेवो-
त्पादक इन्द्रुके उत्पत्तिपद्धे आत्माश्रय । माया कुतः उत्पद्यते स्वत
एवेत्यादि । स्वस्य स्वयमेव ब्रापक इन्द्रुके जप्तिपद्धे आत्माश्रय । ब्रह्म
केन ज्ञायते स्वेत्येत्यादि । हयोः पररपरसुन्पादकत्वे उत्पत्तिपद्धे इतरे-
तराश्रयः । माया कुत उत्पद्यते अविद्यात् , अविद्या कुत उत्पद्यते मायात
इत्यादि । हयोः पररपर ब्रापकत्वे जप्तिपद्धे इतरेतराश्रयः । आत्मा केन
ज्ञायते ज्ञानेन, ज्ञानं केन ज्ञायते आत्मनेत्यादि । व्याद्यष्टात्तात्तां परस्पर-
मुत्पादकत्वे उत्पत्तिपद्धे चक्रकाश्रयः । जीवः कस्माज्ञायने अविद्यात् .

तर्क

व्याप्ति के बल से प्रतिपक्षी के लिए अनिष्ट वात को सिद्ध करना तर्क
कहलाता है । उस के पाच प्रकार हैं – आत्माश्रय, इतरेतराश्रय, चक्रकाश्रय,
अनवस्था तथा अतिप्रसंग । (कोई पदार्थ) अपनी उत्पत्ति स्वय करता है
ऐना कहने पर उत्पत्ति की दृष्टि से आत्माश्रय होता है, जैसे माया कहा से
उत्पन्न होती है (यह पूछने पर कहना कि) स्वय ही उत्पन्न होती है ।
अपना ज्ञान स्वय कराता है यह कहने पर ज्ञान की दृष्टि से आत्माश्रय होता है,
जैसे – ब्रह्म किस से जाना जाता है (यह पूछने पर कहना कि) स्वय ही
जाना जाता है । दो पदार्थ एक दूसरे के उत्पादक हैं ऐसा कहने पर उत्पत्ति
की दृष्टि से इतरेतराश्रय होता है, जैसे – माया कहा से उत्पन्न होती है (यह
पूछने पर कहना कि) अविद्या से (उत्पन्न होती है) तथा अविद्या कहा से
उत्पन्न होती है (यह पूछने पर कहना कि) माया से (उत्पन्न होती है) ।
दो पदार्थ एक दूसरे का ज्ञान कराते हैं यह कहने पर ज्ञान की दृष्टि से
इतरेतराश्रय होता है, जैसे – आत्मा का ज्ञान किस से होता है (यह पूछने
पर कहना कि) ज्ञान से (आत्मा जाना जाता है) तथा ज्ञान किस से
जाना जाता है (यह पूछने पर कहना कि) आत्मा द्वारा (ज्ञान जाना जाता
है) । तीन से ले कर आठ तक वस्तुएँ एक दूसरे की उत्पादक हैं ऐसा कहने
पर उत्पत्ति की दृष्टि से चक्रकाश्रय होता है, जैसे – जीवः किस से उत्पन्न

अविद्या कुतो जायते मायातः, माया कस्माद्जायते संस्कारात्, संस्कारः कस्माद्जायते जीवात्, जीवः कस्माद्जायते इत्यादि । व्याद्यष्टान्तानां परस्परं ज्ञापकत्वे ज्ञतिपक्षे चक्रकाश्रयः । पावक केन ज्ञायते धूमेन, धूमः केन ज्ञायते मेघेन, मेघः केन ज्ञायते अशनिना, अशनिं केन ज्ञायते पावकेनेत्यादि । उत्पादकज्ञापकप्रक्षयोः अपरितिष्ठा अनवस्था । सस्पं कस्माद्जायते वीजात्, वीजं कस्माद्जायते प्राकृतनसस्यात्, तदपि कुत्र आकृतनवीजात् इत्यादि उत्पत्तिपक्षे अनवस्था । ज्ञानं केन ज्ञायते अनुव्यवसायेन, सोऽपि केन ज्ञायते अपरानुव्यवसायेन, सोऽप्यपरेणेति ज्ञति-

होता है (यह पूछने पर कहना कि) अविद्या से, अविद्या किस से उत्पन्न होती है (यह पूछने पर कहना कि) माया से, माया किस से उत्पन्न होती है (यह पूछने पर कहना कि) संस्कार से, संस्कार किस से उत्पन्न होता है (यह पूछने पर कहना कि) जीव से, फिर जीव किस से उत्पन्न होता है (तो उत्तर वही होगा - अविद्या से) । तीन से ले कर आठ तक वस्तुएं एक दूसरे का ज्ञान कराती हैं ऐसा कहने पर ज्ञान की दृष्टि से चक्रकाश्रय होता है, जैसे - अग्नि कैसे जाना जाता है (तो उत्तर है) धुंए से, धुंआ कैसे जाना जाता है (तो उत्तर है) वाढ़ल से, वाढ़ल कैसे जाना जाता है (तो उत्तर है) विजली से, विजली कैसे जानी जाती है (तो फिर उत्तर होगा) अग्नि से । उत्पादक अथवा ज्ञान कराने वाले के बारे में प्रक्ष समाप्त ही न होना यह अनवस्था होती है, जैसे - फसल कहां से उत्पन्न होती है (तो उत्तर है) बीज से, बीज कहा से उत्पन्न होता है (तो उत्तर है) उस के पहले की फसल से, वह (फसल) कहां से उत्पन्न हुई थी (तो उत्तर होगा) उस के पहले के बीज से - इस प्रकार उत्पत्ति की दृष्टि से अनवस्था होती है । ज्ञान कैसे जाना जाता है (तो उत्तर है) अनुव्यवसाय से (ज्ञान को जाननेवाले ज्ञान से), वह (अनुव्यवसाय) कैसे जाना जाता है (तो उत्तर है) दूसरे अनुव्यवसाय से (ज्ञान को जाननेवाले ज्ञान को जाननेवाले ज्ञान से) वह (दूसरा अनुव्यवसाय) भी तीसरे (अनुव्यवसाय) से (ज्ञान जाता है) इस प्रकार ज्ञान की दृष्टि से अनवस्था होती है । जो व्याप्य और व्यापक प्रसिद्ध हैं उन में व्याप्य का स्वीकार करने पर व्यापक का

प्रक्षेष अनवस्था । प्रसिद्धव्याप्त्यव्यापकयोः मध्ये व्याप्त्याङ्गीकारे व्यापकाङ्गीकारप्रसञ्जमतिप्रसंग । मायावादिभिः ब्रह्मस्वरूपस्य आन्तिविषयस्य च अमातुरवेद्यत्वाङ्गीकारे ब्रह्मस्वरूपमसत् प्रमातुरवेद्यत्वाद् रज्जुसर्पवत्, रज्जुसर्पादि सदूर्प्र प्रमातुरवेद्यत्वाद् ब्रह्मस्वरूपवदित्यादि ॥

[४४. तर्कदोषाः]

मूलशैथिल्यं मिथोविरोध इष्टापादनं विपर्ययेऽपर्यवसानमिति तर्क-दोषाश्चत्वार । तत्र तर्कस्य मूलभूतव्याप्तेव्यभिचारो मूलशैथिल्यम् । अनिष्टापादकव्यासे आपाद्यानिष्टस्य च विरोधो मिथोविरोधः । आपाद्यानिष्टवृध्म परस्येष्टश्चेत् इष्टापादनम् । व्याप्त्या परस्यानिष्टमापाद्य तद्विपर्यये पर्यवसानाकरणं विपर्ययेऽपर्यवसानम् ॥

भी स्त्रीकार करना पडेगा यह कथन अतिप्रसग होता है, जैसे — मायावादी यह स्त्रीकार करते हैं कि ब्रह्म का स्वरूप प्रमाता द्वारा जाना नहीं जा सकता तथा भ्रम का विपर्य भी प्रमाता द्वारा जाना नहीं जा सकता, इस पर यह कहना कि ब्रह्म का स्वरूप प्रमाता द्वारा नहीं जाना जाता अतः वह रस्सी में प्रतीत होनेवाले सर्प के समान असत् हैं, अथवा रस्सी में प्रतीत होनेवाले सर्प आदि सत् हैं क्यों कि वे भी ब्रह्म के स्वरूप के समान ही प्रमाता द्वारा जाने नहीं जाते (यह अतिप्रसग कहलाता है) ।

तर्क के दोष

तर्क के चार दोष होते हैं — मूलशैथिल्य, मिथ. विरोध, इष्टापादन तथा विपर्यय में अपर्यवसान । तर्क की मूलभूत व्याति गलत होना यह मूल में शिथिलता नाम का पहला दोष है । (प्रतिपक्षी के लिए) अनिष्ट वात को सिद्ध करनेवाली व्याति में तथा (उस व्याति से) सिद्ध होनेवाली अनिष्ट वात में (परस्पर) विरोध होना यह मिथः विरोध नाम का दूसरा दोष है । सिद्ध किया जानेवाला अनिष्ट गुण यदि प्रतिपक्षी को इष्ट ही हो तो वह इष्टापादन नाम का तीसरा दोष होता है । व्याति के द्वारा प्रतिपक्षी के लिए अनिष्ट वात को वतला कर फिर उस की विरुद्ध वात को पूरा न करना यह विपर्यय में अपर्यवसान नाम का चौथा दोष होता है ।

[४५. छलम्]

साधनाद् दृपणाद् वस्मात् न म्याद् पद्मसद् निश्चयः ।
 तथं रम्यतरत्यासौ नवाभासः प्रकीर्त्यते ॥ ५ ॥
 छलाद्यस्तद्राम्यना तदुचिजाताद् त्राते न च ।
 वर्जनाद् भावने द्वैराणं रववाक्यपरवाक्ययोः ॥ ६ ॥
 तदस्तेऽपि तिर्णायन्ते वालानां प्रतिषुद्धये ।
 आपाद्याथीन्तरं वाक्यविद्वातः छलमुच्यते ॥ ७ ॥
 तच्च वाक्यलं सामान्यद्वलमुपचारछलमिति त्रिविधम् ॥

[४६. वाक्यछलम्]

अनेकवाचके शब्दे प्रयुक्ते अजुवादिना ।
 वक्तुर्मनस्थादन्यस्य प्रतिदेशो हि वाक्यछलम् ॥ ८ ॥

उदाहरणम्—आद्योऽयं नवकश्वलत्वात् इति समझसोऽवधीत् । तत्र
 छलवादी प्रत्यारवत् त्रुतोऽस्य नव कम्बला इति । प्रत्यग्रकश्वलसम्बन्धित्वं

छल

जिस साधन से व दूषण से दो पक्षों में एक का निश्चय न हो वह साधनभास व दृपणभास कहलाता है । छल इन्यादि ये साधनभास व दृपणभास हैं उनको जान दिना अपने वाक्यों से उन्हें दूर रखना और प्रतिवादी के वाक्यों में उन्हें पहचानना संभव नहीं है । अत अंजानी शिष्यों को समझाने के लिए उन का भी वर्णन करते हैं ।

(वक्ता के इष्ट अर्थ को छोड़ कर) दूसरं ही अर्थ की कल्पना कर के बात काटना यह छल कहलाता है । इस के तीन प्रकार हैं— वाक्यछल, सामान्यछल तथा उपचारछल ।

वाक्यछल

सरल भावना से द्रुत वादी द्वारा अनेक अयों के वाचक किसी शब्द का प्रयोग किये जाने पर उस के मन में विवक्षित अर्थ (को छोड़ कर उस) से भिन्न अर्थ (की कल्पना कर के उस) का निषेध करना वाक्यछल है । उदाहरण—किसी समझदार ने कहा कि इस व्यक्ति का कम्बल नव है अतः

चक्कुः अभिप्रेतस् । छलवादी तु नवसंरयावच्छब्दकम्बलसम्बन्धित्वमादेष्य असमवेत् न्यपेदीत् कुतोऽस्य नव कम्बला इति । तमेवं पृच्छेत् । अनेकाच्चाच्छब्दादिसं विगेपं कुतो व्यजातीः त्वमिति । न कुतश्चित् । तस्मद्देवताचके शब्दप्रयोगे अस्य शब्दस्य एतावत्तोऽर्था समाव्यन्ते । तन्मध्ये कतमसर्थम् अविवक्षी त्वमिति वक्तारं पृच्छेत् । पश्चात् विपश्चित् तत्रिविश्वन्य तमभ्यनुज्ञातीयात् तदुपरि दूषणं वा द्यात् । नो चेदभिप्रतापरिवानेन निरह प्रसज्यते ॥

[४७ सामान्यच्छलस्]

हेतुत्वकारणन्वाख्यां विकल्प्य प्रतिपेदनम् ।

वाक्ये संभाव्यमानायै सामान्यच्छलमुच्यते ॥ ९ ॥

त्राह्णश्चतुर्वेदाभिन्नं इति समझसः प्रत्यपीपद्गतः । तत्र छलवादी प्रत्यवा�-

यह श्रीमान प्रतीत होता है । वहा छल का प्रयोग करनेवाला आक्षेप करता है कि इस के पास नौ कम्बल कहाँ से हो सकते हैं (एकही कम्बल है) । वहा पहले वोलनेवाले के मन में नवकम्बलत्व का अर्थ नये कम्बल से युक्त होना यह है । छलवादी ने नौ सख्या से युक्त कम्बलों से युक्त होने की कल्पना कर के और उसे असमव वक्ता कर उस का निषेध किया । ऐसे छलवादी को इस प्रकार प्रश्न करे कि अनेक अर्थों के वाचक इस (नव) शब्द का यह विशिष्ट अर्थ (नो) तुमने कैसे जाना । इस का कोई साधन नहीं है । अतः अनेक अर्थों के वाचक शब्द का प्रयोग करने पर इस शब्द के इतने अर्थ हो सकते हैं डन में से तुम्हें कौनसा अर्थ विवक्षित है ऐसा वक्ता को पूछना चाहिए, किंव बुद्धिमान व्यक्ति उस का निश्चय कर के उसे स्वीकार करे अथवा उस में दूषण बताये । नहीं तो अभिप्रेत अर्थ को न समझने का दोष प्राप्त होता है ।

सामान्य छल

वाक्य में जहा संभावना का अर्थ व्यक्त करना हो वहा उस में हेतु अथवा कारण होने की कल्पना कर के निषेध करना सामान्य छल कहलाता है । जैसे-किसी समझदार ने कहा कि त्राह्ण चार वेदों को जानता है । वहा छल का प्रयोग करनेवाला आक्षेप करता है कि त्राह्ण होना चार वेदों प्र.प्र.४

तिष्ठिष्टत् । ब्राह्मणत्वं चतुर्वेदाभिग्रन्थे हेतुर्न मवति अनर्थीनेनानेकान्तान् । कारणं न भवति अनर्थीनेऽपि तत्कारणत्वप्रसदाद्विति । सोऽप्यभिप्रेतापरिजानेन निगृहीतः स्याद्विति । ब्राह्मणे चतुर्वेदाभिग्रन्थसंभावनस्योऽन्तत्वात् यथात्र एवे प्रत्यक्षं संपन्नीपद्यते इति ॥

[४८. उपचारच्छलम्]

उपचारेण वक्त्रा यदभिघेयनिस्पष्टे ।

प्रधानत्वनिषेधे नदुपचारच्छल भवेत् ॥ १० ॥

वादी गज्जायां ग्रामः प्रतिवसतीत्यवादीत् । तत्र छलवादी प्रन्यवोचत् ॥
गज्जा नाम जलप्रवाहः, जलप्रवाहे ग्रामस्य अवस्थानासम्भवान् तद्युक्तमवादीस्त्वमिति । सोऽप्यभिप्रेतापरिजानेन निगृहीतः स्यात् ।

को जानने का हेतु नहीं है क्यों कि जो पढ़ा नहीं है उस से डस का अनेकान्त है (जो पढ़ा नहीं है वह ब्राह्मण होने पर भी बेंद्रों को नहीं जानता); तथा ब्राह्मण होना चार बेंद्रों को जानके का कारण भी नहीं है, यदि होता तो जो पटा नहीं है उस के विषय में भी वह बेंद्रों को जानने का कारण होता है । ऐसा छलवादी अभिप्रेत अर्थ को न समझने के दोष से दूषित होता है क्यों कि इस वाक्य में ब्राह्मण के चार बेंद्रों के जानकार होने की सभावना व्यक्त की है और यह इस जगह प्रत्यक्षर्हा देखा जाता ह (अत बेंद्रज्ञान की सभावना के मुख्य अर्थ को छोड़ कर उस के हेतु अववा कारण की कल्पना कर निषेध करना व्यर्थ है – छल है) ।

उपचारछल

वक्ता द्वारा विषय का वर्णन उपचार से किये जाने पर प्रधान अर्थ के निषेध पर जोर देना वह उपचारछल कहलाता है । उदाहरणार्थ – वादी ने कहा कि गगा पर गाव वसा है । यहा छलवादी ने कहा कि गगा तो जल का प्रवाह है, जल के प्रवाह पर गाव नहीं वस सकता अतः आपने अयोग्य वान कही । ऐसा छलवादी अभिप्रत अर्थ को न समझने के दोष से दूषित होना है क्यों कि यहाँ ‘गगा पर’ उस शब्द का प्रयोग उपचार से ‘गंगा

अधिकरणनिरूपणं सामीप्यौपचारिकयोः इति गङ्गाशब्देन समीपस्योपचरितत्वात् ॥

[४९. जातयः]

उक्ते हेतौ विपक्षेण साम्यापादनवाक्यतः ।

जातिः प्रतिविधिः प्रोक्ता विश्वातिश्चतुरुक्तरा ॥ ११ ॥

साधर्म्य—वैधर्म्य—उत्कर्ष—अपकर्ष—वर्ण्य—अवर्ण्य—विकल्प—असिद्धादि—प्राप्ति—अप्राप्ति—प्रसङ्ग-प्रतिवृद्धान्त-अनुत्पत्ति-संशय-प्रकरण-अहेतु-अर्थापत्ति-अविशेष-उपपत्ति-उपलब्धि-अनुपलब्धि-नित्य-अनित्य—कार्यसमा जातय ॥

[५०. साधर्म्यवैधर्म्यसमे]

तत्र स्थापनाहेतौ प्रयुक्ते साधर्म्येण प्रत्यवस्थानं साधर्म्यसमा जातिः । वैधर्म्येण प्रत्यवस्थानं वैधर्म्यसमा जाति । तयोः उदाहरणम् । अनित्यः शब्दः कृतकत्वात् वटवटित्युक्ते जातिवाद्याह । वटसाधर्म्यात्

के समीप । इस अर्थ में हुआ है । अविकरण का प्रयोग औपचारिक सामीप्य के अर्थ में होता है ऐसा नियम है ।

जातियौ

हेतु के कहने के बाद विपक्ष से समानता वत्तलानेवाले वाक्य से दिया हुआ उत्तर जाति कहलाता है । जातियौं चौवीस हैं— साधर्म्यसमा, वैधर्म्यसमा, उत्कर्षसमा, अपकर्षसमा वर्ण्यसमा, अवर्ण्यसमा, विकल्पसमा, असिद्धादिसमा, प्राप्तिसमा, अप्राप्तिसमा, प्रसङ्गसमा, प्रतिवृद्धान्तसमा, अनुत्पत्तिसमा, संशयसमा, प्रकरणसमा, अहेतुसमा, अर्थापत्तिसमा, अविशेषसमा, उपपत्तिसमा, उपलब्धिसमा, अनुपलब्धिसमा, नित्यसमा, अनित्यसमा तथा कार्यसमा (इन का अब क्रमशः वर्णन करेंगे) ।

साधर्म्यसमा तथा वैधर्म्यसमा जाति

(किसी साध्य को) स्थापित करनेवाले हेतु का प्रयोग करने पर उस की समानता से कोई आक्षेप उपस्थित करना यह साधर्म्यसमा जाति होती है तथा उस से भिन्नता वत्तला कर कोई आक्षेप उपस्थित करना यह वैधर्म्यसमा जाति है । इन के उदाहरण क्रमशः इन प्रकार हैं । शब्द अनित्य है क्यों कि

कृतज्ञात् शब्दे अनित्यन्वं प्रसाध्यते चेत् आकाशसाधर्म्यान् अमृतं त्वात् नित्यत्वमपि प्रसाध्यते । इति प्रत्यवश्यानं साधर्म्यस्तमा जातिः । आकाश-धैर्यमर्ति कृतकन्यात् शब्दे अनित्यन्वं प्रसाध्यते चेत् वद्वैर्यर्थान् अमृतं त्वात् नित्यत्वमपि प्रसाध्यत इति प्रत्यवश्यानं धैर्यर्थस्तमा जातिः ॥

[५१. उत्कर्पणकर्पसमे]

द्वष्टान्ते द्वष्टस्यानिष्ठवर्मस्य दार्ढान्ते योजनमुक्तर्पसमा जातिः । तदनिष्ठवर्मिन्दृत्ती पक्षस्य साध्यवर्मनिवृत्तिः अपकर्पसमा जाति । तयोरुदाहरणम् । अनित्य शब्दः कृतकत्वात् वद्वदित्युक्ते घटे नावद-

वह कृतक हैं जैसे घट, इस अनुमान के प्रयोग करनेपर जातिवाड़ी कहता है— घट के समान कृतक होने से शब्द को अनित्य सिद्ध किया जाय तो आकाश के समान अमूर्त होने से शब्द नित्य भी सिद्ध किया जा सकता है । इस प्रकार के आक्षेप को साधर्म्यसमा जाति कहते हैं । यदि आकाश में भिन्न अर्थानि कृतक होने से शब्द को अनित्य सिद्ध किया जाय तो घट से भिन्न अर्थानि अमूर्त होने से शब्द को नित्य भी सिद्ध किया जा सकता है । ऐसे आक्षेप को धैर्यर्थसमा जाति कहते हैं । (ये दोनों आक्षेप जाति अर्थात् झूठे दूषण हैं—वास्तविक दूषण नहीं हैं क्यों कि इन में अनुमान की मूलभूत व्याप्ति—जो कृतक होता है वह अनित्य होता है—को गलत सिद्ध नहीं किया है, केवल विरोधी उदाहरण छूटने की कोशिश की गई है, इस में शब्द को अमूर्त कहा है वह भी ठीक नहीं है) ।

उत्कर्पसमा तथा अपकर्पसमा जाति

द्वष्टान्त में कोई अनिष्ट वर्म (साध्य के प्रतिकूल गुण) देखा गया हो तो उसे दार्ढान्त में (साध्य में) जोड़ देना यह उत्कर्पसमा जाति होती है । द्वष्टान्त से अनिष्ट धर्म के हटाने पर पक्ष से साध्य गुणवर्म हटेगा ऐसा कहना अपकर्पसमा जाति होती है । इन दोनों के उदाहरण इस प्रकार हैं । शब्द अनित्य हैं क्यों कि वह कृतक हैं जैसे घट इस अनुमान के प्रस्तुत करने पर यह कहना कि घट में अनित्यता के साथ अश्रावणता (सुना न जाना) की व्याप्ति है ऐसा देखा गया है, यदि घट का अनित्यत्व यह व्याप्त शब्द में स्वीकार किया जाता है तो उसका व्यापक अश्रावणत्व भी स्वीकार किया जाना

नित्यमश्रावणत्वेन व्याप्तं दृष्टं तदनित्यत्वं व्याप्य शब्देऽङ्गीक्षियते तर्हि
तद्व्यापकमश्रावणत्वमन्यङ्गीक्रियेत् इत्युक्ते उत्कर्षसमा जाति। शब्दे
व्यापकमश्रावणत्वं नेष्यते चेत् व्याप्यमनित्यत्वमपि नेष्टव्यमित्युक्ते अप-
कर्षसमा जाति। अत्राश्रावणत्वमुपाधिरिति श्रातव्यम्। साधनाव्यापकः
साध्यव्यापक उपाधिरिति तस्य लक्षणम्॥

[५२ वर्णवर्ण्यसमे]

साध्यस्य यथा हेतुसाध्यत्वं तथा दृष्टान्तस्यापि हेतुसाध्यत्वेन
भवितव्यमित्युक्ते वर्ण्यसमा जाति। दृष्टान्तवत् साध्यस्याप्यहेतुसाध्यत्वं
स्यादित्युक्ते अवर्ण्यसमा जाति॥

चाहिए—यह उत्कर्षसमा जाति है। इसी अनुमान में व्यापक अश्रावणत्वं शब्द-
में स्वीकार नहीं किया जा सकता (क्यों कि शब्द श्रावण है—सुना जाता है)
तो उस का व्याप्य अनित्यत्व भी शब्द में नहीं मानना चाहिए यह कहना
अपकर्षसमा जाति है। यहाँ अश्रावणत्वं को उपाधि समझना चाहिए। जो
साध्य में ध्यापक हो कि तु मावन में व्यापक न हो वह उपाधि है ऐसा उस
का ~क्षण है। (उत्कर्षसमा तथा अपकर्षसमा ये जानिया अर्थात् झूठे दूपण
हैं क्यों कि इन में प्रस्तुत अनुमान की मूलभूत व्याप्ति को जो कृतक होता
है वह अनित्य होता है इस ऋथन को छोड़ कर दृष्टान्त के अश्रावणत्वं इस
गुण ग्रं जोर दिया गया है तथा जो अश्रावण होना है वह अनित्य होता है
यह गलत व्याप्ति बनाई गई है। यह व्याप्ति ही गलत होने से उस पर
आवागित आक्षेप भी झूठे है)।

वर्ण्यसमा तथा अवर्ण्यसमा जाति

जिस प्रकार साध्य हेतु से सिद्ध किया जाता है उसी प्रकार दृष्टान्त
भी हेतु से सिद्ध किया जाना चाहिए ऐसा कहना वर्ण्यसमा जाति है। जिस
प्रकार दृष्टान्त हेतु से सिद्ध नहीं किया जाता उसी प्रकार साध्य भी हेतु के
विना ही सिद्ध मानना चाहिए ऐसा कहना अवर्ण्यसमा जाति है।

[५३. विकल्पसमा]

दृष्टान्ते धर्मविकल्पप्रदर्शनेन दार्ढान्तिके धर्मान्तरापादनं विकल्प-
समा जातिः । अनित्यः शब्दः कृतकत्वात् घटवदित्युक्ते कृतकत्वाविशे-
षेऽपि किंचिन्मूर्ते द्वृष्टं यथा घटादि किंचिद्मूर्ते द्वृष्टं यथा रूपादि तद्वत्
कृतकत्वाविशेषेऽपि पटादिकमनित्यं शब्दादि नित्यं भवेदित्यादि विकल्प-
समा जाति ॥

[५४. असिद्धादिसमा]

हेतोः साध्यसद्भावभावोभयधर्मविकल्पनया असिद्धविरुद्धान्तेका-
न्तिकतापादनम् असिद्धादिसमा जातिः । अनित्यः शब्दः कृतकत्वात्
घटवदित्युक्ते कृतकत्वादयं हेतु साध्यसद्भावधर्मः अभावधर्म उभय-

विकल्पसमा जाति

दृष्टान्त में गुणधर्मों का विकल्प बतला कर दार्ढान्तिक (दृष्टान्त पर
आवारित साध्य) में दूसरे गुणधर्म की कल्पना करना विकल्पसमा जाति
है । जैसे — शब्द अनित्य है क्यों कि वह कृतक है जैसे घट इस अनुभान में
यह कहना कि समान रूप से कृतक होने पर भी कुछ वस्तुएं मूर्त होती हैं
जैसे घट तथा कुछ अमूर्त होती हैं जैसे रूप, उसी प्रकार समान रूप से
कृतक होने पर भी वस्त्र आदि को अनित्य तथा शब्द आदि को नित्य माना
जा सकता है (वहाँ दृष्टान्त में मूर्तत्व तथा अमूर्तत्व का विकल्प बतला कर
दार्ढान्तिक अर्थात् शब्द में नित्यत्व की कल्पना की गई है अतः यह
विकल्पसमा जाति है) ।

असिद्धादिसमा जाति

हेतु साध्य में है अथवा उसका अभाव है अथवा दोनों हैं इस प्रकार
विकल्प कर के हेतु को असिद्ध, विरुद्ध अथवा अनैकान्तिक बतलाना यह असि-
द्धादिसमा जाति होती है । उदाहरणार्थ—शब्द अनित्य है क्यों कि वह कृतक है
जैसे घट इस अनुभान के प्रस्तुत करने पर यह कहना कि यह कृतक होना
इस हेतु का साध्य में अस्तित्व है, अभाव है, अथवा अस्तित्व तथा अभाव दोनों हैं,
उन में पहला पक्ष स्वीकार करें (हेतु का साध्य में सद्भाव मानें) तो अभी साध्य
का अस्तित्व ही सिद्ध नहीं है अत उस के गुणधर्मरूप हेतु को भी असिद्ध

धर्मो वा । आद्ये अद्यपि साध्यसद्भावस्य असिद्धत्वात् तद्धर्मस्य हेतोः असिद्धत्वं द्वितीये साध्यविपरीतस्य धर्मत्वात् विरुद्धत्वम् । तृतीये उभयधर्मत्वादनैकान्तिक इत्यादि ॥

[६५ अन्यतरासिद्धसमा]

एकान्तनेकान्तादिविकल्पेत हेतोः अन्यतरासिद्धत्वापादनम् अन्यतरासिद्धसमा जाति । पूर्वप्रयोगे कृतकत्वादयं हेतुः एकान्त अनेकान्तः चाचा, आद्ये जैनानामसिद्धः द्वितीये अन्येगामसिद्धः अश्वणिकः क्षणिको वा,

ही मानना होगा, यदि दूसरा पक्ष स्वीकार करे (हेतु का साध्य में अभाव माने) तो वह हेतु विरुद्ध होगा क्यों कि वह साध्य के विरुद्ध गुणर्म होगा, तथा तीसरे पक्ष में दोनों (सद्भाव और अभाव) मानें तो वह हेतु अनैकान्तिक होगा (क्यों कि साध्य में उस का अस्तित्व या अभाव निश्चिन नहीं है) (यह असिद्धादिसमा जाति है, वास्तविक दूपण नहीं, क्यों कि इन में साध्य और हेतु के सबव को गलत ढंग से प्रस्तुत किया है; प्रस्तुत उदाहरण में अनित्य होना यह साध्य है, इस में कृतक होना यह हेतु है या उस का अभाव है आदि प्रश्न निर्थक हैं, आक्षेप करनेवाले को यह बताना चाहिए कि जो कृतक होता है वह अनित्य होना है इस व्याप्ति में क्या दोप है, वह न बताला कर दूसरी कल्पनाएं करने से कोई लाभ नहीं) ।

अन्यतरासिद्धसमा जाति

एकान्त, अनेकान्त आदि विकल्पो से हेतु को किमी एक पक्ष के लिए असिद्ध बतलाना यह अन्यतरासिद्धसमा जानि हाती है । उदाहरणार्थ — पूर्वोक्त अनुमान में (शब्द अनित्य है क्यों कि वह कृतक है इस कथन में) यह कहना कि यहाँ कृतक होना यह हेतु एकान्त से है या अनेकान्तसे है, यदि वह एकान्त से हो तो जैनों के लिए वह असिद्ध होगा (क्यों कि जैन एकान्त को नहीं मानते) तथा यदि वह अनेकान्त से हो तो वाकी सब मतों के लिए असिद्ध होगा (क्यों कि जैनेन्द्र मत अनेकान्त को नहीं मानते) । इसी तरह यह हेतु अक्षणिक हैं या क्षणिक है, यदि अक्षणिक हो तो बौद्धों के लिए वह असिद्ध होगा (क्यों कि बौद्ध सब वस्तुओं को क्षणिक मानते हैं) तथा यदि क्षणिक हो तो अन्य सब मतों को अमान्य होगा (क्यों कि

आद्ये वौद्धानामस्तिष्ठ , छितीये अन्येपामस्तिष्ठ । अव्रह्मान्मको व्रजान्मको वा, आद्ये वैदान्तिनामस्तिष्ठ , छितीये अन्येपामस्तिष्ठः । अप्रह्लिपरिणामः प्रस्तुतिपरिणामो वा, आद्ये सांख्यानामस्तिष्ठः, छितीये अन्येपामस्तिष्ठः इत्यादि ॥

[५६ प्राप्यप्राप्तिसमे]

हेतो प्राप्य प्रत्यवस्थानं प्राप्तिसमा जातिः । अप्राप्य प्रत्यवस्थानम् अप्राप्तिसमा जातिः । अनित्य शब्दः कृतक्त्वाद् घटवित्युक्ते अवं हेतुः

वैदेतर मत क्षणिकशब्द को नहीं मानते) । यह हेतु ब्रह्मरूप है या अवृह्मरूप है, यदि उ-ब्रह्मरूप हो तो वह बन्दान्तियों के लिए अभिष्ठ होगा (क्यों कि वे सभी वस्तुओं का ब्रह्मरूप मानते हैं) तथा ब्रह्मरूप हो तो अन्य सब मतों को अपान्य होगा । यह हेतु प्रकृति का परिणाम है या नहीं है यदि यह प्रकृति का परिणाम नहीं है तो साथ्यों के लिए असिद्ध होगा तथा प्रकृति का परिणाम हो तो अन्य सब मतों के लिए असिद्ध होगा । (इस प्रकार का कथन चाम्पविक दपण न हो कर दृष्टिभास अर्थात् जानि है क्यों कि जो कृतक होता है वह अनिन्य होता है इस मूलरूप व्यापि मे कोई दाप इस से प्रकट नहीं जाता, कृतक होना एकान्त से ॥ अनेकान्त से है आदि प्रश्नों का प्रस्तुत अनुमान स के ई सम्बन्ध नहीं है ।

प्राप्तिसमः व अप्राप्तिसमा जाति

हेतु के (माध्य को) प्राप्त होने की आपत्ति उपस्थित करना प्राप्तिसमा जाति ह । तथा अप्राप्त होने की आपत्ति उपस्थित बरना अप्राप्तिसमा जानि है । उदाहरणार्थ — शब्द अनित्य है क्या । कि वह घट जैसा कृतक है इस अनुमान का प्रयाग करने पर प्रश्न करना कि यहाँ हेतु माध्य को प्राप्त हो कर उसे मिद्ध करता है या प्राप्त किय विना ही सिद्ध करना है, यदि हेतु साध्य को प्राप्त हो कर उसे मिद्ध करे ना वह आसद्ध होगा क्यों कि वह अभी साध्य का प्राप्त होना है (जो साध्य में नहीं है वह हेतु असिद्ध होता है, यह हेतु अभी माध्य का प्राप्त नहीं हुआ है अत अभिष्ठ है) जैसे साध्य का स्वरूप । साध्य का स्वरूप जिस तरह अभिष्ठ है उसी तरह यह हेतु भी असिद्ध होगा क्यों कि वह अभी साध्य को प्राप्त नहीं हुआ है) । यदि हेतु

प्राप्य साध्यं प्रसाधयत्यप्राप्य वा । आद्येऽसिद्धो हेतु प्राप्यसाध्यत्वात् साध्यस्वरूपवत् । छितीये तौ साध्यसाधनभावरहितौ मिथोऽप्राप्तत्वात् सह्यविन्ध्यवद्विति ॥

[५७ प्रसंगसमा]

प्रमाणादिप्रश्नानवस्थानं प्रसंगसमा जाति । अनित्यः शब्दः कृतक-
त्वात् घटवत् इत्युक्ते घटे कृतकत्वात् अनित्यत्वं केन सिद्धम्, प्रत्यक्षेणे
त्युक्ते प्रत्यक्षस्यापि प्रामाण्यं केन, अन्येनेत्युक्ते तस्यापि केनेत्यादि ॥

साध्य को प्राप्त किय विना ही मिद्ध करता है ऐसा कहा जाय तो इस हेतु
में और साध्य में साध्यसाधन का सवन्ध नहीं हो सकेगा क्यों कि वे दोनों
सद्य पर्वत और विन्ध्यपर्वत के समान परम्पर अप्राप्त (असद्ध) हैं । (ये
आधुनिक वास्तविक दृष्टि न हो चर दृष्टिमान अर्थात् जाति है क्यों कि इन
में हृत और साध्य के रवभाविक संबंध को न समझते हृए अनावश्यक प्रश्न
उत्तर किये हे, जहा धुंखा होता है उहा अग्नि होता है इस नियत सवन्ध
के बारण ही धुआ दखने पर उग्नि वा अन्मान होता है यहा धुआ अग्नि
को प्राप्त हो कर सिद्ध करता है या प्राप्त हुए विना सिद्ध करता है आदि प्रश्न
निश्चय हैं ।)

प्रमंशममा जानि

प्रमाण आदि क प्रश्नों से अनवस्था प्रसग उपस्थित करना (एक के-
वाद दूसरे प्रश्न का उपस्थित करने जाना प्रसगसमा जानि है । जैस-
इव अनित्य है क्यों कि वह कृतक है जैसे घट इस अनुमान के प्रस्तुत-
करने पर यह पूछना कि घट कृतक है अत अनित्य है यह किस प्रमाण से
सिद्ध हुआ है, यह प्रत्यक्ष प्रमाण में मिद्ध है ऐसा उत्तर मिलने पर फिर-
पूछना कि वह प्रत्यक्ष प्रमाणभूत कैसे है इस पर दूसरे प्रमाण का उत्तरेख
करनेपर फिर पूछना कि वह प्रमाणभूत कैसे है (इस प्रकार प्रश्नों की परम्परा
से मूल विषय को टालना ही प्रसगसमा जाति है ।)

[५८. प्रतिव्यष्टान्तसमा]

प्रत्युदाहरणेन प्रन्यवस्थात् प्रतिव्यष्टान्तसमा जातिः। अनित्यः शब्दः
कृतकत्वात् वटवत् इत्युक्ते आकाशवद्मूर्तत्वात् नित्योऽपि स्यादिति ॥

[५९. उत्पत्तिसमा]

कारणविवरणया कार्यानुत्पत्तिप्रत्यवस्थानम् उत्पत्तिसमा जाति ।
पूर्वप्रयोगे शब्दादिकार्योत्पत्तेः प्राक् तात्वादीनां कं प्रति करणत्वं, तदा

प्रतिव्यष्टान्तसमा जाति

प्रतिकूल उदाहरण द्वारा उत्तर देना प्रतिव्यष्टान्तसमा जाति होती है ।
जैसे— शब्द अनित्य है क्यों कि वह कृतक है जैसे वट इस अनुमान के
विरोध में यह कहना कि शब्द आकाश के समान अमूर्त है अतः वह नित्य
भी सिद्ध होगा (यहां जो कृतक होता है वह अनित्य होता है इस व्याप्ति पर
आवारित हेतु के बारे में कुछ न कह कर केवल वट इस व्यष्टान्त के प्रतिकूल
आकाश यह व्यष्टान्त उपस्थित कर दिया है अतः यह दाचित दृष्टिगत नहीं है—
प्रतिव्यष्टान्तसमा जाति है) ।

उत्पत्तिसमा जाति

कारण के विवरण द्वारा यह आपत्ति उपस्थित करना कि कार्य का
उत्पत्ति ही नहीं हो सकती—उत्पत्तिसमा जाति होती है । उदाहरणार्थ— शब्द
अनित्य है क्यों कि वह कृत्रिम है इस पूर्वोक्त अनुमान के विरोध में यह
कहना कि शब्द इत्यादि कार्य के उत्पन्न होने के पहले तालु, होठ इत्यादि
किस के साधन होते हैं (—वे शब्द के कारण हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता
क्यों कि) उस समय संबद्ध कार्य का (शब्द का) अभाव है (शब्द अभी
उत्पन्न नहीं हुआ है) अतः वे तालु आदि किसी के साधन नहीं हैं अतः
वे कारण भी नहीं हैं । कारण ही नहीं है तो शब्द यह कार्य किस से उत्पन्न
होगा (अर्थात् वह उत्पन्न ही नहीं हो सकता) जिस से उसे अनित्य सिद्ध
किया जा सके (शब्द उत्पन्न ही नहीं हुआ तो उसे अनित्य सिद्ध करना
भी संभव नहीं है) । (इस जाति का प्रयोग करनेवाला कहता है कि कारण
और कार्य दोनों एक ही समय होने चाहिये—तालु आदि तभी कारण होंगे
जब शब्द हो —वह कारण और कार्य के क्रमशः होने को अस्वीकार करता

प्रतियोगिकार्यभावात्, न किंचित् प्रीति तात्पादीनां कारणभावाभाव ।
कारणाभावे शब्दकार्यं कुत उत्पद्येत यतोऽनित्यं स्यादिति ॥

[६०. संशयसमा]

भूयोदर्शनात् निश्चितव्याते. साध्यम्यवैयम्योपाधिप्रतिकूलतर्कादिना
पद्मे संदेहापादनं संशयसमा जाति । उपाधिप्रतिकूलतर्कादिकम् असद्
दूषणं सददूषणेष्वपठितत्वात् अन्यतरपक्षनिर्णयाकारकत्वात् व्याप्तिपक्ष-
धर्मवैकल्यानिश्चायकत्वात् पक्षे साध्यसंदेहापादकत्वात् जातित्वात्
साध्यम्यवत् । अथ प्रत्यनुमानप्रतिकूलतर्क्योः को भेद इति चेत् एकस्मिन्
धर्मिणि साध्यविपरीतप्रसाधकं प्रत्यनुमानम्, तद्धर्मिणि धर्मन्तरे वा
विरुद्धप्रसाधकः प्रतिकूलतर्कः ॥

है, किन्तु कारण और कार्य का क्रमशः होना प्रत्यक्षसिद्ध है अतः इस आक्षेप
को जाति (दूषणाभास) कहते हैं, वास्तविक दूषण नहीं, जब शब्द प्रत्यक्ष
द्वारा जाना जाता है तब शब्द उत्पन्न नहीं हो सकता यह आक्षेप काल्पनिक
ही होगा, वास्तविक नहीं ।

-संशयसमा जाति

वारबार देखने से जिस की व्याप्ति निश्चित हो चुकी है उस पक्ष में
भी समानता, भिन्नता, उपाधि, प्रतिकूल तर्क आदि के द्वारा सन्देह व्यक्त
करना यह संशयसमा जाति होती है । उपाधि, प्रतिकूलतर्क आदि झूठे दूषण हैं,
वास्तविक दूषणों में इन का समावेश नहीं किया जाता, ये किसी एक
पक्ष का निर्णय नहीं कर सकते, व्याप्ति की गलती या पक्ष के धर्म होने की
गलती का निश्चय इन से नहीं हो सकता, वे केवल पक्ष में साध्य के होने
के बारे में सन्देह व्यक्त करते हैं, अतः वे साध्यसमा आदि के समान जाति
हैं (झूठे दूषण हैं, वास्तविक दूषण नहीं हैं) । यह प्रश्न होता है कि
प्रत्यनुमान और प्रतिकूलतर्क में क्या भेद है (क्योंकि प्रत्यनुमान से विरोध
करने को प्रकरणसमा जाति कहते हैं यह अगले परिच्छेद में वर्ताया है) ।
उत्तर यह है कि एक ही धर्मी (धर्मयुक्त पक्ष) में साध्य के विरुद्ध वात को
सिद्ध करना चाहे वह प्रत्यनुमान होता है, उसी धर्मी में या किसी अन्य धर्मी में
विरुद्ध वात को सिद्ध करना चाहे वह प्रतिकूलतर्क होता है ।

[६१. प्रकरणसमा]

प्रत्यनुमानेन प्रत्यवस्थानं प्रकरणसमा जाति । अनित्यं शब्दः
वृत्तक्त्वाद् घटवदित्युक्ते तित्य शब्दः श्रावणत्वात् शब्दत्ववदिति ॥

[६२. अहेतुसमा]

त्रिकालेऽपि साधनासंभवेन प्रत्यवस्थानम् अहेतुसमा जातिः ।
पूर्वप्रयोगे अयं हेतुः साध्यात् प्राक्कालभावी उत्तरकालभावी समकाल-
प्रकरणसमा जाति

विरोधी अनुमान का प्रयोग कर उत्तर देना यह प्रकरणसम जाति है ।
जैसे — शब्द अनित्य है क्यों कि वह घट जैसा वृत्तक है इस अनुमान के
उत्तर में यह कहना कि अब्द नित्य है क्यों कि वह शब्दत्व के समान श्रावण
(सुनने योग्य) है । (वादी द्वारा उपम्यन किये गए हेतु में दूषण बतलाना
यह प्रतिवादी का पहला काम है वह न करन हुए प्रतिकूल पक्ष का समर्थक
अनुमान प्रस्तुत करना बाद का रीति के विरुद्ध है अत इसे जाति अर्थात्
झूठा दृष्टि कहा है ।

अहेतुसमा जाति

‘निमो कालो मे वृत्त से साध्य को ।’ सिद्ध करना असंभव है यह कह
कर । अनुमान का विरोध करना यह अहेतुसमा जाति है । जैसे — पूर्वोक्त
अनुमान में (शब्द वृत्तक है अत अनित्य है इस कथन में) यह कहना कि
यह वृत्त (शब्द का वृत्तक होना) साध्य के (अब्द के अनित्य होने के)
पहले के समय विद्यमान होता है, बाद के समय होता है या समान समय
में होता है । यदि वृत्त साध्य के पहले हो गया हो तो उस समय
साध्य के न होने से हेतु किसे सिद्ध करेगा — अर्थात् हेतु से
सिद्ध करनेयोग्य साध्यही वृत्त नहीं है; यदि हेतु साध्य के बाद होता
है तो वह साध्य वृत्त के पहले ही सिद्ध है फिर हेतु के प्रयोग से क्या
लाभ; तथा यदि हेतु आग साध्य समान समय में होता है तो उन में साध्यसाधन-
स्वध नहीं हो सकता क्यों कि वे समकालीन हैं, जैसे गाय के दाहिने और
बाये सींग में साध्यसाधनस्वध नहीं हो सकता (एक सींग दूसरे का कारण-

भावी वा । आचे प्राक्काले साध्याभावाद् हेतुः कस्य साधको भवेत्, न कस्यापि । छितीये साध्यस्य प्रगेव सिद्धत्वात् किमनेन हेतुना । उत्तीये तौ साध्यसाधनभावरहितौ समकालभावित्वात् सव्येतरगोचिपाणवदिति ।

[६३. अर्थापत्तिसमा]

अर्थापत्या प्रत्यवस्थानम् अर्थापत्तिसमा जाति । उदाहरणम्—अनित्य शब्दः कृतकत्वाद् घटवदित्युक्ते सकेतव्यवहारान्यथानुपपत्तेः शब्दो नित्यं स्थादिति ॥

[६४ अविशेषसमा]

एतद्वधर्माविगेपेण प्रतिकूलप्रसंगः अविशेषसमा जातिः । उदा-हरणम्—अनित्य शब्दः कृतकत्वात् घटवदिति प्रसाध्येत तर्हि अनित्य-

—नहीं हो सकता) क्यों कि वे दोनों समान समय में विद्यमान हैं । (इन आक्षेपों को जाति इसलिए कहा कि उन में कोई तथ्य नहीं है, हेतु साध्य से पहले है या वाद में इससे अनुमान के सही होने में कोई अन्तर नहीं पड़ता; कृतिका के उदय से रोहिणी के उदय का अनुमान सही है, यहा हेतु साध्य से पहले विद्यमान है, वाद से वर्षा का अनुमान सही होता है, यहा हेतु साध्य के वाद भी विद्यमान है, तुंए से अग्नि के अनुमान में हेतु और साध्य दोनों एक ही समय में विद्यमान होते हैं) ।

अर्थापत्तिसमा जाति

अर्थापति का प्रयोग कर के उत्तर देना यह अर्थापत्तिसमा जाति है । जैसे—शब्द अनित्य है क्यों कि वह घट जैसा कृतक है इस अनुमान के उत्तर में यह कहना कि शब्द नित्य है क्यों कि ऐसा माने विना संकेतों के व्यवहार की उपपत्ति नहीं लगती । (आगे परिच्छेद ६९ में आचार्य ने इस जाति को अकरणसमा जाति से अभिन्न बतलाया है) ।

अविशेषसमा जाति

उसी गुणवर्म की समानता बतला कर विरोध का प्रसग व्यक्त करना यह अविशेषसमा जाति है । जैसे—शब्द अनित्य है क्यों कि वह घट जैसा कृतक है ऐसा सिद्ध किया जाने पर यह कहना कि घट के समान सत् (विद्य-

माकाशादिकं सत्त्वात् घटवदित्यादिकं स्यादिति । अयमेव प्रतिकृलतर्कं इति ज्ञातव्यः ॥

[६५ उपपत्तिसमा]

उभयत्रैकहेत् पपत्या प्रत्यवस्थानम् उपपत्तिसमा जातिः । अनित्यः शब्दः पञ्चसपक्षयोः अन्यतरत्वात् सपक्षवत्, नित्यः शब्दः पञ्चसपक्षयोः अन्यतरत्वात् सपक्षवर्दिति । नित्या भू. गन्धवत्त्वात्, अनित्या भू. गन्धवत्त्वात् इत्यादि ॥

[६६. उपलब्ध्यनुपलब्धिसमे]

सपष्टे हेतुरहितसाध्योपलब्ध्या प्रत्यवस्थानम् उपलब्धिसमा जातिः । अनित्यः शब्दः कृतकत्वाद् घटवदित्युक्ते प्रागभावे कृतकन्वा-

मान) हाँने से आकाश आदि भी अनित्य सिद्ध होगे । इसी को प्रतिकृलतर्क भी कहते हैं । (यह जाति अर्थात् झूठा ढूपण है क्यों कि इस में शब्द अनित्य है इस साध्य के बारे में कुछ न कह कर आकाश अनित्य सिद्ध होगा यह प्रस्तुत विषय से असंवद वात उठाई गई है, यह स्पष्टतः विपर्यान्तर है) ।

उपपत्तिसमा जाति

दोनों पक्षों में एक ही हेतु की उपपत्ति वतला कर उत्तर देना यह उपपत्तिसमा जाति होती है । जैसे - शब्द अनित्य है क्यों कि वह पक्ष और सपक्ष में से किसी एक में विद्यमान है जैसे सपक्ष, शब्द नित्य है क्यों कि वह पक्ष और सपक्ष में से किसी एक में विद्यमान है जैसे सपक्ष । (दूसरा उदाहरण -) पृथ्वी नित्य है क्यों कि वह गन्ध से युक्त है, पृथ्वी अनित्य है क्यों कि वह गन्ध से युक्त है ।

उपलब्धिसमा तथा अनुपलब्धिसमा जातियां

सपक्ष में जहा साध्य पाया जाता है किन्तु हेतु नहीं पाया जाता ऐसा उदाहरण दे कर आक्षेप उपस्थित करना यह उपलब्धिसमा जाति होती है । जैसे-शब्द अनित्य है क्यों कि वह घट जैसा कृतक है इस अनुमान के उत्तर में कहना कि प्रागभाव कृतक नहीं है फिर भी उस में अनित्यता पाई जाती है अतः कृतक होना अनित्य होने का वोधक कैसे होगा ! (यह वास्तविक

भावेऽपि अनित्यत्वं दृश्यते, कथमेतद् गमकं स्यादिति ॥ अनुपलब्धेरभावे-
साद्ये अनुपलब्धेरप्यनुपलम्भेन प्रत्यवस्थान्तम् अनुपलब्धिसमा जातिः ।
उदाहरणम् — शब्द उच्चारणात् पूर्वं नास्ति अनुपलब्धे. इत्युक्ते
अनुपलब्धेरप्यनुपलम्भ एव इन्द्रियलिङ्गशब्दानामनुपलब्धिसम्बन्धरहित-
त्वेन तद्ग्रहणायोगादिति ॥

[६७ नित्यानित्यसमे]

पश्चस्यानित्यधर्मस्य नित्यत्वापादनेन प्रत्यवस्थानं नित्यसमा-
जातिः । अनित्यः शब्दः कृतकत्वाद् वटवदित्युक्ते शब्दे अनित्यत्वं सर्व-

दृष्ट्वा नहीं है क्योंकि इस में व्याप्ति के सही रूप को न समझते हुए आक्षेप
किया है । जो कृतक होते हैं वे अनित्य होते हैं ऐसी व्याप्ति इम अनुमान में
है किन्तु आक्षेप करनेवाला कह रहा है कि जो अनित्य हैं वे सभी कृतक
होने चाहिए, यह ठीक नहीं है) । किसी वस्तु का अभाव सिद्ध करने के
लिए अनुपलब्धि (न पाया जाना) यह हेतु दिये जाने पर अनुपलब्धि की
भी अनुपलब्धि है यह कट कर उत्तर देना अनुपलब्धिसमा जाति होती है ।
जैसे—उच्चारण के पहले शब्द नहीं हैं क्यों कि वह ज्ञात नहीं होता ऐसा
कहने पर आक्षेप करना कि यहा शब्द ज्ञात नहीं होता यह वात भी ज्ञात
नहीं हो सकती क्यों कि यह अनुलप्तिविद्वयप्रत्यक्ष से अथवा अनुमान से
अथवा शब्द से (आगम से) भी ज्ञात नहीं हो सकती-अनुलप्तिविद्वय का इन्द्रिय
प्रत्यक्ष आडि से सम्बन्ध ही नहीं होता (यह जाति है — वास्तविक
दृष्ट्वा नहीं है क्यों कि इस में किसी वस्तु के अभाव का ज्ञान
ही अस्तीकार किया गया है, वस्तु के अभाव का ज्ञान प्रत्यक्ष से ही होता
है वह वात आक्षेपकर्ता भूल गया है । वस्तु के अभाव का अभाव है यह
कहने का तात्पर्य होगा कि वस्तु का आस्तित्व है और यह वात प्रत्यक्ष से ही
ज्ञान होती है) ।

नित्यसमा तथा अनित्यसमा जाति

पश्च के अनित्य गुणधर्म को नित्य बतला कर उत्तर देना यह नित्यसमा
जाति होती है । उदाहरणार्थ — शब्द अनित्य है क्यों कि वह कृतक है जैसे
वट इम अनुमान के प्रस्तुत करने पर यह कहना कि शब्द में अनित्यत्व सर्वदा

दास्ति रुदाचिद् वा । आद्ये शब्दस्यापि सर्वदा नद्भाव । वर्षसद्भावस्य
धर्मिसद्भावमन्तरेण अनुपयते । द्वितीये सदा अनित्यवर्गे न प्रवर्तते
नदा नित्यं पवेति ॥ एकस्यानित्यत्वे सर्वस्य अनित्यत्वप्रतिपादन्
अनित्यलमा जाति । प्राकृतनप्रयागे सर्वमनित्यं नरगान् वद्वदिति ॥

[६८ कार्यसमा]

कार्यत्वादिहेतुनां संदिग्धासिद्धत्वापादनं कार्यसमा जातिः ।

होता है या कभी कभी होता है, प्रथम पक्ष में (यदि शब्द में अनित्यत्व सर्वदा होता हो तो) शब्द का भी अस्तित्व सर्वदा सिद्ध होगा क्यों कि गुणवर्म का अस्तित्व वर्मी के अस्तित्व के विना नहीं हो सकता (अतः यदि अनित्यत्व यह गुण सर्वदा रहेगा तो उस का धारक शब्द भी सर्वदा रहेगा अर्थात् वह नित्य सिद्ध होगा), दूसरे पक्ष में (यदि शब्द में अनित्यत्व कभी कभी रहता है तो) जब शब्द में अनित्यत्व यह गुणवर्म नहीं होगा तब वह नित्य ही सिद्ध होगा (यह भी वास्तविक दूषण नहीं है, शब्द अनित्य है ऐसा वादी ने कहा तभी यह गृहीत हो जाता है कि जिस शब्द का एक समय अस्तित्व है – उसका दूसरे समय अभाव होगा, अतः उस में यह पूछना कि अनित्यत्व सर्वदा रहेगा या कभी कभी – निर्यक है) । एक वस्तु को अनित्य बनलाने पर सभी को अनित्य बनलाना यह अनित्यसमा जाति होती है । जैसे – पूर्वोक्त अनुमान में (शब्द अनित्य है यह कहने पर) कहना कि सभी वस्तुएँ अनित्य हैं क्यों कि वे सत् हैं जैसे घट । (परि. ६, में आचार्य ने बनलाया है कि यह जाति अविशेषसमा जाति से भिन्न नहीं है) ।

कार्यसमा जाति

कार्यत्व इत्यादि हेतुओं को संदिग्धासिद्ध बतलाना यह कार्यसमा जाति होती है । जैसे पूर्वोक्त अनुमान में (शब्द अनित्य है क्यों कि वह कृतक है जैसे घट) यह कहना कि शब्द का कृतक होना संदिग्ध है क्यों कि तालु आदि शब्द के कारण हैं अथवा केवल व्यक्त करनेवाले हैं इस विषय में वादियों में मतभेद है अतः (शब्द कृतक है या नहीं उस विषय में) सन्देह होता है । (यह जाति है अर्थात् वास्तविक दूषण नहीं है क्यों

प्राक्तनप्रयोगे शब्दे कृतकत्वं संदिग्धं तात्पादीनां कारणत्वं व्यञ्जकत्वं
वेति वादिविप्रातिपत्ते संदेहादिति । इति जातयः ॥

[६९. जातिसंख्याविचारः]

वर्ण्ये साध्यस्य संभूतेः पृथग् नास्य निस्पणम् ।
प्रत्युदाहरणं चापि साधर्म्ये लब्धवृत्तिमत् ॥ १२ ॥
अर्थापित्युपपत्ती चाभिन्ने प्रकरणादिह ।
अनित्यत्वसमाजानिरविशेषान्न भिद्यते ॥ १३ ॥
इति पञ्चापसारेणासिद्धाद्युपचयेन च ।
जातयो विंशतिस्ताः स्यु पुनरुक्तिं विना पुनः ॥ १४ ॥

[७०. निग्रहस्थानानि]

वादिप्रतिवादिनोः अन्यतरस्य पराजयनिमित्तं निग्रहस्थानम् । प्रति
ब्राह्मानि-प्रतिब्रान्तरं प्रतिब्राविरोधः प्रतिब्रासंन्यासः हेत्वन्तरम् अर्थान्तरं-
निरर्थकम् अविब्रातार्थम् अपार्थकम् अप्राप्तकालं हीनम् अधिकम् पुनरु

कि यहां प्रस्तुत हेतु मे कोई स्पष्ट दोप न बतला कर केवल वादियों के
मतभेद पर आवारित संदेह को महत्व दिया है) । इस प्रकार जातियों का
वर्णन पूरा हुआ ।

जातियों की संख्या

वर्ण्यसमा जाति में साध्यसमा जाति का अन्तर्भव होता है अतः उस
का पृथक वर्णन नहीं करना चाहिए, प्रत्युदाहरण जाति का समावेश साधर्म्य-
समा जाति में होता है, अर्थापत्तिसमा तथा उपपत्तिसमा जातियां प्रकरणसमा
जाति से भिन्न नहीं है तथा अनित्यसमा जाति अविशेषसमा जाति से भिन्न
नहीं है । इस प्रकार पुनरुक्ति छोड़कर पाच जातियों को कम करने से तथा
असिद्धादिसमा जाति का अधिक समावेश करने से जातियोंकी संख्या बीस
होती है ।

निग्रहस्थान

बादी और प्रतिबादी में से किसी एक के पराजय का जो कारण होता
है उसे निग्रहस्थान कहते हैं । प्रतिब्राह्मानि से हेत्वाभास तक (जो नाम मूलं
प्र.प्र.५

कम् अनुभावणम् अलासम् अप्रतिभा विक्षेपः सतानुवा पर्यनुयोद्यो-
येद्धर्मं निरनुयोद्यानुयोगः अपसिद्धान्तः हेत्वभासाश्चेति डाविंशति-
निग्रहस्थानात्ति ॥

[७१. प्रतिज्ञाहानिः]

उके हेतौ दूषणोदभावने प्रतिपक्षाभ्युपगमः प्रतिज्ञाहानिर्नामि निग्रह-
स्थानम् । तस्योद्याहरणम्-अनित्यः शब्दः कृतकत्वाद् घटवदिल्युके
प्रध्वंसाभावेन हेतोः अनेकान्तोदभावने नित्यो भवेदिति ॥

[७२. प्रतिज्ञान्तरम्]

सिद्धसाध्यत्वेन हेतोः अकिञ्चित्करत्वोदभावने पश्चात् साध्यविशेष-
णोपादानं प्रतिज्ञान्तरं नाम निग्रहस्थानम् । उदाहरणम्-आद्यं चैतन्यं
~~~~~  
में गिनाये हैं वे ) वाईम निग्रहस्थान हेते हैं ( इन का क्रमशः वर्णन अब  
करेंगे ) ।

### प्रतिज्ञाहानि निग्रहस्थान

कहे हुए हेतु में दोष वत्तलाने पर प्रतिपक्ष को स्वीकार कर लेना यह  
प्रतिज्ञाहानि नाम का निग्रहस्थान है । उस का उदाहरण है—शब्द अनित्य है  
क्यों कि वह घट जैसा कृतक है इस अनुमान के प्रयोग में हेतु में प्रध्वंसाभाव  
से अनेकान्त-डोष वत्तलाने पर ( प्रव्वसाभाव कृतक है किन्तु अनित्य नहीं  
है अतः कृतकत्व यह हेतु प्रव्वसाभाव इस नित्य विपक्ष में भी होने से  
अनैकान्तिक है ऐसा कहने पर ) यह कहना कि शब्द नित्य होना चाहिए ।

### प्रतिज्ञान्तर निग्रहस्थान

साध्य के पहले ही सिद्ध होने के कारण हेतु को अकिञ्चित्कर वत्तलाये  
जाने के बाद साध्य में किसी विशेषण का ग्रहण करना यह प्रतिज्ञान्तर नाम  
का निग्रहस्थान है । उदाहरण— पहला ( जन्मसमय का ) चैतन्य  
चैतन्यपूर्वक होता है ( चैतन्यसे ही चैतन्य उत्पन्न होता है ) क्यों कि वह  
चैतना का विवर्त है जैसे कि मध्यकालीन चैतना-विवर्त होता है इस  
अनुमान के प्रयोग करने पर पहले ( जन्मसमय के ) चैतन्य के पहले  
मृता-पिता का चैतन्य होता ही है यह स्वीकृत है अतः पहला

चैतन्यपूर्वकं चिद्विवर्तन्वात् सध्यचिद्विवर्तवदित्युके आद्यचैतन्यस्य  
स्पाताणिरुचैतन्यपूर्वकत्वाङ्गीकारात् सिद्धसाध्यत्वेन हेतोः अकिञ्चित्कर-  
चोद्यावने पश्चात् आद्यं चैतन्यम् एकसंतानचैतन्यपूर्वकं चिद्विवर्तत्वात्  
मध्यचिद्विवर्तवदित्यादि ॥

### [ ७३. प्रतिज्ञाविरोधः ]

धर्मधर्मिविरोधः प्रतिज्ञाविरोधो नाम निग्रहस्थानम्। सर्वज्ञो न  
किञ्चिद् जानाति जिज्ञासारहितत्वात् सुपुत्रवदित्यादि । केचित् साध्य-  
साधनयो विदेशं प्रतिज्ञाविरोधमाचक्षते, तन्मतेऽस्य विलङ्घहेत्वाभास-  
त्वैवैच निग्रहत्वात् ॥

### [ ७४. प्रतिज्ञासंन्यासः ]

उक्ते हेतौ दूषणोद्यभावने स्वसाध्यपरित्यागः प्रतिज्ञासंन्यासो नाम

चैतन्य चैतन्यपूर्वक होता हैं यह साध्य पहले ही सिद्ध है अतः यहाँ  
हेतु अकिञ्चित्कर ( व्यर्थ ) है ऐसा कहने पर किर यह कहना कि पहले  
( जन्मसमय के ) चैतन्य के पहले एक ही सन्तान का चैतन्य होता है  
क्यों कि वह चेतना का विवर्त है जैसे कि मध्यकालीन चेतनाविवर्त होता है  
( यहा पहली प्रतिज्ञा यह थी कि पहला चैतन्य चैतन्यपूर्वक होता है, बाढ़ मे-  
इस प्रतिज्ञा को बढ़ा कर यह स्वरूप दिया गया कि पहला चैतन्य तथा  
उस के पहले का चैतन्य एकही सन्तान के - एकही व्यक्तित्व के होने  
चाहिए अत यह प्रतिज्ञान्तर निग्रहस्थान हुआ ) ।

### प्रतिज्ञाविरोध निग्रहस्थान

धर्म ( गुण ) और वर्मी ( गुणवान् ) में विरोध होना यह प्रतिज्ञा-  
विरोध नाम का निग्रहस्थान है । जैसे-सर्वज्ञ कुछ नहीं जानता क्यों कि वह  
सोए हुए व्यक्ति के समान जिज्ञासारहित है ( यहा सर्वज्ञ अर्थात् जो सब  
जानता है वह धर्मी है, उस का कुछ न जानना इस वर्मी से स्पष्ट ही विरोध  
है अत यह प्रतिज्ञाविरोध निग्रहस्थान हुआ ) ।

### प्रतिज्ञासंन्यास निग्रहस्थान

हेतु बतलाने पर दूषण दिखलाने पर अपने साव्य को छोड़ देना यह  
प्रतिज्ञासंन्यास नाम का निग्रहस्थान है । जैसे-शब्द अनित्य है क्यों कि वह

निग्रहस्थानम् । अनित्यः शब्द कृतकत्वाद् वृद्धविदित्युक्ते प्रध्वंसाभावेत्  
हेतोः अनेकान्तोदभावने जाहं शब्दमनित्यं व्रवीमीत्यादि ॥

### [ ७५. हेत्वन्तरम् ]

अविचेषे हेतौ व्यभिचारेण प्रतिपिछे पश्चाद् विशेषणोपादानं हेत्व-  
न्तरं नाम निग्रहस्थानम् । उदाहरणम्—पूर्वप्रयोगे पूर्ववदनेकान्तोदभावने  
पश्चाद् अनित्यः शब्दः भावत्वे सति कृतकत्वाद् वृद्धविदित्यादि ॥

### [ ७६. अर्थान्तरम् ]

प्रकृतप्रमेयानुपयोगिवचनम् अर्थान्तरं नाम निग्रहस्थानम् । उदाहरणम्

कृतक है जैसे घट इस अनुमान के प्रस्तुत करने पर हेतु में प्रध्वंसाभाव से  
अनेकान्त वतलाया गया ( प्रध्वंसाभाव कृतक होने पर भी नित्य है अतः  
कृतकत्व यह हेतु नित्य और अनित्य दोनों पदार्थों में पाया जाता है—वह  
अनैकान्तिक है ऐसा कहा गया ) तब मैं शब्द को अनित्य नहीं कहता ऐसा  
कहना ( प्रतिज्ञासंन्यास होगा, शब्द अनित्य है यह बाढ़ी की प्रतिज्ञा भी उस  
से वह सुकरता है यही प्रतिज्ञासंन्यास है ) ।

### हेत्वन्तर निग्रहस्थान

विशेषणरहित हेतु का प्रयोग करने पर ( प्रतिबाढ़ी द्वारा ) व्यभिचार—  
दोष दिखलाने पर ( हेतु में ) विशेषण का स्वीकार करना यह हेत्वन्तर  
नाम का निग्रहस्थान है । जैसे—उपर्युक्त अनुमान में ( शब्द अनित्य है क्यों  
कि वह कृतक है जैसे घट ) उपर्युक्त प्रकार से अनेकान्त—दोष वतलाने पर  
( प्रध्वंसाभाव कृतक है किन्तु नित्य है अतः कृतकत्व यह हेतु नित्य और  
अनित्य दोनों पदार्थों में पाया जाता है अतः वह अनैकान्तिक है ) यह  
कहना कि शब्द अनित्य है क्यों कि वह भाव है तथा कृतक है जैसे घट  
( वहाँ मूळ हेतु कृतकत्व में भावत्व के साथ होना यह विशेषण अधिक जोड़ा  
है अतः यह हेत्वन्तर निग्रहस्थान हुआ ) ।

### अर्थान्तर निग्रहस्थान

प्रस्तुत विषय के लिए निनपयोगी बाते कहना यह अर्थान्तर नाम का  
निग्रहस्थान है जैसे—शब्द अनित्य है । क्यों कि वह कृतक है यह हेतु है, हेतु

अनित्यः शब्दः, कृतकत्वादिति हेतु., हेतुश्च हिनोतेस्तुनप्रत्यये उणादिकं पदं तस्य लिङ्गसंज्ञानन्तरं स्यात् व्युत्पत्तिः, हेतु. हेतू हेतवः इत्यादि ॥

### [७७. निरर्थकम् ]

अर्थरहितशब्दमात्रोच्चारणं निरर्थकं नाम निग्रहस्थानम् । उदाहरणम्— अनित्यः शब्दः अवहडमठपरतत्वात् नयभजखगसदचलव-  
र्दित्यादि ॥

### [ ७८. अविज्ञातार्थकम् ]

वादिना त्रिरूपन्यस्तमपि परिपत्प्रतिवादिभि अविज्ञायमानम्  
अविज्ञातार्थकम् नाम निग्रहस्थानं वादिनः । प्रतिवादिनोऽप्येवम् ॥

शब्द हि धातु को उणादि तुन् प्रत्यय लगाने से बना है, उस की व्युत्पत्ति लिङ्ग और संज्ञा के बाद होती है, ( प्रथमा में उस के रूप हैं —) हेतुः हेतू-  
हेतवः ( यहाँ हेतु शब्द का व्याकरण बतलाना अर्थात्तर है क्यों कि इस का शब्द के अनित्य होने से कोई संबंध नहीं है — साध्य के लिए यह निरूप-  
योगी है ) ।

### निरर्थक निग्रहस्थान

विना अर्थ के केवल ध्वनि का उच्चारण करना यह निरर्थक नाम का निग्रहस्थान है । जैसे—शब्द अनित्य है क्यों कि वह नयभजखगसदचल  
जैसा अवहडमठपरत है ( यहा अवहडमठपरत तथा नयभजखगसदचल विना अर्थ के केवल ध्वनि हैं अतः यह निरर्थक निग्रहस्थान हुआ ) ।

### अविज्ञातार्थक निग्रहस्थान

वादी के तीन बार कहने पर भी जिस को सभा तया प्रतिवादी न समझ सकें उसे वादी के लिए अविज्ञातार्थक नाम का निग्रहस्थान कहना चाहिये । इसी प्रकार प्रतिवादी के लिए भी निग्रहस्थान होगा ( यदि उसके तीन बार कहने पर भी वादी और सभा उसे न समझ पाये ) ।

## [ ७९. अपार्थकम् ]

समुदायार्थपरिवानम् अपार्थकं नाम निग्रहस्थानम्। अग्निः कृष्णोऽ  
वायुत्वात् जलवत् ।

समुद्रः पीयते मेर्व अहमद्य जरातुरः ।

अमी गर्जन्ति पर्जन्या हरेरेरावतः प्रियः ॥ १५ ॥ इत्यादि ।

## [ ८० अप्राप्तकालम् ]

अवयवचिपर्यासवचनम् अप्राप्तकालं नाम निग्रहस्थानम्। घटवत्  
कृतकत्वादनित्य शब्द इत्यादि ॥

## अपार्थक निग्रहस्थान

( शब्दों के ) समूह के अर्थ का ज्ञान न होना यह अपार्थक नाम का निग्रहस्थान है। जैसे - अग्नि काला है क्यों कि वह वायु है जैसे जल ( यहा- अग्नि, कृष्ण, वायु और जल ये चारों शब्द सार्थ होने पर भी उन के समूह का कोई अर्थ सगत नहीं हो सकता )। समुद्र मेवों द्वारा पिया जाता है, मैं अब बुढ़ापे से पीड़ित हूँ, ये वाढ़ गरज रहे हैं, इन्द्र को ऐरावत प्रिय है ( यहाँ चारों वाक्यखण्ड सार्थ होने पर भी उन के समूह में अर्थ की कोई- सगति नहीं है अतः यह अपार्थक निग्रहस्थान हुआ )।

## अप्राप्तकाल निग्रहस्थान

( अनुमान वाक्य के ) अवयवों को उलट-पलट कर कहना यह अप्राप्तकाल नाम का निग्रहस्थान है। जैसे - घट के समान कृतक होने से अनित्य है ग्रन्थ ( यहा शब्द यह पक्ष अन्त में, अनित्य होना यह साध्य उस के पहले, कृतक होना यह हेतु उस के पहले तथा घट यह दृष्टान्त प्रारंभ में कहा है, अनुमान वाक्य की रीति के अनुसार इन का क्रम ठीक उलटा अर्थात् पक्ष-साध्य-हेतु-दृष्टान्त इस प्रकार होना चाहिए, अतः क्रम ठीक न होने से यह अप्राप्तकाल निग्रहस्थान हुआ )।

## [ ८१. हीनम् ]

अन्यतमेत अवयवेत न्यूनं हीनं नाम निग्रहस्थानम्। अनित्यः  
शब्दः कृतकत्वात्, यो यः कृतकः स सर्वोप्यनित्य, यथा घटः, कृतक-  
आद्यं शब्द इति ॥

## [ ८२. अधिकम् ]

द्वयादिहेतुद्वृष्टान्तमधिकं नाम निग्रहस्थानम्। आकाशं वाह्येन्द्रिय-  
ग्राह्यगुणरहितं नित्यत्वात् निरवयवत्वात् स्पर्शरहितत्वात् कालवत्  
आत्मवत् इत्यादि ॥

## [ ८३. शेषाणि निग्रहस्थानानि ]

शब्दार्थयोः पुनर्वचनं पुनरुक्तं नाम निग्रहस्थानम् अन्यत्रानुवादात् ।  
परिवदा, परिज्ञातस्य वादिना त्रिस्पन्दस्तस्याप्रत्युच्चारणम् अनन्तुभाषणं

## हीन निग्रहस्थान

अनुमान का वाक्य किसी एक अवयव से न्यून हो तो वह हीन  
नामक निग्रहस्थान होता है । जैसे- ग्रन्थ अनित्य है क्यों कि वह कृतक है,  
जो जो कृतक होता है वह सभी अनित्य होता है, जैसे घट, और यह शब्द  
कृतक है । ( यहाँ अनुमान के वाक्य में अन्तिम अवयव निगमन-इस लिए  
शब्द अनित्य है - का प्रयोग नहीं किया गया है अतः यह हीन निग्रहस्थान  
हुआ ) ।

## अधिक निग्रहस्थान

दो या अधिक हेतुओं तथा दृष्टान्तों का प्रयोग करना यह अधिक  
नाम का निग्रहस्थान है । जैसे - आकाश में वाह्य इन्द्रियों से ग्राह्य गुण नहीं  
हैं क्यों कि वह काल के समान और आत्मा के समान नित्य है, अवयव-  
रहित है तथा स्पर्शरहित है ( यहा नित्यत्व, निरवयत्व, स्पर्शरहितत्व इन  
तीन हेतुओं का तथा काल और आत्मा इन दो दृष्टान्तों का प्रयोग किया  
गया है अतः यह अधिक निग्रहस्थान हुआ ) ।

## शेष निग्रहस्थान

किसी शब्द या अर्थ का द्वारा प्रयोग करना यह पुनरुक्त नामक

नाम निग्रहस्थानम् । साधनप्रयोगे दूषणापरिज्ञानं दूषणोद्भावते परिहारा-  
प्रतिपक्षि अप्रतिभा नाम निग्रहस्थानम् । व्यासंगाद् भीते अप्रतिभादेः वा  
प्रारब्धकथाविच्छेदो विक्षेपो नाम निग्रहस्थानम् । स्वपक्षोक्तदोपमपरिहत्य  
परपक्षे दोषमुद्भावयतो मतानुज्ञा नाम निग्रहस्थानम् । प्राप्तदोषानुद्भावनं  
पर्यनुयोज्योपेक्षणं नाम निग्रहस्थानम् । दोपरहितस्य दोषोद्भावनं निर-  
नुयोज्यानुयोगो नाम निग्रहस्थानम् । स्वीकृतागमविरुद्धप्रसाधनम् अप-  
सिद्धान्तो नाम निग्रहस्थानम् । असिद्धाद्यो हेत्वाभासा नाम निग्रह-  
स्थानानि ॥

### [ ८४. निग्रहस्थानोपसंहारः ]

लिङ्गकारककालादिस्खलनं निग्रहो भवेत् ।  
तत्प्रतिज्ञाभ्युपेतस्य नान्यस्य सुखवादिनः ॥ १६ ॥

निग्रहस्थान होता है, किन्तु ( प्रतिवादी के कथन का खंटन करनेके लिए )  
दुहराना यह निग्रहस्थान नहीं होता । जिसे सभा ने समझ लिया हो तथा  
वादी ने तीनबार जिस का उच्चारण किया हो उसे न दुहरा सकना यह  
अनुभापण नामका निग्रहस्थान होता है । ( प्रतिपक्षी द्वारा ) किसी साधन  
( हेतु ) का प्रयोग किये जाने पर उस में दूषण न सूझना तथा ( प्रतिपक्षी  
द्वारा ) दूषण दिये जाने पर उस का उत्तर न सूझना यह अप्रतिभा नामका  
निग्रहस्थान होता है । ( अन्य विषय में ) रुचि होने से, ( पराजय के ) डरसे  
या उत्तर न सूझने से शुरू की हुई चर्चा को रोक देना यह विक्षेप नाम का  
निग्रहस्थान होता है । अपने पक्ष में वताये गये दोष का उत्तर न टेकर  
प्रतिपक्ष में दोष वताना यह मतानुज्ञा नाम का निग्रहस्थान होता है ।  
( प्रतिपक्ष में ) प्रात हुए दोष को न वतलाना यह पर्यनुयोज्योपेक्षण नाम का  
निग्रहस्थान होता है । निर्दोष कथन में दोष वतलाना यह निरनुयोज्यानुयोग  
नाम का निग्रहस्थान होता है । अपने द्वारा मान्य आगम के विरुद्ध तत्त्व को  
इसिद्ध करना यह अपसिद्धान्त नाम का निग्रहस्थान होता है । असिद्ध इत्यादि  
हेत्वाभास नाम के निग्रहस्थान हैं ( जिन का विस्तार से वर्णन पहले हो  
जुका है ) ।

### इनिग्रहस्थान चर्चा का समारोप

- जिस ने वैसी प्रतिज्ञा की हो उस वादी के लिए लिंग, कारक, कांड

तथा साधनदूषणानुपयोगिनां प्रतिभाक्षयकारिणां कलह-गालिप्रदान  
सहभापण-बृथाग्रहसन-कपोलवाद्वत्-तलप्रहार-शिरःकम्पन-ऊरुताडन  
नर्तन-उत्पवन-आस्फोटनादीनामपि निग्रहस्थानत्वम् ॥

### [ ८५. छलादिप्रयोगनियमः ]

स्वयं नैव प्रयोक्तव्या सभामध्ये छलादयः ।  
परोक्तास्तु निराकार्या वादिना ते प्रयत्नतः ॥ १७ ॥  
यदा सदुत्तरं नैव प्रतिभासेत वादिनः ।  
प्राप्ते पराजये नित्यं प्रयोक्तव्याश्चलादयः ॥ १८ ॥  
छलाद्युद्भावने शक्तः प्रतिवादी भवेद् यदि ।  
वादी पराजितस्तेन नो चेत् साम्यं तयोर्भवेत् ॥ १९ ॥

### [ ८६. वादः ]

उकानि साधनदूषणानि । तैः क्रियमाणो वाद उच्यते ।

आदि की गलती भी निग्रहस्थान होती है, मुख्यूर्वक वाद करनेवाले अन्य वादी के लिए वह निग्रहस्थान नहीं होती। इसी प्रकार पक्ष के साधन या दूषण के लिए अनुपयोगी एवं प्रतिभा को कम करनेवाले झगड़े, गाली देना, साथ बोलना, फालतू हँसना, गाल बजाना, ताली बजाना, सिर हिलाना, छाती पीटना, नाचना, उडना, चिल्लाना आदि को भी निग्रहस्थान समझना चाहिए।

### छलादि के प्रयोग के नियम

सभा में स्वयं छल आदि का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए किन्तु अतिवादी द्वारा उन का प्रयोग किये जाने पर वादी को प्रयत्नपूर्वक उन का निराकरण करना चाहिए। जब वादीको सही उत्तर सूझता ही न हो तथा पराजय का प्रसंग आया हो तब हमेशा छल आदि का प्रयोग करना चाहिए। यदि प्रतिवादी छल आदि को स्पष्ट बतला सके तो उस के द्वारा वादी पराजित होता है, अन्यथा दोनों में समानता रहती है।

### वाद

अब तक साधन और दूषणों का वर्णन किया। अब उन से किये

विवादपद्मुहित्य वचोसिर्युक्तयुक्तिभिः ।  
अङ्गीकृतागमार्थानां वचनं वाद उच्यते ॥ २० ॥

वादस्य स्वपथसाधनं साधनसमर्थनं परपक्षदूषणं दूषणसमर्थनं  
शब्दोपवर्जनमिति उच्यता पञ्च । अपशब्दापप्रयोगानन्वयदुरन्वया-  
प्रसिद्धापदानीति शब्दोपाः पञ्च । तत्र वद्यमाणभाषा वोदा ।

प्राकृतसंस्कृतमागधपिशाचभाषाथ शौरसेनी च ।  
पष्टोऽत्र भूरिसेदो देशविशेषादपभ्रंश ॥ २१ ॥

प्रतिवादमिवाङ्ग्या पर्वंविधयुक्तियुक्तभाषाभिः अभिप्रेतार्थवादनं  
वादः ।

वादं त्रिधा वदिष्यन्ति व्याख्यागोष्ठीविवादतः ।  
गुरुविहितजिज्ञाषूषणां शिष्यशिष्टप्रवादिभिः ॥ २२ ॥

जानेवाले वाद का वर्णन करते हैं । विवाद के विषय को लेकर उचित युक्तियों के वाक्यों द्वारा अपने द्वारा स्वीकृत आगम (शास्त्र) के अर्थ का वर्णन करना यह वाद कहलाता है । वाद के पाच अवयव हैं – अपने पक्ष की सिद्धि करना, उसके साधनों का समर्थन करना, प्रतिपक्ष के दूषण बतलाना, उन दूषणों का समर्थन करना तथा शब्द के दोषों से दूर रहना । शब्द के दोप पाच प्रकार के हैं – अपशब्द, अपप्रयोग (गलत प्रयोग), अनन्वय (असम्बद्ध प्रयोग), दुरन्वय (जिसका संबन्ध समझना कठिन हो वह प्रयोग) तथा अप्रसिद्ध शब्दों का प्रयोग । वाद में वोली जानेवाली भाषाएँ छह प्रकार की हैं – प्राकृत, मस्त्रत, मानव, ऐशाच, शौरसेनी तथा छठ्वा भाषा अपभ्रंश, जिसके भिन्न भिन्न प्रदेशों के कारण बहुतसे प्रकार हुए हैं । इस प्रकार की युक्तिसंगत भाषाओं द्वारा प्रतिवादी की इच्छानुसार अपने समत अर्थ को कहना यह वाद है । वाद के तीन प्रकार हैं – व्याख्यावाद, जो गुरु शिष्य के साथ करता है, गोष्ठीवाद, जो विद्वान शिष्ट लोगों के साथ करता है, तथा विवादवाद, जो विजय की इच्छा करनेवाला वादी प्रतिवादी के साथ करता है – ये वे तीन प्रकार हैं ।

## [ ८७. व्याख्यावादः ]

तत्र व्याख्यावादे—

कुर्यात् सदाग्रहं शिष्यो विचारे शास्त्रगोचरे ।

बुभुत्सुस्तस्वयाथात्मर्यं न क्वदाचिद् दुराग्रहम् ॥ २३ ॥

सदाग्रहः प्रमाणेन प्रसिद्धार्थद्वाग्रह ।

दुराग्रहो मनोभान्त्या वाधितार्थद्वाग्रहः ॥ २४ ॥

सत्साधनेन पक्षस्य स्वकीयस्य समर्थलम् ।

सद्दूषणौर्विपक्षस्य तिरस्कारो गुरो क्रिया ॥ २५ ॥

सदसाधनदूषणे कीदृक्षे इत्युक्ते उचित-

व्याप्तिमान् पक्षधर्मश्च सम्यक्साधनमुच्यते ।

तद्वैकत्यविभावस्तु सर्यग्दूषणमुच्यते ॥ २६ ॥

असिद्धादय साधनाभासाः । छलादयो दूषणाभासाः ।

## व्याख्यावाद

व्याख्यावाद में शास्त्रसवधी विचार होता है, उस में शिष्य तत्त्वों का वास्तविक स्वरूप जानने की इच्छा करते हुए सत्य के विषय में आग्रह करे, दुराग्रह कभी न करे । प्रमाण से सिद्ध होनेवाले विषय में दृढ़ आग्रह होना यह सदाग्रह ( सत्य का आग्रह अथवा योग्य आग्रह ) है । मन के भ्रम के कारण प्रमाणविद्ध विषय में दृढ़ आग्रह होना यह दुराग्रह कहलाता है । उचित साधनों से अपने पक्ष का समर्थन करना तथा उचित दूषणों से प्रतिपक्ष का निपेद करना यह ( व्याख्यावाद में ) गुरु का आर्थ होता है । उचित साधन तथा दूषण कैसे होते हैं यह पूछने पर कहते हैं व्याप्ति से युक्त पक्ष के वर्म को उचित साधन ( हेतु ) कहते हैं ( जिस का पहले विस्तार से वर्णन कर चुके हैं ) तथा उचित साधन की कमी वतलाना यही उचित दूषण होता है । असिद्ध इत्यादि सावन ( हेतु ) के आभास हैं तथा छल आदि दूषण के आभास हैं ( इन दोनों का पहले विस्तार से वर्णन हो चुका है ) । अनुग्रह के योग्य शिष्य के साथ समझानेवाले गुरु उन्नुग्रह के लिए

अनुग्रहस्य शिष्यस्य वोधकैर्गुरुभिः सह ।  
अनुग्रहाय कृतत्वान्न स्तां जयपराजयौ ॥ २७ ॥

### [ ८८. गोष्ठीवादः ]

गोष्ठीवादे—असूयकत्वं शटताचिचारो दुराग्रहः सूक्तिचिमाननं च ।  
पुंसाममी पञ्च भवन्ति दोषा तत्त्वार्थोधप्रतिवन्धनाय ॥२८॥  
सुजनैः किमजानद्भिः किं जानद्भिरसूयकैः ।  
भाव्यं विशिष्टगोष्ठीपु जानद्भिरनसूयकैः ॥ २९ ॥  
मूर्खैरपक्वोद्यैस्तु सहालापश्चतुःफलः ।  
वाचां व्ययो मनस्ताप ताडनं दुःप्रवादनम् ॥ ३० ॥  
तस्सात् समं जनैर्भविष्यं शास्त्रयाथात्मग्रवेदिभिः ।  
प्रामाणिकैः प्रवादेषु कृताभ्यासैः कृपालुभिः ॥ ३१ ॥  
गोष्ठ्यां सत्साधनैरेव स्वपक्षस्य समर्थनम् ।  
सद्दूयणैर्विपक्षस्य तिरस्कारस्तयोर्मत ॥ ३२ ॥

यह व्याख्यावाद करते हैं इसलिए इस में विजय अथवा पराजय का प्रश्न ही नहीं होता ।

### गोष्ठीवाद

गोष्ठीवाद में पुरुषों के लिए तत्त्व का अर्थ समझने में वाधा डालनेवाले पांच दोष इस प्रकार होते हैं—मत्सर, दुष्टता, अविचार, दुराग्रह तथा अच्छे वचनों की अवहेलना । न जाननेवाले सज्जनों से अथवा जाननेवाले मत्सरी लोगों से क्या लाभ ? विशिष्ट गोष्ठी में भाग लेनेवाले लोग जाननेवाले किन्तु मत्सर न करनेवाले होने चाहिए । अबूरी समझवाले मूर्खोंसे वातचीत के चार फल प्राप्त होते हैं—शब्द खर्च होना, मन को कष्ट होना, मारपीट होना अथवा निदा होना । अतः गोष्ठी के सदस्य शास्त्रों का वास्तविक रूप जाननेवाले, समानशील, प्रामाणिक, दयालु तथा वादविवाद का अनुभव रखनेवाले होने चाहिए । गोष्ठी में उचित साधनों से ही अपने पक्ष का समर्थन करना चाहिए तथा उचित दूषणों से ही प्रतिपक्ष का निषेध करना चाहिए । गोष्ठीवाद और व्याख्यावाद में तत्त्व का ज्ञान दृढ़ होना यही उद्देश होता है अतः अपनेयोंग

गोष्ठीव्यारथानयोरत्र—

व्याख्यावादे च गोष्ठ्यां च तत्त्वज्ञानदृढार्थयो ।  
अपप्रयोगदु शब्दपौनस्त्रक्त्यं न दूपणम् ॥ ३३ ॥  
विशिष्टैः क्रियमाणायां कथायां विदुपां सदौ ।  
तत्त्ववृत्तिदृढार्थत्वात् न स्तां जयपराजयौ ॥ ३४ ॥

[ ८९. विवादवादः ]

विवादवादे-ययोरेव समं वित्तं ययोरेव समं थ्रुतम् ।

तयोरेव विवादः स्यात् न तु पुष्टविपुष्टयोः ॥ ३५ ॥  
नैवारोहेत् तुलां जानु गरिष्ठो लघुना सह ।  
लघुरुचतिमायाति गरिष्ठोऽधो ब्रजेद् यत् ॥ ३६ ॥ इत्येके ।  
असमेनापि द्वत्तेन सतां वादो यशस्करः ।  
गुणाः किं न सुवर्णस्य व्यज्यन्ते निकपोपले ॥ ३७ ॥  
परप्रवर्पप्रहितेन चेतसा व्यपेक्षया दर्पभरेण वा नृपाः ।  
वाढं रणं वासुरवृत्तयो जना कर्तुं यतन्ते न तु धर्मवृत्तय ॥ ३८ ॥

( अनुमान का गलत प्रयोग ), गठत शब्दों का प्रयोग अथवा पुनरुक्ति ये-  
दूपण नहीं होते । गोष्ठी-चर्चा विशिष्ट विद्वानों में तत्त्वज्ञान को दृढ़ करने के  
लिए कीजाती है अत इस में जय अथवा पराजय का प्रश्न ही नहीं होता है ।

### विवादवाद

विवादवाद मे जिनका वन समान हो तथा जिनका अध्ययन समान  
हो उन्हीं मे विवाद होता है, सबल तथा दुर्वल मे विवाद नहीं हो सकता ।  
गरिष्ठ ( भारी अथवा ब्रेष्ट ) व्यक्ति को लघु ( हल्के अथवा नीच ) व्यक्ति से  
तुलना नहीं करनी चाहिए क्यों कि ऐसी तुलना मे हल्का व्यक्ति ऊपर जाता  
है तथा भारी व्यक्ति नीचे जाता है ऐसा कुछ लोग कहते हैं ( जिस तरह  
तराजू मे एक ओर हल्की औं दूसरी ओं भारी चीज हो तो हल्की चीज  
का पलडा ऊपर जाता है औं भारी चीज का पलडा नीचे जाता है उसी  
तरह ब्रेष्ट औं नीच व्यक्ति मे विवाद हो तो ब्रेष्ट व्यक्ति की अधोगति औं  
नीच व्यक्ति की उन्नति होती है ) । जो समान नहीं है किन्तु अभिमान कर  
रहा है उस के साथ सत्पुरुष वाढ करें तो वह कीर्ति वटानेवाला होता है ;

यगोवधाय वृत्तेन तत्त्वविष्लब्धकारिणा ।  
नतोऽपि वृद्धता वादी वाढं कुर्यान् विभिः सह ॥ ३३ ॥  
ल रात्रौ नापि चैत्रान्ते नैवासाक्षिश्रामाचरेन् ।  
विवाढं सूर्खेसः प्रातां परिनो मूर्खं मूपतेः ॥ ४० ॥

दुराग्रहो मूर्खेना ।

प्रतिना तु न कर्तव्या वादे युद्धे च धीमता ।  
फलमेव सतामाह सत्यासत्यव्यवस्थितिम् ॥ ४१ ॥  
दुनं विलम्बितं क्षिष्टम् अव्यक्तमनुजासिकम् ।  
अप्रसिद्धपदं वादे न वैश्यत् शाङ्कविन् सदा ॥ ४२ ॥  
वृम् एव विवाढः स्याद् वद्धि युक्तं सदुक्तिभिः ।  
अथ यद्विजपेटामि तत्र वाचंयमा वयम् ॥ ४३ ॥

सोने के गुण क्या कसौटी के पथर पर प्रकट नहीं होते ? ( यद्यपि सोना और पथर परस्पर समान नहीं हैं तथापि उन के संवर्प से सोने के गुण स्पष्ट होते हैं उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति अभिमानी अल्पज के साथ वाढ करे तो उस की विद्वत्ता की कीर्ति बढ़ती है ) । केवल दूसरों से संवर्प करने के आवह से अवश्य गर्व से जो विद्वान या राजा विवाढ या युद्ध करते हैं वे असुरों ( राक्षसों ) जैसी वृत्ति के हैं, वर्म के अनुकूल वृत्ति के नहीं । ( प्रतिपक्षी की) कीर्ति नष्ट करने का जिस ने निश्चय किया है तथा जो तत्त्वोंका विन्द्य करता है ( तात्त्विक चर्चा में गडवडी फैलाना ही जिस का उद्देश है, कोई तत्त्व सिद्ध करना जिसे इष्ट नहीं ) उस से भी वादी तीन सहयोगियों के साथ वाढ करे । रात्रि में, एकान्त में, तथा विना किसी साक्षी के विवाढ न करे ( ऋयों कि ऐसे वाढ में विजय का लाभ नहीं मिलता ), जहा सभासठ मूर्ख हों अवश्य राजा मूर्ख हो वहा वाढ न करे, यहां मूर्खेना का तात्पर्य दुराग्रह से है ( यदि सभासठ या राजा दुराग्रही हो तो वे पक्षपात करेंगे अतः ऐसी समा में वाढ न करे ) । वाढ में तथा युद्ध में बुद्धिमान व्यक्ति प्रतिज्ञा न करे ( शर्त न लगाये ) सत्पुरुषों के लिए ( वाढ या युद्ध का ) फल ही सत्य और असत्य का निर्णय वतलाता है । शास्त्र को जाननेवाला वादी वाढ में वहुत जलदी, वहुत धीरे, चहुत कठिन, अस्पष्ट, नाक में अथवा अप्रसिद्ध शब्द न बोले । यदि उचित वाक्यों से युक्त वाढ हो तो हम बोलेंगे ही, किन्तु लाठी या बगड़ों से वाढ होना हो तो वहां हम चुप ही रहते हैं ( ऐसी योग्य वादी की वृत्ति होनी चाहिए ) ।

## [ ९०. चत्वारि वादाङ्गानि । ]

मात्सर्येण विवाद् स्यात् चतुरङ्गश्चतुर्विंश्च ।  
 प्रतिज्ञातार्थसिद्धयन्ततत्त्वात् लोकविवादवत् ॥ ४४ ॥  
 अङ्गानि चत्वारि भवन्ति वादे सैन्ये यथा भूमिपतीश्वराणाम् ।  
 सभापति सभ्यजन प्रवादी वादी च सर्वे स्वयुणैरुपेता ॥ ४५ ॥

## [ ९१. सभापतिः ]

तत्र सभापते: लक्षणम् ।

समझस कृपालुश्च सर्वसिद्धान्ततत्त्वविंश्च ।  
 अधाधितार्थसंग्राही वाधितार्थविहायक ॥ ४६ ॥  
 आवावान् धार्मिको दाता विद्वद्गोष्ठीप्रिय शुधी ।  
 नियन्तान्यायवृत्तीनां राजा स स्यात् सभापति ॥ ४७ ॥  
 आदिशान् वादयेद् वादे वादिनं प्रतिवादिना ।  
 न स्वयं विवदेत् ताभ्यां धर्मतत्त्वविचारक ॥ ४८ ॥

## वाद के चार अंग

( वादी और प्रतिवादी के ) मत्सर से जो विवाद होता है वह चार प्रकार का तथा चार अगो से सपन्न होता है । लोगो के विवाद के समान यह विवाद भी प्रतिज्ञा किये हुए अर्थ की सिद्धि होने तक चलता है । राजाओं के सैन्य में जिस तरह चार अंग ( हाथी, घोड़े, रथ और पदाति ) होते हैं उसी तरह वाद में चार अग होते हैं । अपने गुणों से युक्त वे सब अंग इस प्रकार हैं – सभापति, सभ्यजन, प्रतिवादी तथा वादी ।

## सभापति

उन ( चार अगों ) मे सभापति का लक्षण इस प्रकार है । वह राजा सभापति होना चाहिए जो समझदार, दयालु, सब सिद्धान्तो के तत्त्वों को जाननेवाला, अवाधित अर्थ का संग्रह कर के वाधित अर्थ को छोड़नेवाला, आङ्ग देने में समर्थ, वार्मिक, दानशील, विद्वानो की चर्चा जिसे प्रिय है ऐसा, दुष्टिमान् , व अन्याय के वरताव को नियन्त्रित करनेवाला हो । सभापति वादी को आदेश देते हुए प्रतिवादी से वाद कराये । धर्म के तत्त्वों का विचार

सभापतिर्वदेद् वादे साधनं दूषणं यदि ।  
 को विवादात् वदेत् तेन कुतस्त्यस्तत्त्वनिश्चय ॥ ४३ ॥  
 जाननुभवसिद्धान्तौ गुणदोषौ तयोर्मती ।  
 राजा सभ्यैर्विचार्यैव देयाज्जयपराजयौ ॥ ५० ॥

### [ ९२. सभ्याः ]

सभ्यानां लक्षणमुच्यते ।

अपक्षपातिन प्राज्ञा स्वयमुद्ग्रहणे क्षमा ।  
 सर्वसिद्धान्तसारबा. सभ्या दुर्बलवारका ॥ ५१ ॥

उक्तं च ।

अपक्षपातिन प्राज्ञा सिद्धान्तघवेदिन ।

असद्वादनिषेद्वार प्राथिका प्रग्रहा इव ॥ ५२ ॥

( प्रमेयक्रमलक्षणिण पृ. ११५ )

करते हुए वह स्वयं उन से विवाद न करे । यदि सभापति ही वाद में साधन या दूषण वताये तो उस से विवाद कैसे होगा तथा तत्त्व का निश्चय कहाँ ने होगा ( तात्पर्य - सभापति का कार्य निर्णय देना है, स्वयं वाद करना नहीं ) । दोनों पक्षों के सिद्धान्तों को, उन के गुणदोषों को तथा विचारों को जानते हुए राजा सभासदों से विचार करके ही जय अवबा पराजय का निर्णय दे ।

### सभासद

अब सभासदों का लक्षण बतलाने हैं । जो पक्षपाती नहीं हैं, बुद्धिमान हैं, स्वयं तत्त्व को समझ सकते हैं, सभी सिद्धान्तों के तात्पर्य को जानते हैं तथा गलत वचनों को रोक सकते हैं वे सभासद होते हैं । कहा भी है — पक्षपात न करनेवाले, बुद्धिमान, दोनों सिद्धान्तों को जाननेवाले, तथा गलत वचनों को रोकनेवाले प्राथिक ( सभासद ) प्रग्रह के ( लगाए के ) समान होते हैं ( दोनों पक्षों को नियन्त्रित कर उचित मार्ग पर बनाये रखते हैं ) । सभासद सान, पाच या तीन होने चाहिए, वे ढानों मतों के विशेषों को जाननेवाले हों, समझदार हों तथा जो चीजें छोड़ने योग्य हैं उन से ( अपशब्द आदि से ) दूर रहनेवाले हों । कहा भी है — जिन्हों ने कई वाद ढेखे

प्राश्निकै सत्तमिर्भाव्यमथवा पञ्चभिल्लिभिः ।

मतद्वयविग्रेपनै वर्ज्यभीस्समख्यसैः ॥ ५३ ॥

तथा चोक्तम् ।

द्वृष्टवादै श्रुतज्येष्ठै त्रिभि पञ्चभिरेव वा ।

माध्यस्थ्यादिगुणौपेतै भवितव्यं परीक्षकैः ॥ ५४ ॥

अलाभे एकेनापि पर्याप्तम् ।

नार्थसंबन्धिनो नाप्ता न सहाया न वैरिण ।

न द्वृष्टदोषा मध्यस्था न व्याध्यार्ता न दूषिता ॥ ५५ ॥

वादिनौ स्पर्धयेद् वृत्तो सभ्ये सारेतरेक्षिभि ।

राजा च विनियन्तव्यौ तत्सांनिध्यं वृथान्यथा ॥ ५६ ॥

आज्ञागम्भीर्यदातृत्वविवेकनिधिभर्त्काम् ।

सभामानिविशेष्यादन्निशं वहुनायिकाम् ॥ ५७ ॥

अज्ञाततत्त्वचेतोभिः दुराग्रहमलीमसैः ।

युद्धमेव भवेत् गोष्ठ्यां दण्डादण्ड कचाकचि ॥ ५८ ॥

हैं, जिन का अध्ययन बढ़ा चढ़ा है, तथा जो तटस्थता आदि गुणों से युक्त हैं ऐसे तीन या पाच परीक्षक ( सभासद ) होने चाहिएं । यदि ( ऐसे अधिक परीक्षक ) न मिलें तो एक भी काफी होता है । सभासद ( वादी अथवा प्रतिवादी से ) धन के मामलों में संबंधित ( कर्जदार या साहूकार ) न हों, वे उन के रिक्तेदार न हों, मित्र न हों तथा शत्रु भी न हों, वे दोष देखनेवाले, -रोग से दुखी या अन्य दोष से दूषित न हों, तटस्थ हों । ( अनुमान का ) सार तथा निस्सार होना जाननेवाले सभासदों से धिरा हुआ राजा वादी तथा 'प्रतिवादी में वाद कराये, राजा उन्हें नियन्त्रित भी करे ( स्वैर वर्तवि न करने -दे ) अन्यथा उस का समीप होना व्यर्थ होगा । ऐसी सभा में जाना चाहिए 'जिस का स्वामी ( राजा ) आज्ञा देनेवाला, गम्भीर, उदार, व विवेकशील हो । ऐसी सभा में कभी न जाये जिस में वहुतसे नेता हों ( यदि वहुतसे नेता होते हैं तो उन में आपस में न पटने पर वाद में विव्ल आते हैं ) । जिन के मन में तत्त्वों का ज्ञान नहीं है, जो दुराग्रह से मलिन हैं ऐसे लोगों के साथ चर्चा करने में ढण्डे मार कर तथा केश घसीट कर लडाई ही होती

उक्तं च ।

राजा विलावको यत्र सभ्याश्वाससमवृत्तय ।

तत्र वादं न कुर्वीत सर्वज्ञोऽपि यदि स्वयम् ॥ ५५ ॥

### [ ९३. पक्षपातनिन्दा ]

अवधार्थे व्रुवतां सभ्येसभापतीनां निन्दा निगद्यते ।

युक्तायुक्तमतिक्रम्य पक्षपाताद्वदेद् यदि ।

ब्रह्मज्ञादिकं दुखं नरकेषु समच्छुते ॥ ६० ॥

ब्रह्मज्ञानां च ये लोका ये च स्त्रीवालवातिनाम् ।

मित्रदुहां कृतज्ञानां ते ते स्मृत्युवतोऽन्यथा ॥ ६१ ॥

पक्षपाताद् वदेद् योऽपि गुणदोषातिलङ्घनात् ।

सोऽपि ब्रह्मविद्यातेन यद्दुखं तद्भजत्यसौ ॥ ६२ ॥

अपि च । अपूर्ज्या यत्र पूर्ज्यन्ते पूर्ज्यानामवसानना ।

तत्र दैवकृतो दण्डः सद्यः पतति दारुणं ॥ ६३ ॥

है ( वास्तविक विचारविमर्श नहीं हो सकता ) । कहा भी है — जहाँ राजा गडवडी पैदा करता हो तथा सभासद समान भाव न रखते हों ( पक्षपाती हों ) वहाँ वादी स्वय सर्वज्ञ भी हो तो वाद न करे ( क्यों कि ऐसे वाद में पक्षपात से निर्णय होता है, वादी के ज्ञान का कोई उपयोग नहीं होता ) ।  
पक्षपात की निन्दा

असत्य बोलनेवाले सभासद तथा सभापति की निन्दा इस प्रकार की जाती है । यदि ( सभापति या सभासद ) योग्य और अयोग्य को छोड़ कर पक्षपात से बोलता है तो वह ब्राह्मण की हत्या करनेवाले से भी अधिक दुःख नरक में प्राप्त करता है । असत्य बोलनेवाले को वही गति प्राप्त होती है जो ब्राह्मण की हत्या करनेवालों को, स्त्री तथा वच्चों की हत्या करनेवालों को तथा मित्रों की हत्या करनेवाले वृत्तम लोगों को प्राप्त होती है । गुण और दोष को छोड़ कर जो भी पक्षपात से बोलता है वह कोई भी हो, उसे वही दुःख प्राप्त होता है जो ब्राह्मण की हत्या करनेवाले को मिलता है । और भी कहा है — जहा पूर्ज्य लोगों का अपमान होता है और अपूर्ज्य लोगों का आदर होता है वहा तत्काल दैवकृत दण्ड का आवात होता है । जहा जहा विद्वानों

विष्वद्योगैरविष्वांसो यत्र यत्र प्रपूजिताः ।

तत्र सद्य सतां मृत्यु अर्थहानिः प्रजायते ॥ ६४ ॥

व्याधि पीडा मनोग्लानिरनावृष्टिर्भयं तत् ।

पक्षपातं विना तत्त्वज्ञानिनं मानयेद् भुशम् ॥ ६५ ॥

राज्ये सप्ताङ्गसंपत्तिरायु सौख्याभिवर्धनम् ।

सुवृष्टि सुफलं द्येममारोग्यं तत्प्रपूजनात् ॥ ६६ ॥

यो द्व्यादाश्रयाक्षादिं तत्त्वयाथात्म्यवेदिने ।

स भुक्त्वा याति निर्वाणमन्येभ्यो भवसंतति ॥ ६७ ॥

कुत एतत् । अब्जानोपास्तिरज्ञानं ज्ञानं ज्ञानिसमाश्रय ।

ददाति यद्वहि यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वच ॥ ६८ ॥

इत्युक्तवात् ॥ ( इष्वोपदेशः श्लो. २३ )

### [ १४. वादिप्रतिवादिनौ ]

वादिलक्षणमुच्यते ।

विदितस्वपरैतिद्यु कविताप्रतिपत्तिमान् क्षमी वाग्मी ।

अनुयुक्ते प्रतिवक्ता कृतपक्षपरिग्रहो वादी ॥ ६९ ॥

के साथ अविद्वानों का भी आदर हो वहा तत्काल सञ्जनों की मृत्यु तथा धन की हानि होती है, तथा रोग, हु ख, मन की उटासी, अनावृष्टि और भय होता है। इस लिए पक्षपात न करते हुए तत्त्वज्ञानी का बहुत सम्मान करना चाहिए। तत्त्वज्ञानी के आदर से राज्य में सातो अगों की प्राप्ति होती है, आयु और सुख बढ़ता है, अच्छी वर्षा होती है तथा फल अच्छों मिलता है, सर्वत्र कुदाल तथा आरोग्य रहता है। तत्त्वों के वास्तविक ज्ञान को जो आश्रय, अन्न आदि देता है वह उपभोग प्राप्त कर अन्त में निर्वाण प्राप्त करता है, दूसरे लोग ससार की परंपरा में ही भ्रमण करते रहते हैं। ऐसा क्यों कहने हैं? कहा भी है— अज्ञान की उपासना से अज्ञान प्राप्त होता है तथा ज्ञानी के आश्रय से ज्ञान मिलता है, यह वचन सुप्रसिद्ध है कि जिस के पास जो हो वही वह दे सकता है।

### वादी और प्रतिवादी

अब वादी का लक्षण कहते हैं— अपने तथा दूसरे (प्रतिपक्षी) के

प्रतिवादिलक्षणमुच्यते ।

क्षमी स्वपरपक्षज्ञः कविताप्रतिपक्षिमान् ।

अनुद्य दूरको वादे प्रतिवादी प्रशस्तवाक् ॥ ७० ॥

इति चतुरङ्गानि ॥

[ ९५. चतुर्विधे वादे तात्त्विकवादः ]

इदानीं चातुर्विधमुच्यते ।

तात्त्विकः प्रातिभम्बैव नियतार्थः परार्थनः ।

यथाशास्त्रं प्रवृत्तोऽयं विवादः स्याच्चतुर्विधः ॥ ७१ ॥

तत्र तात्त्विक उच्यते ।

यत्रैता न प्रयुज्यन्ते निष्फलाइछलजातयः ।

उक्ता अपि न दोषाय स वादस्तास्थिको भवेत् ॥ ७२ ॥

यावन्तो दूषणाभासास्ते शास्त्रे छलजातयः ।

ते चात्मपरतत्त्वस्य सिद्ध्यसिद्ध्योरहेतवः ॥ ७३ ॥

वृत्तान्त को जाननेवाला, कविता को समझनेवाला, सहनशील, बोलने में निपुण, प्रश्न किये जाने पर उत्तर देनेवाला तथा किसी पक्ष का जिसने स्वीकार किया है वह वादी होता है । अब प्रतिवादी का लक्षण कहते हैं – सहनशील, अपने तथा दूसरे (प्रतिपक्षी) के पक्ष को जाननेवाला, कविता को समझनेवाला, प्रशंसनीय वचनों का प्रयोग करनेवाला तथा वाद में (वादी के कथन को) दुहरा कर उस में दोष वत्तानेवाला प्रतिवादी होता है । इस प्रकार (वाद के) चार अंगों का वर्णन पूरा हुआ ।

### तात्त्विक वाद

अब (वाद के) चार प्रकारों का वर्णन करते हैं । शास्त्र के अनुसार होनेवाला यह विवाद चार प्रकार का होता है – तात्त्विक, प्रातिभ, नियतार्थ तथा परार्थन । उन में तात्त्विक वाद का वर्णन इस प्रकार है । जिस में छल, जाति इत्यादि निष्फल वातों का प्रयोग नहीं किया जाता तथा करने पर भी जहाँ वे (प्रतिपक्षी के लिए) दोष के कारण नहीं होते उस वाद को तात्त्विक वाद कहते हैं । शास्त्र में जितने झूठे दूषण हैं वे छल, जाति आदि अपने तत्त्व को सिद्ध करने को लिए या प्रतिपक्षी के तत्त्व को असिद्ध वत्ताने के

तात्त्विकवादे जयपराजयवस्था कथ्यते ।

वादिना साधने प्रोक्ते दोषमुद्भाव्य साधनम्।

स्वपक्षे प्रतिवादी चेत् व्रूते वादी निगृह्यते ॥ ७४ ॥

तद्हेतौ दोषमुद्भाव्य स्वपक्षे साधनं पुनः ।

वर्कु नेशः प्रवादी स्यात् यदा साम्यं तयोर्भवेत् ॥ ७५ ॥

वाद्युक्ते साधने दोषो नेश्यतेऽसत् प्रयुज्यते ।

परेण वादिनोद्वारे प्रतिवादी निगृह्यते ॥ ७६ ॥

तदुद्धरणसामर्थ्यभावे साम्यं तयोर्भवेत् ॥

### [ ९६. प्रातिभावादः ]

प्रातिभ उच्यते ।

स्यात् पद्यगद्यभाषणां मिश्रामिश्रादिमेदतः ।

नियतेश्वाक्षरादीनां प्रातिभोऽनेकवर्त्मनः ॥ ८७ ॥

लिए कारण नहीं हो सकते । अब तात्त्विक वाद में जय और पराजय की व्यवस्था बतलाते हैं । वादी द्वारा (अपने पक्ष की सिद्धि के लिए) हेतु बताये जाने पर प्रतिवादी उस में दोष बता कर अपने पक्ष में हेतु बतलाये तो वादी पराजित होता है । यदि वादी द्वारा बताये गये हेतु में दोष बताने के वाद प्रतिवादी अपने पक्ष में हेतु न बता सके तो दोनों में समानता होती है । वादी द्वारा बताये गये हेतु में दोष न दिखाई दे और प्रतिवादी झूठा दूषण बताये तथा वादी उस झूठे दूषण का उत्तर दे दे तो प्रतिवादी पराजित होता है । यदि वादी उस झूठे दूषण का उत्तर न दे सके तो उन दोनों में समानता होती है ।

### प्रातिभ वाद

अब प्रातिभ वाद का वर्णन करते हैं । पद्य, गद्य, भाषा, मिश्र, अमिश्र, अक्षर आदि के नियमों से अनेक प्रकार का प्रातिभ वाद होता है । वचनों की विशिष्ट रचना यह इस को स्वरूप है और यह वक्ता के अभ्यास से संभव होता है । अत तत्त्व का निर्णय करनेवालों के लिए उस की कुछभी उपयोगिता नहीं है । (वस्तुतः इसे वाद न कह कर काव्यप्रतिभा की स्पर्धा कहना चाहिए, एक सांदो ही अक्षरों का प्रयोग कर क्षेक्षण, रूक्ष

वचोगुण्फविशेषोऽयं वक्तुरभ्याससंभवी ।  
तत्त्वनिर्णयकर्तृणां न तस्यैवोपयोगिता ॥ ७८ ॥

### [ ९७. नियतार्थवादः ]

नियतार्थ उच्यते ।

हेतुदृष्टान्तदोषेषु प्रतिज्ञातैकदोषतः ।  
नियतार्थः प्रतिज्ञातकथायां भङ्गवाहनम् ॥ ७९ ॥  
प्रातिभे नियतार्थं वा जयः स्यान्वियमोक्तिः ।  
नियमस्य विद्यातेन भङ्गे वादिप्रवादिनोः ॥ ८० ॥

### [ ९८. परार्थनवादः ]

परार्थन उच्यते ।

प्रतिवाद्यानुलोम्येन भूपसभ्यार्थनेन वा ।  
परार्थनो भवेद् वादः परस्येच्छानुवर्तनात् ॥ ८१ ॥

विषय का पद में वर्णन करना, लिखित विषय का गद्य में वर्णन करना, दो भाषाओं के मिश्रण से रचना करना आदि प्रकारों की स्थर्वाएं राजसभाओं में प्रायः होती थीं ) ।

### नियतार्थ वाद

अब नियतार्थ वाद का वर्णन करते हैं । हेतु अथवा दृष्टान्त के दोषों में किसी एक दोष ( की वतलाने ) की प्रतिज्ञा करने पर उस प्रतिज्ञा की परिधि में ( प्रतिपक्षी की वात को ) निरस्त करना यह नियतार्थ वाद है ( प्रतिपक्षी का हेतु असिद्ध वनला कर मैं उसे पराजित करूगा अथवा विरुद्ध वनला कर पराजित करूगा इस प्रकार नियम कर के उसी के अनुसार प्रतिपक्षी को उत्तर देना यह नियतार्थ वाद का स्वरूप है ) । प्रातिभ वाद में तथा नियतार्थ वाद में नियम के अनुसार बोलने पर वादी-प्रतिवादी का विजय होता है तथा नियम तोड़ने पर पराजय होता है ।

### परार्थन वाद

अब परार्थन वाद का वर्णन करते हैं । प्रतिवादी के अनुरोध को स्वीकार करने से अथवा राजा या किसी समासद के निवेदन पर जो वाद

परार्थं तात्त्विकस्येव स्यातां जयपराजयौ ।  
कथाया अवसानोऽपि जयाजयसमाप्तिः ॥ ८२ ॥

### [ ९९. पत्रलक्षणम् ]

इदानीं पत्रावलम्बनविषय । पत्रलक्षणमुच्यते ।

मात्सर्येण विचादस्य बृत्तौ वादिप्रवादिनोः ।  
पत्रावलम्बनं तत्र भवेत्तान्यत्र कुत्रचित् ॥ ८३ ॥  
तत्त्वमतप्रसिद्धाङ्गं गृदार्थं गृहसत्त्वकम् ।  
स्वेष्टप्रसाधकं वाक्यं निर्दोषं पत्रमुत्तमम् ॥ ८४ ॥  
प्रसिद्धावयवं गृहपदप्रायं सुशब्दकम् ।  
स्वेष्टप्रसाधकं वाक्यं निर्व्यग्नं पत्रमुच्यते ॥ ८५ ॥

उक्तं च । प्रसिद्धावयवं वाक्यं स्वेष्टस्यार्थस्य साधकम् ।

साधुगृहपदप्रायं पत्रमाहुरनाकुलम् ॥ ८६ ॥ ( पत्रपरीक्षा पृ. १ )

होता है उसे परार्थन कहते हैं क्यों कि वह दूसरे की इच्छा के मानने से होता है । परार्थन वाड में जय-पराजय के नियम तात्त्विक वाड के समान होति हैं तथा जय अथवा पराजय में समात होने पर कथा ( उस चर्चा ) का अन्त होता है ।

### पत्र का लक्षण

अब पत्र के सम्बन्ध में विचार करेंगे । पत्र का लेखण इस प्रकार है— वादी तथा प्रतिवादी में मत्सर से युक्त ( प्रतिपक्षी पर विजय प्राप्त करने की ईर्ष्या से सहित ) विवाद हो वहाँ पत्र का आश्रय लिया जाता है, अन्यत्र कहीं भी नहीं । वह वाक्य निर्दोष तथा उत्तम पत्र होता है जो उस उस मत में ( पत्र का प्रयोग करनेवाले वादी के मत में ) प्रसिद्ध अंगों से युक्त हो, जिस का अर्थ तथा तात्पर्य गृह हो तथा जो अपने इष्ट तत्त्व को सिद्ध करता हो । अजिस में प्रसिद्ध ( अपने मत की रीति के अनुसार ) अवयव हों, जिस के शब्द अच्छे किन्तु प्राय गूढ हों तथा जो अपने इष्ट तत्त्व को सिद्ध करता हो उस वाक्य को निर्दोष पत्र कहते हैं । कहा भी है—प्रसिद्ध अवयवों से युक्त, अपने इष्ट अर्थ को सिद्ध करनेवाला तथा अच्छे किन्तु प्रायः गूढ शब्दों से बना हुआ वाक्य निर्दोष पत्र होता है ।

## [ १००. पत्रस्य अङ्गानि ]

पञ्चावयचान् यौगच्छतुरो मीमांसकश्च सांख्यस्त्रीन् ।

जैनो द्वौ स च वौद्वस्त्वेकं हेतुं निरूपयति ॥ ८७ ॥

अपि च जैनमते

चित्राद्यदन्तराणीयमारेकान्तात्मकत्वत् ।

यदित्थं न तदित्थं न यथा किंचिदिति त्रयः ॥ ८८ ॥

( पत्रपरीक्षा पृ. १० )

## पत्र के अंग

पत्र ( में वर्णित अनुमान व्याक्य ) के पांच अवयव होने चाहिए ऐसा नैयायिक कहते हैं, मीमांसक चार, सांख्य-तीन, जैन दो तथा बौद्ध केवल हेतु इस एक ही अवयव को आवश्यक समझते हैं । कहीं कहीं जैन मत में भी ( यहाँ की एक पंक्ति का अर्थ नीचे देखिए ) जो ऐसा नहीं है वह ऐसा नहीं होता जैसे अमुक ये तीन अवयव होते हैं ( उदाहरणार्थ-जो धूमयुक्त नहीं है वह अग्नियुक्त नहीं होता जैसे सरोवर । और यह वैसा है ऐसा कहने पर चार अवयव होते हैं ( उदा०-और यह पर्वत धूमयुक्त है ) । इसलिए वह ऐसा है ऐसा कहने पर पाच अवयव होते हैं ( उदा०-इसलिए यह पर्वत अग्नियुक्त है ) ऐसा वर्णन भी पाया जाता है ।

( चित्रात् आदि पंक्ति का स्पष्टीकरण-यहाँ के तीन शब्दों का स्पष्टीकरण विद्यानन्दि स्वामी के कथनानुसार इस प्रकार है-चित्र अर्थात् एक, अनेक, भेद, अभेद, नित्य, अनित्य आदि विविताओं को अंतिम अर्थात् व्यात करता है वह चित्रात् अर्थात् अनेकान्तात्मक है; यदन्त का अर्थ विश्व है क्यों कि सर्वनामों की गणना में विश्व शब्द के बाद यद् शब्द आता है, यद् जिसके बाद में आता है वह यदन्त अर्थात् विश्व शब्द है; राणीप अर्थात् कहने योग्य क्यों कि रा धातु का अर्थ शब्द करना यह होता है; यदन्तराणीय अर्थात् यदन्त इस शब्द द्वारा कहने योग्य अर्थात् विश्व, यदन्तराणीयम् चित्रात् अर्थात् विश्व अनेकान्तात्मक है, आरेका अर्थात् संशय, आरेकान्त अर्थात् प्रमेय क्यों कि न्यायदर्शन के प्रथम सूत्र में वर्णित सोलह पटार्याँ में प्रमेय के बाद सशय शब्द्

तथा चेदमिति प्रोक्ते चत्वारोऽवयवा मता ।  
तस्मान् तथेति निर्देशे पञ्च पत्रस्य कस्यचित् ॥ ८९ ॥ ( उपर्युक्त )  
इति निर्देशोऽप्यस्ति ॥

### [ १०१. पत्रस्वरूपम् ]

त्रायन्ते वा पदान्यस्मिन् परेभ्यो विजिगीपुणा ।

कुतश्चिदिति पत्रं स्याह्लोके शास्त्रे च रूढितः ॥ ९० ॥ ( पत्रपरीक्षा पृ. २ )

मुख्यं पदान्वयं वाक्यं लिप्यामारोप्यते लिपे ।

पत्रस्थत्वाच्च तत् पत्रम् उपचारोपचारतः ॥ ९१ ॥

तत्पत्रेण कीदृष्टेण भवितव्यमित्युक्ते वक्ति ।

सौर्वर्णं राजतं ताम्रं भूर्जपत्रमथापरम् । ।

स्वेष्टप्रसाधकं पत्रं राजद्वारे शुभावहम् ॥ ९२ ॥

का उल्लेख है; अरेकान्तात्मकत्व अर्थात् प्रमेयात्मकत्व अर्थात् प्रमेयत्व, अरेकान्तात्मकत्वतः अर्थात् प्रमेयत्व के कारण, इस प्रकार पूरे वाक्य का तात्पर्य हुआ—यदन्तराणीयम् ( विश्व ) चित्रात् ( अनेकान्तात्मक है ) आरेकान्तात्मकत्वतः ( क्यों कि वह विश्व प्रमेय है, सब प्रमेय अनेकान्तात्मक होते हैं अतः विश्व अनेकान्तात्मक है ) ।

### पत्र का स्वरूप

विजय की इच्छा रखनेवाला ( वादी ) प्रतिवादी से अपने पदों ( शब्दों ) की इस में किसी तरह रक्षा करता है ( गूढ़ शब्दों का प्रयोग कर के प्रतिवादी से अपने वाक्य की रक्षा करता है ) इस लिए इसे ( इस गूढ़ वाक्य को ) लोगों के व्यवहार में तथा शास्त्र चर्चा में रूढिके कारण पत्र कहते हैं ( प = पठ तथा त्र = रक्षक अतः पत्र = पदों का रक्षक ऐसा यहाँ शब्द-च्छेद किया है ) । मुख्यतः वाक्य शब्दों से बनता है, लिपि में वाक्य होने का आरोप किया जाता है ( वाक्य के शब्द लिपि में अकित किये जाने पर व्यवहार से उन लिपि-चिन्हों को भी वाक्य कहा जाता है ) तथा ये लिपि-चिन्ह पत्र पर अंकित होते हैं अतः उपचार के भी उपचार से उस पत्र को भी वाक्य कहते हैं ( और इस तरह वादी द्वारा प्रयुक्त गूढ़ वाक्य को पत्र यह संज्ञा मिलती है ) । वह पत्र कैसा होना चाहिये यह पूछने पर उत्तर-

श्रीतालं खरतालं वा पत्रं स्वेष्टार्थसाधकम् ।

वितस्तिहस्तमात्रं वा राजद्वारे शुभावहम् ॥ ९३ ॥

### [ १०२. पत्रविचारे जयपराजयौ ]

ज्ञातपत्रार्थको विद्वान् पत्रस्थमनुमानकम् ।

अनूद्य दूषणं वृयान्नान्यदर्थान्तरोक्तिः ॥ ९४ ॥

अङ्गीकृतं वस्तु विहाय विद्वान् भीते प्रसंगान्तरमर्थमाह ।

तदास्य कृत्वा वचनोपरोद्धं स्वपक्षसिद्धावितरो यत्तेत ॥ ९५ ॥

पत्रार्थं न विजानाति यदि संपृच्छुतां परः ।

सोऽपि सम्यग् वदेत् स्वार्थं ततो दूषणभूषणे ॥ ९६ ॥

असंकेताप्रसिद्धादिपदैः पत्रार्थवोधनम् ।

प्रवादिनो न जायेत तावता न पराजयः ॥ ९७ ॥

देते हैं । अपने इष्ट तत्त्व को सिद्ध करनेवाला शुभसूचक पत्र सोने का, चादी का, तावे का अथवा भूर्जवृक्ष का हो सकता है, उसे राजसभा के द्वार पर ( प्रस्तुत किया जाता है ) । राजसभा के द्वार पर शुभसूचक पत्र अपने इष्ट अर्थ को सिद्ध करनेवाला होना चाहिये, वह श्रीताल अथवा खरताल वृक्ष का भी हो सकता है, वह एक वालिश्त या एक हाथ लम्बा होना चाहिये ।

पत्र के विषय में जय और पराजय की व्यवस्था

पत्र के अर्थ को जान कर ( प्रतिपक्षी ) विद्वान् पत्र में वर्णित अनुमान को दुहराए तथा उस में दोष वताये, अन्य चर्चा न करे क्योंकि वह ( दूसरे विषय की चर्चा करना ) विषयान्तर होगा । ( पत्र में ) ली हुई वात को छोड़ कर ( प्रतिपक्षी ) विद्वान् ( पराजय के ) डर से विषयान्तर करके कोई वाक्य कहे तो उस के बोलने को रोक कर दूसरा ( पत्र का प्रयोग करनेवाला चादी ) अपने पक्ष को सिद्ध करने का प्रयत्न करे । पूछने पर भी यदि प्रतिपक्षी पत्र के अर्थ को न समझे तो चादी अपने अर्थ को योग्य रीति से चतलाये, उस के बाद दोष और गुणों की चर्चा की जाय । सुकेतरहित ( वे शब्द जिन का विशिष्ट अर्थ में प्रयोग रुढ़ नहीं है ) अथवा अप्रसिद्ध ( वे शब्द जिन का प्रयोग प्रायः नहीं होता ) शब्दों के कारण प्रतिपक्षी पत्र के अर्थ को न समझ सके तो उन्ने से ही उस का पराजय नहीं होता ।

## [ १०३ वादजल्पौ ]

साधनं दूषणं चापि सम्यगेव प्रयुज्यते ।

पक्षवैपक्षयोर्यस्मिन् स वादः परिकीर्तिः ॥ ९८ ॥

यस्मिन् विचारे पक्षविपक्षयोर्यथाक्रमम् सम्यक्साधनदूषणे एवं प्रयुज्यते उक्तो वादः । इदानीं जल्प उच्यते ।

सम्यगेव तद्वाने तदाभासोऽपि युज्यते ।

पक्षवैपक्षयोर्यत्र स जल्पः परिभाष्यते ॥ ९९ ॥

यत्र विचारे पक्षविपक्षयोर्यथाक्रमं सम्यगेव साधनदूषणे प्रयुज्यते, तथोर-  
यस्मिन्वाने साधनदूषणाभासावपि प्रयुज्यते स विचारे जल्प इति परिभाष्यते ॥

## [ १०४. कथाचतुष्कम् ]

उक्तो जल्पः । इदानीं तथोः वितण्डे उच्येते ।

विपक्षस्थापनाहीनौ वादजल्पौ प्रकीर्तितौ ।

वितण्डे इति शास्त्रेषु न्यायमार्गेषु सद्वृद्धैः ॥ १०० ॥

## वाद और जल्प

जिस में पक्ष में और विपक्ष में योग्य साधनों और योग्य दूषणों का ही प्रयोग किया जाता है उसे वाद कहते हैं। अर्थात् जिस विचारविमर्श में अनेक पक्ष में योग्य साधनों का ही प्रयोग किया जाता है तथा प्रतिपक्ष में योग्य दूषण ही दिये जाते हैं उसे वाद कहा जाता है। इस प्रकार वाद का वर्णन हुआ। जल्प का वर्णन करते हैं। जिस में पक्ष और विपक्ष में योग्य साधनों और योग्य दूषणों का ही प्रयोग किया जाता है किन्तु उन योग्य साधन-दूषणों का ज्ञान न होने पर साधनाभास तथा दूषणाभास का भी प्रयोग होता है उसे जल्प कहते हैं। अर्थात् जिस विचारविमर्श में अनेक पक्ष में योग्य साधनों का ही प्रयोग किया जाता है किन्तु योग्य साधन न सूझने पर साधनाभास का भी प्रयोग किया जाता है तथा प्रतिपक्ष में योग्य दूषण ही दिये जाते हैं किन्तु योग्य दूषण न सूझने पर दूषणाभास भी प्रयुक्त किये जाते हैं उसे जल्प कहा जाता है।

## कथा के चार प्रकार

ऊपर जल्प का वर्णन किया। अब उन दोनों ( वाद और जल्प ) की

वादः प्रतिपक्षस्थापनाहीनो यदि नद् वादवितण्डा । जल्योऽपि चिपक्ष-  
स्थापनाहीनद्येत् जल्यवितण्डा स्यादिति न्यायमानेषु सद्गुर्द्येः उद्योन-  
करादिभिः चतन्न वशः परिक्षीर्तिताः । तत्र

वीतरागदथे वादवितण्डे निर्णयान्ततः ।

विजिगीषुक्ये जल्यवितण्डे तद्भावत ॥ १०१ ॥

वादवादवितण्डे वीतरागदथे भवतः । गुरुग्रीष्यः विदिष्टविद्विद्विभिर्वा-  
थ्रेयोऽधिक्षिभिः तत्त्ववृभुत्सुभिः अमन्तरसंव्यतरपक्षनिर्णयपर्यन्तं क्रियमाण-  
त्वात् । जल्यजल्यवितण्डे विचिर्माणुक्ये स्याताम् । वादिप्रतिवादिसभा-  
पतिप्राक्षिकाङ्क्षात्वात् । लाभपूजात्यातिकमैः समन्तरैः तत्त्वगानसंस-  
~~~~~

वितण्डाओं का वर्णन करते हैं । जिस वाद और जल्य में प्रतिपक्ष की स्थापना
नहीं की जाती उन्हें अच्छे विद्वान न्याय-मार्ग के आँड़ों में वितण्डा कहते
हैं । अर्थात्-वाद में यदि प्रतिपक्ष की स्थापना न हो तो वह वादवितण्डा
होती है तथा जल्य में प्रतिपक्ष की स्थापना न हो तो वह जल्यवितण्डा
होती है ऐसा न्याय के मार्ग में अच्छे विद्वानों ने – उद्योनकर आदि ने कहा
है, इस प्रकार कथा के चार प्रकार हीने हैं (वाद, वादवितण्डा, जल्य तथा
जल्यवितण्डा) । इन में वाद तथा वादवितण्डा (तत्त्व के) निर्णय हीने तक
की जाती हैं अतः ये वीतराग कथाएँ हैं तथा जल्य और जल्यवितण्डामें उस
का अभाव है (तत्त्व का निर्णय मुख्य न हो कर वाढी का जय अवया-
पराजय मुख्य है, वाढी का जय होते ही वह नमाम होनी है) अतः ये
कथाएँ विजिगीषु कथाएँ हैं । वाद तथा वादवितण्डा ये वीतराग कथाएँ हैं
क्यों कि ये गुरुग्रीष्यों में अथवा उन विशिष्ट विद्वानों में होती हैं जो कल्पाण
के इच्छुक, तत्त्व जानने के लिए उत्सुक तथा मत्सर से दूर होते हैं, ये
कथाएँ एक पक्ष के निर्णय हीने तक की जाती हैं (इन में किसी की हार-
या जीत का प्रश्न नहीं होता, कौनसा तत्त्व सत्य है यह निर्णय होता है) ।
जल्य और जल्यवितण्डा ये विजिगीषु कथाएँ हैं, इनमें वाढी, प्रतिवाढी, सभा-
पति तथा प्राक्षिक (परीक्षक सभासद) ये चारों अंग होते हैं, लाभ, आदर-
तथा कीर्ति की इच्छा रखनेवाले मत्सरी वाढी (अपने पक्ष के) तत्त्ववर्णन के
रक्षण के लिए ये कथाएँ करते हैं तथा प्रतिवाढी के पराजय तक ही ये कथाएँ

स्थानार्थिभिः प्रतिवादिस्खलनमात्रपर्यन्तं क्रियमाणत्वाच्च । इति कश्चिद्-
पश्चिमो विपश्चित् कथाचतुष्टयम् अचीकथत् ॥

[१०५. कथात्रितयम्]

तथा प्रमाणतर्कसाधनोपालम् सिद्धान्ताविरुद्धः पञ्चावयवोपपन्नः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहो वाद (न्यायसूत्र १-२-१) छलजातिनिग्रहस्थान साधनोपालम् सिद्धान्ताविरुद्ध पञ्चावयवोपपन्नः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहो जल्पः । जल्प एव प्रतिपक्षस्थापनाहीनो वितण्डा । तत्त्वज्ञानार्थं वादः । तत्त्वज्ञानसंरक्षणार्थं जटपवितण्डे वीजप्ररोहसंरक्षणार्थं कण्ठकशाखा-चरणवत् । तथा हि । जल्पवितण्डे विजिगीपुविषये तत्त्वज्ञानसंरक्षणार्थ-

की जाती हैं । इस प्रकार किसी श्रेष्ठ विद्वान ने कथा के चार प्रकारों का चर्णन किया है ।

कथा के तीन प्रकार

जिस में प्रमाण और तर्क के द्वारा साधन और दूषण उपस्थित किये जाते हैं, जो सिद्धान्त के विरुद्ध नहीं होता, पाच अवयवों से संपन्न होता है तथा घक्ष और प्रतिपक्ष को स्वीकार कर के किया जाता है उसे वाढ कहते हैं । जिस में छल, जाति, तथा निग्रहस्थानों द्वारा भी साधन और दूषण दिये जाते हैं, जो सिद्धान्त के विरुद्ध नहीं होता, पाच अवयवों से संपन्न होता है, तथा पक्ष और प्रतिपक्ष को स्वीकार करके किया जाता है उसे जल्प कहते हैं । जल्प में ही यदि प्रतिपक्ष की स्थापना न की जाय तो उसे वितण्डा कहते हैं । वाद तत्त्व के ज्ञान के लिए होता है । जिस प्रकार वीज से निकले हुए अंकुर के रक्षण के लिए कॉटोभरी वाढ लगाई जाती है उसी तरह तत्त्वज्ञान के संरक्षण के लिए जल्प और वितण्डा होते हैं । जल्प और वितण्डा विजय की इच्छा से किये जाते हैं, क्यों कि वे तत्त्वज्ञान के संरक्षण के लिए होते हैं, चार अंगों से (वादी, प्रतिवादी, सभापति तथा सभासदों से) संपन्न होते हैं, लाभ, सत्कार तथा कीर्ति के इच्छुक लोगों द्वारा किये जाते हैं, मत्सरी वादियों द्वारा किये जाते हैं, प्रतिवादी की गलती होते ही समाप्त किये जाते हैं, छल इत्यादि से सहित होते हैं, इस सब के उदाहरण के रूप में श्रीहर्ष की कथा (जल्प और वितण्डा) समझनी चाहिए ।

त्वात् चतुरङ्गत्वात् लाभपृजाग्यातिकार्मः प्रवृत्तत्वात् समन्सरैः कृतन्वात्
प्रतिवादिस्खलितमात्रपर्यवसानत्वात् छलादिरहितत्वान् श्रीहर्षकथावत् ।
तथा वादस्तत्वाध्यवसायसंरक्षणरहितादिमान् चतुरङ्गादिरहितत्वान्
श्रीहर्षकथावत् इनि पूर्वपूर्वप्रसाध्यत्वे इतरं पञ्च हेतुत्वेन द्रष्टव्या । तत्
सकलहेतुसमर्थनार्थं च वादस्तत्वाध्यवसायसंरक्षणरहितादिमान्
अविजिग्नीपुष्पिपयन्वात् श्रीहर्षकथावत् इत्यपरः कश्चित् तार्किकः कथात्रयं
ग्रत्यतिष्ठिष्ठत् तदेतत् सर्वं क्रमेण विचार्यते ॥

[१०६. वादलक्षणखण्डनम्]

तत्र प्राचीनपद्मे साधनं द्रव्यणं चापि सम्बोध प्रयुज्यते इति वाद-
लक्षणम् असमझसम् । वादिना पद्मेहेतुद्रष्टव्यान्तदोपवर्जितसत् साधनो-
पन्यासे प्रतिवादिन सद्दृश्यणोद्भावनासंभवात् । प्रतिवादिना व्याप्तिपद्म-

(इस के प्रतिकूल) वाद में तत्त्व के निश्चय का संरक्षण आदि उपर्युक्त वातें
नहीं होतीं, क्यों कि चार अंगों से सपन्न होना आदि उपर्युक्त वातें उस में
नहीं होतीं, इस के उदाहरण के रूप में श्रीहर्ष की कथा (वाद) समझनी
चाहिए । इन उपर्युक्त (तत्त्व का सरक्षक होना आदि पाच) वातों में पहली-
साध्य हो तो वाद की साधक हेतु होती है ऐसा समझना चाहिए ।
इन सभी हेतुओं का समर्थन इस प्रकार होता है — वाद में तत्त्व के निश्चय
का सरक्षण आदि-वातें नहीं होतीं क्यों कि वह विजय की इच्छा सं नहीं
किया जाता उदाहरणार्थ — श्रीहर्ष की कथा (वाद) । इस प्रकार किसी
दूसरे तार्किक (तर्कदास्त्रज्ञ विद्वान्) ने तीन कथाओं की स्थापना की है ।
अब इन सब वातों का क्रमशः विचार करेंगे ।

वाद के लक्षण का खण्डन

उपर्युक्त वाद-लक्षण में पहले पक्ष न यह कहा है कि वाद में साधन-
आं और दृष्टव्य उचित हो तो ही उन का प्रयोग किया जाता है—यह कथन
सुसगत नहीं है । जब वादी ऐसे उचित साधन (हेतु) का प्रयोग करे जिस-
में पक्ष, साध्य या दृष्टान्त का कोई दोष न हो तो प्रतिवादी उस हेतु में
उचित दृष्टव्य नहीं बतला सकता । यदि प्रतिवादी कोई ऐसा उचित दृष्टव्य
बतलाता है जिस से हेतु की व्याप्ति में या पक्ष का धर्म होने से गलती निश्चित-

धर्मतार्वकल्यनिश्चायकसदूपणोद्भावने स्थापनाहेतो सत्साधनत्वायोगाच्च । कथं छ्वये । सम्यकन्त्रं जाग्रटीति । यदि यथोक्तसत्साधनोपन्यासेऽपि सदूपणोद्भावने वोभवीति नहिं त किंचित् सत्साधने स्यादिति न क्षयापि स्वपक्षसिद्धिः । सदूपणस्यापि सत्साधनपूर्वकत्वात् तद्भावे तस्याच्च भाव स्यादिति सर्वं चिराल्पते । तस्मादेकचिपयसाधनदूपणयोरे केन आभासेन भवितव्यम् । ननु वादे सत्साधनदूपणोपन्यास इत्यभिप्रायनियमो न वस्तुनियम इति चेन्न । स्थापनाहेतोः सत्साधनत्वनिश्चये प्रतिवादिन सदूपणोद्भावनाभिप्रायायोगात् । स्वहेतौ सदूपणोद्भावनिश्चये वादिनः सन्त्साधनप्रयोगाभिप्रायायोगाच्च । ननु तद्भावे वादिप्रतिवादिनो सत्साधनदूपणप्रयोगोद्भावनाभिप्रायो न जाग्रटीति इति-

होती हों तो (उस का अर्थ यह है कि) (वादी द्वारा अपने पक्ष की) स्थापना के लिए दिया गया हेतु उचित साधन नहीं हो सकता । दोनों (साधन और दूषण) उचित कैसे हो सकते हैं । यदि ऊपर कहे हुए प्रकार से उचित साधन का प्रयोग करने पर भी उचित दूषण बतलाया जा सकता हो तो कोई भी साधन उचित नहीं होगा अत कोई भी अपने पक्ष को सिद्ध नहीं कर सकेगा । उचित दूषण भी तभी सम्भव है अब उचित साधन हो, यदि उचित साधन का अभाव हो तो उचित दूषण का भी अभाव होगा अत सब गडवडी हो जायगी । इस लिए एक ही विषय में जो साधन और दूषण प्रयुक्त होते हैं उन में एक आभास होना ही चाहिए (या तो साधन गलत होगा या दूषण गलत होगा) । यहा प्रतिपक्षी कहते हैं कि वाद में उचित साधन और दूषण ही प्रयुक्त किये जाने का (वादी और प्रतिवादीका) अभिप्राय होना चाहिए यह हमारा नियम है, वस्तुतः (उचित ही साधन और दूषण होंगे ऐसा) नियम नहीं है, किन्तु यह कहना ठीक नहीं है । यदि मूल पक्ष की स्थापना करनेवाला हेतु उचित साधन है ऐसा निश्चय होता है तो प्रतिवादी के मन में उचित दूषण बतलाने का अभिप्राय नहीं हो सकता । यदि वादी को यह निश्चय हो कि उस के हेतु में उचित दूषण बतलाया जा सकता है तो उस का अभिप्राय उचित साधन प्रस्तुत करने कहीं नहीं हो सकता । ऐसा न हों तो वादी का अभिप्राय उचित साधन प्रस्तुत करने का नहीं हो सकेगा तथा प्रतिवादी का अभिप्राय उचित दूषण बतलाने,

चेन्न । उक्तप्रमेये सत्साधनसद्भावे सद्दूषणाभावः, सद्दूषणसद्भावे सत्साधनभावः इति प्रागेव शिश्वाकाले निश्चितत्वात् । ततो नाभिप्राय-नियमोऽपि । न वस्तुनियम इति स्वयमेव प्रत्यपीपदत् अत्रास्माकं न प्रयासः । तस्मात् वादलक्षणमयुक्तं परस्य ॥

[१०७. जल्पलक्षणखण्डनम्]

जल्पे तदाभासोऽपि युज्यत इति अयुक्तम् । जल्पस्य चतुरङ्गत्वेन सभामध्ये क्रियमाणत्वात् तत्र तदाभासप्रयोगनियेधात् । तत् कथमिति चेत् 'स्वयं नैवाभिधेयानि छलादीनि सभान्तरे' इत्यभिहितत्वात् । अथ 'एकान्तेन तदा प्राप्ते प्रयोज्यानि पराजये' इत्यभिधानात् तद्योगो

का नहीं हो सकेगा यह कथन भी ठीक नहीं । अमुक विषय मे उचित साधन संभव हो तो उचित दूषण नहीं हो सकता तथा उचित दूषण संभव हो तो उचित साधन नहीं हो सकता यह तो (वे वादी और प्रतिवादी) अध्ययन के समय ही निश्चित कर लेते हैं । अतः (वादी और प्रतिवादी का) अभिप्राय उचित प्रयोग का ही होगा यह नियम भी नहीं हो सकता । वस्तुतः उचित ही प्रयोग होता है ऐसा नियम नहीं है यह आपने स्वयं कहा है अतः इसे सिद्ध करने का प्रयास करने की हमें जरूरत नहीं है । अतः (वाद में उचित साधन और उचित दूषण ही प्रयुक्त होते हैं यह) प्रतिपक्षी द्वारा कहा हुआ वाद का लक्षण अयोग्य है ।

जल्प के लक्षण का खण्डन

जल्प में साधन और दूषण के आभास का भी प्रयोग होता है यह कथन उचित नहीं । जल्प चार अंगों से (सभापति, सभासद, वादी तथा प्रतिवादी से) संपन्न होता है तथा सभा में किया जाता है अतः जल्प में साधनाभास तथा दूषणाभास के प्रयोग का निषेध है । वह किस प्रकार है इस प्रश्न का उत्तर है कि 'स्वयं सभा में छल इत्यादि का उपयोग कभी-नहीं करना चाहिये' ऐसा कहा गया है । यहां शंका होती है कि 'जहां पराजय निश्चित प्रतीत हो वहां छल आदि साधनाभास-दूषणाभासों का प्रयोग करना चाहिये' इस कथन से छल आदि के उपयोग का विवान भी मिलता है किन्तु यह कथन उचित नहीं । ऐसे छल आदि का प्रयोग करने

विधीयत इति चेन्न। तदुद्भावने पराजयस्थावश्यंभावित्वेन तत्प्रयोगा-प्रयोगात्। ननु अनुद्भावने साम्यं भविष्यतीति धिया प्रयुज्यत इति चेन्न। सत्साधनदूपणापरिज्ञानात् नदाभासप्रयोगोद्भावनस्य च वादेऽपि समानत्वात्। इत्यतिव्यापकं जलपस्य लक्षणम्। किं च 'वर्जनोद्भावने चैषां स्ववाक्यपरवाक्ययोः' इत्यभिधानात् तद्वर्जनस्यैव विधानं न तत्प्रयोगस्य। ननु परवाक्ये तदुद्भावनान्यथानुपपत्तेः जल्पे तत्प्रयोगोऽस्तीनि चेन्न। सत्साधनदूपणापरिज्ञानात् तत्प्रयोगस्य वादेऽप्यविग्रेपात्॥

[१०८. वादजल्पयोः अभेदः]

तस्मात् सम्यक्साधनदूपणवत्त्वेन वादान्न भिद्यते जल्पः। तद्-

पर जब प्रतिवादी उस का दूषित स्वरूप सुषृष्ट करता है तब पराजय निश्चित होता है अत छल आदि के प्रयोग का विधान ठीक नहीं है। यदि प्रतिवादी दोष न बना सके तो वादी-प्रतिवादी में समानता सिद्ध होगी इस इच्छा में छल आदि का प्रयोग किया जाता है यह कथन भी उचित नहीं। उचित साधन तथा दूपण न सूझने पर साधनाभास तथा दूपणभास का प्रयोग करना तथा उन्हे बतलाना वाद में भी समान रूपसे पाया जाता है। अत यह जल्प का लक्षण अतिव्यापक है (उस में वाद का भी समावेश हो जाता है)। 'अपने वाक्यों में छल आदि को टालना चाहिए तथा दूसरे के वाक्यों में इन दोषों को पहचान कर प्रकट करना चाहिए' इस कथन से भी छल आदि को टालने का ही विधान मिलता है – उन के प्रयोग करने का नहीं। यदि प्रतिपक्षी के वाक्य में छल आदि न हो तो उन्हें पहचानना सभव नहीं, किन्तु जल्प में प्रतिपक्षी के वाक्य में ये दोष पहचानने का विधान है, अत जल्प में इन का प्रयोग भी होता है यह कथन भी उचित नहीं। उचित साधन और दूपण न सूझने पर साधनाभास –दूपणभासों का प्रयोग समान रूप से वाद में भी पाया जाता है (अत इसी कारण से वाद से जल्प को भिन्न बतलाना सभव नहीं है)।

वाद और जल्प में भेद नहीं है

उपर्युक्त प्रकार से जल्प में भी उचित साधनों और उचित दूषणों का ही प्रयोग होता है अतः वह वादसे भिन्न नहीं है। इसी तरह वादवितण्डा भी जल्प-प्र.प्र.७

वितण्डापि वादवितण्डातो न भिद्यते । ततो वादो जल्प इत्यनर्थान्तरम् । तद्वितण्डेऽपि तथा । तत एव कथाया वीतरागविजिगीपुविषयविभागो नास्त्येव । तथा च प्रयोगः । कथा वीतरागविजिगीपुविषयविभागरहिता प्रमाणवाक्यसाधनोपालभ्यत्वात् प्रसिद्धविचारवत् । अयमसिद्धो हेतुरिति चेत्त । वीतो विचारः प्रमाणवाक्यसाधनोपालभ्यत्वात् सत्साधनदूषणोपेतत्वात् चस्तुविषयत्वाच्च प्रसिद्धविचारवदिति तत्सिद्धेः । तथा जल्पो वीतरागकथा सिद्धान्ताविरुद्धार्थविषयत्वात् पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहत्वात् निग्रहस्थानचत्वात् सिद्धान्ताविरुद्धार्थविषयत्वात् जल्पवत् । अथ

वितण्डासे भिन्न नहीं है। अत वाद और जल्पमें कोई अन्तर नहीं है तथा उन की वितण्डाओं में भी अन्तर नहीं है। इसीलिए वीतराग कथा तथा विजिगीपु कथा इस प्रकार कथा के विषयों का विभाजनहीं ठीक नहीं है। इसी को अनुमान प्रयोग के रूप में बतलाते हैं। सर्वत्र प्रसिद्ध विचारविमर्श के समान कथा में भी प्रमाण वाक्य ही साधन और दूषण होते हैं अतः कथा में वीतराग कथा तथा विजिगीपु कथा इस प्रकार विषयों का विभाजन नहीं हो सकता यह हेतु (प्रमाणवाक्य ही साधन और दूषण होना) असिद्ध है यह कथन ठीक नहीं क्यों कि उक्त विचार (कथा) प्रसिद्ध विचारविमर्श के समान ही उचित साधनों और उचित दूषणों से युक्त होता है तथा वह वस्तु के विषय में होता है अतः उस में साधन और दूषण प्रमाणवाक्य ही हो सकते हैं इस प्रकार उक्त हेतु सिद्ध होता है। इसी प्रकार (दूसरा अनुमानप्रयोग हो सकता है) जल्प भी वाद के समान वीतराग कथा है क्यों कि वह सिद्धान्त से अविरोधी चस्तु के विषय में होता है, पक्ष और प्रतिपक्ष स्वीकार करके किया जाता है तथा निग्रहस्थानों से युक्त होता है। इसी प्रकार वाद भी जल्प के समान विजिगीपु कथा है क्यों कि वह पक्ष और प्रतिपक्ष स्वीकार कर के किया जाता है, निग्रहस्थानों से युक्त होता है तथा सिद्धान्त से अविरोधी वस्तु के विषय में होता है। वाद निग्रहस्थानों से युक्त होता है यह कथन असिद्ध है यह कहना ठीक नहीं क्यों कि वाद भी जल्प के समान विचार की समाप्ति तक उकिया जाता है अतः वह निग्रहस्थानों से युक्त होता ही है। वाद और

वादस्य निग्रहस्थानश्वमसिद्धमिति चेन्न । वादो निग्रहस्थानवान् परिसमातिमद्विचारत्वात् जल्पवदिति । कथाया अविशेषेण वीतरागविजिगीपुविष्यत्वे 'वीतरागकथे वादवितण्डे निर्णयान्ततः । विजिगीपुकथे जल्पवितण्डे तदभावतः' इत्यं कथाविभागो न जाघटीति ॥

[१०९. वादस्य प्रमाणसाधनत्वम्]

अग्रेतनाक्षपादपक्षे वादः प्रमाणतर्कसाधनोपालम्भः इत्यत्र प्रमाणं नाम न प्रत्यक्षम् । विप्रतिपक्षं प्रति तस्य साधनदूपणयोः असमर्थत्वात् । नागमोऽपि तं प्रति तस्यापि तादृशत्वात् । अपि तु अनुमानमेव । तदप्य-

जल्प दोनों तत्र समाप्त किये जाते हैं जब विचारविमर्श में एक पक्ष का जय और दूसरे का पराजय होता है, पराजय के कारण को ही निग्रहस्थान कहते हैं, अतः वाद और जल्प दोनों में निग्रहस्थान होते हैं । कथा में वीतराग तथा विजिगीपु इस प्रकार का विषयों का विशिष्ट विभाजन नहीं होता इस लिए 'वाद तथा वादवितण्डा वीतराग कथाएँ हैं क्यों कि वे निर्णय होनेतक की जाती हैं तथा जल्प और जल्पवितण्डा ये विजिगीपु कथाएँ हैं क्यों कि उन में निर्णय का अभाव होता है' यह कथा का विभाजन उचित सिद्ध नहीं होता ।

वाद का साधन प्रमाण है यह कथन उचित नहीं

पूर्वोक्त नैयायिकों के कथन में वाद को प्रमाण और तर्क इन साधन-दूषणों से सपन्न बतलाया है । यहा प्रमाण शब्द से प्रत्यक्ष प्रमाण का तात्पर्य नहीं हो सकता क्यों कि विवाद करनेवाले के लिए प्रत्यक्ष-प्रमाण साधन या दूषण में समर्थ नहीं है (प्रत्यक्ष से ज्ञात वस्तु के विषय में वाद नहीं होता)। इसी प्रकार प्रमाण शब्द से आगम प्रमाण का तात्पर्य भी नहीं हो सकता क्यों कि इस विषय में उस की भी वही स्थिति है (प्रतिवादी के लिए आगम द्वारा कोई वात सिद्ध करना सभव नहीं क्यों कि उसे आगम सान्य ही नहीं है) । अर्यात् प्रमाण शब्द से अनुमान का ही तात्पर्य समझना चाहिए । वह अनुमान भी ऐसा होना चाहिये जिस की व्याप्ति दोनों (वादी च प्रतिवादी) के लिए प्रमाण से सिद्ध हो तथा जो पक्षवर्भव से युक्त हो । अन्यथा वह अनुमान अपने पक्ष की सिद्धि या प्रातिपक्ष के दूषण में समर्थ

भयप्रमाणप्रसिद्धव्याप्तिकं पक्षधर्मन्वचिशिष्टम् अङ्गीकर्तव्यम् । अन्यथास्य स्वपरपक्षसाधनदृष्टपणसामर्थ्यायोगात् ॥

[?१० वादस्य तर्कसाधनत्वम्]

तर्कोऽपि व्याप्तिवलमवलम्य परस्य अनिष्टपादनम् । स चोभय-
प्रमाणप्रसिद्धव्याप्तिकं अन्यतरप्रमाणप्रसिद्धव्याप्तिको वा । प्रथमपक्षेऽसौ-
प्रमाणमेव उभयप्रमाणप्रसिद्धव्याप्तिकन्वात् धृमानुमानवत् । वीतोऽसौ-
तर्को न भवति उभयप्रमाणप्रसिद्धव्याप्तिकन्वात् तद्विद्विति च । द्वितीय-
पक्षे वादिप्रमाणप्रसिद्धव्याप्तिकः प्रतिवादिप्रमाणप्रसिद्धव्याप्तिको वा ।
तत्र प्राचीनपक्षे विप्रतिपक्षं प्रतिवादिनं प्रति तस्य स्वपरपक्षसाधन-
दृष्टपणयोः सामर्थ्यानुपपत्तिः । तथप्रमाणप्रसिद्धव्याप्तिपूर्वकत्वाभावात् । अन्यथा

नहीं हो सकेगा । (अत वाद का साधन प्रमाण है यह कथन उचित नहीं । दानो को मान्य व्याप्ति पर आवारित अनुमान प्रमाण ही वाद का साधन होता है ।)

व्या वाद का साधन तर्क होता है ?

(वाद का साधन तर्क होता है यह उपर्युक्त लक्षण में कहा है किन्तु)
तर्क का अर्थ है व्याप्ति के बल से प्रतिपक्षी के लिए अनिष्ट वात को सिद्ध करना । उस तर्क की व्याप्ति या तो (वादी और प्रतिवादी) दोनों के लिए प्रमाण-प्रसिद्ध (प्रमाणरूप में मान्य) होगी अथवा दो में से एक के लिए प्रमाणप्रसिद्ध (तथा दूसरे के लिए अमान्य) होगी । पहले पक्ष के अनुसार यदि तर्क की व्याप्ति (वादी-प्रतिवादी दोनों के लिए प्रमाणरूप में मान्य हो तो यह तर्क भी वूम (से अग्रि के) अनुमान के समान प्रमाण ही होगा (अतः प्रमाण से भिन्न रूप में उस का उद्घेष्य करना व्यर्थ होगा) । यह कथन तर्के नहीं होगा (-प्रमाण ही होगा) क्यों कि यह वूम (से अग्रि के) अनुमान के अमान ही दोनों (वादी-प्रतिवादी) के लिए मान्य व्याप्ति पर आवारित है । दूसरे पक्ष में (दोनों में किसी एक को वह व्याप्ति मान्य हो तो) या तो उन तर्क की व्याप्ति वादी के लिए प्रमाणसिद्ध होगी अथवा प्रतिवादी के लिए प्रमाणसिद्ध होगी । इन में से पहले पक्ष में जो विवाद कर रहा है उस प्रतिवादी के प्रति यह तर्क अपने पक्ष को सिद्ध करने में या प्रतिपक्ष को

सर्वेषामपि स्वप्रमाणप्रसिद्ध्या स्वेष्टानिहसाधनदूषणप्रसंगात् । परस्त्वीन-
पक्षेऽपि प्रतिवादिप्रमाणप्रसिद्धव्याप्तिकात् तर्कात् कथं वादी स्वपक्षं
प्रतिष्ठापयेत्, प्रतिपक्षं च निराकुर्यात् । वादिनं प्रति तर्कस्य मूलभूत-
व्याप्तेरभावान् । अथ प्रमाणप्रसिद्धव्याप्तिकात् तर्कात् परस्य प्रकृत-
हानिः अप्रकृतस्वीकारश्च विवीथत इति चेत् तर्हि तर्कात् विपक्षोपालम्भ
एव स्यात्, न स्वपक्षसाधनम् । ननु प्रमाणात् साधनं तर्कादुपालम्भ इति
यथासंस्यात् व्याख्यानात् तत् तथैवेति चेत् तर्हि प्रमाणादुपालम्भाभावः
प्रसङ्ग्यते । अस्त्विति चेत्त । असिद्धाद्युद्भावने प्रमाणोपन्यासदर्शनात् ।

दूषित सिद्ध करने में समर्थ नहीं हो सकता क्यों कि उसकी व्याप्ति (केवल वादी को मान्य है) प्रतिवादी के लिए प्रमाणसिद्ध नहीं है । अन्यथा (यदि केवल वादी की मान्यता से ही उस के पक्ष की सिद्धि हो जाय तो) सभी वादी केवल अपने पक्ष के प्रमाणभूत मानने से ही अपने इष्ट पक्ष को सिद्ध करेंगे तथा अनिष्ट (प्रतिपक्ष) को दूषित सिद्ध करेंगे । दूसरे पक्ष में भी जिस तर्क की व्याप्ति केवल प्रतिवादी को मान्य है (वादी को मान्य नहीं) उस से वादी अपने पक्ष को सिद्ध कैसे करेगा तथा प्रतिपक्ष का निराकरण कैसे करेगा । उस तर्क की मूलभूत व्याप्ति ही वादी को मान्य नहीं है (अतः वह उस से अपना पक्ष सिद्ध नहीं कर सकता) । जिस तर्क की व्याप्ति प्रतिपक्षी को मान्य है उस से प्रतिपक्षी को इष्ट तत्त्व का खण्डन करना तथा उसे अनिष्ट हो उस तत्त्व को स्वीकार करना यह तर्क का कार्य है यह कहना भी उचित नहीं क्यों कि ऐसा कहने पर तर्क से सिर्फ विपक्ष में दोष बतलाना ही सभव होगा, अपने पक्ष को सिद्ध करना सभव नहीं होगा (जब कि लक्षण-सूत्र के अनुसार तर्क का उपयोग प्रतिपक्षखण्डन तथा स्वपक्ष समर्थन इन दोनों में होना चाहिए) । (मूल सूत्र में प्रमाण-तर्क-साधनोपालम्भ शब्द है इस में) प्रमाण से (स्वपक्ष का) सावन तथा तर्क से (प्रतिपक्ष का) दूषण होता है इस प्रकार ऋपद्य व्याख्या करने से यही बात ठीक है ऐसा कहें तो उस का परिणाम यह होगा कि प्रमाण से (प्रतिपक्ष में) दूषण बतलाना संभव नहीं होगा । यह मान्य है ऐसा कहना भी सभव नहीं क्यों कि असिद्ध आदि (हेत्वाभासों के दोष) बतलाने में प्रमाणों का प्रयोग (देखा ही जाता

जनु प्रमाणात् साधनमुपालभ्य तर्कादुपालभ्य एवेति चेन्न । प्रमाण-
तर्कसाधनोपालभ्य इत्यत्र तथाविधविभागनियामकत्वाभावात् । तदशुक्लं
विशेषणम् ॥

[१११ वादस्य सिद्धान्ताविस्तृत्वम्]

सिद्धान्ताविस्तृत्व इत्यत्रापि वादस्य विचारत्वेन वादिप्रतिवादिनोः
समानत्वात् कस्य सिद्धान्ताविस्तृत्वः स्यात् । न तावद् वादिसिद्धान्ता-
विस्तृत्वः, प्रतिवादिसिद्धान्तोपन्यासस्य वादिसिद्धान्तविस्तृत्वात् । न प्रति-
वादिसिद्धान्ताविस्तृत्वोऽपि, वाद्युपन्यासस्य प्रतिवादिसिद्धान्तविस्तृत्वात् ।
नाप्युभयसिद्धान्ताविस्तृत्वः । वादिप्रतिवादिनोः परस्परविस्तृत्वार्थोपन्यास-
दर्शनात् । ततो न कस्यापि सिद्धान्ताविस्तृत्वः स्यात् । तस्मादेतद् विशेष-
णमय्युक्तम् ॥

है । प्रमाण से (स्वपक्ष का) साधन तथा (प्रतिपक्ष का) दृपण दोनों होते
हैं और तर्क से केवल (प्रतिपक्ष का) दृपण होता है यह कहना भी ठीक
नहीं क्यों कि प्रमाणतर्कसाधनोपालभ्य इस शब्द में इस प्रकार का विभाजन
करने का कोई नियमित कारण नहीं है । अतः (वाद के लक्षण में) यह
विशेषण उचित नहीं है ।

क्या वाद सिद्धान्त से अविरोधी होता है ?

(उपर्युक्त लक्षण में वाद को) सिद्धान्त से अविरोधी कहा है यहां भी
(विचारणीय है कि) वाद में विचारविमर्श होता है अतः वह वादी और
प्रतिवादी दोनों के लिए समान है किर उसे किस के सिद्धान्त से अविरोधी
कहा जाय ? वह वादी के सिद्धान्त से अविरोधी नहीं हो सकता क्यों कि
प्रतिवादी जब अपने सिद्धान्त का वर्णन करता है तो वह वादी के सिद्धान्त
के विस्तृत होता ही है । इसी तरह वाद प्रतिवादी के सिद्धान्त से अविरोधी
भी नहीं हो सकता क्यों कि वादी का वर्णन प्रतिवादी के सिद्धान्त के विस्तृत
होता ही है । वाद (वादी और प्रतिवादी इन) दोनों के सिद्धान्तों से
अविरोधी होता है यह कहना भी सम्भव नहीं क्यों कि वे वादी और प्रतिवादी
परस्पर विस्तृत अर्थ का वर्णन करते देखे जाते हैं । अतः वाद किसी के भी
सिद्धान्त से अविरोधी नहीं होता । अतः यह विशेषण भी योग्य नहीं है ।

[११२. वादस्य पञ्चावयवत्त्वम्]

पञ्चावयवोपपन्न इत्यत्र पञ्चभिरवयवै उपपन्नो निष्पन्न इति वक्तव्यम् । न च तेषां मते पृथिव्यपतेजोवायुपरमाणुद्वयणुकादिव्यतिरेकेण अन्ये अवयवाः सन्ति, न च वादस्तैरुपपन्नः । तस्य पार्थिवाद्यवयवित्वा-भावात् विप्रतिपन्नार्थविचाररूपत्वाच्च व्यतिरेके पटवत् । अथ प्रतिज्ञाहेतु-दाहरणोपनयनिगमनान्यवयवाः तैरुपपन्नो वाद इति चेत्त । प्रतिबादीनां वाक्यत्वेन शब्दरूपत्वात्, शब्दस्य च तन्मते आकाशगुणत्वेन अवयवरूपता-भावात् । तथा हि । न प्रतिज्ञादिवाक्यानि अवयवाः शब्दत्वात् वीणावाद-नवत्, स्पर्शादिरहितत्वात् गुणत्वात् अमूर्तत्वात् रूपादिवत् । न वादोऽप्यवयवैः उपपन्नः अनवयवित्वात् अद्रव्यत्वात् अमूर्तत्वात् स्पर्शादिरहित-त्वात् रूपादिवत् । किं च । प्रतिज्ञादिवाक्यानामवयवरूपत्वाङ्गीकारे तेषां रूपादिमत्त्वं तैरुपपन्नस्यावयवित्वं प्रसर्यते । तथाहि । प्रतिज्ञादिवाक्यानि

वाद के पांच अवयव

वाद को पञ्चावयवोपपन्न कहा है । यहा पांच अवयवों से उपपन्न अर्थात् निर्मित होना यह अर्थ कहना चाहिए किन्तु उन के मत में (न्याय-दर्शन में) पृथ्वी, जल, तेज तथा वायु के परमाणुओं और द्वयणुकों आदि से भिन्न कोई दूसरे अवयव नहीं माने गये हैं तथा वाद इन (परमाणु आदि अवयवों) से निर्मित नहीं होता । वाद पृथ्वी आदि से निर्मित अवयवी नहीं है, वह विवादग्रस्त विषय के बारे में विचार के रूप का होता है, अतः वह चौथा आदि के समान अवयवों से निष्पन्न नहीं होता । प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन ये पाच अवयव हैं उन से वाद निष्पन्न होता है यह कहना भी ठीक नहीं क्यों कि प्रतिज्ञा आदि वाक्य होते हैं, वे शब्दों से निर्मित हैं तथा न्याय मत में शब्द को आकाश का गुण माना है अतः उस में अवयवों का रूप नहीं हो सकता । इसी को अनुमान के रूप में प्रस्तुत करते हैं—प्रतिज्ञा आदि वाक्य अवयव नहीं हो सकते क्यों कि वे वीणावादन आदि के समान शब्द हैं तथा रूप आदि के समान स्पर्शादि रहित है तथा गुण हैं एवं अमूर्त हैं । वाद भी अवयवों से निष्पन्न नहीं होता, वह अवयवी नहीं है, द्रव्य नहीं है; मूर्त नहीं है तथा स्पर्श आदि से रहित है अतः रूप

रूपादिमन्ति अवयवित्वात् तन्त्वादिवत् । वादोऽप्यवयविद्व्यम् अवयवैः
उपपन्नत्वात् पटादिवदिति । तस्मात् तेषाम् अवयवरूपता नाङ्गीकर्तव्या ।
तथा च न वादः पञ्चावयवोपपन्नः स्यात् ॥

[११३. वादानुमानयोर्भेदः]

किं च । प्रतिज्ञादिभिर्क्वयैरनुमानमेवोपपद्यते, न वादः । अथ
अनुमानमेव वाद इति चेत्त । अनुमानप्रमाणस्य वादव्यपदेशाभावात् । ननु
परार्थानुमानस्यैव वादव्यपदेश इति चेत्त । ग्रन्थस्थानुमानानां परार्थानु-
मानत्वेऽपि वादव्यपदेशाभावात् । अथ आत्मविभूत्ववादः शब्दानित्यत्व-
वाद इति ग्रन्थस्थानुमानानां वादव्यपदेशोऽस्तीति चेत्त । वादप्रति-

आदि के समान वह भी अवयवों से निर्मित नहीं है । प्रतिज्ञा आदि वाक्यों
को अवयव माने तो वे रूप आदि से युक्त सिद्ध होगे तथा उन से निर्मित
(वाद) को अवयवी मानना होगा । जैसे कि —प्रतिज्ञा आदि के वाक्य अव-
यव हैं अतः तनु आदि के समान वे भी रूप आदि से युक्त होगे । वाद
अवयवों से निर्मित है अतः वस्त्र आदि के समान वह भी अवयवी द्रव्य सिद्ध
होगा । अतः उन प्रतिज्ञा आदि वाक्यों को अवयव नहीं मानना चाहिए ।
अतः वाद पाच अवयवों से निष्पत्त नहीं होता ।

वाद और अनुमान में भेद

दूसरी बात यह है कि प्रतिज्ञा आदि वाक्यों से अनुमान प्रस्तुत किया
जाता है — वाद नहीं । अनुमान ही वाद है यह कहना ठीक नहीं क्यों कि
अनुमान प्रमाण को वाद यह नाम नहीं दिया जाता । परार्थ-अनुमान को ही
चाद यह नाम दिया जाता है यह कहना भी ठीक नहीं क्यों कि ग्रन्थों में
लिखे हुए अनुमान परार्थ अनुमान होते हुए भी उन्हें वाद नहीं कहा जाता ।
अन्यों में लिखित अनुमानों को भी आत्मविभूत्ववाद, शब्दानित्यत्ववाद इस
प्रकार वाद यह नाम दिया जाता है यह कहना भी ठीक नहीं क्यों कि
(न्यायदर्शन के लक्षणानुसार) वाटी और प्रतिवादी पक्ष और प्रतिपक्ष का
स्वीकार कर के जो विचार करते हैं उसे ही वाद कहा जाता है । दूसरी
बात यह है कि अनुमान अवयवों से बनता है इस कथन में भी पहले कहा

चादिभ्यां पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहेण किरमाणस्य विचारस्यैव वादव्यपदेशात्।
किं च। अनुमानस्यापि अवयवैस्तपन्त्वाङ्गीकारे प्राक्तनाशेषदोषः
प्रसञ्ज्यते ॥

[११४. प्रकारान्तरेण पञ्चावयवविचारः]

ननु पक्षसाधनं प्रतिपक्षसाधनदूषणं साधनसमर्थनं दूषणसमर्थनं
शब्ददोषवर्जनमिति अवयवाः पञ्च तैषपपत्त्वो वाद इति चेत्र । पक्षसाधना-
दीनां वाक्यत्वेन शब्दरूपत्वात् प्राक्तनाशेषदोषान्तिवृत्तेः । किं च ।
चादिना सत्साधनोपन्यासे प्रतिवादिनः सददूषणोद्घावनासंभवेन तूष्णी-
भावे अथवा प्रतिवाद्युद्भावितासददूषणपरिहारेण प्रतिवादिन तूष्णी-
भावेऽपि पञ्चकस्यानुपपत्ते कथं तदुपपत्तवं वादस्य । अथवा प्रतिवादिना
सददूषणोद्घावते वादिनः साधनसमर्थनाभावेन प्रतिवादिना स्वपक्षे

हुआ संपूर्ण दोप (कि प्रतिज्ञा आदि वाक्य होने से अवयव नहीं हो सकते)
प्राप्त होता है (अतः अनुमान अथवा वाद अवयवों से उपपत्त होता है यह
कथन ठीक नहीं है) ।

भिन्न प्रकार से पांच अवयवों का विचार

अपने पक्ष को सिद्ध करना, प्रतिपक्ष की सिद्धि में दूषण बतलाना,
(अपने) साधन का समर्थन करना, (प्रतिपक्ष के) दूषण का समर्थन करना
तथा शब्द के दोषों को टालना ये पाच अवयव हैं, इन से वाद संतुक्त होता
है यह कथन भी ठीक नहीं । पक्ष का साधन आदि ये पाच अवयव भी
वाक्यहीं हैं अतः शब्दों से बने हैं अत. पूर्वोक्त सभी दोप यहा भी दूर नहीं
होता (इन वाक्यों को भी अवयव नहीं कहा जा सकता) । दूसरी बात यह
है कि जब वादी उचित साधन प्रस्तुत करता है तथा प्रतिवादी उचित दूषण-
बतलाना सभव न होने से चुप रहता है, अथवा प्रतिवादी द्वारा बताये गये
झूठे दूषण को दूर करने पर जब प्रतिवादी चुप रहता है तब भी (उस वाद में)
ये पाच अवयव नहीं हो सकते (केवल पक्षसाधन यह एकही अवयव होगा अथवा
पक्षसाधन, प्रतिपक्ष दूषण तथा दूषणपरिहार ये तीन ही अवयव होंगे) अतः
वाद पाच अवयवों से संतुक्त कैसे होगा । अथवा प्रतिवादी के उचित दूषण
चतुर्लाने पर जब वादी अपने पक्ष का समर्थन नहीं कर पाता तथा प्रतिवादी

स त्साधनोपन्यासे वादिनः प्रतिपक्षसाधनदूषणसमर्थनयोः अभावेनापि पञ्चकम्यानुपपत्तेः अव्यापकत्वं लब्धणस्य । तस्मात् पञ्चवयवोपक्ष इत्येतदपि विशेषणमयुक्तं परस्य ॥

[११५ वादस्य पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहत्वम्]

पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहो वाद् इत्यपि असमञ्जसम् । कदाचित् स्वस्यापि नित्यानित्यादिपक्षप्रतिपक्षपरिग्रहस्य विद्यमानत्वेऽपि तस्य वादत्वाभावात् । अथ वादिप्रतिवादिनो पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहो वाद इति चेन्न । सौगत-सांख्ययोः योगवेदान्तिनोः सर्वदा पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहस्य विद्यमानेऽपि वादत्वाभावात् । अथ पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहेण विचारो वाद इति चेन्न । स्वस्यैकस्य तत्सङ्घावेऽपि वादत्वाभावात् । अथ वादिप्रतिवादिनोः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहेण क्रियमाणो विचारो वाद इति चेन्न । जल्पवितण्डयो-

जब अपने पक्ष में उचित साधन प्रस्तुत करता है तब वादी उस प्रतिपक्ष के साधन में टोप नहीं बतला सकता तथा उस का समर्थन भी नहीं कर सकता तब भी इन (स्वपक्षसमर्थन तथा प्रतिपक्षदूषण एव दूषणसमर्थन) अवयवों के अभाव में पाच अवयव पूरे नहीं हो सकते अतः इस प्रकार भी वाद का यह लक्षण अव्यापक ही रहेगा । इसलिए पंचावयवोपक्ष यह प्रतिपक्षीद्वारा दिया हुआ वाद का विशेषण भी अयोग्य है ।

वाद में पक्षप्रतिपक्ष का स्वीकार

पक्ष और प्रतिपक्ष के स्वीकार करने से वाद होता है यह कहना भी उचित नहीं । किसी किसी समय (एक व्यक्ति) स्वयं ही नित्य-अनित्य जैसे पक्ष और प्रतिपक्ष का स्वीकार करता है किन्तु वह वाद नहीं होता । वादी और प्रतिवादी का पक्ष और प्रतिपक्ष स्वीकार करना यह वाद कहलाता है यह कथन भी ठीक नहीं । बौद्ध और सांख्य, तथा नैयायिक और वेदान्ती इन में पक्ष और प्रतिपक्ष का स्वीकार सदा ही बना रहता है किन्तु उसे वाद नहीं कहते । पक्ष और प्रतिपक्ष के स्वीकार से किये गये विचार को वाद कहते हैं यह कथन भी उचित नहीं क्यों कि ऐसा विचार एक व्यक्ति स्वयं भी कर सकता है । वादी और प्रतिवादी द्वारा पक्ष और प्रतिपक्ष स्वीकार कर के किये गये विचार को वाद कहते हैं यह कहना भी ठीक नहीं क्यों-

रत्तसद्ग्राहेऽपि वादव्यपदेशाभावात् । अथ पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहेण सत्साधनदूषणोपत्यास्तेन च वादप्रतिवादिनोः विचारो वाद इति चेत्त । लक्षण सूत्रे तथादिघविशेषणाभावात् । तस्मात् लक्षणसूत्रमेतदयुक्तम् ॥

[११६. जल्पलक्षणविचारः]

जल्पलक्षणेऽपि छलजातिनिग्रहस्थानसाधनोपालभ्य इत्यसंगतम् । तेषां साधनदूषणसामर्थ्यायोगात् । तथा हि । छलादयो न साधनसमर्थाः साधनाभासत्वात् दूषणाभासवत् । नोपालभसमर्थश्च दूषणाभासत्वात् कल्पितचौर्यवत् । आभासश्छलादय असत्साधनदूषणत्वात् तद्वत् ॥ असत्साधनदूषणास्ते सत्साधनदूषणयोरपठितत्वात् अन्यतरपक्षनिर्णयाकारकत्वाच्च श्रद्धाशापादिवत् । ततो जल्पलक्षणसूत्रमपि युवत्या न संभाव्यते ॥

कि जल्प और वितण्डा में ऐसा विचार होने पर भी उन्हें वाट नहीं कहा जाता । पक्ष और प्रतिपक्ष का ग्रहण कर के उचित साधनों और दूषणों को प्रस्तृत करते हुए वार्ढा और प्रतिवार्ढा जो विचार करते हैं उसे वाट कहा जाता है यह कथन भी उचित नहीं क्यों कि वाट के लक्षण के सूत्र में ऐसे विशेषण नहीं दिये गये हैं । अत. यह लक्षण-सूत्र अयोग्य है ।

जल्प के लक्षण का विचार

जल्प के लक्षण में उसे छल, जाति निग्रहस्थान इन साधनों व दूषणों से संपन्न कहा है यह अनुचित है क्यों कि छल आदि में साधन या दूषण का सामर्थ्य नहीं हो सकता । छल आदि दूषणाभास के समान (स्वपक्ष के) साधन में समर्थ नहीं हो सकते क्यों कि वे साधनाभास हैं । छल आदि (प्रतिपक्ष के) दूषण में भी समर्थ नहीं है क्यों कि वे कल्पित चोरी के समान दूषणाभास हैं । छल इत्यादि आभास हैं क्यों कि वे कल्पित चोरी के समान सत् साधन या सत् दूषण नहीं हैं । श्रद्धा अथवा शाप के समान छल आदि भी सत्-साधनों व सत्-दूषणों में समाविष्ट नहीं हैं तथा किसी एक पक्ष का निर्णय भी नहीं करा सकते अतः वे सत्-साधन या सत्-दूषण नहीं हैं । इस प्रकार जल्प के लक्षण का सूत्र भी युक्ति सगत नहीं है ।

[११७. वितण्डालक्षणविचारः]

तदसंभवे स एव प्रतिपञ्चस्थापनाहीनो वितण्डा इन्यायसांप्रतम्
 चादे जल्पे च पक्षप्रतिपक्षयोः मध्ये अन्यतरस्य निराकरणे अपरस्य
 साधनप्रयोगमन्तरेण सुप्रतिष्ठितत्वात् अर्थिग्रत्यर्थिनोः पक्षस्य तत्त्वायः-
 पिण्डग्रहणादिना दौस्थ्ये अपरस्य तद्ग्रहणमन्तरंण सौस्थ्यसंभवत्।
 चादिना सत्साधनोपन्यासे प्रतिवादिनः सद्दूयणादर्शनेत् तृष्णीभावेन
 तेन दूपणाभासोऽन्नावने वादिना तत्परिहारे च वादे जल्पेऽपि प्रतिपञ्च-
 स्थापनासंभवाच। ननु सोऽपि वितण्डा भविष्यतीति चेत्। यत्र प्रति-
 वादिना स्थापनाहेतुं निराकृत्य तृष्णीभासते सा वितण्डा इत्यङ्गीकारात्।
 अत्र तु वादे स्थापनाहेतुनिराकरणाभावेन प्रतिवादुऽन्नावितदूपणाभास-
 स्यैव निराकृतत्वात्। तावताप्रतिभया प्रतिवादिनः तृष्णीभावात् केवं

वितण्डा का लक्षण

जल्प के लक्षण में उपर्युक्त असंगति होने से ‘वही जल्प प्रतिपक्ष की स्थापना से रहित होने पर वितण्डा कहलाता है’ यह कथन भी अनुचित सिद्ध होता है। वाद में और जल्प में भी पक्ष और प्रतिपक्ष में किसी एक का निराकरण करने से दूसरा पक्ष किसी समर्थक अनुमान-प्रयोग के बिना भी विजयी सिद्ध होता है; (जैसे न्यायालय में) वादी और प्रतिवादी इन दोनों में से तथे हुए लोहे के गोले को पकड़ने जैसी परीक्षा से एक पक्ष के गलत सिद्ध होने पर दूसरा पक्ष वैसी प्रीक्षा के बिना भी सही सिद्ध होता है (तात्पर्य – वाद या जल्प में पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों का समान रूप से समर्थन होना ही चाहिए ऐसा नहीं है, एक पक्ष के पराजय से दूसरे का विजय स्वतं सिद्ध हो जाता है)। वादी जब उचित हेतु का प्रयोग करता है और प्रतिवादी उस में उचित दोष नहीं देख पाता तब चुप रहता है (तथा यदि) प्रतिवादी शूद्रमूढ़ दोष बतलाता है तो वादी-उस का उत्तर देता है (तब फिर प्रतिवादी चुप हो जाता है) इस प्रकार वाद और जल्प में भी प्रतिपक्ष की स्थापना सभव नहीं है। ऐसे प्रसंग को भी वितण्डा कहेंगे यह कहना भी सभव नहीं क्यों कि जहां प्रतिवादी स्थापना के हेतु का निराकरण कर के ही चुप हो जाता है वह वितण्डा है ऐसा (नैश्याधिकों का) कथन

कथा स्यात् । न तावत् जल्पवितण्डे तल्लश्रणाभावात् । वाद एवेति-
वक्तव्यम् । अथ वादे दूषणाभासोदभावना नोपयोगुजतीति चेत् ।
सत्साधनोपन्यासे सददूषणोदभावनस्यासंभवात् । न च व्यासिपक्षर्थम्-
वत्सत्साधनस्य सददूषणं संभवति । अन्यथा एकस्यापि सत्साधनस्या-
संभवात् न कस्यापि स्वपक्षसिद्धिः स्यात् । सददूषणस्यापि सत्साधन-
पूर्वकत्वात् तदभावे तस्याप्यभाव स्यादिति सर्वं विष्टवते । तस्मादेक-
विपर्यसाधनदूषणयो एकेनाभासेन भवितव्यम् । तत एव वादेऽपि-
साधनदूषणाभासप्रयोगोदभावनं प्रतिपक्षस्थापनाभावश्च सभाव्यते

है । इस प्रसंग में वाद में स्थापना के हेतु का निराकरण तो नहीं हुआ है,
सिर्फ प्रतिवादी द्वारा वताये गये झूठे दूषण का ही निराकरण किया है । उस
के बाद कुछ न सूझने से प्रतिवादी चुप हुआ है । अतः इस प्रसंग को कौन सी
कथा कहेंगे ? जल्प या वितण्डा नहीं कह सकते क्यों कि उन के लक्षण इस
में नहीं है । अत इसे वाद ही कहना होगा । वाद में झूठे दूषण नहीं वताये-
जाते (अत यह प्रसंग वाद नहीं है) यह कथन भी उचित नहीं है ।
(वस्तुतः) उचित हेतु का यदि प्रयोग किया गया है तो उस में उचित-
दूषण नहीं वताया जा सकता (यदि उचित हेतु में भी कोई दूषण वताया-
जाये तो वह झूठा दूषण ही होगा) । जो उचित हेतु व्याप्ति से युक्त है तथा
पक्ष का धर्म है उस में वास्तविक दूषण नहीं हो सकता । अन्यथा (यदि
उचित हेतु में भी दूषण वास्तविक होने लगे तो) एक भी हेतु उचित नहीं
होगा तथा किसी का भी पक्ष सिद्ध नहीं हो सकेगा । उचित दूषण तभी
होते हैं जब उचित हेतु हों, यदि उचित हेतु ही नहीं है तो उचित दूषण
भी नहीं होंगे इस प्रकार सर्वत्र गठवटी हो जायगी । अत एक ही विषय
में जो हेतु और दूषण प्रस्तुत किये जाते हैं उन में से एक अवश्य ही झूठा
होता है (यदि हेतु उचित हो तो दूषण झूठा होगा, तथा दूषण सही हो
तो हेतु अयोग्य होगा) । अत वाद में भी सावन तथा दूषण के आभास
का प्रयोग एवं वतलाना तथा प्रतिपक्ष की स्थापना का अभाव हो सकता-
है । अत जल्प और वितण्डा के लक्षण अतिव्यापक हैं (उन की कुछ बातें-
वाद में भी पाई जाती हैं) । यही बात अनुमान-प्रयोग के रूप में वतलाते-

इत्यतिव्यापकं जल्पवितण्डयोर्लक्षणम् । प्रयोगश्च वाऽः छलादिग्रयोगवान्
निग्रहस्थानवत्त्वात् परिसमातिमध्यचारन्वात् पश्चप्रतिपक्षपरिग्रहन्वात्
जल्पवद्विति । तदेतत् निल्पणमयुक्तं परस्य ॥

[११८. जल्पवितण्डयोः तत्त्वाध्यवसायसंरक्षकत्वाभावः]

यद्वोक्तं—तत्त्वाध्यवसायसंरक्षणार्थं जल्पवितण्डे वीजप्रतोहसंरक्ष-
-णार्थं कण्टकशाखावरणवत् इति तद्संगतम् । तयोस्तत्त्वाध्यवसायसंरक्षण
-सामर्थ्यायोगात् । तथाहि । जल्पवितण्डे न तत्त्वाध्यवसायसंरक्षणसमये
असत्साधनदूषणवत्त्वात् निखिलवाधकनिराकरणासमर्थत्वाच्च अवला-
कलहवत् । न चासत्साधनदूषणत्वमसिद्धं छलजातिनिग्रहस्थानसाधनो-
पालम्भो जल्पः स एव प्रतिपक्षस्थापनाहीनो वितण्डा इत्यभिधानात् ।

हैं—बाढ़ में छल डियाडि का प्रयोग होता है क्यों कि वह भी जल्प के
समान ही निग्रहस्थानों से युक्त है, विचारविमर्श की समाति तक चलता है
तथा पक्ष और प्रतिपक्ष को स्वीकार कर किया जाता है । अतः प्रतिपक्षी
(नैयायिकों) का यह (बाढ़, जल्प और वितण्डा के वर्णन का) कथन
योग्य नहीं है ।

जल्प और वितण्डा तत्त्व के रक्षक नहीं हैं

(न्यायदर्शन का) यह कथन भी उचित नहीं है कि जल्प और
वितण्डा तत्त्व के निश्चय के रक्षण के लिए होते हैं, उसी प्रकार जैसे बीज से
निकले हुए छोटे अंकुर की रक्षा के लिए कॉटोमरी टहनियों का बाढ़ा
लगाया जाता है । जल्प और वितण्डा में तत्त्व के निश्चय की रक्षा का सामर्थ्य
नहीं हो सकता । जल्प और वितण्डा में साधन और दूषण असत् होते हैं
तथा उन में वाधक आक्षेपों को पूरी तरह दूर करने का सामर्थ्य भी नहीं
होता अतः त्रियों के कलह के समान जल्प और वितण्डा भी तत्त्व के निश्चय
की रक्षा में समर्थ नहीं हो सकते । जल्प और वितण्डा में सावन और दूषण
असत् होते हैं यह हमारा कथन असिद्ध नहीं है क्यों कि न्यायदर्शन में ही
कहा है कि जिस में छल, जाति तथा निग्रहस्थानों द्वारा सावन और दूषण
उपस्थित किये जाते हैं वह जल्प कहलाता है तथा उसी में यदि प्रतिपक्ष की
स्थापना न की जाये तो उसे वितण्डा कहते हैं । हमारे उपर्युक्त कथन का

तथा द्वितीयोऽपि हेतुः नासिद्धः । जल्पवितण्डे न निखिलवाधकनिराकरणसमर्थे असत्साधनदूषणोपेतत्वात् अयलाकलहवत् । छलाद्यो वा न तत्त्वाध्यवसायसंरक्षणसमर्था असत्साधनदूषणत्वात् शापादिवत् । छलादीनि असत्साधनदूषणानि अन्यतरपक्षनिर्णयाकारकत्वात् आभासत्वाच्च शापादिवत् । छलाद्यस्तदाभासा इति निस्पितत्वात् नासिद्धो हेतुः ॥

[११९. वादस्यैव तत्त्वाध्यवसायसंरक्षकत्वम्]

किं च । जल्पवितण्डाभ्यां वदनात् वादी तत्त्वाध्यवसायरहित एव परनिर्मुखीकरणे प्रवृत्तत्वात् तत्त्वोपलब्धवादिवत् । तस्मात् वाद एव तत्त्वाध्यवसायसंरक्षणसमर्थः प्रमाणर्तकसाधनोपालभत्वात् व्यतिरेके

दूसरा हेतु (वाधक आक्षेपों को दूर न कर सकना) भी आसिद्ध नहीं है । जल्प और वितण्डा में सभी वावरु आक्षेपों को दूर करने का सामर्थ्य नहीं होता क्यों कि ख्रियों के कलह के समान ही उन के साधन और दूषण असत् होते हैं । छल आदि (जिन का प्रयोग जल्प और वितण्डा में होता है) असत् साधन व असत् दूषण हैं अत शाप आदि के समान वे (छल आदि) भी तत्त्व के निश्चय के रक्षण में समर्थ नहीं हो सकते । छल इत्यादि किसी एक पक्ष का निर्णय नहीं कर सकते, वे शाप आदि के समान आभास हैं अत । उन्हे असत् साधन और असत् दूषण कहा जाता है । छल इत्यादि आभास हैं ऐसा न्याय दर्शन में भी कहा है अत । हमारा यह कथन असिद्ध नहीं है ।

वाद ही तत्त्व के निश्चय का संरक्षक होता है

जल्प और वितण्डा का प्रयोग करनेवाला वादी तत्त्व के निश्चय से रहित होता है क्यों कि तत्त्वोपलब्ध वादी के समान वह केवल प्रतिपक्षी को चुप करने के लिए ही बोलता है (अपनी कोई वात सिद्ध करना उस का उद्देश नहीं होता) । अत । वाद ही तत्त्व के निश्चय के सरक्षण में समर्थ होता है क्यों कि वह प्रमाण और तर्क द्वारा साधन-दूषणों का उपयोग करता है जिस के प्रतिकूल कलह होता है (ज्ञागडे में प्रमाण या तर्क का उपयोग नहीं होता अत । वह तत्त्व के निश्चय के सरक्षण में समर्थ नहीं है) । वाद का उपयोग कर बोलनेवाला ही तत्त्व का निश्चय कर सकता है क्यों कि वह दूसरे

कलहवत् । वादेन वद्वेव तत्त्वाध्यवसायी परप्रतिवेधताय प्रवृत्तत्वात्
अभिमततत्त्वज्ञानिवत् ॥

[१२० जल्पवितण्डयोः विजिर्गीपुविषयत्वम्]

वद्वपि व्यरीचद् वौग - जल्पवितण्डे विजिर्गीपुविषये तत्त्वज्ञान-
संरक्षणार्थत्वात् चतुरङ्गत्वात् स्यातिपूजालाभकामैः प्रवृत्तत्वात् समत्सरैः
वृत्तत्वात् प्रतिवादिरखलितमात्रपर्यवसानत्वात् छलादिमत्वाच्च लोक-
प्रसिद्धविचारवत् व्यतिरेके वादविति तत् स्वमनोरथमात्रम् । तत्त्वज्ञान-
संरक्षणादिहेतनां वादेऽपि सद्भावेन व्यमिचारात् । तथा हि । वादः
तत्त्वाध्यवसायसंरक्षणार्थं स्वसिद्धान्तविश्वार्थविषयत्वात् स्वाभिप्रेतार्थ-
व्यवस्थापनफलत्वात् विचारत्वात् पक्षप्रतिपक्षपरिव्रहत्वात् निग्रहस्थान-
वत्वात् परिसमाप्तिमद्विचारत्वात् जल्पवत् । तथा चतुरङ्गो वादः लाभ-

(प्रतिपक्षी) को समझाने में प्रवृत्त हुआ है, जेसे कोई भी मान्य तत्त्वज्ञानी होता है ।

क्या जल्प और वितण्डा विजय के लिए ही होते हैं ?

नैयायिकों ने जो यह कहा है कि जल्प और वितण्डा विजय की इच्छा से किये जाते हैं क्यों कि वे तत्त्वज्ञान के सरक्षण के लिए होते हैं, उन के चार अग होते हैं, कीर्ति, सम्मान आदि लाभ की इच्छा रखनेवाले ही उन में प्रवृत्त होते हैं, मत्सरी वादी उन में भाग लेते हैं, प्रतिवादी की गलती होते ही वे समाप्त होते हैं तथा वे छल आदि से युक्त होते हैं, उन सब वातों में वे जल्प और वितण्डा लोगों में सुप्रसिद्ध विचारविमर्श के समान हैं, वाद में ये सब वातें नहीं पाई जातीं-यह नैयायिकों का कथन उन की कत्पना-मात्र है (बस्तुतः उचित नहीं है) । ऐसा कहने का कारण यह है कि तत्त्वज्ञान का सरक्षण करना आदि ये सब हेतु वाद में भी विद्यमान हैं अन-उक्त हेतु व्यभिचारी हैं (वे जल्पवितण्डा इस पक्ष में तथा वाद इस विपक्ष में दोनों में पाये जाते हैं) । इसी को स्पष्ट करते हैं-वाद तत्त्व के निश्चय के सरक्षण के लिए होता है क्यों कि अपने सिद्धान्त से अविरोधी अर्थ उस का विषय होता है, अपने लिए इष्ट अर्थ की स्थापना करना यह उस का फल-

पूजाख्यातिकामै प्रवृत्तो वादः समत्सरैः क्रियते वाद् प्रतिवादिस्खलित-
मात्रपर्यवसानो वादः छलादिमान् वादः विचारत्वात् पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहा
न्वितत्वात् निग्रहस्थानवत्वात् परिसमाप्तिमत्कथात्वात् सिद्धान्ता-
विरुद्धार्थं विषयत्वात् स्वाभिप्रेतार्थव्यवस्थापनफलत्वात् जल्पवदिति
यन्नसाध्येषु प्रत्येकं पद् हेतुयो द्रष्टव्याः ॥

[१२१. उक्तहेतुनां निर्दोषता]

सर्वत्र विप्रतिपत्तिनिराकरणेन स्वपक्षसौस्थ्यकरणमेव स्वाभि-
प्रेतार्थः तद्व्यवस्थापनफलं वादे जल्पेऽपि समानम् । अन्यहेतव. अङ्गी-
कृताः परैः वादे जल्पेऽपि । ततश्च उक्तहेतुनां पक्षे सद्भावात् न ते
स्वरूपासिद्धा न व्यधिकरणासिद्धाश्च, पक्षस्य प्रमाणसिद्धत्वात् नाश्रया-

होता है, वह विचारविमर्श होता है, पक्ष और प्रतिपक्ष स्वीकार कर के किया
जाता है, निग्रहस्थानों से युक्त होता है, तथा विचारविमर्श की समाप्ति
तक किया जाता है, इन सब वातों में वह जल्प के समान ही है । वाद चार
अंगों से सपन्न होता है, लाभ, कीर्ति, सत्कार आदि की इच्छां रखनेवाले
वाद में प्रवृत्त होते हैं, मासरी वादी-प्रतिवादी वाद करते हैं, प्रतिवादी की
गलती होते ही वाद समाप्त किया जाता है, वाद छल आदि से युक्त होता
है ये (उपर्युक्त कथन में) पाच साध्य हैं, इन में से प्रत्येक के समर्थन के
लिए छह हेतु दिये जाते हैं वे इस प्रकार हैं-वाद विचारविमर्श है, वह पक्ष
और प्रतिपक्ष स्वीकार कर के किया जाता है, वह निग्रहस्थानों से युक्त होता
है, विचारविमर्श की समाप्ति तक किया जाता है, सिद्धान्त के अविरोधी अर्थ
उस के विषय होते हैं, तथा अपने इष्ट अर्थ की स्थापना यह उस का फल
है, इन सब वातों में वह जल्प के समान है (अतः जल्प और वितण्डा
विजय के लिए है एवं वाद विजय के लिए नहीं है यह भेद उचित नहीं है) ।

पूर्वोक्त हेतुओं की निर्दोषता

सभी प्रसंगों में विरोधी आक्षेपों को दूर कर के अपने पक्ष को उचित
सिद्ध करना यही वादी को अभीष्ट वात होती है उस की व्यवस्था करना यह
फल वाद और जल्प दोनों में समान है । शेष हेतु वाद और जल्प दोनों में
हैं यह प्रतिपक्षियों ने (नैयायिकों ने) भी स्वीकार किया है । यह पूर्वोक्त हेतु
प्र.प्र.८

सिद्धा । पक्षे सर्वत्र प्रवर्तमानत्वात् न भागासिद्धा । पक्षे निश्चितत्वात् नाज्ञातासिद्धाः न संदिग्धासिद्धाश्च । विपरीते निश्चिताधिनाभावाभावात् न विरुद्धा । विपक्षे बृच्चिविरहितत्वात् नानैकान्तिकाः । सपक्षे सत्त्वात् जानव्यवसिताः । पक्षे साध्याभावावेदकप्रमाणाभावात् न कालात्ययाएषिष्टाः । स्वपक्षे सत्त्विस्पत्वात् परपक्षे असत्त्विस्पत्वात् न प्रकरणसमाः । यथोक्तसाध्यसाधनानां जट्पे सद्भावात् न दृष्टान्तोऽपि साध्यसाधनोभयविकलो नाश्रयहीनश्च । ततो निर्द्दिष्टेभ्यो हेतुभ्यः तत्त्वज्ञानसंरक्षणादीनां वादे सद्भावसिद्धौ तदुक्तसाधनानां व्यभिचारसिद्धः । लोकप्रसिद्धविचारे तत्त्वज्ञानसंरक्षणात्रितदुक्तहेतुनामभावात् साधनशृण्यं

पक्ष (वाद) में विद्यमान है अतः वे स्वरूपासिद्ध नहीं हैं तथा व्यधिकरणासिद्ध भी नहीं हैं । यहा पक्ष प्रमाणों से ज्ञात है अत ये हेतु आश्रयासिद्ध नहीं हैं । पक्ष में सर्वत्र विद्यमान हैं अत वे भागासिद्ध नहीं हैं । पक्ष में उन का होना निश्चित है अतः वे अज्ञातासिद्ध नहीं हैं तथा संदिग्धासिद्ध भी नहीं हैं । विपरीत पक्ष में उन का अविनाभाव संबंध नहीं है यह निश्चित है अत वे हेतु विरुद्ध नहीं हैं । विपक्ष में उन का अस्तित्व नहीं है अत वे अनैकान्तिक नहीं हैं । सपक्ष में उन का अस्तित्व है अत वे अनव्यवसित नहीं हैं । पक्ष में साध्य का अभाव व्रतलानेवाला कोई प्रमाण नहीं है अत ये हेतु कालात्ययापदिष्ट नहीं हैं । स्वपक्ष में इन के तीन रूप हैं (वे पक्ष में हैं, सपक्ष हैं तथा विपक्ष में नहीं है) तथा विरुद्ध पक्ष में इन के तीन रूप नहीं है अत वे प्रकरणसम नहीं हैं । पूर्वोक्त साध्य और साधन दोनों ही जल्प में विद्यमान हैं अत जल्प का दृष्टान्त भी साध्यविकल, साधनविकलया उभयविकल नहीं है तथा आश्रयहीन भी नहीं हैं । इस प्रकार निर्दोष हेतुओं से वाद में तत्त्वज्ञान का सरक्षण करना आदि साध्यों का अस्तित्वसिद्ध होता है इसलिए उन के (नैयायिकों के) द्वारा प्रस्तुत साधन (हेतु) व्यभिचारी हैं (विपक्ष में भी पाये जाते हैं) । लोगों में प्रसिद्ध विचारविमर्श में तत्त्वज्ञान का सरक्षण करना आदि उक्त हेतु नहीं होते अत उन का दृष्टान्त भी साधनविकल है । उन के द्वारा कहे गये हेतु वाद में भी पाये जाते हैं अतः उन का व्यतिरिक्त दृष्टान्त भी साधन-अव्यावृत्त है । अत जल्प

च तन्निर्दर्शनम् । वादे तदुक्तसाधनानां सद्भावात् साधनाव्यावृत्तो व्यतिरेकदृष्टान्तोऽपि । ततः कथं जल्पवितण्डयोर्विजिगीपुविषयत्वं न्यरु-रूपस्त्वम् ॥

[१२२ वादजल्पयोः अभेदः]

किं च जल्पवितण्डे न विद्व्वोर्धीयोग्ये असत्साधनदूषणोपेतत्वात् कलहवत् । छलादियो वा न विद्व्वोर्धीयोग्या । असत्साधनदूषणत्वात् शापादिवत् । एतेन यदपि प्रत्युचिरे यौगाः-वादो न विजिगीपुविषयः तत्त्वज्ञानसंरक्षणरहितत्वात् चतुरङ्गरहितत्वात् लाभपूजाख्यातिकामैः अप्रवृत्तविषयत्वात् समत्सरैरकृतत्वात् प्रतिवादिस्त्रिलितमात्रापर्यवसान-त्वात् छलादिरहितत्वात् श्रीहर्षकथावत्, तथा वादः तत्त्वाध्यवसायसंरक्षणरहितादिमान् चतुरङ्गरहितादित्वात् श्रीहर्षकथावत् इति पूर्वपूर्व-

और वितण्डा विजय के इच्छुकों द्वारा किये जाते हैं (तथा वाद विजय के इच्छुकों द्वारा नहीं किया जाता - वीतरागों द्वारा किया जाता है) ऐसा निरुपण आपने किस प्रकार किया है (अर्थात् ऐसा भेद करना प्रामाणिक नहीं है) ।

वाद और जल्प में भेद नहीं है

(नैयायिकों द्वारा वर्णित) जल्प और वितण्डा विद्वानों की चर्चा में प्रयुक्त होने योग्य नहीं है क्यों कि कलह के समान इन जल्प-वितण्डायों में भी अनुचित साधन और दूषण प्रयुक्त होते हैं । छल आदि भी विद्वानों की चर्चा में प्रयुक्त होने योग्य नहीं हैं क्यों कि शाप आदि के समान ये छल आदि भी अनुचित साधन या दूषण हैं । अतः नैयायिकों ने जो यह उत्तर दिया था कि वाद विजय की इच्छासे नहीं किया जाता, क्यों कि वह तत्त्वज्ञान का संरक्षण नहीं करता, चार अगों से सपन्न नहीं होता, लाभ, सत्कार या कीर्ति की इच्छा रखनेवालों द्वारा नहीं किया जाता, मत्सरी वादियों द्वारा नहीं किया जाता, प्रतिवादी की गलती होते ही समाप्त नहीं किया जाता, छल आदि से युक्त नहीं होता जैसे श्रीहर्ष की कथा (वाद), तथा वाद तत्त्वज्ञान के संरक्षण से रहित होता है क्यों कि वह चार अगों से रहित होता है जैसे श्रीहर्ष की कथा (वाद) इस प्रकार जहां पहला कथन साध्य हो वहा वाद के कथन हेतु

असाध्यत्वे उत्तरोत्तरैकैकप्रसाध्यत्वे इतरं पञ्च हेतुत्वेन उप्लव्या इति -
तन्निरस्तम्। उक्तसकलहेतुमालाया असिद्धत्वात्। कथमिति चेत्
प्रागुक्तप्रकारेण वादे तत्त्वज्ञानसंरक्षणादीनां सद्भावसमर्थनात्। यच्चा-
न्यत् प्रत्यवातिष्ठिपित् तत् सकलहेतुसमर्थनार्थं वादः तत्त्वज्ञानसंर-
क्षणरहितादिमान् अविजिगीपुविषयत्वात् तद्वदिति तदप्यसिद्धम्। तथा
हि-वादो विजिगीपुविषयः सिद्धान्ताविरुद्धार्थविषयत्वात् स्वाभिप्रेतार्थ-
व्यवस्थापत्तफलत्वात् विचारत्वात् पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहत्वात् निग्रहस्थान-
चत्वात् परिसमाप्तिमत्कथात्वात् जल्पवदिति। यत्किंचिद् वादे निपिध्यते
जल्पे समर्थ्यते परैः तत्सर्वमेतैर्हेतुभिः वादे समर्थनीयं जल्पे निपेधनीयम्।
तथा जल्पो वीतरागविषयः सिद्धान्ताविरुद्धार्थविषयत्वात् स्वाभिप्रेतार्थ-
व्यवस्थापत्तफलत्वात् विचारत्वात् पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहत्वात् निग्रहस्थान-

के रूप में समझने चाहिये—यह (सब कथन हमारे उपर्युक्त प्रमाणों से)
खण्डित हुआ क्यों कि उन की पूर्वोक्त हेतुओं की पूरी मालिका ही असिद्ध है।
वह कैसे असिद्ध है इस प्रश्न का उत्तर है कि (हमारे द्वारा) पहले बताये
गये प्रकार से वाद में तत्त्वज्ञान का सरक्षण करना आदि सब वातों का
अस्तित्व पाया जाता है इस का समर्थन होता है। नैयायिकों ने जो यह और
कहा था कि वाद में तत्त्वज्ञान का सरक्षण करना आदि वातें नहीं होतीं क्यों
कि वह विजय की इच्छा से नहीं किया जाता—यह भी असिद्ध है। जैसे कि—
चाद विजय की इच्छा से किया जाता है क्यों कि वह सिद्धान्त से
अविरोधी विषय के बारे में होता है, अपना इष्ट तत्त्व सिद्ध करना उस का
फल होता है, वह विचारविमर्श के रूप में होता है, पक्ष और प्रतिपक्ष
स्वीकार कर के किया जाता है, निग्रहस्थानों से युक्त होता है, कथा की
समाप्ति तक किया जाता है—इन सब वातों में वह जल्प के समान है। इस
प्रकार प्रतिपक्षी (नैयायिक) वाद में जिन वातों का निपेध करते हैं (अभाव
चतुर्लाते हैं) तथा जल्प में उन वातों का समर्थन करते हैं उन सबका उपर्युक्त
हेतुओं द्वारा वाद में समर्थन तथा जल्प में निषेध करना चाहिये। जैसे कि—
जल्प वीतरागों द्वारा किया जाता है क्यों कि वह सिद्धान्त से अविरोधी विषय
के बारे में होता है, अपने इष्ट तत्त्व को सिद्ध करना यह उस का फल होता

वत्त्वात् परिसमाप्तिमत्कथात्वात् वाऽवदिति । एवं वादजल्पयोः सद्वक्-
साधनदूषणत्वात् अविशेषेण वीतरागविजिगीपुविषयत्वाच्च संभाषणं
वादः संजल्पः विचारः कथा उपन्यास इत्यनर्थान्तरम् । तथा हि गृहीत
विषये प्रति युक्त्या संभाष्यत इति संभाषणं, विप्रतिपन्नं प्रति युक्त्या
स्वाभिप्रेतार्थवद्नं वादः, तथा जल्पनं जल्पः, तेषां धात्वर्थप्रत्ययार्थयोः
मेदाभावादसेद् एव । तथा विचारणं विचारः, कथनं कथा, उपन्यसनम्
उपन्यास इति च । इत्यनुमानप्रपञ्चः ॥

[१२३. आगमः]

आप्तवचनादिजनितपदार्थज्ञानम् आगमः । यो यत्राभिश्वत्वे सत्य
वज्ञकः स तत्राप्तः । तद्वचनमपि ज्ञानहेतुत्वादागम एव । ततो जातं
तत्त्वयाथात्मज्ञानं भावशुतम् । तत्त्वयाथात्मप्रतिपादकं वचनं द्रव्यशुतम् ।

है, वह विचारविमर्श के रूप में किया जाता है, पक्ष और प्रतिपक्ष स्वीकार
कर के किया जाता है, निग्रहस्थानों से युक्त होता है तथा कथा की समाप्ति
तक किया जाता है—इन सब वातों में वह वाद के समान है । इस प्रकार वाद
और जल्प दोनों में साधन और दुष्प्रय समान हैं, दोनों समान रूप से वीतराग-
विषय तथा विजिगीषुविषय हैं (विजय की इच्छासे या उस के बिना किये
जाते हैं), अतः वाद, सभाषण, संजल्प, विचार, कथा, उपन्यास ये सब
एकार्थक शब्द हैं । जिससे विस्तृपक्ष लिया है उस से युक्तिपूर्वक बोलना
यही संभाषण है, विस्तृपक्ष के बादी को युक्तिपूर्वक अपनी इष्ट वात बतलान
यही वाद है, जल्पन (बोलना) यही जल्प है, इन सब शब्दों में धातु कत-
अर्थ तथा प्रत्यय का अर्थ इन दोनों में कोई भेद नहीं है अतः उन शब्दों के
अर्थ में भी कोई भेद नहीं है । इसी प्रकार विचारण, विचार, कथन, कथा,
उपन्यसन, उपन्यास ये भी एकार्थक शब्द हैं । इस प्रकार अनुमान का विस्तृ
कथन पूर्ण हुआ ।

आगम

आप के वचन आदि से उत्पन्न हुए पदार्थों के ज्ञान को आगम कहते
हैं । जो जिसे विषय को जानता हो तथा अवज्ञक हो (- धोखा न देता
हो — सत्य बोलता हो) वह उस विषय के लिए आप होता है । आप के

तज्जाङ्गवाह्यमेदेन द्विवा । तत्राङ्गं द्वादशविवरम् । आचाराङ्गं सूत्रकृताङ्गं स्थानाङ्गं समवायाङ्गं व्याख्याप्रबन्धं ब्रातृकथाङ्गम् उपासकाध्ययनाङ्गम् अन्तकृदशाङ्गम् अनुचरोपपादकदशाङ्गं प्रश्नव्याकरणाङ्गं विपाकसूत्राङ्गं द्विवादाङ्गमिति द्वादशाङ्गानि । तत्र द्विवादाङ्गे परिकर्मसूत्रप्रथमानुयोग-पूर्वचूलिका इति पञ्चाधिकारा । तत्र पूर्वाधिकारे उत्पादपूर्व-अग्रायणीय-चीर्यानुप्रवाद-अस्तिनास्तिप्रवाद-ज्ञानप्रवाद-सत्यप्रवाद-आत्मप्रवाद-कर्मप्रवाद-प्रत्याख्यान-विद्याल्लुब्धाद-कल्याण-प्राणावाय-क्रियाविशाल-लोकविन्दुसार-पूर्वाश्रेति चतुर्दश पूर्वाधिकारा । अङ्गवाह्ये सामायिक-चतुर्विंशतिस्तत्त्व-वन्दना-प्रतिक्रमण-वैनयिक-कृतिकर्म-दशवैकालिक-उत्तराध्ययन-कल्प-द्व्यवहार-कल्पाकल्प-महाकल्प-पुण्डरीक-महापुण्ड-रीक-अशीतिका-प्रकीर्णकानीति चतुर्दशाधिकाराः ॥

[१२४. आगमाभासः]

अनात्मवचनादिजनितमिथ्याज्ञानमागमाभासः । अज्ञानदुष्टाभिप्राय-चाननात्म । तद्वचनमध्यागमाभास एव । सर्वं दुःखं सर्वं श्रणिकं सर्वं

वाक्यों को भी आगम ही कहते हैं क्यों कि वे वाक्य आगमज्ञान के कारण हैं (वाक्य शब्दों से वने हुए अतएव जड़ हैं, वे प्रमाण नहीं हो सकते, किन्तु आगम-ज्ञान के कारण होने से उन्हें उपचार से आगम-प्रमाण कहते हैं) उन से उत्पन्न तत्त्वों का वास्तविक ज्ञान भाव-श्रुत कहलाता है । तत्त्वों के वास्तविक स्वरूप को बतलानेवाले वाक्य द्व्य-श्रुत कहलाते हैं । द्व्यश्रुत के दो प्रकार हैं — अग तथा अंगवाह्य । अंगों के वारह प्रकार हैं — आचारांग से द्वित्राद अंग तक वे वारह अग हैं (नाम मूल में गिनाये हैं) । द्वित्राद अंग में पाच अधिकार (विभाग) हैं — परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्व तथा चूलिका । इन में से पूर्व-अधिकार के चौटह भाग हैं — उत्पाद पूर्व से लोकविन्दुसार तक (जो मूल में गिनाये हैं) चौटह पूर्व हैं । अगवाह्य के चौटह अधिकार हैं — सामायिक से प्रकीर्णक तक (नाम मूल में गिनाये हैं) ।
आगमाभास

अनात्म के वाक्य आदि से उत्पन्न मिथ्या ज्ञान को आगमाभास कहते हैं । जो अज्ञान तथा दूषित अभिप्राय से युक्त हो वह अनात्म होता है । उस

निरात्मकं सर्वं शून्यमित्यादि । प्रकृतेर्महांस्ततोऽहंकारस्तस्माद् गुणश्च
पोडशकः । तस्मादपि पोडशकात् पञ्चम्यः पञ्च भूतानि ॥ इत्यादि ।
अलाङ्गून्ति मञ्जन्ति, ग्रावाणः लघन्ते, अन्धो मणिमविन्धयत्, तमनङ्गुलि-
रावयत्, उत्ताना वै देवगवा वहन्ति इत्यादि । इति परोक्षप्रपञ्च । इति
भावप्रमाणनिरूपणम् ॥

[१२५. करणप्रमाणम्—द्रव्यप्रमाणम्]

करणप्रमाणं द्रव्यक्षेत्रकालसेदेन त्रिविधम् । तत्र द्रव्यप्रमाणमिन्दि-
यार्थतसंबन्धेहेतुदृष्टान्तव्यापिशिव्वार्थसंकेतादय । मानोन्मानावमान
अतिमानतत्वतिमानगणनामानानि । तत्र मानं पोडशिका-अर्धमान-
मानसिद्धप्रस्थादे । उन्मानं त्रासुछिन्नवर्तिंकातुलादि । अवमानं चतुर-
ङ्गुलचुलुक्षणे त्रुट्यमृते । प्रतिमानं गुज्जाकपर्दिकाकहिलादि । तद-

के वाक्यों को भी आगमाभास ही कहते हैं । (जगत में) सब दुख है,
सब क्षणिक है, सब निरात्मक है, सब शून्य है आदि वाक्य आगमाभास
है । प्रकृति से महान्, महान् से अहकार, अहंकार से सोलह (तत्त्वों) का
समूह तथा उन सोलह में से पाच (तन्मात्रों) से पाच भूत (व्यक्त होते)
हैं आदि वाक्य आगमाभास हैं । तूती द्वावती है, पथर तैरते हैं, अधेने रत्न
को बीधा, उस में विना अगुली के मनुष्य ने धागा पिरोया, देवों की गायें
उलटी वहती हैं आदि वाक्य आगमाभास हैं । इस प्रकार परोक्ष प्रमाणों का
और उसके साथ भाव प्रमाण का वर्णन पूर्ण हुआ ।

करणप्रमाण—द्रव्यप्रमाण

करण प्रमाण के तीन प्रकार हैं— द्रव्यप्रमाण, क्षेत्रप्रमाण तथा काल
प्रमाण । इन्द्रिय और पदार्थ तथा उन के सम्बन्ध के हेतु और दृष्टान्तोंपर
आधारित शब्द और अर्थ के सकेत आदि को द्रव्यप्रमाण कहते हैं । उस
के भेद इस प्रकार हैं— मान, उन्मान, अवमान, प्रतिमान, तत्वतिमान तथा
गणनामान । पोडशिका, अर्धमान, मान, सिद्धप्रस्थ आदि मान (धान्यमार)
के प्रकार हैं । त्रासु, छिन्न, वर्तिका, तुला आदि उन्मान (तौल) के प्रकार
हैं । चार अगुल, चुल्ल, अजलि आदि अवमान के प्रकार हैं । गुजा, कौडी,

अतिमानं कर्त्तव्यपदार्थस्य मूलप्रकारिणीविशिष्टार्थपादपादपणनिष्कादयः। गणनामानं संख्यातासंख्यातानन्तसेदात् विधा। तत्र संख्यातं जबन्य-मध्यमोत्कृष्टभेदात् विविधम्। असंख्यातमनन्तं च परिमितयुक्तिव्याप्तिरभाव-भेदात् विविधम्। तत्प्रत्येकं जबन्यमध्यमोत्कृष्टभेदात् विविधमिति गणनामानम् एकविशिष्टभेदभिन्नम्। लिखितसाधिभुक्तिस्थापित-पापाणादयश्च ॥

[१२६ क्षेत्रप्रमाणम्]

क्षेत्रप्रमाणम् - उत्तममध्यमजबन्यभोगभूकर्मभूजशिरोहृष्टक्षतिलय-वाङ्मुखान्यधाष्टगुणितानि। छादशाद्वगुलैः वितस्तिः। वितस्तिभ्यां

क्षिला आदि प्रतिमान (वाट) के प्रकार हैं। खरीदनेयोग्य पदार्थ के मूल्य को तप्रतिमान कहते हैं, जैसे काकिणी, विश, त्रिंग, अर्धपाद, पाट, पण, निष्क आदि। गणनामान के तीन प्रकार हैं - संख्यात, असंख्यात और अनन्त। संख्यात के तीन प्रकार हैं - जबन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। असंख्यात और अनन्त के तीन-तीन प्रकार हैं - परिमित, युक्त तथा द्विरुक्त (परिमित असंख्यात, युक्त असंख्यात, असंख्यात असंख्यात, परिमित अनन्त, युक्त अनन्त, अनन्त अनन्त)। इन में से प्रत्येक के जबन्य, मध्यम और उत्कृष्ट ये तीन-तीन भेद होते हैं। इन सब को मिलाकर गणनामान के इक्कीस प्रकार हैं। इन के अतिरिक्त लिखित (दस्तावेज), साक्षी, अधिकारी आदि द्वारा स्थापित (सीमा व्रतानेवाले) पत्थर आदि का भी द्रव्यप्रमाण में समावेश होता है।

क्षेत्रप्रमाण

क्षेत्रप्रमाण की गणना इस प्रकार है - उत्तम भोगभूमि, मध्यम भोग-भूमि, जबन्य भोगभूमि, तथा कार्मभूमि के मनुष्यों के सिर के केश की चौडाई आठ आठ गुनी है। कर्मभूमि के मनुष्य के सिर के केश की चौडाई के आठगुना १ लक्ष होता है। आठ लक्षों का १ तिळ होता है।

हस्तः । चतुर्हस्तैः दण्डः । द्विस्त्रहस्तदण्डैः क्रोशः । चतुःक्रोशैः योजनम् । इत्यादि ॥

[१२७. कालप्रमाणम्]

कालप्रमाणम्-असंख्यातसमयः आवलिः । संख्यातावलिसमूहैरुच्छ्वास । स्तोकैः स्तोकः । सहस्रोकैः लवः । सार्वाष्टुन्निशल्लवैः घटिका । घटिकाभ्यां मुहूर्तं । विशनमुहूर्तैः दिनम् । पञ्चदशादिनैः पक्षः । पक्षाभ्यां मासः । मासाभ्याम् ऋतुः । त्रिऋतुभिः अयनम् । अयनाभ्यां संवत्सरः । पञ्चसंवत्सरैः युगम् । द्वादशयुगैः मण्डलम् । चत्वारिंशत्-सहस्राधिकलक्षमण्डलैः पूर्वाङ्गम् । पूर्वाङ्गवर्गः पूर्वम् इत्यादि ॥

[१२८. उपमानप्रमाणम्]

उपमानप्रमाणं क्षेत्रप्रमाणं कालप्रमाणं च भवति । तद् यथा-पत्त्योपमसागरोपमसूच्यद्वालप्रतराङ्गुलघनाङ्गुलजगच्छैर्णीजगत् प्रतरलोका

\langle तिल = १ यव, \langle यव = १ अगुल; १२ अगुल = १ वितस्ति; २ वितस्ति = १ हस्त; ४ हस्त = १ दंड; २००० दण्ड = १ क्रोश, तथा ४ क्रोश = १ योजन होता है ।

काल प्रमाण

काल प्रमाण की गणना इस प्रकार है—असंख्यात समय = १ आवलि; सख्यात आवलि = १ उच्छ्वास; ७ उच्छ्वास = १ स्तोक; ७ स्तोक = १ लव, $3\frac{1}{2}$ लव = १ घटिका, २ घटिका = १ मुहूर्त, ३० मुहूर्त = १ दिन; १५ दिन = १ पक्ष, २ पक्ष = १ मास, २ मास = १ ऋतु; ३ ऋतु = १ अयन, २ अयन = १ संवत्सर; ९ संवत्सर = १ युग; १२ युग = १ मंडल; १ लक्ष ४० हजार मंडल = पूर्वांग, पूर्वांग \times पूर्वांग = १ पूर्व ॥

उपमान प्रमाण

उपमान प्रमाण दो तरह का है—क्षेत्र प्रमाण तथा काल प्रमाण । इस के आठ प्रकार हैं—पत्त्योपम, सागरोपम, सूच्यंगुल, प्रतरांगुल, घनांगुल, जगच्छैर्णी, जगत् प्रतर तथा लोक । इस में पत्त्य के तीन भेद हैं—व्यवहारपत्त्य,

इत्यष्टुप्रकाराः । तत्र पल्यं व्यवहार - उद्धार - अद्वारमेदेन त्रिविधम् । यथाक्रमं संख्याद्वीपसमुद्रकर्मस्थितिव्यवस्थापकम् । प्रमाणयोजनोत्सेध-विस्तारवृत्तगते उत्तमभोगभूमिज्ञाजकेशान् समखण्डान् शिखां परिहार्य-वर्षेश्वान्ते एकैकापनयने यावन्कालेन परिसमाप्तिः तावत्कालसमय-संख्या व्यवहारपल्यम् । व्यवहारपल्यकेशानसंख्यातखण्डान् विधाय तथापनयने तत्काले समयसंख्या उद्धारपल्यम् । उद्धारपल्यकेशान-संख्यातखण्डान् विधाय तथापनयने तत्कालसमयसंख्या अद्वारपल्यम् । पल्यानां संदृष्टिः । १ । पतेपां पल्यानां दशकोटिकोटि संख्या सागरः । तस्य संदृष्टिः । २ । पल्यछेदनामात्रपल्यानामन्योन्याभ्यासे सूच्यंगुलम् । तस्य संदृष्टिः । ३ । सूच्यंगुलस्य वर्गः प्रतरांगुलम् । तस्य संदृष्टिः । ४ ।

उद्धारपल्य तथा अद्वारपल्य । इन तीनों का उपयोग क्रमशः संख्या, द्वीप-समुद्र तथा कर्मस्थिति के विषय में होता है । एक प्रमाण योजन ऊंचे और उतने ही व्यास के गोल गढ़े में उत्तम भोगभूमि में उत्पन्न हुए बकरे के समस्त केशों के बहुत वारीक टुकड़े कर के समतल भर दिये जायें तथा एक एकसी वर्ष वाट एक एक टुकड़ा निकाला जाय तो जितने समय वाद वह केश समाप्त होंगे उतने समय को एक व्यवहारपल्य कहते हैं । व्यवहारपल्य के केशों के असंख्यात टुकड़े कर के उसी प्रकार (सौ सौ वर्ष वाट एक एक टुकड़ा निकाल कर) जितने समय में वे केश समाप्त होंगे उतने समय को एक उद्धारपल्य कहते हैं । इस उद्धारपल्य के केशों के असंख्यात टुकड़े कर उसी प्रकार (सौ सौ वर्ष वाट एक एक टुकड़ा) निकालने पर जितने समय में वे समाप्त होंगे उतने समय को एक अद्वार पल्य कहते हैं । (ग्रन्थों में उदाहरणों आदि में) पल्य के लिए । ५ । यह संदृष्टि (प्रतीक) उपयोग में आती है । द१ कोटि × कोटि पल्यों का एक सागर होता है । सागर का प्रतीक । ६ । यह होता है । एक पल्य के जितने वर्ष छेद होते हैं उतने पल्यों का परस्पर गुणाकार करने से एक सूच्यंगुल होता है उस का प्रतीक

सूच्यंगुलस्य घनो घनांगुलम् । तस्य संदृष्टिः । ६ । पल्यछेदनानामसंख्या-
तैकभागमात्रे घनांगुलानामन्योन्याभ्यासे जगच्छ्रेणिः । तस्य संदृष्टिः । १ ।

जगच्छ्रेणेः वर्नो जगत्प्रत्यतरः । तस्य संदृष्टिः । = । जगच्छ्रेणेः घनो
लोकः । तस्य संदृष्टिः । ३ । जगच्छ्रेणेः सप्तमभागो रज्जुः । तस्य
संदृष्टिः । ७ ॥

[१२९. प्रमाणान्तरभावः]

अथ उपमानार्थापत्यभावप्रमाणानि निरूपणीयानीति चेत् तत्सर्वं
निरूपितमेव । तत् कथम् । गोसवशोऽयं गवयः, अनेन सदृशी मदीया
गौ, इत्युपमानस्य सादृश्यप्रत्यभिज्ञानेन, नदी पूराद्यर्थापत्तेः अनुमानत्वेन-
अभावप्रमितेः प्रतियोगिकग्राहकप्रमाणत्वेन निरूपणात् ॥

१२१ है । सूच्यंगुल का वर्ग प्रतरागुल कहलाता है उसका प्रतीक । ४ । है ।
सूच्यंगुल का घन घनागुल कहलाता है उस का प्रतीक । ६ । है । पल्य के
छेदों के असंख्यात्मेष एक भाग में घनागुलों का परस्पर गुगाकार करने से
जगत् श्रेणी प्रात होती है । इस का प्रतीक । १ । है । जगत् श्रेणी का वर्ग
जगत् प्रतर होता है उस का प्रतीक । = । होता है । जगत् श्रेणी का घन
लोक होता है । उस का प्रतीक । ३ । है । जगत् श्रेणी के सान्त्रे भाग को
रज्जु कहते हैं । उस का प्रतीक । ७ । होता है ।

दूसरे प्रमाणों का समावेश

यहां उपमान, अर्थापत्ति तथा अभाव इन प्रमाणों का भी वर्णन करना
चाहिये ऐसा कोई कहें तो उत्तर यह है कि इन का वर्णन पहले हो चुका
है । यह गवय गाय जैसा है, मेरी गाय इस जैसी है आदि उपमान प्रमाण
का सादृश्य प्रत्यभिज्ञान में अन्तर्भाव किया है । नदी को बाढ आई है अतः
ऊपर वर्षा हुई होगी आदि अर्थापत्ति प्रमाण का अनुमान में अन्तर्भाव किया
है । अभाव की प्रमिति तथा प्रतियोगी वस्तु के ग्रहण करने वाले प्रत्यक्ष में
कोई भेद नहीं है । इस तरह उपमान, अर्थापत्ति एवं अभाव ये पृथक् प्रमाण
नहीं हैं ।

[१३०. उपसंहारः]

भावसेनत्रिविद्यार्थी वादिपर्वतवज्रस्तुत् ।

सिद्धान्तसारशास्त्रे इस्मन् प्रमाणं प्रत्यपीपदत् ॥ १०२ ॥

इति परबादिगिरिसुरेश्वरथ्रीमद्भावसेनत्रिविद्यदेवविरचिते सिद्धान्तसारे मोक्षशास्त्रे प्रमाणनिरूपणं नाम प्रथमः परिच्छेदः ॥

बाढ़ी रूपी पर्वती के लिए इन्द्र के समान भावसेन त्रिविद्यार्थी ने इस सिद्धान्तसार शास्त्र में प्रमाण का प्रतिपादन किया ।

इस प्रकार प्रतिपक्ष के बाढ़ीरूपी पर्वतों के लिए इन्द्र सदृश श्रीभावसेन त्रिविद्यदेव द्वारा गच्छित सिद्धान्तसार मोक्षशास्त्र का प्रमाणनिरूपण नामक पहला परिच्छेद समाप्त हुआ ॥

तुलना और समीक्षा

प्रमाण का लक्षण (परि० २)

तर्कशास्त्र के प्रारम्भिक युग में प्रमाण शब्द का उपयोग किसी लक्षण के बिना ही किया गया है। न्यायसूत्र^१ तथा जैन आगमों के^२ उल्लेख इसी अकार के हैं। वात्स्यायन^३, उमास्वाति^४ तथा पूज्यपाद^५ने प्रमाण शब्द की च्युत्पत्ति बतलाई है। समन्तभद्र ने स्व तथा पर को जाननेवाली बुद्धि को प्रमाण कहा है^६ तथा एकसाथ सब को जाननेवाला सर्वज्ञ का ज्ञान और क्रमशः होनेवाला स्याद्वाद-संस्कृत ज्ञान ये उस के प्रकार बतलाये हैं^७। सिद्ध-सेन ने प्रमाण के लक्षण में स्व-पर के ज्ञान में वादा न होना इस विशेषता का समावेश किया है^८। वौद्ध आचार्यों के प्रमाण-लक्षण में अविसंवादि ज्ञान^९ उस शब्दप्रयोग द्वारा इसी वाधा न होने की विशेषता को स्वीकार किया गया है। मीमांसक आचार्यों ने उस ज्ञान को प्रमाण माना है जो किसी नये (अथवा अज्ञात = अगृहीत = अपूर्व) पदार्थ को जानता हो^{१०}। अकलींक विद्यानन्द तथा माणिक्यनन्द ने उपर्युक्त लक्षणों का समन्वय करते हुए स्व

१. न्यायसूत्र १-१-१ तथा १-१-३ ।

२. अनुयोगद्वारसूत्र (घ. १३१) इत्यादि ।

३. न्यायभाष्य १-१-३। प्रमीयते अनेनेति करणार्थाभिधानो हि प्रमाणशब्दः।

४. तत्त्वार्थभाष्य १-१-२। प्रमीयन्ते अर्था, तैः इति प्रमाणानि ।

५. सर्वार्थसिद्धि १-१-२। प्रमिणोति प्रमीयते अनेन प्रमितिमात्रं वा प्रमाणम्।

६. स्वयम्भूतोत्र ६३। स्वपरावभासकं यथा प्रमाण भुवि बुद्धिलक्षणम् ।

७. आत्मीमासा १०१। तत्त्वज्ञानं प्रमाण ते युगपत् सर्वमासनम् ।

क्रमभवित्वा यज्ञानं स्याद्वादनयसंस्कृतम् ॥

८. न्यायावतार १। प्रमाण स्वपराभासि ज्ञानं वाधविवर्जितम् ।

९. प्रमाणवार्तिक २-१। प्रमाणमविसवादि ज्ञानम् ।

१०. मीमांसालोक वार्तिक में कुमारिलः तत्रापूर्वार्थविज्ञान निश्चितं वाधव-चितम् । अदुष्टकारणारब्धं प्रमाण लोकसंसत्तम् ॥

तथा अपूर्व अर्थ का निश्चय करनेवाले ज्ञान को प्रमाण कहा है^१। हेमचन्द्र ने अपूर्वार्थग्रहण विशेषण को अनावश्यक समझ कर वस्तु का यथार्थ निर्णीत यही प्रमाण का लक्षण माना है^२। आचार्य भावसेन का पदार्थयात्म्य-निश्चय यह लक्षण भी इसीका अनुसरण करता है। नैयायिक विद्वानों ने प्रमाणशब्द की व्युत्पत्ति को ही लक्षण का रूप ढेने की पद्धति अपनाई है^३। इस में प्रमा का साधन प्रमाण होता है अतः ज्ञान के साथ साथ इन्द्रिय और पदार्थों के सम्बन्ध को भी प्रमाण कहा जाता है। प्रमाण शब्द के रूढ़ अर्थ में विश्वसनीयता का अश्व महत्वपूर्ण है — विश्वासयोग्य ज्ञान को ही प्रमाणभूत समझा जाता है। वौद्ध और जैन आचार्यों के लक्षण इस अर्थ के अनुकूल हैं। इस पक्ष में प्रमाणशब्द का भावरूप अर्थ प्रमुख है। नैयायिक विद्वान प्रमाण शब्द के साधन रूप अर्थ पर जोर देते हैं।

प्रमाणों के प्रकार (परि० २)

भावसेन ने प्रमाण के दो प्रकार वर्तलाये हैं — भावप्रमाण तथा करणप्रमाण; एव करण प्रमाण के तीन भेदों का (द्रव्य, क्लेत्र, काल) ग्रन्थ के अन्तिम भाग (परि. १२५—२७) में वर्णन किया है। इन चार भेदों का एकत्रित उल्लेख अनुयोगद्वारसूत्र में मिलता है^४ किन्तु वहाँ भाव तथा करण यह वर्गीकरण नहीं पाया जाता।

१. अष्टसहस्री पृ. १७५। प्रमाणमविसवादि ज्ञानमनविगतार्थाधिगम-लक्षणत्वात्। परीक्षामुख १-१ स्वापूर्वार्थ व्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणम्।
२. प्रमाणमीमांसा १-१-२। सम्यगर्थनिर्णयः प्रमाणम्।
३. न्यायवार्तिकतात्पर्य टीका पृ. २१। प्रमाणाधन हि प्रमाणम्। न्यायसार पृ. २। सम्यगत्तुभवसाधन प्रमाणम्। तर्कभाषा पृ. १। प्रमाकरण प्रमाणम्।

न्यायमंजरी पृ. १२। अव्यभिचारिणीमसन्दिग्धामयोपलब्धिविद्वत्तीबोधा-बोधस्वभावा सामग्री प्रमाणम्।

इस परम्परा में उल्लेखनीय अपेक्षाद उद्ययन का है, उन्होंने यथार्थ अनुभव को प्रमाण कहा है (यथार्थानुभवो मानम्—न्यायकुसुमांचलि प्र. ४ श्लो. १)।

४. सूत्र १३१ से किं तं पमाणे। पमाणे चउविवहे पण्णते, तं बहादृ दव्वपमाणे खेतपमाणे कालपमाणे भावपमाणे।

प्रत्यक्ष से भिन्न सभी प्रमाणों का परोक्ष इस संज्ञा में अन्तर्भव करना यह जैन प्रमाणशास्त्र की विशेषता है। प्रायः सभी जैन आचार्यों ने इस का समर्थन किया है^१। अन्य दर्शनों में यह संज्ञा नहीं पाई जाती।

अन्य दर्शनों में प्रमाणों के प्रकारों की जो मान्यताएँ हैं उन का सग्रह निम्नलिखित लोक में मिलता है^२—

चार्वाकोऽध्यक्षमेकं सुगतकणभुजौ सानुमानं सशाब्दं

तदूद्घृतं पारमर्थः सहितमुपमया तत्त्वय चाक्षपादः ।

अर्थापत्त्या प्रभाकृद् वदति स निखिलं मन्यते भट्ट एतत्

सामाव द्वे प्रमाणे जिनपतिसमये स्पष्टतोऽस्पष्टतश्च ॥

अर्थात् — चार्वाक एक प्रत्यक्ष ही प्रमाण मानते हैं, वौद्ध और वैशेषिक प्रत्यक्ष और अनुमान ये दो प्रमाण मानते हैं, सात्य प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द ये तीन प्रमाण मानते हैं, नैयायिक इन तीनों में उपमान प्रमाण और जोड़ते हैं, प्राभाकर मीमांसक इन चारों के साथ अर्थापत्ति पाचवां प्रमाण मानते हैं और भाट्ट मीमांसक इन पाच में अभाव यह छठा प्रमाण जोड़ते हैं, जैन मत में सब प्रमाण स्पष्ट (प्रत्यक्ष) और अस्पष्ट (परोक्ष) इन दो भेदों में समाविष्ट हो जाते हैं।

प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण (परि० ३)

प्राचीन आगमों के अनुसार प्रत्यक्ष प्रमाण वह है जिस में केवल (इन्द्रियों की तथा मन की सहायता के बिना ही) आत्मा को पदार्थों का ज्ञान होता है^३। इस लिए अवधि, मन पर्यय तथा केवल इन तीन ज्ञानों को ही वे प्रत्यक्ष कहते हैं तथा इन्द्रियों और मन से होनेवाले मति और श्रुत इन

१. नन्दीसूत्र (सू. २)। तं समाप्त्यो दुविह पण्ठतं तं जहा पच्चक्खं चः परोक्खं च ॥ तत्त्वार्थसूत्र अ. १ सू. ११, १२। आद्ये परोक्षम् । प्रत्यक्षमन्यत् । इत्यादि ।

२. यह लोक न्यायावतार ट्रिप्पन (पृ ९-१०) में उद्धृत है ।

३. प्रवचनसार गा. ५८; तं परदो विष्णाणं तं तु परोक्ख त्ति भणिदमद्देश । उदिके वेण गाद इवदि हि जीवेण पच्चक्ख ॥

दोनों ज्ञानों को परोक्ष कहते हैं^३। सिद्धसेन ने जो परोक्ष नहीं है उसे प्रत्यक्ष कहा है—प्रत्यक्ष की विधिरूप व्याख्या नहीं की है^४। आगमों की दूसरी परम्परा के अनुसार जब इन्द्रियों और मन से प्राप्त ज्ञान को व्यवहारतः प्रत्यक्ष माना गया तब प्रत्यक्ष के लक्षण में परिवर्तन जहरी हुआ। अकलंकदेव ने विशद अथवा स्पष्ट ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा तथा उसे साकार यह विशेषण भी दिया^५। विशद का स्पष्टीकरण करते हुए कहा गया कि जिस ज्ञान के लिए कोई दूसरा ज्ञान आधारभूत नहीं होता वह विशद अर्थात् प्रत्यक्ष है^६—स्मृति आदि ज्ञानों के लिए पूर्ववर्ती प्रत्यक्ष ज्ञान आधारभूत होता है इस लिए वे परोक्ष हैं। भावसेन का प्रत्यक्ष लक्षण भी इस व्याख्या के अनुरूप है।

न्यायसूत्र में प्रत्यक्ष उसे कहा गया है जो इन्द्रिय और पदार्थ के सम्बन्ध से उत्पन्न, शब्द योजना से पूर्ववर्ती, यथार्थ तथा निश्चयात्मक ज्ञान होता है^७। किन्तु इस में योगिप्रत्यक्ष तथा मानसप्रत्यक्ष का समावेश नहीं हो सकता। इस लिए वात्स्यायन ने इस सूत्र के इन्द्रिय शब्द में मन का अन्तर्भाव करने का प्रयत्न किया है^८। मासर्वज्ञ ने सम्यक् अपरोक्ष अनुभव के साधन को प्रत्यक्ष कहा है^९।

१. तत्त्वार्थसूत्र अ. १ सू. ९-१२। मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलानि ज्ञानम्। तत्प्रमाणे। आद्य परोक्षम्। प्रत्यक्षमन्यत्।

२. न्यायावतार श्लो. ४। अपरोक्षतार्थस्य ग्राहकं ज्ञानमीदशम्। प्रत्यक्ष-मितरज्जेयं परोक्षं ग्रहणेक्षया ॥

३. न्यायविनिश्चय श्लो. ३। प्रत्यक्षलक्षणं प्राहुः स्पष्टं साकारमञ्जसा।

४. परीक्षामुख २-४। प्रतीत्यन्तराव्यवधानेत विशेषवत्तया वा प्रतिभासनं वैश्यद्यम्।

५. न्यायसूत्र १-१-४। इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यमिचारि व्यवसायात्मक प्रत्यक्षम्।

६. न्यायभाष्य १-१-४। अत्मादिषु सुखादिषु च प्रत्यक्षलक्षणं वक्तव्यम्...मनसश्चेन्द्रियभावात् तत्र वाच्यं लक्षणात्तरमिति।

७. न्यायसार पृ. ७ सम्यगपरोक्षानुभवसाधन प्रत्यक्षम्।

बौद्ध आचार्यों ने शब्दयोजना से पूर्ववर्ती निर्विकल्प ज्ञान को ही प्रत्यक्ष माना है^३। जैन आचार्यों का इस विषय में यह मत है कि वस्तु के निर्विकल्प ग्रहण को दर्शन कहा जाय-ज्ञान नहीं। वह ज्ञान ही नहीं होता अतः प्रमाण भी नहीं हो सकता। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष के खण्डन के लिए मावसेन वे विश्वतत्त्वप्रकाश में एक परिच्छेद (८९) लिखा है।

प्रत्यक्ष प्रमाण के प्रकार (परि० ३-९)

आगमों की प्राचीन परम्परा में अवधिज्ञान, मन-पर्यायज्ञान तथा केवलज्ञान इन तीन प्रकारों में प्रत्यक्षप्रमाण का विभाजन मिलता है। इस का अनुसरण कुन्दकुन्द और उमास्वाति ने किया है^४। ये तीनों ज्ञान अती-निर्दिय हैं। इस परम्परा के अनुसार इन्द्रिय और मन द्वारा होनेवाले समस्त ज्ञान परोक्ष हैं। आगमों में मिलनेवाली दूसरी परम्परा के अनुसार उक्त तीन ज्ञानों को नोइन्द्रियप्रत्यक्ष कहा है^५ तथा स्पर्शनादि पाच इन्द्रियों से प्राप्त ज्ञान को इन्द्रियप्रत्यक्ष कहा है। उक्त विरोध को दूर करने के लिए जिनभद्रगणी ने इन्द्रियप्रत्यक्ष को सब्यवहारप्रत्यक्ष कहते हुए अवधि आदि ज्ञानों को मुख्य प्रत्यक्ष कहा है^६। अकलकदेव ने प्रत्यक्ष के तीन प्रकार किये हैं—इन्द्रिय-प्रत्यक्ष, अनिन्द्रियप्रत्यक्ष (स्मृति, प्रत्यभिज्ञा, तर्क और अनुमान ये ज्ञान जब तक शब्दाश्रित नहीं होते तब तक मन द्वारा प्रत्यक्ष जाने जाते हैं) तथा अती-निर्दिय प्रत्यक्ष (अवधि आदि तीन ज्ञान)^७। इन में प्रथम दो प्रकारों को

१. प्रत्यक्ष कल्पनापोदसम्भ्रान्तम् (न्यायविन्दु ४)

२. ये मूल उल्लेख ऊर उद्धृत कर चुके हैं।

३. अनुयोगद्वारसूत्र (सू. १४४)। पच्चक्षे दुषि हे पण्ते। त जहा इंदिय-पच्चक्षे अ णोइंदियपच्चक्षे अ। से कि त इंदियपच्चक्षे। इंदियपच्चक्षे पंचविहे पण्ते। त जहा—सोइंदियपच्चक्षे चवखु-रिदियपच्चक्षे धागिदियपच्चक्षे जिविदियपच्चक्षे फासिंदिय-पच्चक्षे। .. णोइंदियपच्चक्षे तिविहे पण्ते। त जहा—ओहिणाण पच्चक्षे मणपञ्जवणाणपच्चक्षे केवलण, णपच्चक्षे।

४. इदियमणोभवं ज त सववहारपच्चक्ष। विशेषावश्यक भाष्य गा. ९५

५. प्रमाणसग्रह. श्लो. १। प्रत्यक्ष विशद ज्ञान तत्वज्ञान विशदम्। इन्द्रिय-प्रत्यक्षमनिन्द्रियप्रत्यक्षमतीन्द्रियप्रत्यक्ष त्रिघा।

उन्होंने भी संव्यवहारप्रत्यक्ष कहा है^१। वाद के आचार्यों ने मुख्य तथा संव्यवहारप्रत्यक्ष का यह वर्गीकरण मान्य किया है किन्तु स्मृति आदि को उन्होंने अनिन्द्रियप्रत्यक्ष नहीं माना है^२। भावसेन ने प्रत्यक्ष प्रमाण के जो चार प्रकार बतलाये हैं उन में योगिप्रत्यक्ष में अवधि, मनःपर्यव तथा केवल-ज्ञान का समावेश है अर्थात् प्राचीन आगमिक परम्परा का प्रत्यक्ष और अकलंकदेव आदि की परम्परा का मुख्य प्रत्यक्ष ही यहाँ योगिप्रत्यक्ष कहा गया है^३। इन्द्रियप्रत्यक्ष भी इन पूर्वाचार्यों द्वारा वर्णित संव्यवहारप्रत्यक्ष का एक भाग है। मानसप्रत्यक्ष का संव्यवहारप्रत्यक्ष में अन्तर्भाव किया जा सकता है — उमास्त्वाति ने मतिज्ञान को इन्द्रिय-अनिन्द्रियनिमित्तक माना है, जिनभद्र ने संव्यवहारप्रत्यक्ष को इन्द्रियमनोभव कहा है तथा अकलंकदेव ने तो अनिन्द्रियप्रत्यक्ष का स्पष्ट ही वर्णन किया है। किन्तु भावसेन ने मानस-प्रत्यक्ष की जो विषयमर्यादा बतलाई है (आत्मा के सुख, दुःख, हर्ष, इच्छा आदि का ज्ञान ही मानसप्रत्यक्ष का विषय है) वह अकलंकवर्णित अनिन्द्रियप्रत्यक्ष के अनुकूल नहीं है। भावसेन के स्वसरेदनप्रत्यक्ष का भी स्वतन्त्र प्रकार के रूप में वर्णन अन्य जैन ग्रन्थों में नहीं पाया जाता, फिर भी ज्ञान अपने आप को जानता है इस विषय में जैन आचार्य एकमत है^४,

१. लघीयस्त्रय श्लो. ४। तत्र सांव्यवहारिकमिन्द्रियानिन्द्रियप्रत्यक्षम् ॥
मुख्यमतीन्द्रियज्ञानम् ।

२. लघीयस्त्रय श्लो. १०-११ पर प्रमाचन्द्र की व्याख्या इस दृष्टि से
देखनेयोग्य है ।

३. यहा द्रष्टव्य है कि भावसेन ने योगिप्रत्यक्ष में केवलज्ञान, मनःपर्यव-ज्ञान तथा अवधिज्ञान को समाविष्ट किया है, इन में पहले दो ज्ञान तो सिर्फ योगियों को (महावतधारी मुनियों को) होते हैं किन्तु अवधिज्ञान गृहस्थों को भी होता है। जिनेश्वरमूरि ने प्रमालधम (श्लो. ३) में इसी प्रकार योगिज्ञान शब्द का प्रयोग किया है, यथा— प्रत्यक्षं योगिविज्ञानमवधिर्मनसो गमः । केवलं च त्रिधा प्रोक्तं योगिना त्रिविघ्नतः ॥

४. भावसेन ने विश्वतत्त्वप्रकाश (परि. ३८) में इस विषय की चर्चा विस्तार से की है ।

प्रमाण के लक्षण में भी उन्होंने स्वपराभासि, स्वपरव्यवसायात्मक जैसे शब्दों द्वारा स्व का ज्ञान समाविष्ट किया है।

भावसेन द्वारा वर्णित इन चार प्रकारों के नाम तो बौद्ध ग्रन्थों के अनुकूल हैं^१ किन्तु बौद्ध आचार्यों द्वारा उन का जो स्वरूप बताया गया है वह भावसेनवर्णित स्वरूप से भिन्न है। बौद्धों ने मानसप्रत्यक्ष को वह ज्ञान माना है जो इन्द्रियों द्वारा पदार्थ का ज्ञान होने के बाद के क्षण में उसी पदार्थ के उत्तरक्षणवर्ती सन्तान के बारे में मन को होता है—अर्थात् वे वाह्य पदार्थों को ही मानस प्रत्यक्ष का विषय मानते हैं। योगिप्रत्यक्ष को बौद्ध आचार्य निर्विकल्प ही मानते हैं। स्वसंवेदनप्रत्यक्ष का स्वरूप भी बौद्ध मत के अनुसार निर्विकल्प है।

न्यायमूल में प्रत्यक्ष का जो लक्षण है वह केवल इन्द्रियप्रत्यक्ष का ही है^२। किन्तु उद्योतकर तथा वाचस्पति ने मानसप्रत्यक्ष तथा योगिप्रत्यक्ष का अस्तित्व स्वीकार किया है^३। यह भी भावसेनवर्णित प्रत्यक्षप्रकारों से भिन्न हैं क्यों कि ये आचार्य वाह्य पदार्थों को भी मानसप्रत्यक्ष का विषय मानते हैं। ज्ञान का स्वसंवेदन न्यायदर्शन में मान्य नहीं है अतः इस प्रत्यक्ष प्रकार को वे नहीं मान सकते।

सिद्धसेन ने अनुमान के समान प्रत्यक्ष के भी स्वार्थ और परार्थ ये दो भेद किये हैं^४। किन्तु अन्य आचार्योंने इस वर्गीकरण की ओर ध्यान नहीं दिया।

१. न्यायविन्दु पृ. १२-१४। कल्पनापोदमभ्रान्तं प्रत्यक्षम्। तच्चतुर्विघम्। इन्द्रियज्ञानम्। स्वविषयानन्तरविषयसहकारिणेन्द्रियज्ञानेन समनन्तरप्रत्ययेन चनितं तन्मनोविज्ञानम्। सर्वचित्तचैत्तानामात्मसवेदनम्। भूतार्थभावनाप्रकर्षपर्दन्तजं योगिज्ञानं चेति।

२. यह लक्षण ऊपर उद्धृत किया है।

३. न्यायवार्तिकतात्पर्यटीका पृ. १८३। इच्छादयः खलु धार्मिणो भवन्ति मानसप्रत्यक्षदृष्टाः। पृ. २०३। योगिप्रत्यक्षं स्वर्गादिविषयम्।

४. न्यायावतार श्लो. ११। प्रत्यक्षेणानुमानेन प्रसिद्धार्थप्रकाश्यनात्। परस्य तदुपायत्वात् परार्थत्वं द्योरपि ॥

भासर्वज्ञ ने प्रत्यक्ष के योगिप्रत्यक्ष और अयोगिप्रत्यक्ष ये दो प्रकार किये हैं और इन को पुनः सविकल्पक तथा निर्विकल्पक इन प्रकारों में विभाजित किया है ।

इन्द्रियप्रत्यक्ष (परि० ४)

इस परिच्छेद में इन्द्रियों के प्रकार, आकार तथा विषयों का जो वर्णन है वह मुख्यतः तत्त्वार्थसूत्र की परम्परा के अनुसार है ।

इन्द्रियों का प्राप्यकारित्व (परि० ५)

न्यायसूत्र के प्रत्यक्षलक्षण के अनुसार इन्द्रियों का पदार्थ से संबंध (सन्निकर्ष) होने पर प्रत्यक्ष ज्ञान होता है । तदनुसार न्यायदर्शन में सभी इन्द्रियों के प्राप्यकारी (प्रात पदार्थ का ज्ञान करानेवाले) माना गया है ।

बौद्ध आचार्यों का मत है कि मन, कान तथा आँख के पदार्थ से असंबद्ध रह कर ही ये पदार्थ का ज्ञान करते हैं ।

जैन आचार्यों ने कान को प्राप्यकारी तथा आँख को अप्राप्यकारी माना है । भावसेन ने मन का समावेश प्राप्यकारी तथा अप्राप्यकारी दोनों

१. न्यायसार पृ. ७-१३ । तद् द्विविधं योगिप्रत्यक्षमयोगिप्रत्यक्षं चेति ।
... तच्च पुनर्द्विविधम् । सविकल्पकं निर्विकल्पकं च ।

२. तत्त्वार्थसूत्र अ. २ सू. १५-२१ । पञ्चेन्द्रियाणि । द्विविधानि । निर्वृत्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम् । लक्ष्युपयोगी भावेन्द्रियम् । स्पर्शनरसनघाणचक्षुः-ओत्राणि । स्पर्शरसगन्धवर्णशब्दाः तदर्थाः । शुक्तमनिन्द्रियस्य ।

३. यह लक्षण ऊपर उद्धृत किया है ।

४. अप्राप्तान्यक्षिमनःश्रोत्राणि । अभिषर्मकोश १।४३ ।

५. वस्तुतः कान तथा आँख दोनों समान रूप से प्राप्यकारी हैं-ध्वनि-तरंग प्रात होने पर कान से शब्द का ज्ञान होता है उसी प्रकार प्रकाशकिरण प्राप्त होने पर आँख से रंग का ज्ञान होता है । किन्तु रंग के ज्ञान में प्रकाश के महत्त्व की ओर जैन आचार्यों का ध्यान नहीं गया है । आँख के प्राप्यकारित्व की चर्चा भावसेन ने विश्वतत्त्वप्रकाश (परि. ६८) में की है ।

में किया है – अपने आप के सुख, दुःख आदि के ज्ञान में मन प्राप्यकारी होता है किन्तु स्मृति आदि परोक्ष ज्ञानों में वह अप्राप्यकारी होता है। यह बात अन्यत्र हमारे अवलोकन में नहीं आई।

अवग्रह आदि ज्ञान (परि० ६)

यह वर्णन मुख्यतः तत्त्वार्थसूत्र की परम्परा के अनुसार है^३। किन्तु अभ्यस्त विषयों में अवग्रह तथा इहा नहीं होते यह भावसेन का कथन अन्यत्र प्राप्त नहीं होता।

योगिग्रत्यक्ष (परि० ७)

सर्वज्ञ के ज्ञान में आत्मा और अन्तःकरण के संयोग की जो बात भावसेन ने कही है वह जैन परम्परा के अनुकूल नहीं प्रतीत होती^४। संभवतः नैयायिक परम्परा के प्रभाव से ऐसी शब्दरचना हुई है। इन्द्रियप्रत्यक्ष के वर्णन में भी आचार्य ने इसी प्रकार ‘आत्मा के अवधान तथा अव्यग्र मन के सहकार्य से युक्त निर्दोष इन्द्रिय से प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है’ जैसे शब्दों का प्रयोग किया है।

अवधिज्ञान का विवरण तत्त्वार्थसूत्र की परम्परा के अनुसार है^५।

मनःपर्यायज्ञान (परि० ८)

मनःपर्याय का विवरण तत्त्वार्थसूत्र की परम्परा के अनुसार है^६। किन्तु यह ज्ञान मन द्वारा होता है यह कथन परम्परा के प्रतिकूल है।

१. तत्त्वार्थसूत्र अ. १ सू. १५। अवग्रहेहावायधारणा।

२. अवधि, मनःपर्यय तथा केवल ज्ञान में इन्द्रिय और मन की अपेक्षा नहीं होती— तत्त्वार्थराजवार्तिक अ. १ सू. १२। इन्द्रियानिन्द्रियानपेक्षम् अतीत-व्यभिचारं साकार्यहणं प्रत्यक्षम्।

३. तत्त्वार्थसूत्र अ. १ सू. २१-२२। भवप्रत्ययोवधिदेवनारकाणाम् ॥ क्षयोपशमनिमित्तं पद्मविकल्पं शेषाणाम् ।

४. तत्त्वार्थसूत्र अ. १ सू. २३ क्षजुविपुलमती मनःपर्ययः ।

स्वसंवेदनप्रत्यक्ष (परि० ९)

इस का विवेचन ऊपर प्रत्यक्ष के प्रकारों में हो चुका है ।

प्रत्यक्ष के आभास (परि० १०)

इस में अनध्यवसाय को आचार्य ने प्रत्यक्षाभास में नहीं गिनाया है तथा उसे ज्ञान का अभाव माना है । अनध्यवसाय का प्रमाणाभास में अन्तर्भूत वादिदेवसूरि ने किया है^१, उसी का यह खण्डन प्रतीत होता है । भासवेज ने अनध्यवसाय का अन्तर्भूत संशय में किया है^२ ।

परोक्ष प्रमाण के प्रकार (परि० ११)

ऊपर कहा जा चुका है कि तत्त्वार्थसूत्र के अनुसार मति और श्रुति (अर्थात् इन्द्रिय और मन से प्राप्त समस्त ज्ञान) ये ज्ञान परोक्ष हैं । इन में श्रुतज्ञान को परोक्ष मानने के विषय में सभी जैन आचार्य एकमत हैं । कुछ लेखकों ने श्रुत की जगह प्रवचन अथवा आगम जैसे शब्दों का प्रयोग किया है इतनाही फर्क है । मतिज्ञान (इन्द्रिय और मन से प्राप्त ज्ञान) को जिनभद्र आदि आचार्यों ने व्यवहारत् प्रत्यक्ष माना है यह ऊपर बता चुके हैं । मतिज्ञान के ही नामान्तर के रूप में स्मृति, संज्ञा, चिन्ता और अभिनिवोध इन चार शब्दों का उल्लेख तत्त्वार्थसूत्र में है^३ । अकलंकदेव ने इन शब्दों को क्रमशः स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्कं तथा अनुमान इन चार भेदों का वाचक माना है^४ । इस प्रकार परोक्षप्रमाण के पाच भेद होते हैं -स्मृति, प्रत्यभिज्ञान,

१. प्रमाणनयतत्त्वालोक ६-२५। यथा सन्निकर्षाद्यस्वसविदितपरानवभाष-
कज्ञानदर्शनविपर्ययसंशयानध्यवसायाः ।

२. न्यायसार पृ. ४। अनवधारणत्वाविशेषात् ऊहनध्यवसाययोर्न संशया-
दर्श्यन्तरभावः ।

३. तत्त्वार्थसूत्र १-१३ मतिः स्मृतिः सञ्ज्ञा चिन्ता अभिनिवोध इत्यनर्थान्तरम्

४. वे इन शब्दों को शब्दयोजना के पहले प्रत्यक्ष मानते हैं तथा शब्द-
योजना के बाद परोक्ष मानते हैं यह ऊपर बता चुके हैं ।

न्तर्क, अनुमान तथा आगम^३। भावसेन ने इन भेदों में एक और प्रकार -
उहापोह जोड़ा है। तर्क के अर्थ में उह शब्द का प्रयोग पहले होता था^४।
भावसेन ने तर्क और उहापोह में भिन्नता बतलाई है जिस का तात्पर्य यह
अतीत होता है कि जिस अविनाभावसवन्ध का ज्ञान अनुमान में प्रयुक्त होता
हो उसे तर्क कहना चाहिये तथा ऐसा जो ज्ञान अनुमान में प्रयुक्त न होता हो
उसे उहापोह कहना चाहिये। यह भेद अन्यत्र देखने में नहीं आता।

यह भी देखनेयोग्य है कि सिद्धसेन तथा उन के टीकाकारों ने परोक्ष
प्रमाण के दो ही प्रकारों का - अनुमान तथा आगम का वर्णन किया है^५।
इस मत का आधार नन्दीसूत्र में मिलता है जहा परोक्ष ज्ञान को आभि-
निवोचिक तथा श्रुत इन दो भेदों में विभक्त किया है^६।

स्मृति (परि० १२)

अन्य दर्शनों में स्मृति को प्रमाण में अन्तर्भूत नहीं किया जाता^७ क्यों
कि स्मृति में किसी नये पदार्थ का ज्ञान नहीं होता - वह पुराने प्रत्यक्ष ज्ञान
पर आधारित होती है। किन्तु अकलकदेव का कथन है कि स्मृति को प्रमाण
मानना चाहिए क्योंकि प्रत्यक्ष पर आधारित होते हुए भी वह पदार्थ के
स्वरूप से विसंवादी नहीं होती-और जो भी ज्ञान अविसंवादी हो वह प्रमाण
होता है^८। उत्तरवर्ती जैन आचार्यों ने इसी का अनुसरण किया है। भावसेन
का स्मृति-वर्णन प्रायः परीक्षामुख के शब्दों पर आधारित है^९।

१. परीक्षामुख ३-१, २। परोक्षमितरत् । प्रत्यक्षादिनिमित्त स्मृतिप्रत्यभिज्ञान-
तर्कानुमानागमभेदम् !

२. परीक्षामुख ३-७। उपलभ्यानुपलभ्यनिमित्तं व्यासिज्ञानमूहः ।

३. न्यायावतारटीका पृ. ३३। (परोक्षम्) सामान्यलक्षणस्तद्भावादेका-
कारमपि विप्रतिपत्तिनिराकरणार्थं द्विधा भिन्नते तद् यथा अनुमान शाब्दं चेति ।

४. सूत्र २४। परोक्षमान दुविह पण्ठत त जहा आभिषिष्ठोहियनाणपरो-
न्वयं च सुयनाणपरोक्ष च ।

५. न्यायवार्तिकतात्पर्यटीका पृ. २१। प्रमासाधनं हि प्रमाणम् । न च
स्मृतिः प्रमा ।

६. प्रमाणमग्रह इलो. १०। प्रमाणमर्थसंवादात् प्रत्यक्षान्वयिनी स्मृतिः ।

७. परीक्षामुख ३-३। सरकारोदयोधनिषन्धना तदित्याकारा स्मृतिः ।

अनुयोगद्वारसूत्र (सू. १४४) में अनुमान के पूर्ववत्, शेषवत् तथा दृष्टसाधर्म्यवत् ये तीन प्रकार वतलाये हैं तथा शेषवत् के पाच प्रकार किये हैं - कार्य से, कारण से, गुण से, अवयव से, आश्रय से । वैशेषिक दर्शन में अनुमान के जो पाच प्रकार वतलाये हैं वे इन से मिलते जुलते हैं^३ ।

अनुमान के अवयव (परि० १६-२१)

न्यायसूत्र में अनुमान के पाच अवयव वतलाये हैं-प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय तथा निगमन^१ । वात्स्यायन ने इस प्रसंग में अनुमान के दस अवयवों की एक परम्परा का उल्लेख किया है जिस में पूर्वोक्त पाच अवयवों के साथ जिज्ञासा, संशय, शक्यप्राप्ति, प्रयोजन तथा संशयविच्छेद ये अवयव अधिक जोड़े जाते थे^२ । दशवैकालिक नियुक्ति में भद्रबाहु ने भी दस अवयवों की गणना वतलाई है, वह इस प्रकार है-प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञाविभक्ति, हेतु, हेतुविभक्ति, विपक्ष, विपक्षप्रतिषेध, दृष्टान्त, आशका, आशंकाप्रतिषेध और निगमन^३ । प्रशस्तपाठ ने अनुमान के पाचही अवयव वताये हैं किन्तु उन के नाम और क्रम न्यायसूत्र से भिन्न हैं, ये अवयव हैं - अपदेश (व्याप्ति का कथन), सावर्ण्य-निर्दर्शन (समानता वतानेवाला दृष्टान्त), वैचर्म्य निर्दर्शन (मिन्नता वतानेवाला दृष्टान्त), अनुसन्धान (पक्ष में हेतु का अस्तित्व जानना) तथा प्रत्याभ्नाय (पक्ष में साध्य की सिद्धि) । प्रस्तुत प्रसंग में भावसेन ने न्यायसूत्र आदि में वर्णित प्रतिज्ञा के दो भाग किये हैं-पक्ष और साध्य । इन दोनों का वर्णन तो पहले के लेखकों

१. अस्वेदं कारणं कार्यं सवन्धिं एकार्थमवायि विरोधि चेति लैङ्गिकम् ।

२. न्यायसूत्र १-१-३२ । प्रतिज्ञाहेतुदाहरणोपनयनिगमनान्यवयवाः ।

३. न्यायभाष्य १-१-३२ । दशावयवानेके नेप्रायिकाः वाक्ये संचक्षते जिज्ञासा संशयः शक्यप्राप्तिः प्रयोजन संशयव्युदास इति ।

४. गाया १४२ ते उ पद्धिनविभक्ती इउ विभक्ती विपक्ष पद्धिसेहो । वैदिक्षतो आसंका तप्पहिसेहो निगमणं च ॥ यहां पहले दो अवयवों में विपक्ष शब्द स्पष्टीकरण के अर्थ में आया है ।

—किया है किन्तु अवयवों के रूप में पृथक् गणना नहीं की गई है ।

माणिक्यनन्दि के कथनानुसार वाद में जो अनुमान प्रयुक्त होते हैं उन में प्रतिज्ञा और हेतु ये दो ही अवयव होने चाहिए । उदाहरण, उपनय तथा निगमन इन का प्रयोग तो केवल शिष्यों का समझाने के लिए किया जा सकता है, वाद में इन का उपयोग नहीं ऐसा उन का कायन है । इस की चर्चा भावसेन ने नहीं की है । पत्र के अर्गों की चर्चा में (परि. १००) इस का उल्लेख जरूर हुआ है । सिद्धसेन ने अनुमानवाक्य को पक्षादिवचनात्मक कहा है । उन के टीकाकारों ने इस का अर्थ यह किया है कि अनुमान-वाक्य में एक (केवल हेतु), दो (पक्ष, हेतु), तीन (पक्ष, हेतु दृष्टान्त) पाच (उपर्युक्त) या दस अवयवों का आवश्यकतानुसार प्रयोग किया जा सकता है । सिद्धर्थि ने दस अवयवों में पक्ष इत्यादि पाच अवयवों के साथ उन पाच अवयवों की निर्दोषता को शामिल किया है । जिनेश्वर ने उन का समर्थन किया है ।

१. किंवहुना पक्ष और साध्य में विशिष्ट रूप में एकत्र भी बताया गया है—यथा—साध्याभ्युपगमः पक्षः (न्यायावतार इलो. १४), साध्य धर्म. क्वचित् चद्विशिष्टो वा धर्मी, पक्ष इति यावत् (परीक्षामुख ३-२०, २१) ।

२. परीक्षामुख ३-३२, ४१। एतद् द्वयमेवानुमानाङ्ग नोदाइरणम् । वाल-च्युत्त्यर्थं तत्त्रयोपगमे शास्त्र एवासौ न वादे तदनुपयोगात् ।

३. न्यायावतार इलो. १३। परार्थमनुमानं तद् पक्षादिवचनात्मकम् ।

४. प्रमालक्ष्म इलो. ५६। क्वचिद् हेतुः क्वचिद्दृश्यात् क्वचित् पक्षोपि सम्भवः । पञ्चावयवयुक्तोऽपि दशधा वा क्वचिन्मतः ॥

५. न्यायावतारटीका (इलो. १३)। दशावयवं साधनं प्रतिपादनेपायः तद्यथा पक्षादयः पक्ष तच्छुद्यश्च ।

६. प्रमालक्ष्म (इलो. ५६)। प्रत्यक्षादिनिग्रहतपक्षदोषपरिहारः असिद्ध-विशदानैकान्तिकदोषपरिहारो ज्ञाते साध्यसाधनोभयविकलताद्विपरिहारः दुष्पनी-तत्तापरिहारो दुर्निंगमितपरिहारो वक्तव्य इति ।

हेतु का स्वरूप (परि० १९ तथा २२-२५)

न्यायसूत्र के अनुसार हेतु वह होता है जो उदाहरण की समानता से या भिन्नता से साध्य को सिद्ध करें। दिग्गाग ने उदाहरण की समानता और भिन्नता को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करते हुए कहा कि जो पक्ष में है, सपक्ष में है तथा विपक्ष में नहीं है वह हेतु होना है। इस पर कुमारिल का कथन था कि हेतु का पक्ष में अस्तित्व सर्वदा होता ही है ऐसा नहीं है – बाढ़ से भारी वर्षा का जहाँ अनुमान होता है वहाँ बाढ़ यह हेतु वर्षा के स्थान से बहुत दूर होता है। इसी बात को देखते हुए आचार्यों ने भी माना कि पक्ष – सपक्ष – विपक्ष की चर्चा न करते हुए हेतु उसे माना जाय जिस के बिना साध्य की उपपत्ति न लगती हो। यदि हेतु में अन्यथा-नुपपत्ति है तो अन्य गुण हों या न हों – इस से कोई फरक नहीं पड़ता। इस अन्यथा-नुपपत्ति लक्षण के प्रतिपादन का श्रेय आचार्य पात्रकेसरी को दिया जाता है। तथा सिद्धसेन, अकलंकदेव आदि ने इसी लक्षण को माना है। किन्तु इस प्रसंग में भावसेन ने व्यातिमान् पक्षधर्म यह हेतु का लक्षण बतला कर पूर्वपरम्परा की उपेक्षा की है, यहाँ वे वौद्ध-परम्परा से प्रभावित प्रतीत होते हैं। साथ ही हेतु के छह गुण बतला कर उन्होंने नैयायिक-

१. न्यायसूत्र १-१-३४, ३५। उदाहरणसाध्यार्थ् साध्यसाधनं हेतुः ॥
तथा वैघर्म्यात् ।

२. तत्र यः सन् सज्जातीये द्वेष्ठा चासंस्वदयये ।

स हेतुः विपरीतोऽस्मादसिद्धोन्यस्त्वनिश्चितः ॥

उद्धृत-न्यायवार्तिकतात्पर्यटीका पृ. २८९

३. परि. २४ में उद्धृत इलोक देखिए। हेमचन्द्र तथा देवसूरि ने इन्हें भइ (कुमारिल) के नाम से उद्धृत किया है किन्तु कुमारिल के उपलब्ध ग्रन्थों में ये नहीं मिलते।

४. न्यायावतार इलो. २२। अन्याथनुपपन्नत्वं हेतोर्लक्षणमीरितम् । न्याय-विनिश्चय इलो. ३२३ अन्यथा-नुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम् । नान्यथा-नु-पपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम् ॥ (यह इलोक पात्रकेसरी का है तथा अकलंकदेवने उद्धृत किया है) ।

परम्परा का भी संग्रह किया है। नैयायिक परम्परा में हेतु के पांच गुण माने गये हैं – पक्षधर्मत्व, सपक्ष में सत्त्व, विपक्ष में असत्त्व, अवाधित विषय होना तथा प्रतिपक्ष सत् न होना^१। भावसेन ने इस के साथ असिद्धसाधकत्व यह गुण भी जोड़ा है। हेतु के छह गुणों की एक दूसरी परम्परा भी रही है। इस में पूर्वोक्त पाच गुणों के साथ ज्ञातत्व यह गुण जोड़ा गया है। इस का उल्लेख अर्चटक्ट हेतुविन्दुटीका में मिलता है^२।

हेतु पक्ष का धर्म नहीं भी होता इस विषय में भावसेन ने जिस पूर्व-पक्ष का खण्डन किया है वह वादीभसिंह की स्थाद्वादसिद्धि में विस्तृत रूप से मिलता है^३।

दृष्टान्त (परि० २०)

भावसेन के वर्णनानुसार दृष्टान्त वह होता है जो वादी और प्रतिवादी दोनों को मान्य हो। उन्होंने इस के दो प्रकार बतलाये हैं – अन्वय तथा व्यतिरेक। न्यायसूत्र में कहा है कि दृष्टान्त लौकिक तथा परीक्षक दोनों को मान्य होना चाहिए^४। वहा इस के प्रकारों को साधर्थ तथा वैधर्थ्य ये नाम दिये हैं। सिद्धसेन ने वादी-प्रतिवादी या लौकिक-परीक्षक का उल्लेख नहीं किया है – साध्य और साधन का निश्चित सम्बन्ध जिस में दिखाई दे उसे

१. न्यायसार पृ. २०। तत्र पञ्चरूपः अन्वयव्यतिरेकी। रूपाणि तु प्रदर्शन्ते। पक्षधर्मत्व सपक्षे सत्त्वं विपक्षाद् व्यावृत्तिः अवाधितविषयत्वमसत्-प्रतिपक्षत्वं चेति।

२. अकलंकग्रन्थत्रय प्रस्तावना पृ. ६३।

३. प्र. ४ इलो. ८२-८३ हेतुप्रयोगकाले तु तद्विशिष्टस्य धर्मिणः। नकि च पक्षादिधर्मत्वेऽप्यन्तव्याप्तेभावतः॥ तत्पुत्रत्वादिहेतूना गमकत्वं न दश्यते। पक्षधर्मत्वहीनोऽपि गमक. कृत्तिकोदयः॥

४. न्यायसूत्र १-१-२५। लौकिकपरीक्षकाणा यस्मिन्नर्थे बुद्धिसाम्यं स-दृष्टान्तः।

दृष्टान्त कहा है^३। देवसूरि ने इसी बात को प्रकारान्तर से कहा है^३।

अनुमान में अन्वय और व्यतिरेक (परि० २६-२८)

यहा हेतु के अनुसार अनुमान के तीन प्रकार बतलाये हैं - केवला-न्वयी, केवलव्यतिरेकी और अन्वयव्यतिरेकी। इन के प्रतिपादन का श्रेय उद्द्योतकर को दिया जाता है^४। इन में अन्वयव्यतिरेकी अनुमान तो सर्वमान्य है। किन्तु केवलान्वयी और केवलव्यतिरेकी के बारे में मतभेद है। आचार्य ने यहा इस विप्रय की जो चर्चा की है वह प्रायः शब्दशः विश्वतत्त्वप्रकाश (परि. १६-१७) में भी प्राप्त होती है। जयन्त ने केवलान्वयी-हेतु को प्रमाण नहीं माना है^५। केवलव्यतिरेकी के बारे में केशवमिश्र का कहना है कि इस से कोई नई बात मालूम नहीं होती, यह तो किसी वस्तु-समूह का लक्षण बतलाने का एक प्रकार है^६।

हेत्वाभास (परि० ३०-३९)

न्यायसूत्र में हेत्वाभास के पाच प्रकार बतलाये हैं - सव्यभिचार (जो समान तथा विरुद्ध दोनों पक्षों में मिलता हो), विरुद्ध (जो विरुद्ध पक्ष में ही हो), प्रकरणसम (जिस का प्रतिपक्ष समान रूप से संभव हो), साध्यसम (जिसे सिद्ध करना जरूरी हो) तथा कालातीत (जिस के

१. न्यायावतार इलो. १८-१९। साध्यसाधनयोर्वर्द्धाप्तिर्यत्र निश्चीयतेतराम्। साधम्येण स दृष्टान्तः संवन्धस्मरणान्मतः ॥ साध्ये निवर्तमाने तु साधनस्याप्य-संभवः । ख्याप्यते यत्र दृष्टान्ते वैधम्येणेति स स्मृतः ॥

२. प्रमाणनयतत्त्वालोक १-४३। प्रतिक्रन्धप्रतिपत्तेरास्पदं दृष्टान्तः ।

३. न्यायवार्तिकतात्पर्य दीका पृ. १७१.

४. न्यायमंजरी भा. २ पृ. १३८। केवलान्वयी हेतुर्नस्त्येव, सामान्य-लक्षणं तु अनुमानलक्षणात् साध्यसाधनपदात् वा अवगान्तव्यम्, भाष्याक्षराणि त्रु-कथमप्युपेक्षिष्यामहे ।

५. तर्कमाधा पृ. ११ लक्षणमपि केवलव्यतिरेकी हेतुः—अत्र च व्यवहारः साध्यः ।

उदाहरण का काल साध्य के काल से भिन्न हो)^१ । उत्तरकालीन नैयायिक आचार्यों ने साध्यसम के लिए असिद्ध इस संज्ञा का प्रयोग किया, कालातीत के लिए कालात्ययापदिष्ट शब्द का तथा सव्यभिचार के लिए अनैकान्तिक शब्द का प्रयोग किया । कालात्ययापदिष्ट के अर्थ में भी भेद हुआ - जिस का साध्य वाखित हो उसे यह नाम दिया गया । उद्योतकर तथा जयन्त ने इस पढ़ति का वर्णन किया है^२ । भासर्वज्ञ ने इन पाच के साथ अनध्यवसित यह छठवां प्रकार जोड़ा । जो केवल पक्ष में हो (सपक्ष या विपक्ष में न हो) किन्तु साध्य को सिद्ध न कर सके वह अनध्यवसित हेत्वाभास होता है^३ । भावसेन ने इन छह प्रकारों के साथ अकिञ्चित्कर यह प्रकार जोड़ा है - जो सिद्ध साध्य के बारे में हो वह अकिञ्चित्कर हेत्वाभास होता है^४ । किन्तु प्रकरणसम हेत्वाभास के वर्णन में वे स्पष्ट करते हैं कि यह अनैकान्तिक से भिन्न नहीं है ।

वौद्ध आचार्य हेत्वाभास के तीन ही प्रकार मानते हैं - असिद्ध, विरुद्ध तथा संदिग्ध (इसे अनैकान्तिक या अनिश्चित भी कहा है)^५ । सिद्धसेन, देवसूरि आदि ने इसी प्रकार वर्णन किया है^६ ।

- अकलकदेव ने असिद्ध आदि प्रकारों को एक ही अकिञ्चित्कर हेत्वाभास के प्रकार माना है । जो भी हेतु अन्यथा उपपत्र हो सकता है (साध्य

१. न्यायसूत्र १-२-४ । सव्यभिचारविशद्वप्रकरणसमसाध्यसमकालातीता देत्वाभासाः ।

२. न्यायमञ्चरी भा. २ पृ. १५३-६८.

३. न्यायसार पृ. २५-३५.

४. माणिक्यनन्दि ने अकिञ्चित्कर मे इस प्रकार के साथ कालात्ययापदिष्ट को भी अन्तर्भूत किया है (परीक्षामुख ६-३५) ।

५. इस विषय में दिग्गाग का इलोक ऊपर उद्धृत किया है ।

६. न्यायावतार इलो. २३। असिद्धस्त्वप्रतीतो यो योऽन्यथैवोपपत्ते ।

विशदो योऽन्यथाप्यत्र युक्तोऽनैकान्तिकः स तु ॥,

प्रमाणनयतत्त्वालोक ६-४७ ।

के विना भी जिस की उपर्युक्ति लगती है अर्थात् साध्य से जिस का अविनाभाव संबन्ध नहीं है) वह अकिञ्चित्कर हेत्वाभास है — असिद्ध आदि उसी के प्रकार हैं^३ । किन्तु माणिक्यनन्दिन ने हेतु के लक्षण में परिवर्तन न करते हुए भी हेत्वाभास के चार प्रकार किये हैं । वे असिद्ध आदि तीन प्रकारों के साथ अकिञ्चित्कर यह चौथा प्रकार मानते हैं (जो सिद्ध या वाधित साध्य में प्रयुक्त हो उसे वे अकिञ्चित्कर कहते हैं)^४ ।

भावसेन ने असिद्ध आदि हेत्वाभासों के कई उपभेदों का जो वर्णन किया है वह प्रायः शब्दशः भासर्व इके अनुसार है^५ । अन्य जैन आचार्यों ने इन उपभेदों के वर्णन में रुचि नहीं दिखाई है । भावसेन ने स्वयं भी विश्वतत्त्वप्रकाश (पृ. ४१) में असिद्ध के दो ही प्रकार वर्तलाये हैं — अविद्यमानसत्ताक और अविद्यमाननिश्चय । प्रभाचन्द्र ने विशेष्यासिद्ध आदि प्रकारों का अविद्यमानसत्ताक असिद्ध में समावेश किया है^६ ।

दृष्टान्ताभास (परि० ४०—४२)

भावसेन ने अन्वयदृष्टान्त के छह तथा व्यतिरेकदृष्टान्त के छह आभास वर्ताये हैं । इन का वर्णन भासर्वज के अनुसार है^७ । जयन्त ने अन्वय और व्यतिरेक दोनों दृष्टान्तों के पाच-पांच आभास वर्तलाये हैं — उन्होंने आश्रयविकल का वर्णन नहीं किया है^८ तथा अप्रदर्शितव्याप्ति के स्थान पर अनन्वय का वर्णन किया है । सिद्धर्थि ने इन आभासों की संख्या तो वारह ही मानी है किन्तु स्वरूप भिन्न प्रकार से वर्ताया है — साध्यविकल, साधनविकल, व उभयविकल के साथ संदिग्धसाध्य, संदिग्धसाधन व संदिग्धोभय ये प्रकार

१. न्यायविनिश्चय इलो. २६९ । साधनं प्रकृताभावेऽनुपपन्नं ततोऽपरे ।

विच्छासिद्धसंदिग्धा अकिञ्चित्करविस्तराः ॥

२. परीक्षासुख ६-२१ । हेत्वाभासा असिद्धविच्छानैकान्तिकाकिञ्चित्कराः ।

३. न्यायसार पृ. २५-३५।

४. प्रमेयकमलमार्तण्ड ६-२२.

५. न्यायसार पृ. ३६-३८.

६. न्यायमन्तरी भा. २ पृ. १४० । तत्र साध्यविकलः साधनविकल उभयविकल इति वन्तुदोपकृतात्म्यः साधर्म्यदृष्टान्ताभासाः अनन्वयो विपरीतान्वय इति द्वी वचनदोपकृती ... वैधर्म्यदृष्टान्ताभासा अपि पञ्चैव, साध्यात्म्यावृत्तः साधनात्म्यावृत्त उभयात्म्यावृत्त इति वस्तुदोषात्म्यः अव्यतिरेको विपरीतात्म्यतिरेक इति वचनदोषो द्वी ।

उन्होंने जोड़े हैं तथा अनन्वय आदि प्रकारों को अयोग्य बताया है^१। संदिग्धसाध्य आदि प्रकारों का उल्लेख भासर्वज्ञ ने भी किया है तथा उन में संदिग्धाश्रय को जोड़ कर (अन्यदृष्टान्त के चार तथा व्यतिरेकदृष्टान्त के चार इस प्रकार) आठ प्रकारों को मान्यता का उल्लेख किया है^२। देवसृष्टि ने इन दोनों प्रकारों को जोड़ कर अठारह दृष्टान्तभास बताये हैं— साध्यविकल आदि तीन, संदिग्धसाध्य आदि तीन, तथा अनन्वय, विपरीतान्वय व अप्रदर्शितान्वय ये अन्यदृष्टान्त के आभास हैं। इसी प्रकार व्यतिरेक दृष्टान्त के भी नों आभास हैं^३। माणिक्यनन्दि सिर्फ आठ दृष्टान्तभास मानते हैं— साध्यविकल आदि तीन तथा विपरीतान्वय, एवं साध्याव्यावृत्त आदि तीन एवं विपरीतव्यतिरेक^४।

तर्क (परि० ४३-४४)

इस विषय का संक्षिप्त उल्लेख ऊपर परि. १९ के टिप्पण में किया है। आत्माश्रय इत्यादि तर्क के प्रकार तथा उन के दोषों का संक्षिप्त उल्लेख आचार्य ने विश्वतत्त्वप्रकाश (परि. ३९) में भी किया है। अन्यत्र इस विषय का वर्णन देखने में नहीं आया।

छल (परि० ४७-४८)

यह वर्णन प्रायः शब्दशः न्यायसूत्र तथा उस की ठीका-परम्परा पर आधारित है^५।

१. न्यायवतारटीका पृ. ५६-६०.

२. न्यायसार पृ. ३८-३९। अन्ये तु सन्देहद्वारेण अपरान् अर्थे उदाहरणाभासान् वर्णयन्ति। इत्यादि।

३. प्रमाणनयतत्त्वालोक अ. ६ सू. ५८-७९.

४. परीक्षामुख अ. ६ सू. ४०-४५.

५. न्यायसूत्र अ. १, आ. २ सू. १०-१४। वचनविधातः अर्थविकृत्पो-पपत्या छलम्। इत्यादि।

जातियां (परि० ४९-६९)

यहां जातियों का समुचित लक्षण नैयायिक परम्परा के अनुसार है१। जातियों के चौबीस प्रकारों के नाम तथा लक्षण न्यायसूत्र में मिलते हैं। उस में साध्यसम के स्थोन पर आचार्य ने असिद्धादिसम का वर्णन किया है।

अकलंकदेव ने जातियों का सामान्य लक्षण ही बताया है - भेदों का वर्णन नहीं किया क्यों कि ये भेद अनन्त हो सकते हैं तथा शास्त्र में उन का विस्तार से वर्णन हो चुका है२। यहां शास्त्र शब्द से उन का अभिप्राय न्यायसूत्र से हो सकता है। जातियों की संख्या का नियम नहीं है वह बात नैयायिक विद्वानों ने भी मानी है३। न्यायसार में सोलह जातियों का ही वर्णन है४ किन्तु न्यायसूत्र में वर्णित जातियों के अतिरिक्त अनन्यसमा आदि जातियां हो सकती हैं इस की सूचना भी वहा मिलती है५।

भावसेन ने जातियों की संख्या वांस मानी है। वे अर्थापत्तिसम तथा उपपत्तिसम को प्रकरणसम से अभिन्न मानते हैं। जयन्त ने प्रकरणसम तथा उपपत्तिसम को साधर्घ्यसम से अभिन्न मानने के मत का उल्लेख कर उस का खण्डन किया है, उन का कथन है कि साधर्घ्यसम में प्रतिपक्ष का

१. न्यायसूत्र १-२-१८। साधर्घ्यवैधर्घ्यम्भा प्रत्यवस्थानं जातिः। न्यायसार पृ. ४६ प्रयुक्ते हेतौ समीकरणाभिप्रायेण प्रसगो जातिः।

२. न्यायविनिश्चय इलो. ३७६ मिथ्योत्तराणामानन्त्यात् शास्त्रे वा विस्तरो-
कितः। साधर्घ्यादिसमत्वेन जातिनेह प्रतन्यते ॥ विद्यानन्द तथा प्रभाचन्द्र ने इसी वृष्टिकोण को मान्य किया है किन्तु वे पूर्ववर्णित जातियों का वर्णन भी करते हैं (तत्त्वार्थइलोकवार्तिक पृ. २९८-३१० प्रमेयकमलमार्तण्ड पृ. १९६-२१०)।

३. न्यायमंजरी भा. २ पृ. १७६। सत्यप्यानन्त्ये जातीनामसकीर्णोदाहरण-
विवक्षया चतुर्विशतिप्रकारत्वमुपवर्णितम् न तु तत्संख्यानियमः कृत इति।

४. न्यायसार पृ. ४७-५५ इस में प्रसगसम, प्रतिदृष्टान्तसम, संशघसम,
प्रकरणसम, अर्थापत्तिसम, अनित्यसम तथा कार्यसम का वर्णन नहीं है।

५. न्यायसार पृ. ५५-५६। एतेनान्यत्वस्य आत्मनोऽनन्यत्वात् अन्यत्वं
नास्तीत्यच्छुत्तराणि (टीका-इयमनन्यसमा जातिः) प्रस्युक्तानि ।... आनन्यत्वात्
न सर्वाणि जात्युत्तराणि उदाहर्तु शक्यन्ते स्वत्राणामपि उदाहरणार्थत्वात् ।

खण्डन मुख्य अभिप्राय होता है, प्रकरणसम में दूसरा पक्ष उपस्थित करने का अभिप्राय होता है तथा उपपत्तिसम में निर्णय का अभाव बतलाने का अभिप्राय होता है। अविशेषसम तथा अनित्यसम को अभिन्न मानने का भी ज्यन्त ने खण्डन किया है। उन का कथन है कि अविशेषसम में अस्तित्व के कारण सब पदार्थों में समानता बतलाई गई है तथा अनित्यसम में घट की समानता से सब पदार्थों में अनित्यत्व की समानता कल्पित की गई है, इस प्रकार इन दोनों में वर्णन के प्रकार का भेद है।

निग्रहस्थान (परि० ७०-८४)

वाद में पराजय होने के कारणों का - वाईस निग्रहस्थानों का - जो वर्णन भावसेन ने किया है वह प्रायः शब्दशः न्यायसूत्र तथा उस की टीकाओं पर आधारित है।

वौद्ध आचार्यों ने निग्रहस्थान के दो ही प्रकार माने हैं - ऐसा वाक्य-प्रयोग करना जो अपने पक्ष को सिद्ध न कर सके तथा ऐसी वातें उठाना जिन से प्रतिपक्ष दृष्टि सिद्ध न हो। अनुमान के अवयवों के बारे में उन के विचार न्यायदर्शन की परम्परा से भिन्न हैं अतः वे न्यून, अधिक आदि निग्रहस्थानों को अनावश्यक मानते हैं। निग्रहस्थानों को दो प्रकारों में संगृहीत करने का सकेन न्यायसूत्र में भी मिलता है।

१. न्यायमवरी भा २ पृ. १८३। ननु सैवेयं साधर्म्यादिसमा प्रकरणसमा चा जातिर्न भेदान्तरम् १ मैवम् । उद्भावनप्रकारेण भेदात् । परपक्षोपमर्द्वद्व्या साधर्म्यादिसमा जाति. प्रयुज्यते, पक्षान्तरोत्थापनास्थया प्रकरणसमा, अप्रतिपत्तिपर्यवसायित्वाशयेन इयमुपपत्तिसमा इति ।

२. उपर्युक्त पृ. १८५। अविशेषसमा एव इय जातिरितिचेत् तत्र हि सत्त्वायोगात् सर्वभावानामविशेष आपादितः इह तु घटसावर्म्यादेव अनित्यत्वमापादितम् इति उद्भावनाभङ्गभेदाच्च जातिनानात्वमिति असङ्कुदुक्तम् ।

३. न्यायसूत्र अ. ५ आ २. -

४. वादन्याय पृ. २। असाधनाङ्गवचनमदोषोदभावनं द्रयोः ।

निग्रहस्थानमन्यत्तु न सुक्तमिति नेष्यते ॥

५. न्यायसूत्र १-२-१९। विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिश्च निग्रहस्थानम् ।

इस संवन्ध में जैन आचार्यों का दृष्टिकोण यह है कि वाद में जिस पक्ष को उचित सिद्ध किया जा सके वह विजयी होता है तथा जिस पक्ष का खण्डन किया जाता है वह पराजित होता है। अतः पक्ष को सिद्ध करना यह विजय का स्वरूप है। बाढ़ी यदि अपने पक्ष को सिद्ध नहीं कर सकता तो केवल प्रतिवादी की गलती के कारण प्रतिवादी को पराजित और बाढ़ी को विजयी नहीं मानना चाहिए। इसी प्रकार बाढ़ी यदि अपना पक्ष सिद्ध कर सकता है तो वाक्य रचना की गलती जैसे कारण से उसे पराजित नहीं मानना चाहिए। तात्पर्य यह है कि वाद में तत्त्वनिर्णय की मुख्यता होनी चाहिए — व्यक्ति के विजय या पराजय की मुख्यता नहीं होनी चाहिए। इस विषय का वर्णन अकलकदेव ने^३ संक्षेप से किया है। विद्यानन्द ने दृष्टिकोण यही रखा है किन्तु निग्रहस्थानों के पूर्ववर्णित प्रकारों की विस्तृत चर्चा की है, प्रभाचन्द्र ने इन दोनों आचार्यों के कथनों का तात्पर्य संगृहीत किया है^४।

वाचस्पति के कथनानुसार समस्त जातिया भी पराजय का कारण होती हैं—उन का समावेश निरन्तरोन्यानुयोग निग्रहस्थान में करना चाहिए^५।
वाद के प्रकार (परि ८६—८९ तथा ९७—९८)

यहाँ आचार्य ने वाद के तीन प्रकार किये हैं — व्याख्या, गोष्ठी तथा विवाद। तथा चार प्रकारों में विवाद का वर्गीकरण किया है — तात्त्विक, प्रातिभ, नियतार्थ तथा परार्थन। इन में से केवल तात्त्विक और प्रातिभ इन दो प्रकारों का उल्लेख श्रीदत्त आचार्य के जल्पनिर्णय में था ऐसा विद्यानन्द

१. न्यायविनिश्चय का, ३७८—७९। असाधनाङ्गवचनमदोघोद्भावने द्वयोः। न युक्तं निग्रहस्थानमर्थोपरिसमाप्तितः॥ बाढ़ी पराजितोऽयुक्तो वस्तुतत्त्वे व्यवस्थितः। तत्र दोप त्रुवाणो वा विर्यस्तः कथं जयेत्॥ इस का विस्तार सिद्धि विनिश्चय प्र. ५ की टीका में प्राप्त होता है।

२. तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक पृ. २८३—२९४ यहाँ विद्यानन्द ने पूर्वोक्त-चाईस निग्रहस्थानों के साथ छल और जाति की भी गणना की है।

३. प्रमेयकमलमार्तण्ड पृ. २००—२०४.

४. न्यायवार्तिकतात्पर्य टीका पृ. ७२३.

का कथन है?। व्याख्या और गोष्ठी में जय-पराजय का उद्देश नहीं होता, विवाद में वही मुख्य उद्देश होता है। इस भेद को न्यायदर्शन की परम्परा में घट (तत्त्वनिर्णय के लिए) तथा जल्प (जय-पराजय के सिए) इन शब्दों द्वारा व्यक्त किया है। किन्तु जल्प में छल, जाति आदि के प्रयोग की उन्होंने छूट दी है। अत जैन आचार्यों ने इस भेद को अस्वीकार कर के जल्प और वाद को एकार्थक शब्द माना है। इस की विस्तृत चर्चा भावसेन ने आगे की है (परि. १०३-१२२)।

परि. ८९ के पहले श्लोक का रूपान्तर पंचतत्र (त. २ ल्लो. ३०) में मिलता है। वहाँ इस का रूप यह है—ययोरेव सम वित्तं ययोरेव समं कुलम्। तयोरेव विवाहः स्यात् तु पुष्टविषुष्योः॥ यही रूप इस ग्रन्थ के त. १ श्लो. ३०८ में भी मिलता है।

वाद के चार अंग (परि० ९०-९४)

इस विषय का संक्षिप्त वर्णन सिद्धिविनिश्चय प्र. ९, तत्त्वार्थश्लोक-वार्तिक पृ. २७७-२८०, प्रधाणनयतत्त्वालोक अ. ८ आदि में मिलता है। इन चार अंगों में सभापति के लिए परिषद्वल तथा सभ्य के लिए प्राश्निक इन शब्दों का प्रयोग भी मिलता है। कुपारनन्द आचार्य के वादन्याय ग्रन्थ में इस का विस्तृत वर्णन या ऐसा विद्यानन्द के कथन से प्रतीत होता है।

परि. ९२ के अपूर्णा यत्र इत्यादि श्लोक का रूपान्तर पंचतत्र (त. ३ श्लो. २०१) में मिलता है। वहाँ इस की दूसरी पक्षि इस प्रकार है—त्रीणि तत्र प्रवर्तन्ते दुर्भिक्षं मरणं भयम्।

पत्रविचार (परि० ९९-१०२)

इस विषय का वर्णन विद्यानन्दकृत पत्रपरीक्षा पर आधारित है। इस ग्रन्थ से आचार्य ने तीन श्लोक उद्धृत किये हैं। विद्यानन्द ने भी किसी पूर्ववर्ती ग्रन्थ से कई श्लोक उद्धृत किये हैं किन्तु वह ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है। प्रभाचन्द्र ने संक्षेप से इस विषय का वर्णन किया है (प्रमेयकमल-मार्तण्ड पृ. २०७-२१०)

१. तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक पृ. २८०। द्विप्रकार जगी जल्पं तत्त्वप्रातिभगो-चरम्। त्रिष्ठेवादिना जेता श्रीदत्तो जल्पनिर्णये॥

तीन या चार कथाएं (परि० १०३—१०५)

दार्शनिक चर्चा के लिए यहां कथा शब्द का प्रयोग किया है । न्यायसूत्र में इस के तीन प्रकार किये हैं — वाद, जल्प तथा वितण्डा^१ । वहाँ इन के जो लक्षण दिये हैं उन का आचार्य ने शब्दग्रंथाणि खण्डन किया है । न्यायसार में वितण्डा के दो प्रकार किये हैं — वाद की वितण्डा तथा जल्प की वितण्डा (प्रतिवादी के पक्ष का खण्डन ही जिस में हो — स्वपक्ष का स्थापन न हो उस वाद को वादवितण्डा कहेंगे तथा ऐसे ही जल्प को जल्पवितण्डा कहेंगे) । वाद-वितण्डा के अस्तित्व का समर्थन करने के लिए वहाँ न्यायसूत्र का एक वाक्य भी उद्धृत किया है^२ । इस प्रकार कथा के चार प्रकार होते हैं ।

वाद और जल्प में अभिन्नता (परि० १०६—१२२)

न्यायसूत्र तथा भाष्य में वाद और जल्प का जो वर्णन है उस से प्रतीत होता है कि इन दोनों में छल आदि के प्रयोग का ही भेद है, वाद में छल आदि प्रयुक्त नहीं होते किन्तु जल्प में होते हैं । जैन आचार्यों ने नैतिकता की दृष्टि से छल आदि के प्रयोग का निषेध किया है और इस भेद के अभाव में वाद और जल्प को समानार्थक माना है^३ । छल आदि को अनुचित मानते हुए भी नैयायिक विद्वान जल्प में उन के प्रयोग की छूट देते हैं क्यों कि जल्प में विजय प्राप्त होने पर जो सामाजिक दाम होता है

१. न्यायसूत्र १-२-१, २, ३। प्रमाणतर्कसाधनोपालभ. सिद्धान्ताविरुद्धः पञ्चावयवोपपन्न पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहो वादः । यथोक्तोपपन्न. छलज्ञातिनियहस्यान-साधनोपालभो जल्प । स एव प्रतिपक्षस्थापनादीनो वितण्डा ।

२. न्यायसार पृ. ४२-४४ टीका—एवं च वीतरागवितण्डा विजिगीषु-वितण्डा इति द्विविधा वितण्डा, एतच्च त प्रतिपक्षहीनमपि वा कुर्यात् (न्यायसूत्र ४-२-४९) इति सूत्रेणापि सूचितम् ।

३. सिद्धिविनिश्चयटीका पृ. ३१-१३। समर्थवचनं जल्प चतुरङ्ग विद्वुर्बृंधाः । इत्यादि; प्रमाणसग्रह पृ. १११ समर्थवचन वाद. इत्यादि, तत्त्वार्थडलोकवार्तिक्ष. पृ. २७८.

उस की उन्हें अधिक चिन्ता है^१। इस बात को ले कर वाद के नैयांयिक विद्वानों ने वाद के लिए वीतरागकथा तथा जल्प के लिए विजिगीपुकथा इन शब्दों का प्रयोग किया है^२। इस प्रकार जहां सूत्रकार और भाष्यकार वाद और जल्प में केवल साधन का भेद बतलाते हैं वहां उत्तरवर्ती लेखक उन में उद्देश का भेद भी मानते हैं - वाद तत्त्वनिर्णय के लिए किया जाता है, तथा जल्प स्वपक्ष के विजय के लिए किया जाता है। भावसेन ने वाद और जल्प में उद्देश भेद तथा साधनभेद की इन दोनों वातों को एकत्रित कर के उन की आलोचना की है अतः वे इन दोनों में भेद स्वीकार नहीं करते। किन्तु वाद में तत्त्वनिर्णय तथा स्वपक्षविजय ये पृथक् उद्देश होते हैं यह उन्हें मान्य है, तदनुसार उन्होंने व्याख्यावाद, गोष्टीवाद तथा विवाद का पृथक् वर्णन पहले किया भी है (परि. ८७-८९)^३।

वाद और जल्प को अभिन्न मानने की ऐन आचार्यों की परम्परा में उल्लेखनीय अपवाट जिनेश्वरमूरि का है। इन दोनों में उद्देश भेद और साधन-भेद को स्वीकार करते हुए उन्होंने इन में वाह्य भेद को स्पष्ट किया है -

१. न्यायवार्तिकतात्पर्य टीका पृ. ६६८। यस्तु स्वदर्जनविलसितमिद्याशानावलेपद्विर्विद्यतया सद्विद्यावैराग्याद् वा लाभपूलास्यात्यर्थितया कुहेतुभिरीश्वराणां जनाधारणा पुरतो वेदनाशणपरलोकाद्विद्युषणप्रवृत्तः त प्रतिवादी समीचीनदूषणम् अप्रतिभया अपश्यन् जल्पवितष्ठे अवतार्य विश्वाश्वपवितष्ठाभ्यां तत्त्वकथनं करोति विद्यापरिपालनाय मा भूदीश्वराणा मतिविभ्रमेण तत्त्वरितमनुवार्तिनीना प्रवाना धर्मविष्ट्व इति ।

२. न्यायसार पृ. ४१-४२। वादिप्रतिवादिनोः पद्धतिपक्षपरिग्रहः कथा सः द्विविद्या वीतरागकथा विजिगीषु कथा चेति । न्यायमजरी भा. २ पृ. १५१। वादं च निर्णयफलार्थभिरेव शिष्यसत्रहच्चरिगुरुभि. सह वीतरागैः । न ख्यातिलाभमसप्रतिवर्धमानस्पर्धानुवन्धविद्युगत्भमिरारभेत ॥

३. इसी प्रकार देवसूरि ने वाद के दो उद्देश मानते हुए भी पृथक् प्रकारों के रूप में उनका वर्णन नहीं किया है। (प्रमाणनयतत्त्वालोक अ. ८ मू. २ प्रारम्भकश्चत्र जिगीषुः तत्त्वनिर्णनीषुश्च ।)

चाद में सभापति, सभासद आदि नहीं होते जब कि जल्प में इन की व्यवस्था होती है ।

अन्यों में बाढ़ और जल्प की परिभाषाओं के बारे में यह मतभेद है, किन्तु व्यवहार में संभवतः बाढ़ यह एक ही संज्ञा रूढ़ थी — सांख्य और चौद्धों में बाढ़ हुआ, बाढ़ में विजयी हुए इस प्रकार के वर्णन तो मिलते हैं किन्तु उन में जल्प हुआ ऐसा वर्णन नहीं मिलता । बाढ़ में भाग लेनेवाले बादी और प्रतिबादी कहलाते थे, किन्तु जल्पी या प्रतिजल्पी ये शब्द प्रयोग में नहीं आते थे । इस से यह सूचित होता है कि व्यवहार में जल्प शब्द का प्रयोग बहुत कम होता था ।

आचार्य ने इस विषय की लम्ही चर्चा की है जो कुछ हद तक शब्द-चहुल कही जा सकती है । बाढ़ के लक्षण में पञ्चावयवोपपन्न इस विशेषण की उन की आलोचना (प्रतिज्ञा आदि बाक्य शब्द हैं अतः वे अवयव नहीं हो सकते, अवयव तो मौतिक होते हैं) को गम्भीर मानना कठिन है (परि. ११२) । यह आक्षेप उन के पूर्ववर्ती किसी ग्रन्थ से लिया गया है क्यों कि बाचस्पति ने इस का उल्लेख किया है । दूसरे प्रकार से पांच अवयवों की जो गणना भावसेन ने उद्धृत की है (परि. ११४) वह न्यायसारटीका में प्राप्त होती है ।

१. प्रमालक्ष्म इलो. ५९ । समानलिङ्गिना क्वापि मुमुक्षुणामविद्विषाय । सन्देहापोहकृद्वादो जल्पस्त्वन्यत्र समतः ॥ इलो. ६२ अत एवान् नो युक्ताः स्येवा दण्डघरादयः । छलनात्यादयो दूरं निग्रहोऽपि न कश्चन ॥ इलो. ६३ बाढ एव भवेद्जल्पः छलनात्यादयः परम् । अनुष्यज्यन्ते यथायोगं स्येयदण्डघरादय ॥

२. न्यायवार्तिकतात्पर्य टीका पृ ५४ ननु यथा तन्तवः पटस्य समवायिकारण किं तर्थैवते प्रतिज्ञादयो बाक्यस्य । नो खलु गगनगुणा वर्णाः समवायिकारणतां प्रतिपद्यन्त इत्यत आह । बाक्यैकदेशा इति अवयवा इति अवयवा । न पुनः समवायिकारणम् ।

३. पृष्ठ ४२ तथा -स्वपक्षसाधनं परपक्षदूषणं साधनसमर्थनं दूषणसमर्थनं शब्दोपवर्जनमित्यैतैः पञ्चभिरवयवैरूपपन्नं कार्यो येनाभिमतसिद्धिः स्यात् ।

आगम (परि० १२३)

यहां आचार्य ने आगम के प्रणेता आत का जो लक्षण बतलाया है वह सर्वज्ञ और असर्वज्ञ दोनों में संभव है। यह बात परम्परा-संपत्ति भी है। सिद्धसेन ने शब्द प्रमाण का वर्णन करते हुए दो लोक लिख कर इस प्रमाण में असर्वज्ञ के वाक्य और सर्वज्ञ के वाक्य दोनों का अन्तर्भूत सूचित किया है^१। वात्स्यायन ने आत शब्द के अर्थ में ऋषि, आर्य, म्लेच्छ तीनों का अन्तर्भूत किया है^२। देवसूरि ने आत के दो प्रकार बतलाये हैं—लौकिक तथा लोकोत्तर^३। पिता इत्यादि लौकिक आत हैं तथा तीर्थकर लोकोत्तर आत हैं।

ऐसा होने पर भी आगम प्रमाण के वर्णन में सर्वज्ञगति आगम की मुख्यता रहती है। इस के लिए प्रयुक्त दूसरा शब्द श्रुत है। यह शब्द भी दो अर्थों में प्रयुक्त होता है। सर्वसावारण व्यक्तियों का मतिज्ञान पर आधारित ज्ञान श्रुत कहलाता है^४। तथा सर्वज्ञों के केवलज्ञान पर आधारित उपदेश को भी श्रुत कहते हैं। उमास्वाति ने श्रुतज्ञान के वर्णन में इन दोनों प्रकारों को एकत्रित किया है—वे श्रुत को मतिपूर्व कहते हैं फिन्तु उस के भेदों के वर्णन में सर्वज्ञप्रणीत ज्ञान के प्रतिपादक ग्रन्थों की गणना करते हैं^५।

यह आचार्य ने आगम ग्रन्थों की नामावली में वारह अग्रग्रन्थों के अतिरिक्त अन्नवाह्य ग्रन्थों के नाम भी गिनाये हैं। इन में से अविनांश ग्रन्थों के संस्करण श्वेताम्बर परम्परा में प्रसिद्ध हैं। दिग्ब्वार परम्परा में इन के अध्ययन की परम्परा टूट गई है।

१. न्यायावतार टीका पृ. ४२। शब्दं च द्विवा भवति लौकिकं शास्त्रजं चेति तत्रेद द्वयोरपि साधारणं लक्षणं प्रतिपादितम् (लोक. ८) ।

२. न्यायभाष्य १-१-७। साक्षात्करणमर्थस्य आप्तिः तथा प्रवर्तत इत्याहाः। ऋष्यार्थम्लेच्छाना समानं लक्षणम् ।

३. प्रमाणनयतत्त्वालोक अ. ४ सू. ६-७। स च द्वेषा लौकिको लोकोचरश्च। लौकिको जनकादिः लोकोचरस्तु तीर्थकरादिः ।

४. नन्दीसूत्र (सू. २४)। मइपुञ्च लेण सुषें, न मई सुयपुञ्चिया ।

५. तत्त्वार्थसूत्र १-२०। श्रुतं मतिपूर्वं द्वयनेकद्वादशमेदम् ।

अंगवाह्य ग्रन्थों का वर्गीकरण नन्दीसूत्र (सू. ४३) में इस प्रकार मिलता है — अगवाह्य के दो भाग हैं — आवश्यक तथा आवश्यकव्यतिरिक्त । आवश्यक के छह भाग हैं — सामायिक, चतुर्विशतिस्तत्र, बन्दना, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग, प्रत्याख्यान । आवश्यकव्यतिरिक्त के दो भाग हैं — कालिक और उत्कालिक । उत्कालिक के बहुतसे भाग हैं — दशवैकालिक, कल्पाकल्प, चुरुलकल्प, महाकल्प, औपपातिक, राजप्रश्नीय, जीवाभिगम, प्रज्ञापना, नन्दी, अनुयोगद्वार इत्यादि । कालिक के भी बहुतसे भाग हैं — उत्तराव्ययन, व्यवहार, निशीय, ऋषिभाषित, जम्बूद्वीपज्ञाति, चन्द्रप्रज्ञाति, द्वीपसागरज्ञाति, निरयावली, इत्यादि । उपर्युक्त ग्रन्थों में से अधिकांश इस समय श्वेताम्बर-परम्परा में प्रासिद्ध हैं ।

द्रव्यप्रमाण (परि० १२५)

यहाँ द्रव्यप्रमाण के छह प्रकार वल्लायं हैं । इस विषय का विस्तृत वर्णन अनुयोगद्वार सूत्र (सूत्र १३२) में प्राप्त होता है । वहाँ दी हुई कुछ तालिकाएं इस प्रकार हैं — धान्यमान की तालिका :— २ असई = ४ पसई; २ पसई = १ सेड्या, ४ सेड्या = १ कुलक, ४ कुलक = १ प्रस्थ, ४ प्रस्थ = १ आटक, ४ आटक = १ द्वोण, ६० आटक = १ जघन्यकुम्भ; ८० आटक = १ मध्यम कुम्भ; १०० आटक = १ उत्तम कुम्भ; ८०० आटक = १ चाह । रस (तरल पदार्थ) मान की तालिका :— १ मानी = २५६ पल = २ अर्धमानी; १ अर्धमानी = २ चतुर्भागिका; १ चतुर्भागिका = २ अष्टभागिका, १ अष्टभागिका = २ पोडशिका ।

उन्मान (तौलने के वाटों) की तालिका :—

२ अर्धकर्ष = १ कर्ष; २ कर्ष = १ अर्धपल; २ अर्धपल = १ पल; ५०० पल = १ तुला; १० तुला = १ अर्धभार; २० तुला = १ भार ।

प्रतिमान (छोटे वाटों) की तालिका :—

१. विभागनिष्कर्षण (द्रव्यप्रमाण) पंचविहे पण्ठते, त जहा, माणे, उम्माणे, अवमाणे, गणिमे, पडिमाणे । इत्यादि ।

९ गुंजा = ४ काकिणी = ३ निष्पाव = १ कर्ममाप; १२ कर्ममाप = १ मंडल; १६ कर्ममाप = १ सुवर्ण।

गणिताप्रमाण की तालिका—एक, दस, सौ, हजार, दसहजार, सौ-हजार, दस सौ हजार, कोटि।

अवमान के उदाहरणः—हाथ, दण्ड, धनुप, युग, नालिका, अक्ष, मुसल।

क्षेत्रप्रमाण तथा कालप्रमाण (परि० १२६—१२७)

क्षेत्रप्रमाण का यहाँ जो वर्णन दिया है वह कुछ विस्तार से अनुयोग-द्वारसूत्र (सू. १३३) में पाया जाता है। वह तालिका इस प्रकार है—
 ८ ऊर्ध्वरेणु = १ त्रसरेणु, ८ त्रसरेणु = १ रथरेणु, ८ रथरेणु = १ उत्तमभोग-भूमिजकेश, ८ उत्तमभोगभूमिजकेश = १ मध्यमभोगभूमिजकेश, ८ मध्यमभोगभूमिजकेश = १ जघन्यभोगभूमिजकेश, ८ जघन्यभोगभूमिजकेश = १ विदेहक्षेत्रजकेश, ८ विदेहक्षेत्रजकेश = १ भरत ऐरावत क्षेत्रजकेश, ८ भरत-ऐरावत क्षेत्रजकेश = १ लिक्षा; ८ लिक्षा = २ यूका, ८ यका = १ यव, ८ यव = १ अंगुल, ६ अंगुल = १ पाट, २ पाट = १ वितस्ति, २ वितस्ति = १ रत्नि, २ रत्नि = १ कुक्षि, २ कुक्षि = १ दण्ड (अथवा धनुप, युग, नालिका, मुसल या अक्ष), २००० दण्ड = १ गव्यूति, ४ गव्यूति = १ योजन।

गणितसारसंग्रह (अ. १, छो २६—३१) में प्राय यही तालिका है, अन्तर यह है कि ऊर्ध्वरेणु के लिए अणु, यूका के लिए तिल या सर्षप, रत्नि के लिए हस्त तथा गव्यूति के लिए क्रोश शब्द का प्रयोग किया है। वहाँ विदेहक्षेत्रज केशमाप का उल्लेख नहीं है तथा कुक्षि का उल्लेख भी नहीं है।

तिलोयपण्णर्ता (अ १, गा. ९३—१३२) में भी यह तालिका प्राप्त होती है।

कालप्रमाण का वर्णन अनुयोगद्वारसूत्र (सू. १३४) में विस्तार से मिलता है। वहाँ की तालिका इस प्रकार है— असख्यात समय = १ आवलि, संख्यात आवलि = १ उच्छ्वास, (इसी को निश्वास या प्राण कहते हैं)

७ प्राण = १ स्तोक, ७० स्तोक = १ लब, ७७ लब = १ मुहूर्त, ३० मुहूर्त = १ अहोरात्र, १९ अहोरात्र = १ पक्ष, २ पक्ष = १ मास, २ मास = १ क्रतु, ३ क्रतु = १ अयन, २ अयन = १ संवत्सर, ९ संवत्सर = १ युग, २० युग = १ वर्षशत, १० वर्षशत = १ वर्षसहस्र, १०० वर्षसहस्र = १ वर्षशतसहस्र, ८४ वर्षशतसहस्र = १ पूर्वींग (यहाँ से ऊपर प्रत्येक माप पूर्वमाप के ८४ लक्ष गुणित वतलाया है, जिन के नाम हैं - पूर्वींग, त्रुटिनाग, त्रुटित, अटटांग, अटट, अववांग, अवव, हुहुअग, हुहुअ, उत्पलांग, उत्पल, पद्मांग, पद्म, नलिनाग, नलिन, अच्छनिउरग, अच्छनिउर, अयुतांग, अयुत, प्रयुतांग, प्रयुत, नमिताग, नमित, चूलिकांग, चूलिका, शीर्षप्रहेलिकाग, शीर्षप्रहेलिका)।

गणितसारसग्रह (अ. १, छो. ३२-३३) में कालप्रमाण की गणना एक वर्ष की अवस्था तक बतलाई है। वह यहाँ आचार्य द्वारा दी गई तालिका से मिलती है।

तिलोयपण्णति (अ. ४, गा. २८९-२८६) में भी कालगणना की रीत बतलाई है।

उपमान प्रमाण (परि० १२८)

अतिविस्तृत क्षेत्र और काल की गणना के लिए उपमाओं के द्वारा पूर्योगम, सागरोपम आदि संज्ञाओं का प्रयोग करना जैन ग्रन्थों की विशेषता है। इन्हीं संज्ञाओं को वहाँ उपमान प्रमाण कहा है (न्यायदर्शन में वर्णित उपमान का इस से कोई संबन्ध नहीं है, उस उपमान का समावेश पूर्वोक्त प्रत्यभिज्ञान परोक्ष प्रमाण में होता है यह ऊपर बताया है)। इस विषय का वर्णन कई ग्रन्थों में मिलता है जिन में प्रमुख हैं - अनुयोगद्वारसूत्र (सू. १३८) तिलोयपण्णति (प्रथम अधिकार, इस का विवेचन जंबूदीवषण्णतीसग्रह की प्रस्तावना में उपलब्ध है) तथा गोम्मटसार (कर्मकाण्ड) की हिन्दी भूमिका।

श्लोकसूची

पृष्ठाकं		पृष्ठाकं
अङ्गानि चत्वारि	७९	तेतेरतेपि निरुप्यन्ते
अङ्गीकृत वस्तु	९०	तत्त्वमतप्रसिद्धाङ्ग
अज्ञाततत्त्वचेतोभिः	८१	तथा चेदमिति प्रोक्ते
अज्ञानोपास्तिरज्ञानं	८३	तद्देहती दोषमुद्धाव्य
अनुग्राहस्य शिष्यस्य	७६	तस्मात् सम जनै.
अनेकवाचके शब्दे	४८	तात्त्विकः प्रातिभः
अपक्षपातिनः प्राज्ञाः	८०	त्रायन्ते वा पदानि
अपूज्या यत्र पूज्यन्ते	८२	दृष्टवादैः श्रुतदयेष्टैः
अर्थापत्त्युपपत्ती	६५	द्रुत विलम्बितं
असंकेताप्रसिद्धादि	९०	नदीपूरोप्यधोदेशे
असमेनापि वृप्तेन	७७	न रात्री नापि
असूयकत्वं शठता	७६	नार्थसम्बन्धिनः
आज्ञागाम्मीर्य	८१	नैवारोहेत् तुला
आज्ञावान् धार्मिकः	७९	पक्षपाताद् वदेद्
आदिश्नू वादयेद्	७९	पञ्चावयवान् वी॒ग.
इति पञ्चापसारेण	६६	पत्रार्थं न विजानाति
उक्ते हेतौ विष्क्षेण	५१	परप्रवर्षप्रहितेन
उपचारेण वक्त्रा	५०	परार्थं तात्त्विकस्येव
कुर्यात् सदाग्रह	७६	पित्रोश्च व्राहणत्वेन
क्षमी स्वपरपक्षः	८४	प्रकृतेर्महास्ततोहकारः
गोषुथा सत्साधनैरेव	७६	प्रतिज्ञा तु न कर्तव्य ।
चित्रायदन्तराणीर्थं	८८	प्रतिवादानुलोम्येन
छलादयस्तदाभासाः	४८	प्रसिद्धावयव गृद
छलाद्युद्भावने	७३	प्रसिद्धावयवं वाक्यं
जानन्तुभयविद्वान्तौ	८०	प्राकृतसंख्यामागध
ज्ञातपत्रार्थकः	९०	प्रातिभे नियतार्थं वा

Jīvarāja Jaina Granthamālā

General Editors .

Dr A N. UPADHYE & Dr H L JAIN

1 *Tiloyapannatti* of Yatīvṛṣabha (Part I, chapters 1-4): An Ancient Prākrit Text dealing with Jaina Cosmography, Dogmatics etc Prākrit Text authentically edited for the first time with the Various Readings, Preface & Hindi Paraphrase of Pt. BALACHANDRA by Drs A N UPADHYE & H L JAIN Published by Jaina Samskrti Samraksaka Samgha, Sholapur (India) Crown 8vo pp 6-38-532 Sholapur 1943 Price Rs 12.00 Second Edition, Sholapur 1956 Price Rs 16.00

1 *Tiloyatannatti* of Yatīvṛṣabha (Part II, Chapters 5-9): As above, with Introductions in English and Hindi, with an alphabetical index of Gāthās, with other indices (of Names of works mentioned, of Geographical Terms, of Proper Names, of Technical Terms, of Differences in Tradition of Karanasūtras, and of Technical Terms compared) and Tables of Nāraka-jīva, Bhavaṇa-vāsi Deva, Kulaśaras, Bhāvana-Indras, Six Kulaparvatas, Seven Kṣetras, Twentyfour Tīrṭaśakas, Age of the Śalākāpurusas, Twelve Cākrapāṇis, Nine Nārāyanas, Nine Pratiśatrūs, Nine Baladevas, Eleven Rudras, Twentyeight Naksatras, Eleven Kalpātīta, Twelve Indras, Twelve Kalpas and Twenty Prarūpanās) Crown Octavo pp 6-1 -108-5 9 to 1032, Sholapur 1951 Price Rs 16.00

2 *Yaśastilaka and Indian Culture*, or Somadeva's Yaśastilakā and Aspects of Jainism and Indian Thought and Culture in the Tenth Century, by Professor K K HANDQUI, Vice-Chancellor, Gauhati University, Assam, with Four Appendices, Index of Geographical Names and General Index Published by J. S. S Sangha, Sholapur. Crown Octavo pp 8-540 Sholapur 1949 Price Rs 16.00

3. *Pāndavapurānam* of Subhacandra A Sanskrit Text dealing with the Pāndava Tale Authentically edited with Various Readings, Hindi Paraphrase, Introduction in Hindi etc by Pt JINADAS Published by J S. S. Sangha, Sholapur Crown Octavo pp 4-40-8-520 Sholapur 1954 Price Rs 12.00

4 *Prīkṛta-śabdānuśāsanam* of Trīvikrama with his own commentary Critically Edited with Various Readings, an Introduction and Seven Appendices (1 Trīvikrama's Sūtras, 2. Alphabetical index of the Sūtras, 3 Metrical Version of

the Sūtrapātha ; 4 Index of Apabhrāma Stanzas , 5. Index of Deśya words , 6. Index of Dhātvādeśas, Sanskrit to Prākrit and vice versa , 7. Bharata's Verses on Prākrit), by Dr P L VAIDYA, Director, Mithilā Institute, Darbhanga Published by the J. S S. Sangha, Sholapur. Demy 8vo. pp. 44-178. Sholapur 1954. Price Rs. 10.00.

. *Siddhānta-sārasamgraha* of Narendrasena : A Sanskrit Text dealing with Seven Tattvas of Jainism Authentically Edited for the first time with Various Readings and Hindi Translation by Pt. JINADAS P PHADKULE Published by the J S. S. Sangha, Sholapur Crown Octavo pp about 300 Sholapur 1957 Price Rs 10.00

6. *Jainism in South India and Hyderabad Epigraphs* : A learned and well-documented Dissertation on the career of Jainism in the South, especially in the areas in which Kannada, Tamil and Telugu Languages are spoken, by P B DESAI, M A , Assistant Superintendent for Epigraphy, Ootacamund, Some Kannada Inscriptions from the areas of the former Hyderabad State and round about are edited here for the first time both in Roman and Devanāgarī characters, along with their critical study in English and Sāīānuvāda in Hindi Equipped with a List of Inscriptions edited, a General Index and a number of Illustrations Published by the J S. S Sangha, Sholapur 1 57 Crown Octavo pp. 16-456. Price Rs 16.00

7 *Jambūdiwappannatti-Samgaha* of Padmanandī A prākrit Text dealing with Jaina Geography Authentically edited for the first time by Drs. A N. UPADHYE and H. L. JAINA, with the Hindi Anuvāda of Pt BALACHANDRA The introduction constitutes a careful study of the Text and its allied works. There is an Essay in Hindi on the Mathematics of the Tiloyapannatti by Pro'. LAKSHMICANDRA JAIN, Jabalpur- Equipped with an Index of Gāthās, of Geographical Terms and of Technical Terms, and with additional Variants of Amera Ms Published by the J S S Sangha, Sholapur Crown Octavo pp. about 500 Sholapur 1957 Price Rs 16

8. *Bhattāraka-sampradāya* A History of the Bhattāraka Pīthas especially of Western India, Gujarat, Rajasthan and

Madhya Pradesh, based on Epigraphical, Literary and Traditional sources, extensively reproduced and suitably interpreted, by Prof. V JOHRAPURKAR, M A Nagpur. Published by the J. S. S. Sangha, Sholapur, Demy Octavo pp 14-29-326, Sholapur 1960. Price Rs. 8/-

9 *Prābhṛtādisamgraha* : This is a presentation of topic-wise discussions compiled from the works of Kundakunda, the *Samayasāra* being fully given Edited with Introduction and Translation in Hindi by Pt KAILASHCANDRA SHASTRI, Varanasi. Published by the J. S S Sangha, Sholapur Demy 8vo pp 10-106—0-288. Sholapur 1960 Price Rs 6.00.

10 *Pāñcavimśati* of Padmanandī . (c 1136 A D) This is a collection of 26 Prakaranas (24 in Sanskrit and 2 in Prākrit) small and big, dealing with various religious topics religious, spiritual, ethical, didactic, hymnal and ritualistic The text along with an anonymous commentary critically edited by Dr A N. UPADHYE and Dr. H L JAIN with the Hindi Anuvāda of Pt BALACHANDRA SHASTRI The edition is equipped with a detailed introduction shedding light on the various aspects of the work and personality of the author both in English, and Hindi There are useful Indices Printed in the N S. Press, Bombay. Crown Octavo pp. 8 64-284. Sholapur 1962 Price Rs 10/-

11. *Ātmānuśāsana* of Gunabhadra (middle of the 9th century A.D) This is a religio-didactic anthology in elegant Sanskrit verses composed by Gunabhadra, the pupil of Jinasena, the teacher of Rāstrakūta Amoghavarsa The text is critically edited along with the Sanskrit commentary of Prabhācandra and a new Hindi Anuvāda by Dr A N UPADHYE, Dr H. L JAIN and Pt BALACHANDRA SHASTRI The edition is equipped with introduction in English and Hindi and some useful Indices Demy 8vo pp 8-112-260, Sholapur 1961 Price Rs 5/-

12 *Ganitasārasamgraha* of Mahāvīrācārya (c 9th century A.D) This is an important treatise in Sanskrit on early Indian mathematics composed in an elegant style with a practical approach Edited with Hindi Translation by Prof. L C JAIN, M Sc , Jabalpur. Crown Octavo pp. 16 + 34 + 282 + 86, Sholapur 1963 Price Rs. 12/-

13 *Lokavibhāga* of Śimhasūri A Sanskrit digest of a missing ancient Prākrit text dealing with Jain cosmography. Edited for the first time with Hindi Translation by Pt. BALACHANDRA SHASTRI Crown Octavo pp 8-52-256, Sholapur 1962. Price Rs 10/-

14 *Punyāsrava-kathākośa* of Rāmacandra . It is a collection of religious stories in simple and popular Sanskrit. The text authentically edited by Dr A. N. UPADHYE and Dr H L. JAIN with the Hindi Anuvāda of Pt BALACHANDRA SHASTRI Crown Octavo pp 48 + .68 Sholapur 1 64. Price Rs. 10/-

15 *Jainism in Rajasthan* This is a dissertation on Jainas and Jainism in Rajasthan and round about area from early times to the present day, based on epigraphical, literary and traditional sources by Dr KAILASHCHANDRA JAIN, Ajmer Crown Octavo pp 8 + 284, Sholapur 1963 Price Rs 11/-

16 *Vīśvatattva-Prakāśa* of Bhāvasena (13th century A D.) It is a treatise on Nyāya. Edited with Hindi Summary and Introduction in which is given an authentic Review of Jaina Nyāya literature by Dr V P Johrapurkar, Nagpur Demy Octavo pp 16 + 12 + 372, Sholapur 1964 Price Rs 12/-

17. *Tīrtha-vandana-samgraha* A compilation and study of Extracts in Sanskrit, Prākrit and Modern Indian Languages from Ancient and Medieval Works of Forty Authors about (Digambara) Jaina Holy Places, by Dr V P JOHRAPURKAR, Jaora Demy Octavo pp 208, Sholapur 1 65 Price Rs 5/-.

18 *Pramāprameya* A treatise on Logical Topics by Bhāvasena Traividya. Authentically Edited with Hindi Translation, Notes etc by Dr. V P JOHRAPURKAR, Mandla, Demy Octavo pp 158 Sholapur 1966. Price Rs, 5/-.

WORKS IN PREPARATION

Subhāsita-samdoha Dharma-pārīksā, Jñānārnava, Dharmaratnākara, etc, For copies write to

Jaina Samkrti Samrakshaka Sangha,

SANTOSH BHAVAN, Phaltan Galli,

Sholapur (C. Rly), India

